करेंट अपडेट्स

(संग्रह)

मार्च भाग-1
2021

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
फोनः 8750187501
ई-मेलः online@groupdrishti.com

अनुक्रम

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम **7**

- मोरारजी देसाई 7
- NHRC द्वारा हीराकुंड विस्थापन मामले में नोटिस 8
- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की समीक्षा 10
- कर्नाटक की इंजीनियरिंग अनुसंधान और विकास नीति 11
- मर्चेंट डिजिटाइज़ेशन सम्मेलन- 2021 12
- साइबर अपराध वालंटियर्स 13
- CBI निदेशक की नियुक्ति 15
- ईज़ ऑफ लिविंग' सूचकांक और नगर पालिका कार्य प्रदर्शन सूचकांक 16
- नए आईटी नियमों पर आपत्ति 18
- अस्वीकृत चेक से संबंधित मामलों के लिये फास्ट-ट्रैक कोर्ट 19
- क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाइ सब्जेक्ट 2021 21
- भारतीय विज्ञान अनुसंधान फेलोशिप 2021 23
- ओवरसीज़ सिटीज़न ऑफ इंडिया के अधिकार 24
- हरदित सिंह मलिक 25
- विद्यालयों और आँगनवाड़ियों में जलापूर्ति की स्थिति 27
- वैक्सीन पासपोर्ट 29
- नए SMS स्क्रबिंग मानदंड निलंबित 30
- मंत्री समूह: मीडिया रणनीति 32
- मध्याह्न भोजन योजना का विस्तार 33
- भारतीय स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में दांडी मार्च 35
- ऑटोक्रेटाइज़ेशन गोज़ वायरल रिपोर्ट 36
- मेरा राशन मोबाइल' एप्लीकेशन 37
- भारत में अनुचित अभियोजन 38

नोट :

➢ उपासना स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991 40
➢ ऊर्जा दक्षता उद्यम (E3) प्रमाणपत्र कार्यक्रम 41

आर्थिक घटनाक्रम 43

➢ आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव 43
➢ लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (FIT) 44
➢ भारत और तकनीकी मंदी 46
➢ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में संशोधन: नीति आयोग 47
➢ 10,000 FPOs का गठन एवं संवर्द्धन 49
➢ मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 50
➢ अरोमा मिशन के तहत 'बैंगनी क्रांति' 51
➢ केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला को क्षेत्रीय सीमा शुल्क प्रयोगशाला के रूप में मान्यता 53
➢ बीमा लोकपाल नियमों में संशोधन, 2017 54
➢ ईपीएफओ: वर्ष 2020-21 के लिये ब्याज दर 55
➢ फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021: यूएनईपी 56
➢ CSIR का फ्लोरीकल्चर मिशन 57
➢ MSME क्रेडिट हेल्थ इंडेक्स 59
➢ कृषि-वानिकी पर उप-मिशन' योजना 60
➢ भुगतान प्रणालियों हेतु न्यू अम्ब्रेला एंटिटी 62
➢ प्री-पैक इन्सॉल्वेंसी रिज़ॉल्यूशन प्रोसेस 63
➢ दूरसंचार क्षेत्र के लिये पीएलआई योजना 65
➢ रेलवे किराये का समायोजन 66
➢ राजा भूमिबोल विश्व मृदा दिवस - 2020 पुरस्कार 68
➢ नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी थ्रू अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम 69
➢ दूरसंचार कंपनियों के लिये लाइसेंस शर्तों में संशोधन 71

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम 72

➢ नियंत्रण रेखा पर युद्ध विराम 72
➢ भारत-चीन हॉटलाइन 73
➢ पाकिस्तान-श्रीलंका और भारत 74
➢ स्विट्ज़रलैंड की 'तटस्थता' नीति 76

नोट :

दृष्टि The Vision

➢ रियाद पर हूती हमला 78
➢ भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार 80
➢ सूखाग्रस्त मेडागास्कर को मानवीय सहायता 81
➢ भारत-जापान के लिये वेस्ट कंटेनर टर्मिनल का प्रस्ताव: श्रीलंका 82
➢ इज़रायल-फिलिस्तीन युद्ध अपराधों की जाँच 83
➢ भारत-बांग्लादेश द्विपक्षीय वार्ता 84
➢ भारत-स्वीडन आभासी शिखर सम्मेलन 85
➢ ईरान का गिरता रुपया रिज़र्व 87
➢ INSTC कॉरिडोर और चाबहार बंदरगाह 89
➢ अफगान शांति प्रक्रिया और भारत 91
➢ उइगर मुस्लिम 92
➢ भारत-बांग्लादेश परिवहन कनेक्टिविटी का महत्त्व: विश्व बैंक 94
➢ क्वाड शिखर सम्मेलन 95

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 98

➢ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2021 98
➢ ग्लोबल बायो-इंडिया-2021 99
➢ स्वच्छता सारथी फेलोशिप: वेस्ट टू वेल्थ मिशन 101
➢ राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति 2020 102
➢ प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट, 2021: UNCTAD 104
➢ क्वासर P172 + 18 106
➢ अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन 107
➢ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: इसरो 109
➢ क्षुद्रग्रह 2001 FO32 110
➢ हिंद महासागर में जीनोम मैपिंग 112

पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण 115

➢ प्रवासी पक्षी और चिल्का झील 115
➢ राष्ट्रीय नदी कायाकल्प तंत्र को लेकर NGT का सुझाव 116
➢ PSLV की 53वीं उड़ान 118
➢ राइट-टू-रिपेयर: यूरोपीय संघ 120

नोट :

- अरावली पहाड़ियों में पुन: उत्खनन शुरू करने की अपील 122
- NDC संश्लेषण रिपोर्ट: UNFCCC 123
- विश्व वन्यजीव दिवस पर WWF संरक्षण अभियान 125
- स्वतंत्र पर्यावरण नियामक 127

भूगोल एवं आपदा प्रबंधन 129

- भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट 129
- संगे ज्वालामुखी 130

सामाजिक न्याय 132

- समलैंगिक विवाह 132
- श्रवण क्षमता पर WHO की पहली रिपोर्ट 133
- फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 रिपोर्ट 135
- रोड टू जेंडर इक्वेलिटी: UNDP 137
- एम.टी. स्वर्ण कृष्ण: अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 139
- ग्रामीण विकास पर संसदीय स्थायी समिति 141
- कालाज़ार उन्मूलन 143
- प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि 144
- घुमंतू जनजातियाँ और संबंधित चुनौतियाँ 145
- LGBTIQ फ्रीडम ज़ोन' 147

कला एवं संस्कृति 150

- राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2021 150

आंतरिक सुरक्षा 152

- सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी 152
- डीज़ल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों हेतु 'एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन' प्रणाली 153
- INS करंज 154

चर्चा में 156

- सरस आजीविका मेला, 2021 156

नोट :

- गुरु रविदास जयंती 156
- तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम 157
- सूर्यकिरण एयरोबेटिक टीम 158
- ब्लैक ब्राउड बैबलर 158
- एक्सरसाइज़ 'डेज़र्ट फ्लैग-VI': UAE 159
- सिमलीपाल बायोस्फीयर रिज़र्व: ओडिशा 160
- पेंच टाइगर रिज़र्व 161
- बीजू पटनायक 162
- असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य में जड़/अक्रिय अपशिष्ट का क्षेपण 163
- व्हेल शार्क 164
- इक्विन हर्पीस वायरस 164
- सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार 165
- जन-औषधि दिवस 166
- रक्षा अधिग्रहण परिषद की योजनाएँ 167
- दुस्तलिक-2 168
- भारत-बांग्ला मैत्री सेतु 168
- फ्राँस का पहला अंतरिक्ष सैन्य अभ्यास- 'एस्टरएक्स' 169
- प्रोजेक्ट इनफॉर्मेशन सिस्टम एंड मैनेजमेंट 170
- इंडोनेशिया का माउंट सिनाबुंग 170
- साहित्य अकादमी पुरस्कार 171

विविध **173**

नोट :

दृष्टि The Vision

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम

मोरारजी देसाई

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की 125वीं जयंती मनाई गई।

- वह भारत के चौथे प्रधानमंत्री (1977-79) थे। उल्लेखनीय है कि वह प्रधानमंत्री बनने वाले पहले गैर-कॉन्ग्रेसी थे।

प्रमुख बिंदु

- आरंभिक जीवन:
  - मोरारजी देसाई का जन्म 29 फरवरी, 1896 को भदेली गाँव में हुआ था जो वर्तमान में गुजरात के बुलसार ज़िले में है।
  - वर्ष 1918 में विल्सन सिविल सर्विस, बॉम्बे से स्नातक करने के बाद उन्होंने 12 वर्षों तक डिप्टी कलेक्टर के रूप में कार्य किया।
- स्वतंत्रता संग्राम में योगदान
  - वर्ष 1930 में जब भारत महात्मा गांधी द्वारा शुरू किये गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के मध्य चरण में था, उस समय ब्रिटिश सरकार की न्याय व्यवस्था के प्रति मोरारजी देसाई का विश्वास खत्म हो गया था और उन्होंने सरकारी सेवा से इस्तीफा देने तथा स्वतंत्रता के लिये जारी संघर्ष में शामिल होने का फैसला किया।
  - स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वह तीन बार जेल गए। वर्ष 1931 में वह अखिल भारतीय कॉन्ग्रेस समिति के सदस्य बने तथा वर्ष 1937 तक गुजरात प्रदेश कॉन्ग्रेस समिति के सचिव रहे।
  - महात्मा गांधी द्वारा शुरू किये गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तथा अक्तूबर 1941 में छोड़ दिया गया एवं अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया।
- राजनीतिक जीवन:
  - वर्ष 1952 में वह बॉम्बे के मुख्यमंत्री बने।
  - नवंबर 1956 में वह वाणिज्य और उद्योग मंत्री के रूप में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए, इसके बाद मार्च 1958 में उन्हें वित्त विभाग का कार्यभार सौंपा गया।
  - वर्ष 1963 में कामराज योजना/प्लान के तहत उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। पंडित नेहरू के बाद प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री ने उन्हें प्रशासनिक व्यवस्था के पुनर्गठन के लिये गठित प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष बनने के लिये राजी किया।
    - कामराज प्लान के अनुसार, यह प्रस्ताव किया गया कि कॉन्ग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिये और अपनी सारी ऊर्जा कॉन्ग्रेस के पुनरुद्धार हेतु समर्पित कर देनी चाहिये।
  - आपातकाल की घोषणा के दौरान 26 जून, 1975 को मोरारजी देसाई को गिरफ्तार कर लिया गया। गुजरात के नवनिर्माण आंदोलन के समर्थन के लिये उन्होंने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की।
    - नवनिर्माण अंदोलन आर्थिक संकट और सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सामाजिक-राजनीतिक आंदोलन था जिसे वर्ष 1974 में गुजरात के छात्रों और मध्यम वर्ग के लोगों द्वारा शुरू किया गया।
  - बाद में सर्वसम्मति से उन्हें संसद में जनता पार्टी के नेता के रूप में चुना गया और 24 मार्च, 1977 को उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली।
- उनकी विचारधारा:
  - असमानता के खिलाफ: वह मानते थे कि जब तक गाँवों और कस्बों में रहने वाले गरीब लोग सामान्य जीवन जीने में सक्षम नहीं हैं, तब तक समाजवाद का कोई मतलब नहीं है। मोरारजी देसाई ने किसानों एवं किरायेदारों की कठिनाइयों के समाधान की दिशा में प्रगतिशील कानून बनाकर अपनी इस सोच को कार्यान्वित करने का ठोस कदम उठाया।

नोट :

- मितव्ययिता का समर्थन: उन्होंने अपनी सोच को आर्थिक नियोजन एवं वित्तीय प्रशासन से संबंधित मामलों में कार्यान्वित किया। रक्षा एवं विकास संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिये उन्होंने राजस्व में वृद्धि की, अपव्यय को कम किया एवं प्रशासन पर होने वाले सरकारी खर्च में मितव्ययिता को बढ़ावा दिया। उन्होंने वित्तीय अनुशासन को लागू कर वित्तीय घाटे को अत्यंत निम्न स्तर पर रखा। उन्होंने समाज के उच्च वर्गों द्वारा किये जाने वाले फिज़ूलखर्च को प्रतिबंधित कर उसे नियंत्रित करने का प्रयास किया।
- विधि का शासन: प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी देसाई यह चाहते थे कि भारत के लोगों को इस हद तक निडर बनाया जाए कि देश में कोई भी व्यक्ति, चाहे वह सर्वोच्च पद पर ही आसीन क्यों न हो, अगर कुछ गलत करता है तो कोई भी उसे उसकी गलती का अहसास करा सके। उन्होंने बार-बार यह कहा, "कोई भी, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी देश के कानून से ऊपर नहीं होना चाहिये"।
- सख्त अनुशासन: उनके लिये सच्चाई एक अवसर नहीं बल्कि विश्वास के एक मानक के रूप में थी। उन्होंने शायद ही कभी अपने सिद्धांतों को स्थिति की बाध्यता के आगे दबने दिया।

NHRC द्वारा हीराकुंड विस्थापन मामले में नोटिस

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने ओडिशा और छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिवों को छह दशक पहले महानदी पर निर्मित हीराकुंड बाँध के कारण विस्थापित लोगों की पीड़ा को कम करने के लिये की गई कार्रवाई के संबंध में नोटिस जारी किया है।

- हीराकुंड बाँध के निर्माण के कारण लगभग 111 गाँव डूब गए और लगभग 22,000 परिवार इससे प्रभावित हुए, जबकि लगभग 19,000 परिवार विस्थापित हो गए थे।

प्रमुख बिंदु:

- हीराकुंड बाँध परियोजना:
  - स्थापना:
    - इस परियोजना की कल्पना महानदी में विनाशकारी बाढ़ की पुनरावृत्ति देखने के बाद एम. विश्वेश्वरैया द्वारा वर्ष 1937 में की गई। इसकी पहली हाइड्रो पॉवर परियोजना को वर्ष 1956 में अधिकृत किया गया।
  - अवस्थिति:
    - यह बाँध ओडिशा राज्य के संबलपुर शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर महानदी पर बनाया गया है।
  - उद्देश्य:
    - सिंचाई: इस परियोजना के माध्यम से संबलपुर, बरगढ़, बोलनगीर और सुबरनपुर ज़िलों में 1,55,635 हेक्टेयर खरीफ और 1,08,385 हेक्टेयर रबी फसलों के लिये सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
    - पॉवर हाउस के माध्यम से छोड़े गए पानी से महानदी के डेल्टा में 4,36,000 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई की जाती है।
  - विद्युत निर्माण: इस बाँध से 22 किलोमीटर नीचे दाहिने किनारे पर स्थित बुरला और चिपलिमा में दो पॉवर हाउसों की बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता 347.5 मेगावाट है।
  - बाढ़ नियंत्रण: यह परियोजना कटक और पुरी ज़िलों में 9500 वर्ग किलोमीटर डेल्टा क्षेत्र सहित महानदी बेसिन को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करती है।
- महानदी नदी:
  - महानदी नदी प्रणाली गोदावरी और कृष्णा के बाद प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी और ओडिशा राज्य की सबसे बड़ी नदी है।
  - नदी का जलग्रहण क्षेत्र छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड और महाराष्ट्र तक फैला हुआ है।
  - इसका बेसिन उत्तर में मध्य भारत की पहाड़ियों, दक्षिण और पूर्व में पूर्वी घाट तथा पश्चिम में मैकाल रेंज से घिरा है।
  - स्रोत:
    - यह छत्तीसगढ़ राज्य में अमरकंटक के दक्षिण में सिहावा के पास बस्तर पहाड़ियों से निकलती है।

- महानदी की सहायक नदियाँ:
- शिवनाथ नदी
- हसदेव नदी
- बोराई नदी
- मांड नदी
- इब नदी
- जोंक नदी
- तेल नदी
- महानदी विवाद: केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 में महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग:

- यह मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम (PHRA), 1993 के तहत 12 अक्तूबर, 1993 को स्थापित एक वैधानिक निकाय है। इसे मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2006 और मानवाधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा संशोधित किया गया।
- PHRA अधिनियम राज्य स्तर पर एक राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन का भी प्रावधान करता है।अंतर्राष्ट्रीय दायित्व: 'संयुक्त राष्ट्र पेरिस सिद्धांतों ' द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानदंड स्थापित किये गए हैं जो यह तय करते हैं कि किस राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान को 'राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के वैश्विक गठबंधन' (GANHRI) द्वारा मान्यता प्राप्त हो सकती है। भारत में PHRA अधिनियम, 1993 को पारित करके पेरिस सिद्धांतों (1993) को लागू किया गया।
- मानवाधिकारों का रक्षक: NHRC का निर्माण मानवाधिकारों के संवर्द्धन और संरक्षण के लिये किया गया है।
- PHRA की धारा 2 (1) (d) मानवाधिकारों को जीवन से संबंधित अधिकारों, स्वतंत्रता, समानता और संविधान द्वारा गारंटीकृत व्यक्ति की गरिमा या अंतर्राष्ट्रीय वाचाओं में सन्निहित तथा भारत में न्यायालयों द्वारा लागू किये जाने के रूप में परिभाषित करती है।
- संघटन: NHRC एक बहु-सदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष और चार सदस्य होते हैं। कोई व्यक्ति जो भारत का मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, इसका अध्यक्ष होता है।
- नियुक्ति: जिसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा गठित छ: सदस्यीय समिति की सिफारिशों पर की जाती है, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा उपसभापति , संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होते हैं। ।
- कार्यकाल: इसके अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक (जो भी पहले हो) होता है।
- राष्ट्रपति कुछ परिस्थितियों में अध्यक्ष या किसी भी सदस्य को पद से हटा सकता है।
- कार्य:
  - सिविल कोर्ट की शक्तियाँ:
    - इसके पास सिविल कोर्ट की सभी शक्तियाँ होती हैं और इसकी कार्यवाही का स्वरूप न्यायिक होता है।
    - इसे मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जाँच के उद्देश्य से केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या जाँच एजेंसी की सेवाओं का उपयोग करने का अधिकार है।
    - यह किसी घटना के एक वर्ष के भीतर उससे संबंधित मामलों को देख सकता है, अर्थात् आयोग को किसी भी ऐसे मामले में पूछताछ का अधिकार नहीं है, जिसमें उस तिथि से एक वर्ष की समाप्ति के बाद मानवाधिकारों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया हो।
  - सिफारिश करने की शक्ति:
    - आयोग के कार्य मुख्य रूप से सिफारिशी प्रकृति के होते हैं। इसके पास मानवाधिकारों के उल्लंघन करने वालों को दंडित करने की कोई शक्ति नहीं है, न ही यह पीड़ित को मौद्रिक राहत सहित कोई राहत दे सकता है।
    - इसकी सिफारिशें संबंधित सरकार या प्राधिकरण के लिये बाध्यकारी नहीं हैं। लेकिन एक महीने के भीतर इसकी सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के बारे में सूचित किया जाना चाहिये।
    - सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले में इसकी भूमिका, शक्तियाँ और अधिकार क्षेत्र सीमित है।
    - निजी क्षेत्र द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन किये जाने पर इसे कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है।

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की समीक्षा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan- RUSA) पर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

प्रमुख बिंदु

- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के विषय में:
  - लक्ष्य: इसका लक्ष्य पूरे देश में उच्च शिक्षा संस्थानों को रणनीतिक वित्तपोषण प्रदान करना है।
    - इस अभियान के तहत राज्यों के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में समानता, सभी की पहुँच और उत्कृष्टता बढ़ाने के लिये आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
  - वित्तपोषण: RUSA को अक्तूबर 2013 में शुरू किया गया था, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
    - केंद्र सरकार वर्ष 2016-17 से RUSA पर हर साल औसतन 1,500 करोड़ रुपए खर्च करती है।
  - उद्देश्य:
    - राज्य संस्थानों की समग्र गुणवत्ता में निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुरूप सुधार करना।
    - एक अनिवार्य गुणवत्ता आश्वासन ढाँचे के रूप में मान्यता (योग्यता का प्रमाणन) को अपनाना।
    - राज्य विश्वविद्यालयों में स्वायत्तता को बढ़ावा देना और संस्थानों के शासन में सुधार करना।
    - संबद्धता, शैक्षणिक और परीक्षा प्रणाली में सुधार सुनिश्चित करना।
    - सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में गुणवत्ता युक्त संकायों की उपलब्धता और रोज़गार के सभी स्तरों पर क्षमता निर्माण सुनिश्चित करना।
    - उच्च शिक्षा प्रणाली में अनुसंधान के लिये एक सक्षम वातावरण बनाना।
    - अनछुए और अछूते क्षेत्रों में संस्थानों की स्थापना कर उच्च शिक्षा की पहुँच में क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करना।
    - उच्च शिक्षा के क्षेत्र में वंचितों को पर्याप्त अवसर प्रदान करके इस क्षेत्र में होने वाले पक्षपात को समाप्त किया जा सकेगा।
  - निगरानी: केंद्रीय मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों के माध्यम से धन प्रदान किया जाता है, जो इस योजना की शैक्षणिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय प्रगति की निगरानी में केंद्रीय परियोजना मूल्यांकन बोर्ड (Central Project Appraisal Board) की सहायता करते हैं।
- बैठक की मुख्य विशेषताएँ:
  - सकल नामांकन अनुपात: GER को वर्ष 2035 तक 50% तक बढ़ाने के लिये अतिरिक्त 3.5 करोड़ छात्रों को शिक्षित करने की योजना तैयार करने की आवश्यकता है।
    - सकल नामांकन अनुपात:
    - भारत में उच्च शिक्षा हेतु कुल पात्र आबादी (18-23 वर्ष आयु वर्ग) और उच्च शिक्षा में कराए गए कुल सकल नामांकन के अनुपात को सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrolment Ratio) कहा जाता है।
    - उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (All India Survey on Higher Education) के अनुसार, उच्च शिक्षा में GER वर्ष 2017-18 में 25.8% से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 26.3% हो गया है, जबकि निरपेक्ष रूप से नामांकन 3.66 करोड़ से बढ़कर 3.74 करोड़ हो गया है।
  - स्थानीय कौशल पर ध्यान: स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप रोज़गारपरक कौशल वाले कुल 7 करोड़ छात्रों को कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से पास होना चाहिये। शिक्षा से स्थानीय रोज़गार पैदा होने चाहिये।
    - डिग्री कॉलेज में शिक्षा को "एक ज़िला, एक उत्पाद" (One District One Product) योजना के साथ जोड़ा जाना चाहिये।
  - निगरानी: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission), RUSA योजना के अंतर्गत धन प्राप्त करने वाले संस्थानों द्वारा किये गए कार्यों की प्रगति की निगरानी करेगा।

कर्नाटक की इंजीनियरिंग अनुसंधान और विकास नीति

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कर्नाटक ने देश की पहली 'इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट' (ER & D) पॉलिसी लॉन्च की है।

प्रमुख बिंदु

- नीति के तहत केंद्रीय क्षेत्र:
  - नई नीति में एयरोस्पेस और रक्षा; ऑटो, ऑटो घटक और इलेक्ट्रिक वाहन; जैव प्रौद्योगिकी, फार्मा और चिकित्सा उपकरण; अर्द्धचालक, दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग (ESDM) और सॉफ्टवेयर उत्पाद जैसे पाँच प्रमुख केंद्रीय क्षेत्रों की पहचान की गई है।
- कौशल निर्माण:
  - सरकार कौशल निर्माण में निवेश करेगी, अकादमिक और उद्योग सहयोग में सुधार करेगी और स्थानीय स्तर पर बौद्धिक संपदाओं के निर्माण को भी प्रोत्साहित करेगी।
- सब्सिडी:
  - इस नीति के तहत बंगलूरू नगरीय ज़िले के अलावा 'मल्टी-नेशनल कॉर्पोरेशन' (MNC) संस्थाओं को 2 करोड़ रुपए तक के किराए की 50% प्रतिपूर्ति की पेशकश की जाएगी।
  - इस नीति के तहत बंगलूरू के अतिरिक्त राज्य में निवेश के लिये 20% तक (2 करोड़ रुपए) की सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी।
  - इस सब्सिडी का आकलन 'केस-टू-केस' आधार पर कंपनियों द्वारा किये जा रहे निवेश और उनके द्वारा उत्पन्न रोज़गार के आधार पर किया जाएगा ।
- नवाचार:
  - नवाचार को बढ़ावा देने के लिये सरकार विभिन्न परियोजनाओं हेतु कॉलेजों को धन मुहैया कराएगी और कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में उद्योग-उन्मुख पाठ्यक्रम विकसित करने की लागत भी वहन करेगी।
- लक्ष्य:
  - इस क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले अवसरों का उपयोग करने के लिये राज्य को तैयार करना।
  - कर्नाटक को 'स्किल्ड नॉलेज कैपिटल' बनाने के लिये इसका योगदान बढ़ाना, अधिक बौद्धिक संपदा विकसित करना।
  - बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करने के लिये राज्य में नए ER & D केंद्र स्थापित करना या सब्सिडी के माध्यम से अपनी मौजूदा सुविधाओं का विस्तार करना तथा वैश्विक बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बाज़ार में लाकर इंजीनियरिंग प्रतिभाओं और अवसरों के बीच व्याप्त अंतराल को समाप्त करना।
- आवश्यकता:
  - ER & D क्षेत्र देश में 12.8% की एक चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) के साथ सबसे तेज़ी से वृद्धि करने वाला उद्योग है।
    - चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) एक वर्ष से अधिक समय की निर्दिष्ट अवधि में निवेश की औसत वार्षिक वृद्धि दर है। CAGR निवेशक को बताता है कि इस अवधि के दौरान हर वर्ष आपको कितना रिटर्न मिलता है। सामान्य शब्दों में कहें तो यह एक कंपनी की वृद्धि दर है जो वार्षिक आधार पर व्यक्त की जाती है। CAGR की गणना में कंपाउडिंग के प्रभाव को भी ध्यान में रखा जाता है।
    - वैश्विक इंजीनियरिंग अनुसंधान और विकास उद्योग के वर्ष 2025 तक 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है।
  - भारत में ER & D के लिये लगभग 900 वैश्विक क्षमता केंद्र हैं और कर्नाटक का उनमें एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है।
  - राज्य सरकार ने अनुमान लगाया है कि नीति में ER & D क्षेत्र में पाँच वर्षों में 50,000 से अधिक नौकरियाँ सृजित करने की क्षमता है।
    - शीर्ष उद्योग निकाय 'नैसकॉम' के अनुसार, ER & D क्षेत्र में अगले पाँच वर्षों में देश में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का उद्योग बनने की क्षमता है।

नोट :

- डिजिटल इंजीनियरिंग और उद्योग 4.0 के बीच संबंध निम्न रूप में परिलक्षित होता है:
  - प्रक्रियाओं और आपूर्ति श्रृंखलाओं में डिजिटल विनिर्माण संचालन एवं स्वचालन;
  - उत्पाद के रूप में एक सेवा व्यवसाय मॉडल, ग्राहकों को वांछित परिणाम के लिये भुगतान करने की अनुमति देता है (उपकरणों के बजाय);
  - एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, जो जटिल कार्यों में लगी उत्पादन प्रक्रियाओं को फिर से संगठित कर सकता है और उनके कार्यात्मक प्रदर्शन को बढ़ा सकता है।

मर्चेंट डिजिटाइज़ेशन सम्मेलन- 2021

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत सरकार, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) और संयुक्त राष्ट्र संघ के 'बेटर दैन कैश अलायंस' (UN-based Better Than Cash Alliance) द्वारा संयुक्त रूप से 'मर्चेंट डिजिटाइज़ेशन सम्मेलन 2021: आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ना' (Merchant Digitization Summit 2021: Towards Atmanirbhar (Self Reliance) Bharat) की मेज़बानी की गई।

- इस सम्मेलन से सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के अग्रणी लोगों को साथ आने का मौका मिला है जो पूर्वोत्तर क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र और आकांक्षी ज़िलों के कारोबारियों को जवाबदेह डिजटलीकरण (Responsible Digitization) को बढ़ावा देने हेतु प्रेरित करेगा।

प्रमुख बिंदु:

हाईलाइट्स :

- उन महिला व्यापारियों को सशक्त बनाना जो अपने समुदायों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, डिजिटल इंडिया मिशन को प्राप्त करने में मदद करना इसकी प्राथमिकताओं में से एक है।
- राष्ट्रीय भाषा अनुवाद अभियान (National Language Translation Mission) के तहत इसके प्रति विश्वास बढ़ाने हेतु डिजिटल भुगतान सूचनाओं के प्रसार और निजता नियमों आदि को स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जा सकता है।
- अंतिम पायदान पर मौजूद व्यापारियों हेतु कनेक्टिविटी, स्मार्टफोन तक उनकी पहुँच और डिज़िटल साक्षरता की चुनौतियों को दूर करने पर भी सम्मेलन में सहमति व्यक्त की गई।
- आत्मनिर्भर भारत योजना के माध्यम से 'मेक इन इंडिया' पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हुए जवाबदेह डिजिटलीकरण द्वारा ग्रामीण नेटवर्क में स्व-सहायता समूह और समुदाय के स्तर पर लोगों को शामिल करना।
  - इससे लाखों व्यापारियों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में शामिल करने हेतु स्थानीय स्तर पर डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया जा सकेगा ताकि वे आसानी से कर्ज़ लेकर अपने व्यापार का विस्तार कर सकें।
- भारत ने प्रतिमाह औसतन 2-3 बिलियन डिजिटल लेन-देन करने के बाद अब प्रतिदिन 1 बिलियन डिजिटल लेने-देन का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है।
  - इसके तहत ग्राहक और कारोबारी के बीच हर माह 10-12 अरब डिजिटल लेन-देन का हस्तांतरण भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में योगदान देगा।

हाल की पहलें:

- डिजिटल भुगतान सूचकांक।
- 'भुगतान अवसंरचना विकास कोष' योजना।
- मर्चेंट डिस्काउंट रेट में छूट।

बेटर दैन कैश अलायंस (BTCA):

- BTCA के बारे में: BTCA सरकारों, कंपनियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच एक साझेदारी है जिसके तहत सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु डिजिटल भुगतानों को तीव्रता के साथ किया जाता है।

- स्थापना: इसे यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, सिटी ग्रुप, फोर्ड फाउंडेशन, ओमिडयार नेटवर्क तथा वीज़ा इंक द्वारा लॉन्च किया गया था।
  - इसकी मेज़बानी संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष (UNCDF) के न्यूयॉर्क, बोगोटा, डकार, ढाका, किगाली, लंदन, मनीला और नई दिल्ली कार्यालयों द्वारा की जाती है।
  - इसका गठन वर्ष 2012 में किया गया था।
- सदस्य: इस एलायंस में 75 सदस्य हैं जो दक्षता, पारदर्शिता, महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भुगतानों को डिजिटल बनाने हेतु प्रतिबद्ध हैं तथा उन अर्थव्यवस्थाओं के निर्माण में मदद करते हैं जो डिजिटल और समावेशी हैं।
  - इसके सदस्य नकदी के भौतिक लेन-देन को समाप्त नहीं करना चाहते हैं, बल्कि एक ज़िम्मेदार डिजिटल भुगतान विकल्प प्रदान करना चाहते हैं जो "नकदी से बेहतर" है।
  - वित्तीय समावेशन हेतु भुगतान को डिजिटाइज़ करने तथा विश्व के सबसे बड़े वित्तीय समावेशन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जन धन योजना की सफलता की कहानियों को साझा करने के उद्देश्य से भारत वर्ष 2015 में बेटर दैन कैश अलायंस का सदस्य बन गया।

भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ (फिक्की)

- फिक्की एक गैर-सरकारी, गैर-लाभकारी संस्था है जिसकी स्थापना वर्ष 1927 में की गई थी।
- यह भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना शीर्ष व्यापारिक संगठन है जिसका इतिहास भारत के स्वतंत्रता संग्राम से निकटता से जुड़ा है, इसका औद्योगीकरण तथा उद्भव सर्वाधिक तीव्र गति से वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।

साइबर अपराध वालंटियर्स

चर्चा में क्यों?

एक डिजिटल स्वतंत्रता संगठन 'इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन' (IFF) ने केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) को लिखा है कि साइबर अपराध वालंटियर्स की अवधारणा "समाज में निगरानी और सामाजिक अविश्वास पैदा कर निरंतर संदेह की संस्कृति" को जन्म देगी।

प्रमुख बिंदु:

- साइबर अपराध वालंटियर्स की अवधारणा:
  - भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) ने राष्ट्र की सेवा करने और देश में साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई में योगदान हेतु नागरिकों को एक ही मंच पर लाने के लिये साइबर अपराध वालंटियर्स कार्यक्रम की परिकल्पना की है।
    - अवैध/गैर-कानूनी ऑनलाइन सामग्री की पहचान, रिपोर्टिंग और उसे हटाने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सुविधा हेतु साइबर अपराध वालंटियर्स के रूप में पंजीकृत होने के लिये अच्छे नागरिकों का स्वागत किया जाता है।
  - वालंटियर्स को भारतीय संविधान के अनुच्छेद-19 का अध्ययन करने की सलाह दी गई है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है।
  - इसके अलावा वालंटियर्स स्वयं को सौंपे गए/किये गए कार्यों की सख्त गोपनीयता बनाए रखेगा। राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों के राज्य नोडल अधिकारी कार्यक्रम के नियमों और शर्तों के उल्लंघन के मामले में वालंटियर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार भी रखते हैं।
- अवैध/गैर-कानूनी सामग्री: सामान्य तौर पर ऐसी सामग्री जो भारत में किसी कानून का उल्लंघन करती है। इस प्रकार की सामग्री निम्नलिखित व्यापक श्रेणियों के अंतर्गत आ सकती है:
  - भारत की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ।
  - भारत की रक्षा के खिलाफ।
  - राज्य की सुरक्षा के खिलाफ।
  - विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के खिलाफ।
  - लोक व्यवस्था को बिगाड़ने के उद्देश्य से सामग्री।

नोट :

- सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना।
- बाल यौन शोषण सामग्री।

- उत्पन्न चिंताएँ:
  - दुरुपयोग की संभावना: इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है कि मंत्रालय यह कैसे सुनिश्चित करेगा कि व्यक्तिगत या राजनीतिक प्रतिशोध के लिये कुछ तत्त्वों द्वारा कार्यक्रम का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है।
    - एक बार शिकायत करने के बाद उसे वापस लेने हेतु कोई प्रक्रिया नहीं है।
  - साइबर-सतर्कता: यह कार्यक्रम अनिवार्य रूप से ऐसी स्थिति को जन्म देगा जो 1950 के दशक में पूर्वी जर्मनी में था।
    - कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं: मंत्रालय गैर-कानूनी सामग्री और "राष्ट्र-विरोधी" गतिविधियों से संबंधित सामग्री को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने में विफल रहा है।
    - यह वालंटियर्स को आवश्यकता से अधिक शक्तियों का प्रयोग करने की अनुमति दे सकता है, वे ऐसे नागरिकों के संबंध में भी रिपोर्ट कर सकते हैं जो कि अपने अधिकारों के भीतर ऐसी सामग्री पोस्ट करते हैं जो राज्य के लिये संवेदनशील हो।
    - ऐसा कार्यक्रम श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2013) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सीधा उल्लंघन है, जो यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है कि लोकतंत्र में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक ऐसा आधारभूत मूल्य है जो हमारी संवैधानिक योजना के तहत सर्वोपरि है।

भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C):

- इसकी स्थापना साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई में राष्ट्रीय स्तर पर एक नोडल केंद्र के रूप में कार्य करने के लिये गृह मंत्रालय के तहत की गई है।
  - I4C की स्थापना योजना को सभी प्रकार के साइबर अपराधों से व्यापक और समन्वित तरीके से निपटने के लिये अक्तूबर 2018 में मंज़ूरी दी गई थी।
  - यह अत्याधुनिक केंद्र नई दिल्ली में स्थित है।
  - विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने क्षेत्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र स्थापित करने के लिये अपनी सहमति दी है।
- योजना के सात घटक:
  - नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट,
  - राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल,
  - राष्ट्रीय साइबर अपराध प्रशिक्षण केंद्र,
  - साइबर अपराध पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन इकाई,
  - राष्ट्रीय साइबर अपराध अनुसंधान और नवाचार केंद्र,
  - राष्ट्रीय साइबर अपराध फोरेंसिक प्रयोगशाला पारिस्थितिकी तंत्र और
  - संयुक्त साइबर अपराध जाँच दल प्लेटफॉर्म।
- विशेषताएँ:
  - समन्वित और व्यापक तरीके से साइबर अपराधों से निपटने हेतु एक मंच प्रदान करना।
    - केंद्रीय गृह मंत्रालय में संबंधित नोडल प्राधिकरण के परामर्श से अन्य देशों के साथ साइबर अपराध से संबंधित पारस्परिक कानूनी सहायता संधियों (MLAT) के कार्यान्वयन से जुड़ीं सभी गतिविधियों के समन्वय के लिये इसका निर्माण किया गया है।
  - एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना जो साइबर अपराध की रोकथाम, पता लगाने, जाँच और अभियोजन में शिक्षा, उद्योग, जनता तथा सरकार को एक साथ लाता है।
    - अनुसंधान में आने वाली समस्याओं की पहचान करने और भारत तथा विदेश में अकादमिक/अनुसंधान संस्थानों के सहयोग से नई प्रौद्योगिकियों व फोरेंसिक उपकरणों को विकसित करने में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को बढ़ावा देना।
  - चरमपंथी और आतंकवादी समूहों द्वारा साइबर-स्पेस के दुरुपयोग को रोकना।

- तेज़ी से बदलती प्रौद्योगिकियों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ तालमेल बनाए रखने के लिये साइबर कानूनों में संशोधन का सुझाव देना (यदि आवश्यक हो)।

CBI निदेशक की नियुक्ति

चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई जिसमें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) के एक नियमित निदेशक की नियुक्ति की मांग की गई है।

- CBI के निदेशक को वर्ष 1946 के दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (DSPE) अधिनियम की धारा 4A के अनुसार नियुक्त किया जाता है।

प्रमुख बिंदु:

CBI का निदेशक:

- सीबीआई का नेतृत्व एक निदेशक द्वारा किया जाता है।
- DSPE के तहत पुलिस महानिरीक्षक के रूप में CBI का निदेशक संगठन के प्रशासन के लिये ज़िम्मेदार होता है।
  - हालाँकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) के तहत अपराधों के अन्वेषण के मामले में अधीक्षण की शक्ति केंद्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission) के पास है।
  - CBI के निदेशक को CVC अधिनियम, 2003 के तहत दो वर्ष के कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गई है।

नियुक्ति:

- लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम (2013) ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम (1946) में संशोधन किया और CBI के निदेशक की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित बदलाव किये:
  - केंद्र सरकार CBI के निदेशक को तीन सदस्यीय समिति की सिफारिश पर नियुक्त करेगी जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे।
- बाद में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (संशोधन) अधिनियम, 2014 ने CBI के निदेशक की नियुक्ति से संबंधित समिति की संरचना में बदलाव किया।
  - इसमें कहा गया है कि अगर लोकसभा में विपक्ष का कोई मान्यता प्राप्त नेता नहीं है, तो लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का नेता उस समिति का सदस्य होगा।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI):

- CBI की स्थापना वर्ष 1963 में गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी
  - अब CBI कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है।
- CBI की स्थापना भ्रष्टाचार निवारण पर संथानम समिति (1962–1964) द्वारा की गई थी।
- CBI एक सांविधिक निकाय नहीं है। यह दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 से अपनी शक्तियों को प्राप्त करता है।
- CBI केंद्र सरकार की मुख्य जाँच एजेंसी है।
- यह केंद्रीय सतर्कता आयोग और लोकपाल को भी सहायता प्रदान करता है।
- यह भारत की नोडल पुलिस एजेंसी भी है जो इंटरपोल सदस्य देशों की ओर से जाँच का समन्वय करती है।

नोट :

आगे की राह:

- एक नियमित नियुक्ति के बजाय सरकार ने हाल ही में एक अंतरिम/कार्यवाहक CBI निदेशक नियुक्त किया है। 1946 के DSPE अधिनियम की वैधानिक योजना में कार्यकारी आदेश के माध्यम से अंतरिम नियुक्ति की परिकल्पना नहीं की गई थी।
- प्रमुख जाँच एजेंसी को कार्यकारी या राजनीतिक शक्तियों के प्रभाव के बाहर स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहिये। यह सुनिश्चित करने के लिये एक तंत्र होना चाहिये कि CBI निदेशक के चयन की प्रक्रिया वर्तमान निदेशक की सेवानिवृत्ति से एक या दो महीने पहले पूरी हो जाए।

ईज़ ऑफ लिविंग' सूचकांक और नगर पालिका कार्य प्रदर्शन सूचकांक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 'ईज़ ऑफ लिविंग' सूचकांक, 2020 (Ease of Living Index-EoLI, 2020) और 'नगर पालिका कार्य प्रदर्शन सूचकांक', 2020 (Municipal Performance Index- MPI, 2020) की अंतिम रैंकिंग जारी की।

प्रमुख बिंदु:

'नगर पालिका कार्य प्रदर्शन सूचकांक', 2020:

- इसे 'ईज़ ऑफ लिविंग' सूचकांक, 2020 के साथ संयुक्त रूप से जारी किया गया है।
- यह सेवाओं, वित्त, नीति, प्रौद्योगिकी और शासन के विभिन्न क्षेत्रों में नगरपालिकाओं के स्थानीय सरकारी कार्यों की जाँच करता है।
- यह स्थानीय शासन प्रणाली में जटिलताओं को सरल बनाने, उनका मूल्यांकन करने, पारदर्शिता और जवाबदेही में लोकाचार को बढ़ावा देने का प्रयास भी करता है।
- कवरेज:
  - MPI में 111 नगर पालिकाओं के क्षेत्रीय प्रदर्शन की जाँच की गई (दिल्ली में NDMC और तीनों नगर निगमों का अलग-अलग मूल्यांकन किया जा रहा है)।
- प्रयुक्त मापदंड:
  - MPI में पाँच मापदंडों- सेवा (Service), वित्त (Finance), नीति (Policy), प्रौद्योगिकी (Technology) और शासन (Governance) के आधार पर नगर पालिकाओं के कार्य प्रदर्शन का आकलन किया जाएगा। इन पाँच क्षेत्रों को 20 विभिन्न क्षेत्रों तथा 100 संकेतकों में बाँटा गया है।
- श्रेणियाँ:
  - MPI 2020 के तहत मूल्यांकन की रूपरेखा में नगर पालिकाओं को उनकी जनसंख्या के आधार पर वर्गीकृत किया गया है:
    - मिलियन प्लस (एक मिलियन से अधिक आबादी वाली नगरपालिका)।
    - एक मिलियन से कम जनसंख्या।

MPI 2020 प्रदर्शन:

- मिलियन प्लस श्रेणी:
  - इसमें इंदौर को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, इसके बाद सूरत और भोपाल हैं।
- एक मिलियन से कम जनसंख्या श्रेणी:
  - NDMC शीर्ष स्थान पर रही, इसके बाद तिरुपति और गांधीनगर का स्थान रहा।

'ईज़ ऑफ लिविंग' सूचकांक:

- यह एक मूल्यांकन उपकरण है जो जीवन की गुणवत्ता और शहरी विकास की विभिन्न पहलों के प्रभावों का मूल्यांकन करता है।
  - यह इस सूचकांक में शामिल शहरों के जीवन स्तर, आर्थिक क्षमता, स्थिरता और लचीलेपन के आधार पर व्यापक समझ प्रदान करता है।

नोट :

- लक्ष्य:
  - इसका उद्देश्य शहरों को वैश्विक और राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार व्यवस्थित रूप से खुद को आँकने और उन्हें शहरी नियोजन एवं प्रबंधन हेतु परिणाम आधारित 'दृष्टिकोण की ओर स्थानांतरण के लिये प्रोत्साहित करना है।
- मापदंड:
  - नागरिक अवधारणा:
    - EoLI, 2020 में 'सिटीज़न परसेप्शन सर्वे' (CPS) को फ्रेमवर्क में शामिल करके मज़बूत बनाया गया है, इस सर्वेक्षण का भारांक 30 प्रतिशत रखा जाता है।
  - सिटीज़न परसेप्शन सर्वे:
    - सिटीज़न परसेप्शन सर्वे (सीपीएस) को सेवा की आपूर्ति के संदर्भ में अपने शहर के नागरिकों का अनुभव जानने तथा उनकी सहायता करने के लिये शुरू किया गया था।
    - भुवनेश्वर का CPS स्कोर सबसे अधिक था, उसके बाद सिलवासा, दावणगेरे, काकीनाडा, बिलासपुर और भागलपुर का स्थान रहा।
- मौजूदा जीवन गुणवत्ता की स्थिति:
  - यह उन परिणामों की भी जाँच करता है जो मौजूदा जीवन गुणवत्ता की स्थिति को दर्शाते हैं।
  - शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और आश्रय, भवन, ऊर्जा की खपत तथा शहर के लचीलेपन जैसी कुल 13 श्रेणियों का सूचकांक के कुल परिणाम में 70% हिस्सा है।

EoLI, 2020 में प्रदर्शन:

- मिलियन प्लस श्रेणी:
  - शीर्ष प्रदर्शक:
    - बंगलूरु के बाद पुणे और अहमदाबाद का स्थान है।
  - सबसे खराब प्रदर्शक:
    - अमृतसर, गुवाहाटी, बरेली, धनबाद और श्रीनगर।
- एक मिलियन से कम जनसंख्या श्रेणी:
  - शीर्ष प्रदर्शक:
    - शिमला और उसके बाद भुवनेश्वर तथा सिलवासा का स्थान है।
  - सबसे खराब प्रदर्शक:
    - अलीगढ़, रामपुर, नामची, सतना और मुजफ्फरपुर।

महत्त्व:

- समग्र मूल्यांकन प्रदान करना:
  - ये सूचकांक शहरों का समग्र मूल्यांकन प्रदान करते हैं, जो कि जीवन की बेहतर गुणवत्ता विकसित करने, बुनियादी ढाँचे का निर्माण और शहरीकरण की चुनौतियों का समाधान करने के प्रयासों के आधार पर तैयार किये जाते हैं।
- कमियों से उबरने में सहायता:
  - इन सूचकांकों से प्राप्त जानकारी के माध्यम से सरकार को अंतरालों की पहचान करने, संभावित अवसरों को पहचानने, नागरिकों के जीवन में सुधार लाने और व्यापक विकास परिणामों प्राप्त कर स्थानीय शासन में दक्षता बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
- सतत् विकास लक्ष्यों से संबंधित:
  - ये संकेतक सतत् विकास लक्ष्यों से जुड़े हुए हैं, विशेष रूप से SDG-11 (सतत् शहर और समुदाय) से।

नोट :

नए आईटी नियमों पर आपत्ति

चर्चा में क्यों?

नए आईटी नियम 2021 में सोशल मीडिया मध्यस्थों के लिये निर्धारित नवीनतम मानदंडों पर विशेषज्ञों और वकीलों ने अपनी आपत्ति व्यक्त की है।

- गौरतलब है कि वर्ष 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A पर रोक लगा दी थी, जिसे न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 19 (मुक्त भाषण) और अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) दोनों के विपरीत पाया था।

प्रमुख बिंदु:

सभी पर संशय:

- 'महत्त्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थों से स्वचालित रूप से कुछ विशेष शब्दों की निगरानी या ट्रैक (Track) करने के लिये कहना "एक्टिव हंटिंग" (Active Hunting) के समान है और यह "लोगों को संदिग्ध बना देगा।"
  - उदाहरण: अंतर-धार्मिक विवाह (Interfaith Marriage) या लव जिहाद (Love Jihad) जैसे शब्दों को ट्रैक करना एक प्रकार से पूरी आबादी का अपराधीकरण करने जैसा है क्योंकि अधिकांश लोग अपनी सामान्य चर्चाओं में इन शब्दों का उपयोग कर रहे होंगे। इस तरह एक पूरी आबादी को संदिग्ध बनाया जा रहा है।

गोपनीयता के अधिकार के खिलाफ:

- वर्ष 2021 के नए आईटी नियमों के अनुसार, मुख्य रूप से संदेश भेजने संबंधी सेवाएँ प्रदान करने वाले सोशल मीडिया मध्यस्थों को सूचना के पहले प्रवर्तक की पहचान करने की प्रणाली को संभव बनाना चाहिये।
  - यह प्रावधान समग्र सुरक्षा को कमज़ोर करने के साथ गोपनीयता को क्षति पहुँचाएगा और आईटी मंत्रालय द्वारा जारी डेटा संरक्षण विधेयक 2019 के मसौदे में समर्थित डेटा न्यूनीकरण के सिद्धांतों के विपरीत होगा।

डेटा न्यूनीकरण

    - डेटा न्यूनीकरण का सिद्धांत बताता है कि एकत्र किये गए और संसाधित डेटा को एक निर्धारित समय के बाद रखा या उपयोग नहीं किया जाना चाहिये जब तक कि यह उन उद्देश्यों/कारणों जिन्हें डेटा गोपनीयता का समर्थन के लिये पहले से स्पष्ट कर दिया गया था, के लिये आवश्यक न हो।
  - किसी संदेश के पहले प्रवर्तक/लेखक की पहचान के लिये एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन को तोड़ने की आवश्यकता होगी, जिसके लिये उस मौलिक तकनीक से समझौता करना होगा, जिस पर अधिकांश एप आधारित हैं।
  - इसके अतिरिक्त डेटा की अत्यधिक मात्रा के कारण एन्क्रिप्शन करना अब और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि वर्तमान में बड़े पैमाने पर अधिक-से-अधिक व्यक्तिगत डेटा को एकत्र और विश्लेषित किया जा रहा है जो पहले कभी संभव नहीं था।
- यह "मुक्त और सुलभ इंटरनेट के सिद्धांतों तथा विशेष रूप से एक मज़बूत डेटा संरक्षण कानून की अनुपस्थिति के कारण संविधान में प्रदत्त गोपनीयता के मौलिक अधिकार को कमज़ोर करेगा।"
  - उदाहरण:
    - इसके एक प्रावधान के तहत महत्त्वपूर्ण मध्यस्थों को उपयोगकर्त्ताओं द्वारा स्वेच्छा से अपनी पहचान सत्यापित करने का विकल्प प्रदान करने की आवश्यकता होगी।
    - इसके तहत संभवत: उपयोगकर्त्ताओं के लिये कंपनियों को फोन नंबर साझा करना या सरकार द्वारा जारी आईडी पर तस्वीरें भेजना अपरिहार्य हो जाएगा।
    - यह प्रावधान सत्यापन के लिये प्रेषित संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा के संग्रह को प्रोत्साहित करेगा, जो उपयोगकर्त्ताओं की प्रोफाइलिंग और उन्हें लक्षित करने के लिये भी उपयोग किया जा सकता है

- गोपनीयता का अधिकार:
  - सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2017 में के.एस. पुत्तास्वामी बनाम भारतीय संघ ऐतिहासिक निर्णय में गोपनीयता और उसके महत्त्व का वर्णन किया। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, निजता का अधिकार एक मौलिक और अविच्छेद्य अधिकार है तथा इसके तहत व्यक्ति से जुड़ी सभी सूचनाओं के साथ उसके द्वारा लिये गए निर्णय शामिल हैं।
  - निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आंतरिक भाग के रूप में तथा संविधान के भाग-III द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता के हिस्से के रूप में संरक्षित किया गया है।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ:

- स्वचालित सेंसरशिप और निगरानी उपयोगकर्त्ताओं की रचनात्मकता को दबाने के साथ ही उनकी वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।
  - भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 (1) (a) वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।

अत्यधिक सेंसरशिप:

- नए नियम सामग्री की सक्रिय निगरानी के लिये मध्यस्थों पर कठोर और व्यापक दायित्व लागू करने का प्रावधान करते हैं।
- कानूनी जवाबदेही या कार्रवाई के भय से कंटेंट की अति-सेंसरशिप को बढ़ावा मिल सकता है।

जवाबदेही और पारदर्शिता का अभाव:

- नए नियमों में सोशल मीडिया कंपनियों को "बाल यौन शोषण जैसी आपत्तिजनक सामग्री को फिल्टर करने के लिये "प्रौद्योगिकी आधारित उपायों (जिसमें स्वचालित उपकरण जैसे-कृत्रिम बुद्धिमत्ता या एआई शामिल हैं) को तैनात करने का निर्देश दिया गया है।
- हालाँकि पूर्व के उदाहरणों से पता चलता है कि ऐसे उपकरणों में न सिर्फ सटीकता की गंभीर समस्याएँ होती हैं, बल्कि पूर्व-निर्धारित उद्देश्यों के विपरीत ये प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग को बढ़ावा देते हैं।
  - इससे पहले वर्ष 2020 में एक एआई-चालित टूल 'जेंडरीफाई' (Genderify) जिसे उपभोक्ताओं के नाम या ईमेल पते का विश्लेषण करके एक व्यक्ति के लिंग की पहचान करने के लिये डिज़ाइन किया गया था, को लॉन्च किये जाने के एक हफ्ते बाद ही पक्षपाती होने के आरोपों के कारण बंद कर दिया गया था।
- एआई के विकास में कोडिंग पक्षपात अक्सर भेदभाव, अशुद्धि और जवाबदेही तथा पारदर्शिता की कमी का कारण बनता है।

ऑनलाइन समाचार मीडिया पर नियंत्रण:

- ये नियम निगरानी में वृद्धि के साथ-साथ अनुपालन की लागत को बढ़ाने हेतु रास्ता खोलते हैं और स्वतंत्र तथा निर्बाध समाचार रिपोर्टिंग पर नियंत्रण को बढ़ावा दे सकते हैं।

अस्वीकृत चेक से संबंधित मामलों के लिये फास्ट-ट्रैक कोर्ट

चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय की एक संवैधानिक पीठ ने सीमित समय के लिये अस्वीकृत चेक से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिये फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है।

- इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने चेक बाउंस/अस्वीकृत चेक से संबंधित मामलों की पेंडेंसी की समस्या को हल करने के लिये एक समिति के गठन का सुझाव दिया।

प्रमुख बिंदु

- सर्वोच्च न्यायालय का प्रस्ताव: न्यायालय ने परक्राम्य लिखत अधिनियम, 2018 की धारा 138 के तहत फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का सुझाव दिया है।

- अतिरिक्त न्यायालय स्थापित करने की शक्ति: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 247 के तहत सरकार के पास संसद द्वारा अधिनियमित कानूनों के बेहतर प्रशासन के लिये 'अतिरिक्त न्यायालय' स्थापित करने की शक्ति है, जिसमें चेक से संबंधित परक्राम्य लिखत अधिनियम भी शामिल है।
  - अनुच्छेद 247: यह अनुच्छेद संसद को संघ सूची में शामिल किसी भी विषय के संबंध में उसके द्वारा बनाए गए कानूनों या किसी मौजूदा कानूनों के बेहतर प्रशासन के लिये कुछ 'अतिरिक्त न्यायालयों' को स्थापित करने की शक्ति देता है।
- अस्वीकृत चेक मामलों की पेंडेंसी: चेक बाउंस/अस्वीकृत चेक के मामलों की पेंडेंसी ट्रायल कोर्ट में 30 प्रतिशत से 40 प्रतिशत बैकलॉग के लिये उत्तरदायी है, साथ ही उच्च न्यायालयों में ऐसे मामलों की बड़ी संख्या लंबित है।

परक्राम्य लिखत

- ये एक प्रकार के हस्ताक्षरित दस्तावेज़ होते हैं, जिनके तहत किसी निर्दिष्ट व्यक्ति या हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को एक विशिष्ट राशि के भुगतान का वादा किया जाता है।
- यह हस्तांतरण योग्य होते हैं यानी ये धारक को नकदी के रूप में धन लेने अथवा लेनदेन के लिये उपयुक्त तरीके से या उनकी पसंद के अनुसार इसका उपयोग करने की अनुमति देते हैं।
- प्रतिज्ञा पत्र (Promissory Note), बिल और चेक आदि को परक्राम्य लिखत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

अस्वीकृत चेक

- दूसरे शब्दों में, चेक बाउंस/अस्वीकृत चेक एक ऐसी स्थिति है, जिसमें बैंक भुगतानकर्त्ता को चेक की राशि का भुगतान करने से इनकार कर देता है।
  - चेक बाउंस होना एक दंडनीय अपराध है और ऐसी स्थिति में दो वर्ष तक की कैद या मौद्रिक जुर्माना अथवा दोनों सज़ा दी जा सकती है।
  - यदि बैंक भुगतानकर्त्ता को राशि का भुगतान कर देता है तो उस चेक को स्वीकृत चेक कहा जाता है। वहीं यदि बैंक आदाता को राशि का भुगतान करने से इनकार करता है, तो चेक को अस्वीकृत माना जाता है।
- चेक: यह एक परक्राम्य लिखत है। चेक भुगतानकर्त्ता के अलावा किसी भी व्यक्ति द्वारा परक्राम्य नहीं होते हैं। चेक को आदाता के बैंक खाते में जमा करना आवश्यक होता है।
  - चेक के लेखक को आहर्ता (Drawer), जिसके पक्ष में चेक जारी किया जाता है उसे आदाता (Payee) तथा भुगतान के लिये जिस बैंक को निर्देशित किया जाता है उसे आहर्ती (drawee) कहा जाता है।

न्यायालय में मामलों की पेंडेंसी

- आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार, न्यायिक प्रणाली में लगभग 3.5 करोड़ मामले लंबित हैं, खासकर ज़िला और अधीनस्थ अदालतों में।
  - पेंडिंग मामलों में लगभग 87.54 प्रतिशत मामले ज़िला और अधीनस्थ न्यायालयों में हैं।
  - 64 प्रतिशत से अधिक मामले 1 वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं।
  - वर्ष 2018 में भारतीय ज़िला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में दीवानी और फौजदारी मामलों के लिये औसत निपटान समय यूरोपीय परिषद के सदस्यों की तुलना में क्रमश: 4.4 और 6 गुना अधिक था।
  - निचली अदालतों में महज़ 2,279, उच्च न्यायालयों में 93 और सर्वोच्च न्यायालय में केवल एक अतिरिक्त पद के साथ, शत-प्रतिशत निपटान दर प्राप्त की जा सकती है।
- सुधार
  - कार्य दिवसों की संख्या में वृद्धि।
  - कानूनी प्रणाली के प्रशासनिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिये 'भारतीय न्यायालय और अधिकरण सेवा' की स्थापना की जा सकती है।

- न्यायालयों की दक्षता में सुधार के लिये प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा सकता है, उदाहरण के लिये 'ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट' और इसके अलावा कानून एवं न्याय मंत्रालय द्वारा 'राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड' को चरणों में लागू किया जा रहा है।
- बेहतर न्यायालय प्रबंधन: 13वें वित्त आयोग द्वारा सुझाए गए पेशेवर न्यायालय प्रबंधकों की नियुक्ति की जा सकती है। न्यायालय प्रबंधक या समकक्ष पेशेवर वर्तमान परिदृश्य में अत्यंत उपयोगी हो सकते हैं और न्याय वितरण में तभी सुधार आ सकता है जब न्यायालय अपने प्रशासन में पेशेवरों की सहायता स्वीकार करें और उन्हें अपनाएँ।
- अधिक से अधिक महत्वपूर्ण मामलों को जल्द निपटाने के लिये ट्रिब्यूनल, फास्ट ट्रैक कोर्ट और स्पेशल कोर्ट की स्थापना की जा सकती है।
- वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR), लोक अदालत, ग्राम न्यायालय जैसे तंत्रों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाना चाहिये।

आगे की राह

- न्याय वितरण प्रणाली में देरी के मूल कारणों की पहचान करने और न्याय वितरण प्रणाली में सुधार के लिये सार्थक समाधान प्रदान करने हेतु व्यापक विचार-विमर्श, बहस और परामर्श के माध्यम से व्यापक आत्मनिरीक्षण किये जाने की आवश्यकता है।
- न्यायिक सुधार को यदि गंभीरता से लिया जाए, तो शीघ्र और प्रभावी न्याय प्रदान करने में मदद साबित हो सकता है और वैश्विक न्यायिक प्रक्रियाओं से संबंधित विश्व बैंक और अन्य संस्थानों एवं संगठनों की रिपोर्टों में भारत की स्थिति में सुधार कर सकता है।

क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाइ सब्जेक्ट 2021

चर्चा में क्यों?

'क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाइ सब्जेक्ट' के नवीनतम संस्करण (11वें) के अनुसार, भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों के 25 सब्जेक्ट को उनकी संबंधित विषय श्रेणियों में दुनिया के शीर्ष 100 में स्थान प्राप्त हुआ है।

प्रमुख बिंदु:

- क्वाक्वरेली साइमंड्स (QS): यह महत्त्वाकांक्षी पेशेवरों को उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास को आगे बढ़ाने के लिये प्रोत्साहित' करने वाला एक प्रमुख 'ग्लोबल कॅरियर और एजूकेशन नेटवर्क' है।
  - क्यूएस, संस्थानों की गुण वत्ता की पहचान करने के लिये तुलनात्मक डेटा संग्रह और विश्लेषण के तरीकों को विकसित करके उन्हें सफलतापूर्वक लागू करता है।
- क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स: इस यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स का प्रकाशन वार्षिक स्तर पर होता है जिसमें वैश्विक रूप से समग्र सब्जेक्ट रैंकिंग शामिल हैं।
  - मूल्यांकन के लिये छह मापदंड और उनका वेटेज:

1. अकादमिक प्रतिष्ठा (40%)
2. नियोक्ता प्रतिष्ठा (10%)
3. संकाय/छात्र अनुपात (20%)
4. उत्कृष्टता प्रति संकाय (20%)
5. अंतर्राष्ट्रीय संकाय अनुपात (5%)
6. अंतर्राष्ट्रीय छात्र अनुपात (5%)

- क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाइ सब्जेक्ट: इसके प्रदर्शन की गणना चार मापदंडों के आधार पर की जाती है-

1. अकादमिक प्रतिष्ठा
2. नियोक्ता प्रतिष्ठा
3. अनुसंधान प्रभाव (प्रति पेपर उत्कृष्टता)
4. किसी संस्थान के शोध संकाय की उत्पादकता।

नोट :

शीर्ष प्रदर्शक:

- वैश्विक रूप से 'मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी' और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी शीर्ष प्रदर्शक हैं, जबकि रूस तथा चीन ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है।

भारत का प्रदर्शन:

- इसमें भारत के 52 भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों के 51 अकादमिक विषयों के 253 कार्यक्रमों के प्रदर्शन पर स्वतंत्र आँकड़ों को प्रस्तुत किया गया।
- इस वर्ष शीर्ष 100 शीर्ष सब्जेक्ट रैंकिंग में भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों की संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई है।
    - 12 भारतीय संस्थान जिन्हें विश्व के शीर्ष 100 संस्थानों में स्थान मिला है- IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT खड़गपुर, IISC बंगलुरु, IIT गुवाहाटी, IIM बंगलुरु, IIM अहमदाबाद, JNU, अन्ना विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय और ओपी जिंदल विश्वविद्यालय।
    - IIT बॉम्बे ने किसी भी अन्य भारतीय संस्थान की तुलना में शीर्ष 100 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है
- एक को छोड़कर सभी 25 कार्यक्रम राज्य या संघ सरकार द्वारा संचालित संस्थानों में हैं। हालाँकि पिछले वर्ष यह संख्या 26 थी।
    - विश्व स्तर पर स्थान प्राप्त 25 विषयों में से 17 भारतीय इंजीनियरिंग संस्थानों से संबंधित हैं। IIT-Madras के पेट्रोलियम इंजीनियरिंग कार्यक्रम ने भारतीय संस्थानों के कार्यक्रमों में सबसे अच्छा प्रदर्शन दर्ज किया- विश्व में 30वें स्थान पर।
- सरकार द्वारा संचालित इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस (IoE) से संबंधित संस्थानों ने निजी संस्थानों की तुलना में रैंकिंग में काफी बेहतर प्रदर्शन किया है।
    - ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने विधि (76वें) के लिये वैश्विक रूप से शीर्ष -100 में स्थान प्राप्त किया है। यह एक निजी IoE द्वारा शीर्ष-100 में प्राप्त एकमात्र स्थान है।
    - IoE: यह 20 संस्थानों (सार्वजनिक क्षेत्र से 10 और निजी क्षेत्र से 10) को विश्व स्तरीय शिक्षण और अनुसंधान संस्थानों के रूप में स्थापित करने तथा उन्हें अपग्रेड करने के लिये विनियामक ढाँचा प्रदान करने की सरकारी योजना है।
- अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जीवन विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में शीर्ष 300 में एकमात्र संस्थान बना रहा, लेकिन इसका स्थान पहले से लगभग 10 स्थान कम हो गया।

विश्लेषण:

- भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है- उच्च गुणवत्ता वाली तृतीयक शिक्षा प्रदान करना। इस समस्या को पिछले वर्ष की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) में पहचाना गया तथा वर्ष 2035 तक 50% सकल नामांकन अनुपात का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया।
    - चिंता का एक कारण यह भी है कि 51 अकादमिक विषयों से संबंधित भारतीय कार्यक्रमों की संख्या वास्तव में पिछले वर्ष से कम हो गई है- 235 से 233।
- भारत के निजी रूप से संचालित 'इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस' के कई कार्यक्रमों ने इस वर्ष प्रगति की है, इन संस्थानों की सकारात्मक भूमिका से यह स्पष्ट होता है कि अच्छी तरह से विनियमित निजी संस्थान भी भारत के उच्च शिक्षा क्षेत्र को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं।
- वैश्विक पर्यावरण विज्ञान अनुसंधान क्षेत्र में भारत सबसे आगे है। आँकड़े यह इंगित करते हैं कि भारत इस क्षेत्र में अनुसंधान के मामले में केवल जर्मनी, चीन, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद 5वें स्थान पर है।
- सुधार करने वाले राष्ट्रों और नहीं करने वाले राष्ट्रों के बीच समानताएँ (तीन कारक):
    - पहला, एक अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण, संकाय निकाय और अनुसंधान के संदर्भ में बेहतर प्रदर्शन किया है।
    - दूसरा, उभरते विश्वविद्यालयों को विशेष रूप से चीन, रूस और सिंगापुर के विश्वविद्यालयों को पिछले एक दशक में सरकारों द्वारा मज़बूत लक्षित निवेश प्राप्त हुआ है।
    - तीसरा बेहतर रोज़गार, अनुसंधान और नवाचार परिणामों का उद्योग क्षेत्र के साथ संबंधों में सुधार देखा गया है।

नोट :

राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क:

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय (अब शिक्षा मंत्रालय) ने सितंबर, 2015 में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) की स्थापना की।.
- शैक्षणिक संस्थानों की रैंकिंग करने के लिये कुछ विशेष मानक तय किये गए हैं। इन मानकों में आम तौर पर 'शिक्षण, शिक्षा और संसाधन' (Teaching, Learning and Resources), 'अनुसंधान और व्यावसायिक अभ्यास (Research and Professional Practices), 'स्नातक परिणाम' (Graduation Outcomes), 'आउटरीच और समावेशिता' (Outreach and Inclusivity) और 'अनुभूति' (Perception) आदि को शामिल किया जाता हैं।

भारतीय विज्ञान अनुसंधान फेलोशिप 2021

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 6 देशों के 40 छात्रों को भारतीय विज्ञान अनुसंधान फेलोशिप (Indian Science Research Fellowship), 2021 पुरस्कार प्रदान किया गया।

- यह फेलोशिप भारत के पड़ोसी देशों के साथ शोध क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिये एक महत्त्वपूर्ण मंच है जो कि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Science and Technology) के अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग (International Science and Technology Cooperation) का एक महत्त्वपूर्ण अंग है।

प्रमुख बिंदु

भारतीय विज्ञान अनुसंधान फेलोशिप के विषय में:

- भारत के पड़ोसी देशों के साथ सहयोग और साझेदारी बढ़ाने की पहल के अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने S&T साझेदारी विकसित करने के उद्देश्य से ISRF कार्यक्रम को आरंभ किया है।
- इस कार्यक्रम को अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, म्याँमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के शोधार्थियों के लिये शुरू किया गया है।
- ISRF कार्यक्रम में भारत के पड़ोसी देशों के युवा शोधकर्त्ताओं को भारतीय विश्वविद्यालयों और भारतीय शोध संस्थानों में उपलब्ध विश्व स्तरीय शोध सुविधाओं तक पहुँच सुलभ होती है।
- इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन वर्ष 2015 से किया जा रहा है।

फेलोशिप का महत्त्व:

- विज्ञान कूटनीति: इस फेलोशिप कार्यक्रम के माध्यम से वैश्विक क्षेत्र में भारत के प्रभाव को बढ़ाने और विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा नवाचार (Science, Technology and Innovation) को अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति तथा विदेशी संबंधों के मामले में मुख्यधारा में शामिल करने में मदद मिलेगी।
- इससे दक्षिण एशिया क्षेत्र में तकनीकी उन्नति को बढ़ावा मिलेगा।

अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग

- ISTC के विषय में: यह प्रभाग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आता है जो अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक तथा तकनीकी मामलों के सौदों, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग, करार के कार्यान्वयन आदि के लिये ज़िम्मेदार है।
  - भारत तथा अन्य देशों के बीच हुए S&T समझौतों पर विचार-विमर्श करना, निष्कर्ष निकालना और लागू करना।
  - अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर S&T आयामों के संदर्भ में अपनी बात रखना।
- महत्त्व:
  - भारत की वैज्ञानिक उत्कृष्टता को वैश्विक अनुसंधान परिदृश्य में प्रदर्शित करना और पेश करना।
  - भारत के राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान की सामर्थ्य, क्षमता तथा पहुँच को मज़बूत करने के लिये विदेशी गठबंधनों एवं साझेदारियों का उपयोग राष्ट्र के प्रमुख कार्यक्रमों के साथ तालमेल बनाने में करना।

नोट :

- ISTC प्रभाग निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भागीदारी कर रहा है-
    - अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन,
    - मिशन इनोवेशन,
    - इंटरनेशनल एड्स वैक्सीन इनिशिएटिव,
    - लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल-वेव ऑब्ज़र्वेटरी (LIGO), आदि।

ओवरसीज़ सिटीज़न ऑफ इंडिया के अधिकार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने ओवरसीज़ सिटीज़न ऑफ इंडिया (OCI) से संबंधित अधिकारों की एक समेकित सूची जारी की है।

- ये अधिकार और प्रतिबंध नए नहीं हैं, बल्कि इन्हें पूर्व में वर्ष 2005, वर्ष 2007 और 2009 में भी अधिसूचित किया गया था। नवंबर 2019 में गृह मंत्रालय द्वारा प्रकाशित एक OCI विवरणिका में भी इनका उल्लेख किया गया था।

प्रमुख बिंदु

एकाधिक प्रवेश आजीवन वीज़ा

- OCI कार्डधारक किसी भी उद्देश्य के लिये भारत आने हेतु एकाधिक प्रवेश पाने और आजीवन वीज़ा प्राप्त करने के हकदार होंगे।

पूर्व अनुमति

- OCI कार्डधारकों को अनुसंधान, पत्रकारिता, पर्वतारोहण, मिशनरी या तब्लीगी कार्य और प्रतिबंधित क्षेत्रों के दौरे आदि के लिये पूर्व अनुमति की आवश्यकता होगी।

अनिवासी भारतीयों (NRIs) के साथ समानता

- OCI कार्डधारक को बच्चा गोद लेने, प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने, कृषि भूमि और फार्महाउस जैसी अचल संपत्ति की खरीद या बिक्री तथा डॉक्टर, वकील, आर्किटेक्ट एवं चार्टर्ड एकाउंटेंट जैसे व्यवसायों के संबंध में अनिवासी भारतीयों (NRIs) के समान अधिकार प्राप्त होंगे।

भारतीय नागरिकों के साथ समानता

- OCI कार्डधारकों को घरेलू हवाई किराया, स्मारकों और सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश शुल्क के मामले में आम भारतीय नागरिकों के समान अधिकार प्राप्त होंगे।

प्रवेश परीक्षा और प्रवेश

- OCI कार्डधारक अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षाओं जैसे- राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET), संयुक्त प्रवेश परीक्षा (मेन्स), संयुक्त प्रवेश परीक्षा (एडवांस) या ऐसी किसी अन्य परीक्षा में हिस्सा ले सकेंगे, जिनके लिये अनिवासी भारतीय (NRI) पात्र हैं।
- हालाँकि OCI कार्डधारक भारतीय नागरिकों के लिये विशेष रूप से आरक्षित किसी भी सीट हेतु पात्र नहीं होंगे।

अन्य आर्थिक, वित्तीय और शैक्षणिक क्षेत्र

- अन्य सभी आर्थिक, वित्तीय और शैक्षिक क्षेत्रों के संबंध में जिन्हें नवीनतम अधिसूचना में निर्दिष्ट नहीं किया गया है अथवा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचनाओं में कवर नहीं किये गए अधिकारों और विशेषाधिकारों के संबंध में OCI कार्डधारक के एक विदेशी व्यक्ति के समान ही अधिकार होंगे।

अपवाद

- भारत में रहने के लिये OCI कार्डधारकों को क्षेत्रीय विदेशी पंजीकरण कार्यालय (FRRO) के साथ पंजीकरण से छूट दी गई है।

- ज्ञात हो कि भारत आने वाले विदेशियों, जिनके पास लंबी अवधि का वीज़ा (180 दिनों से अधिक) है, के लिये क्षेत्रीय विदेशी पंजीकरण कार्यालय (FRRO के साथ पंजीकरण कराना आवश्यक है।

प्रतिबंध

- OCI कार्डधारकों पर धार्मिक स्थानों पर जाने और धार्मिक प्रवचनों में शामिल होने जैसी सामान्य धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
- हालाँकि धार्मिक विचारधाराओं का प्रचार करना, धार्मिक स्थानों पर भाषण देना, धार्मिक ऑडियो या वीडियो प्रदर्शित करने, धार्मिक विचारों से संबंधित पुस्तिका के वितरण आदि की अनुमति नहीं होगी।

ओवरसीज़ सिटीज़न ऑफ इंडिया (OCI)

- गृह मंत्रालय ने ओवरसीज़ सिटीज़न ऑफ इंडिया (OCI) को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया है:
  - वह व्यक्ति जो 26 जनवरी, 1950 को अथवा उसके बाद भारत का नागरिक था;
  - वह व्यक्ति जो 26 जनवरी, 1950 को भारत का नागरिक बनने के योग्य था;
  - वह ऐसे व्यक्ति की संतान एवं नाती है और अन्य सभी मानदंडों को पूरा करता है।
- OCI कार्ड नियमों की धारा 7A के अनुसार, एक आवेदक OCI कार्ड हेतु पात्र नहीं होगा यदि वह, उसके माता-पिता या दादा-दादी कभी पाकिस्तान या बांग्लादेश के नागरिक रहे हों। यह श्रेणी वर्ष 2005 में प्रस्तुत की गई थी।
- नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2015 के माध्यम से भारत सरकार ने वर्ष 2015 में OCI श्रेणी का विलय भारतीय मूल के व्यक्ति (PIO) की श्रेणी के साथ कर दिया गया था।

अनिवासी भारतीय (NRI)

- अनिवासी भारतीय (NRI) का आशय भारत के बाहर रहने वाले ऐसे व्यक्ति से है, जो या तो भारतीय नागरिक है अथवा भारतीय मूल का है।
  - एक वित्तीय वर्ष में कम-से-कम 183 दिनों के लिये भारत से बाहर रहने वाले भारतीय नागरिक को अनिवासी भारतीय माना जाता है।
- अनिवासी भारतीयों को मतदान का अधिकार प्राप्त है और उन्हें निवासी भारतीयों की तरह अपनी आय पर आयकर रिटर्न का भुगतान और फाइल करना आवश्यक होता है।
- हालाँकि यदि कोई अनिवासी भारतीय, विदेशी नागरिकता लेना चाहता है, तो उसे भारतीय नागरिकता छोड़नी होगी, क्योंकि भारतीय संविधान दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता है।
- एक व्यक्ति एक साथ भारतीय तथा विदेशी नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकता है।

विदेशी

- विदेशी अधिनियम, 1946 के अनुसार, विदेशी का आशय एक ऐसे व्यक्ति से है जो भारत का नागरिक नहीं है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद- 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकार सभी व्यक्तियों को उपलब्ध हैं चाहे वे नागरिक हों या विदेशी। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध हैं।

हरदित सिंह मलिक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में इंग्लैंड द्वारा 20वीं शताब्दी के शुरुआती दौर के सिख फाइटर पायलट "हरदित सिंह मलिक" (Hardit Singh Malik) की प्रतिमा/मूर्ति के डिज़ाइन को मंज़ूरी दी गई है, जिसे साउथेम्प्टन के बंदरगाह शहर (Port City of Southampton) में एक नए शहीद स्मारक में स्थापित किया जाएगा।

- इस शहीद स्मारक को विश्व युद्ध में लड़ने वाले सभी भारतीयों की याद में बनाया गया है।
- शहीद स्मारक को अंग्रेज़ी मूर्तिकार ल्यूक पेरी (Luke Perry) द्वारा बनाया जाएगा।

प्रमुख बिंदु:

हरदित सिंह मलिक के बारे में:

- जन्म:
  - इनका जन्म 23 नवंबर, 1894 में अविभाजित भारत के रावलपिंडी के एक सिख परिवार में हुआ था।
- कॅरियर :
  - हरदित सिंह मलिक पहली बार वर्ष 1908 में 14 वर्ष की उम्र में ब्रिटेन पहुँचे जहाँ उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के बैलिओल कॉलेज में प्रवेश लिया।
  - वे प्रथम विश्व युद्ध (1914-1918) के दौरान रॉयल फ्लाइंग कॉर्प्स (Royal Flying Corps) के सदस्य बने।
    - ये पहले भारतीय थे जो विशिष्ट हेलमेट के साथ पगड़ी वाले पायलट के रूप में जाने गए तथा "फ्लाइंग सिख" के रूप में प्रसिद्ध हुए।
  - मलिक ने ससेक्स (दक्षिणी इंग्लैंड का एक शहर) के लिये क्रिकेट भी खेला तथा भारतीय सिविल सेवा में एक लंबे और विशिष्ट कॅरियर के बाद फ्रांँस में भारतीय राजदूत के पद पर कार्य किया।
- मृत्यु:
  - इनका निधन 31 अक्तूबर, 1985 को नई दिल्ली में हुआ।

प्रथम विश्व युद्ध में भारत का योगदान:

- प्रथम विश्व युद्ध:
  - प्रथम विश्व युद्ध (WW I) जिसे महान युद्ध (Great War) के रूप में भी जाना जाता है, जुलाई 1914 से नवंबर 1918 तक चला।
  - प्रथम विश्व युद्ध मित्र देशों और केंद्रीय शक्तियों के मध्य हुआ था।
    - मित्र शक्ति देश: इनमें फ्रांँस, रूस और ब्रिटेन शामिल थे। अमेरिका भी वर्ष 1917 के बाद से मित्र राष्ट्रों की तरफ से लड़ाई में शामिल हो गया।
    - केंद्रीय शक्ति देश: इनमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया-हंगरी, ओटोमन साम्राज्य और बुल्गारिया शामिल थे।
  - भारत ने युद्ध में ब्रिटेन का भरपूर सहयोग किया।
  - भारत द्वारा ब्रिटेन को युद्ध में 100 मिलियन ब्रिटिश पाउंड की मदद इस उम्मीद से की गई कि बदले में भारतीयों को युद्ध समाप्ति के बाद स्वशासन प्राप्त होगा।
  - ब्रिटिशों ने भारतीय पुरुषों और धन का उपयोग किया, साथ ही युद्ध में ब्रिटिश कराधान नीतियों द्वारा एकत्र भोजन, नकदी और गोला-बारूद की बड़ी मात्रा में आपूर्ति की गई।
    - बदले में ब्रिटिशों द्वारा युद्ध समाप्ति के बाद भारतीयों को स्वशासन देने का वादा किया गया जो कि अंतत: नहीं दिया गया था।
- सैनिक:
  - मित्र देशों की तरफ से बड़ी संख्या में युद्ध में लड़ने के लिये स्वयंसेवकों को भेजा गया।
  - लगभग 1.5 मिलियन मुस्लिम, सिख और हिंदू पुरुष पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं बिहार से भारतीय अभियान बल में स्वेच्छा से शामिल हुए जो पूर्वी सीमा, मेसोपोटामिया, मिस्र और गैलीपोली में पश्चिमी मोर्चे पर लड़ने गए।
  - इनमें से लगभग 50,000 स्वयंसेवक मारे गए, 65,000 घायल हुए तथा 10,000 के लापता होने की सूचना दी गई, जबकि भारतीय सेना की 98 नर्सों की मौत हो गई थी।

नोट :

- अन्य आपूर्ति:
  - देश द्वारा 1,70,000 जानवरों तथा ब्रिटिश सरकार को सैंडबैग (Sandbags) हेतु 3.7 मिलियन टन जूट की आपूर्ति की गई।

द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का योगदान:

- द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में:
  - द्वितीय विश्व युद्ध वर्ष 1939-45 के बीच हुआ तथा इसका प्रभाव विश्व के हर हिस्से पर पड़ा।
  - द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल देश:
    - केंद्रीय शक्ति: इसमें जर्मनी, इटली और जापान शामिल थे।
    - मित्र शक्ति देश: इसमें फ्रांँस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और कुछ हद तक चीन शामिल था।
  - भारतीयों ने बड़ी संख्या में युद्ध में बलिदान दिया। भारतीयों से किया गया स्वतंत्रता का वादा भी पूरा नहीं किया गया इसलिये संबद्ध शक्तियों द्वारा भारत की काफी हद तक उउपेक्षा की गई थी।
- सैनिक:
  - लगभग 2.5 मिलियन भारतीय सैनिकों ने द्वितीय विश्व युद्ध में हिस्सा लिया।
  - 36,000 से अधिक भारतीय सैनिकों ने अपनी जान गँवाई, 34,000 घायल हुए और 67,000 को युद्धबंदी बना लिया गया।
  - उनके ज़ज्बे की पूर्वी और उत्तरी अफ्रीका, इटली, बर्मा तथा सिंगापुर, मलय प्रायद्वीप, गुआम व इंडो-चीन में दूर-दूर तक सराहना की गई।
  - युद्ध में भारतीय वायु सेना के पायलटों की साहसिक भूमिका को दस्तावेज़ों में अच्छी तरह से प्रलेखित किया गया है।
  - पूर्व में ब्रिटिश भारतीय सेना के हिस्से के रूप में भारतीय सैनिकों ने जापान के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अंततः दक्षिण-पूर्व एशिया जिसमें सिंगापुर, मलय प्रायद्वीप और बर्मा शामिल हैं पर विजय प्राप्त की।
- अन्य आपूर्ति:
  - इस दौरान ब्रिटिश भूमि और अन्य देशों में सेवाएँ देने वालों में भारतीय डॉक्टर और नर्सें भी शामिल थीं।
  - भारत द्वारा युद्ध में भाग लेने वाले सैनिकों और युद्ध में बंदी बनाए गए एशियाई कैदियों हेतु गर्म कपड़े और अन्य वस्तुओं के साथ 1.7 मिलियन से अधिक खाद्य पैकेटों की आपूर्ति की गई।

विद्यालयों और आँगनवाड़ियों में जलापूर्ति की स्थिति

चर्चा में क्यों?

जल संसाधन पर संसदीय स्थायी समिति को दी गई जानकारी के अनुसार, अक्तूबर 2020 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 100% जलापूर्ति कवरेज प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रारंभ किये गए 100 दिवसीय अभियान के बावजूद केवल आधे सरकारी विद्यालयों और आँगनवाड़ियों में नल द्वारा जलापूर्ति की सुविधा है।

- समिति ने जल जीवन मिशन की प्रगति के बारे में भी संज्ञान लिया।

प्रमुख बिंदु:

100 दिवसीय अभियान:

- इस अभियान का उद्देश्य पीने और खाना पकाने के लिये स्वच्छ जल की आपूर्ति और हर स्कूल, आँगनवाड़ी, आश्रमशाला या आवासीय आदिवासी स्कूल में शौचालय के लिये नल का पानी प्रदान करना है।
- इसे 2 अक्तूबर, 2020 (गांधी जयंती) को लॉन्च किया गया था।
- 100 दिन की यह अवधि 10 जनवरी, 2021 तक के लिये थी। हालाँकि कुछ राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने संकेत दिया है कि उन्हें कार्य पूरा करने के लिये अधिक समय की आवश्यकता है। इसलिये इस अभियान को 31 मार्च, 2021 तक बढ़ा दिया गया है।

संबंधित अवलोकन:

- 15 फरवरी, 2021 तक केवल 48.5% आँगनवाड़ियों और 53.3% विद्यालयों में नल द्वारा जलापूर्ति की सुविधा उपलब्ध थी।
- उत्तर प्रदेश में 8% से कम और पश्चिम बंगाल में 11% विद्यालयों में जलापूर्ति की सुविधा उपलब्ध थी, जबकि असम, झारखंड, यूपी, छत्तीसगढ़ और बंगाल में केवल 2-6% आँगनवाड़ियों में नल द्वारा जलापूर्ति की सुविधा उपलब्ध थी।
- सात राज्य: आंध्र प्रदेश, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और पंजाब ने 100% कवरेज हासिल किया है।
- विद्यालयों और आँगनबाड़ी केंद्रों में लगभग 1.82 लाख 'ग्रे वाटर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर' और 1.42 लाख वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया गया।

प्रदूषित जल से संबंधित बच्चों के स्वास्थ्य मुद्दे:

- बच्चे जल जनित रोगों (डायरिया, हैजा, टाइफाइड) के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं।
- पीने योग्य पानी की कमी के कारण बच्चों में अन्य पोषण संबंधी समस्याएँ और स्वास्थ्य संबंधी खतरे उभर कर सामने आ रहे हैं।

जल जीवन मिशन:

- जल जीवन मिशन (JJM) द्वारा वर्ष 2024 तक 'सक्रिय घरेलू नल कनेक्शन' (FHTC) के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण घर में प्रति व्यक्ति/दिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति की परिकल्पना की गई है।
- JJM स्थानीय स्तर पर जल की एकीकृत मांग और आपूर्ति पक्ष प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करता है।
  - वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण, घरेलू जल अपशिष्ट का पुन: उपयोग, जल प्रबंधन जैसे अनिवार्य तत्त्वों के लिये स्थिरता उपायों को अपनाने का काम अन्य सरकारी कार्यक्रमों/योजनाओं के साथ शामिल किया जाएगा।
- यह मिशन जल के सामुदायिक दृष्टिकोण पर आधारित है, इसके प्रमुख घटक के रूप में व्यापक सूचना, शिक्षा और संचार शामिल हैं।
- JJM जल के संबंध में एक ऐसे जन आंदोलन की कल्पना करता है, जिसमें हर व्यक्ति की सहभागिता हो।
- वित्तपोषण पैटर्न: केंद्र और राज्यों के बीच फंड शेयरिंग पैटर्न हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिये 90:10, अन्य राज्यों के लिये 50:50 और केंद्रशासित प्रदेशों के लिये 100% है।
- बजट 2021-22 में जल जीवन मिशन (शहरी) को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा सतत् विकास लक्ष्य-6 के अनुसार सभी वैधानिक शहरों में कार्यशील नल के माध्यम से सभी घरों में पानी की आपूर्ति की सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करने के लिये शुरू किया गया है।

सुझाव:

- स्थायी समिति ने उल्लेख किया है कि पाइपलाइन में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना मात्र नल कनेक्शन के प्रावधान से उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी साथ ही यह JJM के उद्देश्य को भी पूरा नहीं करेगा।
- इसने ज़िला स्तर पर जल आपूर्ति की वास्तविक समय पर निगरानी किये जाने को कहा है।
- केंद्र सरकार को जल शोधन या 'रिवर्स ऑस्मोसिस' (RO) संयंत्रों को तत्काल आधार पर स्थापित करने के उपाय करने चाहिये ताकि बच्चों को पीने के पानी के प्रदूषित होने से नुकसान न हो।

'ग्रे वाटर':

- ग्रे पानी को ऐसे अपशिष्ट जल के रूप में परिभाषित किया जाता है जो घरेलू प्रक्रियाओं (जैसे- बर्तन धोना, कपड़े धोना और नहाना) से उत्पन्न होता है।
- ग्रे पानी में हानिकारक बैक्टीरिया और यहाँ तक कि मल पदार्थ शामिल हो सकते हैं जो मिट्टी और भूजल को दूषित करते हैं।

नोट :

वैक्सीन पासपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

दुनिया भर की सरकारें कोरोना वायरस से सुरक्षित लोगों की पहचान कर अर्थव्यवस्था को पुन: शुरू करने के लिये वैक्सीन पासपोर्ट (Vaccine Passports) के संभावित उपयोग पर विचार कर रही हैं।

प्रमुख बिंदु:

वैक्सीन पासपोर्ट के बारे में:

- वैक्सीन पासपोर्ट एक ई-सर्टिफिकेट है जो नौकरियों और कोविड -19 के परीक्षण स्थिति के रिकॉर्ड को संग्रहीत करता है।
  - इसे स्मार्टफोन एप या अन्य डिजिटल प्रारूपों में रखा जा सकता है।
  - जब लोग एक देश से दूसरे देश में प्रवेश करते हैं अर्थात् सीमाओं के पार जाते हैं तो इसमें उपलब्ध जानकारियों का निरीक्षण सुरक्षा चौकियों पर किया जा सकता है।
- यह विचार टीकाकरण (Vaccination) के प्रमाण पर आधारित है जिसकी आवश्यकता महामारी से पहले भी कई देशों को थी।
  - कई अफ्रीकी देशों के यात्रियों को अमेरिका या भारत में यात्रा करने हेतु प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है कि उन्हें पीत ज्वर (Yellow Fever) जैसे रोगों का टीका लगाया गया है या नहीं।
- फरवरी 2021 में इज़राइल इस प्रमाणन प्रणाली (Certification System) की शुरुआत करने वाला पहला देश बन गया, जो ऐसे लोगों को अपने यहाँ आने की अनुमति देता है जिन्हें कोविड-19 की रोकथाम हेतु टीका लगाया गया है।

वैक्सीन पासपोर्ट का कार्य:

- यह देशों में टीकाकरण रिकॉर्ड को डिजिटल करेगा।
- यह इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करता है कि वैक्सीन पासपोर्ट धारक को कोविड -19 का टीका लगाया गया है और वह सुरक्षित है।

वैक्सीन पासपोर्ट के संभावित लाभार्थी:

- इसका प्राथमिक लाभ पर्यटन और आतिथ्य उद्योगों को मिलेगा ये दोनों क्षेत्र कोविड -19 के समय सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्री, जो संक्रमण के फैलने के कारण बड़े पैमाने पर पीड़ित हुए हैं।

समान पहल: कई गैर-लाभकारी संगठन अंतर्राष्ट्रीय यात्रा हेतु अपने स्वयं के संस्करण (Versions) जारी कर रहे हैं:

- IATA ट्रैवल पास: एयरलाइनों का प्रतिनिधित्व करने वाली वैश्विक व्यापार संस्था (इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन) आईएटीए ट्रैवल पास नामक एक एप विकसित कर रही है जिसे टीकाकरण के प्रमाण और इसकी वैधता की जाँच करने हेतु एक साझा मंच के साथ एयरलाइंस और अन्य विमानन उद्योग हितधारकों को प्रदान किया जाएगा।
- कॉमन पास: गैर-लाभकारी कॉमन प्रोजेक्ट, कॉमन पास नामक एक एप को विकसित करने का प्रयास कर रहा है, जिसमें एक यात्री का टीकाकरण रिकॉर्ड शामिल होता है।

संस्थागत टीका पासपोर्ट से संबंधित चिंताएँ

- WHO का रुख:
  - विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation-WHO) कोविड -19 टीकाकरण के साक्ष्यों को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा हेतु आवश्यक किये जाने के खिलाफ है।
  - कोविड-19 के प्रसार को कम करने में टीकाकरण की प्रभावकारिता अभी भी पूरी तरह से ज्ञात नहीं हैं।
- एकरूपता का अभाव: क्रियान्वयन में प्रमुख कठिनाई आवश्यक क्षेत्राधिकार में एकरूपता का अभाव तथा टीकाकरण के साक्ष्य जारी करने में होगी।

- टीकों की अपर्याप्तता: यात्रियों के उच्च टीकाकरण से उन लोगों के लिये टीकों के अभाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिन्हें कोविड-19 संक्रमण का उच्च जोखिम बना हुआ है।
  - यात्रा हेतु टीकाकरण को अनिवार्य बनाना सीमित वैक्सीन आपूर्ति की समान वैश्विक पहुँच में बाधा उत्पन्न करेगा और समाजों तथा समग्र वैश्विक स्वास्थ्य के लिये टीकाकरण के लाभों को अधिकतम करने की संभावना को कम कर देगा।
- भेदभाव और असमानता: विशेषज्ञों का तर्क है कि वैक्सीन पासपोर्ट यात्रा में असमानता को बढ़ावा देगा । इन डिजिटल पासपोर्टों की वजह से भेदभाव और असमानता बढ़ने से सामाजिक आर्थिक समूहों के मध्य टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
  - अमीर देश जो पहले ही दवा कंपनियों से लाखों खुराक खरीद चुके हैं, इस दौड़ में आगे हैं, जबकि गरीब देशों को टीकाकरण शुरू करने हेतु महीनों इंतज़ार करना पड़ सकता है।
  - इसका मतलब है कि यदि वैक्सीन पासपोर्ट को अनिवार्य किया जाता है, तो निम्न-आय वाले राष्ट्र इसका लाभ प्राप्त करने में पीछे रह जाएंगे।
  - इससे वह युवा पीढ़ी बाहर हो जाएगी जो टीकाकरण की कतार में शामिल है।
- गोपनीयता से संबंधित चिंता: ये मुख्य रूप से डिजिटल प्रमाण पत्र हैं जिन्हें किसी विशेष सेवा प्रदाता द्वारा टीकाकरण के प्रमाण की जाँच हेतु उपयोग किया जाता है, इस बात की संभावना है कि इसका उपयोग अधिकारियों द्वारा इनके धारकों की गतिविधियों को ट्रैक करने के लिये किया जाएगा।

नए SMS स्क्रबिंग मानदंड निलंबित

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (Telecom Regulatory Authority of India-TRAI) द्वारा दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (TSPs) की लघु संदेश सेवा या एसएमएस (Short Message service or SMS) स्क्रबिंग प्रक्रिया को सात दिनों के लिये अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया।

- ट्राई द्वारा यह कदम एसएमएस-आधारित कई बैंकिंग और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों सेवाओं के क्रियान्वयन के बाद लिया गया है जो हाल में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (TSP) द्वारा एसएमएस विनियमन (SMS Regulation) के दूसरे चरण को लागू किये जाने के बाद प्रभावित हुए हैं।

प्रमुख बिंदु:

दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियमन, 2018:

- इसे स्पैम (Spam) की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने हेतु जारी किया गया था।
- ये नियम हर पंजीकृत एसएमएस सामग्री को उपभोक्ताओं को भेजने से पूर्व टेलीकॉम कंपनियों द्वारा अनिवार्य रूप से सत्यापित किये जाने पर बल देते हैं।
  - ट्राई के मानदंडों के अनुसार, सभी एसएमएस सामग्री को अब उपयोगकर्त्ताओं के डिवाइस पर भेजने से पूर्व सत्यापित किया जाएगा। स्क्रबिंग के रूप में जानी जाने वाली इस प्रक्रिया को काफी विलंब के बाद हाल ही में लागू किया गया था।
  - प्रमुख संस्थाओं हेतु नए ट्राई नियम, जो ग्राहकों को एसएमएस भेजने की अनुमति देंगे, उसके लिये प्रेषकों का पंजीकरण (Registration of Senders), टेलीमार्केटर (Telemarketers), हेडर (Headers), सामग्री (Content), टेम्प्लेट (Templates), सहमति टेम्प्लेट (Consent Templates) और सब्सक्राइबर वरीयता (Subscriber Preference) की आवश्यकता होगी।
- ये नियम गैर-पंजीकृत प्रेषकों को वाणिज्यिक संदेश भेजने से रोकते हैं, वहीं दूसरी ओर पंजीकृत कंपनियों के ग्राहकों को धोखाधड़ी वाले संदेश भेजने से रोकते हैं।

- ट्राई द्वारा एक फ्रेमवर्क जारी किया गया है जिसके तहत टेल्कोस/टेलीकॉम कंपनियों द्वारा एक वितरित खाता प्रौद्योगिकी (Distributed Ledger Technology) या ब्लॉकचेन (Blockchain) का उपयोग किया जाएगा ताकि उपयोगकर्त्ता के डिवाइस पर भेजे जाने से पहले हर वाणिज्यिक एसएमएस के प्रेषक की जानकारी और सामग्री को सत्यापित किया जा सके।
  - ब्लॉकचेन मुख्यत: गैर-परित्याग (Non-Repudiation) और गोपनीयता (Confidentiality) सुनिश्चित करेगा। इसके तहत केवल अधिकृत लोगों को ही ग्राहकों के विवरण संबंधी सूचना तक पहुँच प्राप्त होगी और वह भी तब जब सेवा प्रदान करने के लिये ऐसा करना आवश्यक हो।
  - TRAI के अनुसार, पुरानी तकनीक और प्लेटफॉर्म ने सब्सक्राइबर की घोषित प्राथमिकता का उल्लंघन कर सस्ती और अविश्वसनीय सूचनाएँ प्रदान की हैं।

हालिया मुद्दा:

- कुछ TSPs द्वारा स्क्रबिंग मानदंडों को लागू किया गया, लेकिन कुछ कंपनियों द्वारा उन्हें नहीं अपनाया गया जिससे उपभोक्ता महत्त्वपूर्ण संदेश प्राप्त करने में विफल रहे।
  - TSPs द्वारा TRAI नियमों का पालन करते हुए अवांछित वाणिज्यिक संचार के मुद्दों को हल करने हेतु कंटेंट स्क्रबिंग की नियत प्रक्रिया को सक्रिय किया गया।
  - दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा एक-दूसरे के साथ अपने कंटेंट टेम्पलेट को पंजीकृत करने के उद्देश्य से प्रमुख संस्थाओं के साथ संचार व्यवस्था सुनिश्चित की गई।

ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी:

- ब्लॉकचेन एक साझा, अपरिवर्तनीय खाता-बही (Shared, Immutable Ledger) है जो एक व्यापार नेटवर्क में लेन-देन को रिकॉर्ड करने और परिसंपत्तियों को ट्रैक करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाती है।
  - कोई संपत्ति मूर्त (घर, कार, नकदी, भूमि) या अमूर्त (बौद्धिक संपदा, पेटेंट, कॉपीराइट, ब्रांडिंग) हो सकती है।
- वस्तुत: किसी भी मूल्य की ऐसी वस्तु को ब्लॉकचेन नेटवर्क पर ट्रैक कर इसमें शामिल किया जा सकता है, जिसमें सभी जोखिम शामिल होते हैं और सभी की लागत में कटौती शामिल होती है।
- ब्लॉकचेन तकनीक का प्रारंभिक और प्राथमिक उपयोग क्रिप्टोकरेंसी (जैसे बिटकॉइन) के लेन-देन की निगरानी हेतु किया गया था। हालांकि पिछले वर्षों में इसके कुछ अन्य उपयोग देखे गए हैं।
  - आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सरकार द्वारा ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी की सहायता से भूमि रिकॉर्ड को एकत्र किया जाता है।
  - चुनाव आयोग (EC) के अधिकारी दूरदराज़ के क्षेत्रों में वोटिंग करने हेतु ब्लॉकचेन तकनीक के उपयोग किये जाने की क्षमता तलाश रहे हैं।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण:

- इसे दूरसंचार सेवाओं हेतु शुल्क निर्धारण/संशोधन सहित दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने के लिये संसद के एक अधिनियम (भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997) द्वारा स्थापित किया गया था।
- यह एक निष्पक्ष और पारदर्शी नीति हेतु वातावरण प्रदान करता है जो सभी को एक समान अवसर प्रदान करता है और प्रतिस्पर्द्धा को सुगम बनाता है।
- ट्राई अधिनियम में संशोधन कर ट्राई से सहायक और विवाद कार्यों के समाधान करने के उद्देश्य से दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण (Telecommunications Dispute Settlement and Appellate Tribunal- TDSAT) की स्थापना की गई।
  - TDSAT की स्थापना विभिन्न लाइसेंसधारियों के मध्य, दो या दो से अधिक सेवा प्रदाताओं के मध्य, एक सेवा प्रदाता और उपभोक्ताओं के समूह के मध्य किसी भी विवाद के निपटान और ट्राई के किसी भी निर्देश, निर्णय या आदेश के खिलाफ अपील सुनने और उसके निपटान हेतु की गई थी।

मंत्री समूह: मीडिया रणनीति

चर्चा में क्यों?

एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने सरकार की मीडिया रणनीति पर मंत्री समूह (GoM) की रिपोर्ट को किसी भी आलोचना के प्रति सरकार के 'कठोर रवैये' के एक उदाहरण के रूप में चिह्नित किया।

- वर्ष 2020 में गठित इस मंत्री समूह (GoM) में कुल पाँच कैबिनेट मंत्री एवं चार राज्य मंत्री शामिल हैं।

एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया

- एडिटर्स गिल्ड की स्थापना वर्ष 1978 में प्रेस स्वतंत्रता की रक्षा करने और समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं के संपादकीय मानकों में बढ़ोतरी के दोहरे उद्देश्यों के साथ की गई थी।

प्रमुख बिंदु

मीडिया रणनीति पर मंत्री समूह (GoM) की सिफारिशें:

- मंत्री समूह ने अपनी रिपोर्ट में वर्तमान सरकार के लिये ऐसे 'सहायक एवं तटस्थ' पत्रकारों की पहचान करने की बात की है, जिन्होंने महामारी के दौरान अपनी नौकरी खो दी है, ताकि उनकी सेवाओं का उपयोग कर सरकार की छवि को सकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया जा सके।
    - इसके अलावा सरकार को अपनी दीर्घकालिक रणनीति के हिस्से के रूप में पत्रकारिता संस्थानों के साथ जुड़ाव को बढ़ाना चाहिये, क्योंकि वर्तमान छात्र भविष्य के पत्रकार हैं।
- विदेशी मीडिया और अनिवासी भारतीयों के साथ जुड़ाव:
    - सरकार के वैश्विक आउटरीच को बढ़ाने के हिस्से के रूप में विदेशी मीडिया पत्रकारों के साथ नियमित रूप से वार्ता की जानी चाहिये, ताकि सरकार का परिप्रेक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सही ढंग से प्रस्तुत किया जा सके।
    - अनिवासी भारतीय (NRIs) समुदाय के साथ संचार की एक प्रभावी प्रणाली स्थापित की जानी चाहिये, ताकि विदेशों में फैलाई जा रही नकारात्मक धारणाओं के विरुद्ध वे अपनी आवाज़ उठा सकें।
- सरकार द्वारा किये गए कार्यों की जानकारी देना
    - सरकार द्वारा किये गए प्रमुख कार्यों और आम लोगों के जीवन में आए प्रमुख बदलावों से संबंधित सकारात्मक कहानियों का व्यापक प्रसार किया जाना चाहिये।
        - इसके अलावा नकारात्मक कहानियों के खंडन व स्थानीय लोगों से जुड़ाव के लिये स्थानीय भाषा में विज्ञापनों आउटरीच कार्यक्रमों के प्रसार की व्यवस्था की जानी चाहिये।
    - सरकारी पत्रिका, न्यू इंडिया समाचार की प्रतियाँ कम-से-कम 6 लाख लोगों को वितरित की जानी चाहिये, इसके अलावा पत्रिका का ई-संस्करण तकरीबन 8 करोड़ लोगों तक पहुँचाया जाना चाहिये।
    - अलग-अलग मंत्रालयों को अलग-अलग आउटरीच लक्ष्य दिया जाना चाहिये।
- सोशल मीडिया का प्रयोग
    - समूह ने अपनी रिपोर्ट में आम जनता तक सरकार की पहुँच को सकारात्मक रूप से बढ़ाने के लिये ट्विटर और गूगल जैसे प्लेटफॉर्मों के प्रयोग का आह्वान किया है।
- झूठी धारणाओं से मुकाबला
    - रिपोर्ट में ऐसे 50 लोगों की पहचान करने की बात की गई है, जिन्होंने सरकार को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है, वहीं ऐसे 50 लोगों को प्रोत्साहित करने की बात की गई है, जिन्होंने सरकार के कार्य को सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया है।

एडिटर्स गिल्ड की चिंता

- मंत्री समूह (GoM) द्वारा प्रस्तुत यह रिपोर्ट किसी भी प्रकार की आलोचना और प्रेस की जाँच के विरुद्ध सरकार के बढ़ते कठोर रवैये को इंगित करती है।

- रिपोर्ट में दिये गए सुझाव, सरकार की धारणा से अलग सोच वाले लेखकों एवं पत्रकारों की निगरानी और उनके लक्ष्यीकरण की संभावना को बढ़ाते हैं।
- एडिटर्स गिल्ड ने कहा कि GoM द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मीडिया में सरकार की धारणा को नियंत्रित करने के लिये एक उपकरण प्रदान करती है।
- रिपोर्ट में दिये गए सबसे चिंताजनक सुझावों में 'बिना तथ्यों के सरकार के विरुद्ध बोलने एवं लिखने अथवा फेक न्यूज़ फैलाने वाले लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने का सुझाव शामिल है, क्योंकि इससे सरकार अपने विरोधियों पर आसानी से कार्यवाही करने में सक्षम हो जाएगी।
    - यह सुझाव सरकार की किसी भी प्रकार की आलोचना को रोकने के इरादे से प्रस्तुत किया गया एक उपकरण प्रतीत होता है, क्योंकि रिपोर्ट में कहीं भी फेक न्यूज़ को परिभाषित नहीं किया गया है।

आगे की राह

- प्राय: यह माना जाता है कि पत्रकारों समेत देश के सभी नागरिकों के लिये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संबंधी बुनियादी संवैधानिक मूल्य की रक्षा करना सरकार का प्राथमिक दायित्व है, इसके अलावा सरकार के लिये मीडिया में विचारों की बहुलता हेतु अपनी प्रतिबद्धता प्रकट करना भी आवश्यक है।
- स्वतंत्रता को प्रभावित किये बिना मीडिया में आम लोगों के विश्वास को बहाल करने के लिये फेक न्यूज़ जैसी गंभीर समस्या का मुकाबला करने हेतु सार्वजनिक शिक्षा, मज़बूत कानून और टेक कंपनियों के एकीकृत प्रयासों की आवश्यकता होगी।
- दूसरी ओर मीडिया के लिये भी यह महत्त्वपूर्ण है कि वह सत्यता एवं सटीकता, पारदर्शिता, स्वतंत्रता, निष्पक्षता जैसे बुनियादी सिद्धांतों का अनुसरण करते रहे, ताकि आम जनता के बीच मीडिया की विश्वसनीयता पुन: बहाल की जा सके।

मध्याह्न भोजन योजना का विस्तार

चर्चा में क्यों?

शिक्षा पर संसदीय स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि सभी सरकारी स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा परिकल्पित मध्याह्न भोजन योजना के विस्तार के एक हिस्से के रूप में आगामी शैक्षणिक वर्ष में मुफ्त नाश्ता प्रदान करना शुरू करें।

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक मज़बूत शिक्षा प्रणाली की स्थापना हेतु 'भोजन और पोषण' संबंधी क्षेत्रों में वित्तपोषण की समस्या की पहचान की गई है।

प्रमुख बिंदु:

आवश्यकता:

- शोध से पता चलता है कि सुबह का पौष्टिक नाश्ता संज्ञानात्मक क्षमता बढ़ाकर विशिष्ट विषयों के अध्ययन के लिये लाभकारी सिद्ध हो सकता है, इसलिये इन घंटों में मध्याह्न भोजन के अलावा एक हल्का लेकिन स्फूर्तिदायक नाश्ता प्रदान करके इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है।

चुनौतियाँ:

- फंडिंग की अत्यधिक कमी के कारण योजना में देरी होने की संभावना है।
- मध्याह्न भोजन योजना पर केंद्र का मौजूदा खर्च लगभग 11000 करोड़ रुपए है। मुफ्त नाश्ते में 4000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट शामिल होगा लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग ने वर्ष 2020-21 के बजट में लगभग 5000 करोड़ रुपए की कटौती की।

मध्याह्न भोजन योजना

- मध्याह्न भोजन योजना (शिक्षा मंत्रालय के तहत) एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो वर्ष 1995 में शुरू की गई थी।
- यह प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये दुनिया का सबसे बड़ा विद्यालय भोजन कार्यक्रम है।
- इस कार्यक्रम के तहत विद्यालय में नामांकित I से VIII तक की कक्षाओं में अध्ययन करने वाले छह से चौदह वर्ष की आयु के हर बच्चे को पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है।

नोट :

उद्देश्य:

- इसके अन्य उद्देश्य भूख और कुपोषण समाप्त करना, स्कूल में नामांकन और उपस्थिति में वृद्धि, जातियों के बीच समाजीकरण में सुधार, विशेष रूप से महिलाओं को ज़मीनी स्तर पर रोज़गार प्रदान करना।

गुणवत्ता की जाँच:

- एगमार्क गुणवत्ता वाली वस्तुओं की खरीद के साथ ही स्कूल प्रबंधन समिति के दो या तीन वयस्क सदस्यों द्वारा भोजन का स्वाद चखा जाता है।

खाद्य सुरक्षा:

- यदि खाद्यान्न की अनुपलब्धता या किसी अन्य कारण से किसी भी दिन स्कूल में मध्याह्न भोजन उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो राज्य सरकार अगले महीने की 15 तारीख तक खाद्य सुरक्षा भत्ता का भुगतान करेगी।

विनियमन:

- राज्य संचालन-सह निगरानी समिति (SSMC) पोषण मानकों और भोजन की गुणवत्ता के रखरखाव के लिये एक तंत्र की स्थापना सहित योजना के कार्यान्वयन की देखरेख करती है।

राष्ट्रीय मानक:

- प्राथमिक (I- V वर्ग) के लिये 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन तथा उच्च प्राथमिक (VI-VIII वर्ग) के लिये 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन के पोषण मानकों वाला पका हुआ भोजन।

कवरेज:

- सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल, मदरसा और मकतब सर्व शिक्षा अभियान (SSA) के तहत समर्थित हैं।

विभिन्न मुद्दे तथा चुनौतियाँ:

- भ्रष्टाचार की घटनाएँ: नमक के साथ सादा चपाती परोसने, दूध में पानी मिलाने, फूड प्वाइज़निंग आदि के कई उदाहरण सामने आए हैं।
- जातिगत पूर्वाग्रह और भेदभाव: जातिगत पूर्वाग्रह के चलते कई स्कूलों में बच्चों को उनकी जाति के अनुसार अलग-अलग बिठाने की घटनाएँ भी सामने आईं हैं।
- कोविड-19: कोविड-19 ने बच्चों और उनके स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी अधिकारों के लिये गंभीर खतरा उत्पन्न किया है।
- कुपोषण के खतरे: नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे -5 के अनुसार, देश भर के कई राज्यों में बाल कुपोषण के सबसे बुरे स्तर के आँकड़े सामने आए हैं।
  - दुनिया में बौनेपन के शिकार कुल बच्चों के 30% बच्चे भारत में हैं और पाँच वर्ष से कम आयु के लगभग 50% बच्चे अल्पवज़न के हैं।
- वैश्विक पोषण रिपोर्ट-2020: ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट- 2020 के अनुसार, भारत उन 88 देशों में शामिल है, जिनके वर्ष 2025 तक वैश्विक पोषण लक्ष्य से चूक जाने की संभावना है।
- ग्लोबल हंगर इंडेक्स (GHI) 2020: ग्लोबल हंगर इंडेक्स (GHI) 2020 में 107 देशों में से भारत को 94वें स्थान पर रखा गया है। इस सूचकांक में भारत में भूख का स्तर "गंभीर" श्रेणी में रखा गया है।

आगे की राह:

- जब बच्चे कुपोषित या अस्वस्थ होंगे तो वे आशानुरूप सीखने में असमर्थ होंगे। इसलिये बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य (मानसिक स्वास्थ्य सहित) के लिये मिड डे मील सहित पौष्टिक नाश्ता प्रदान किया जाएगा। योजना का विस्तार बच्चों को स्कूलों से जोड़ने और नामांकन में सुधार कर भूख को रोकने में मदद करेगा।

भारतीय स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में दांडी मार्च

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता संग्राम के 75वें वर्ष के जश्न की शुरुआत करते हुए दांडी मार्च (12 मार्च) को रवाना किया गया। इस अवसर पर 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' (Azadi Ka Amrit Mahotsav) की भी शुरुआत की गई है।

प्रमुख बिंदु:

वर्ष 2021 के दांडी मार्च के विषय में:

- यह पदयात्रा अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी के नवसारी तक 81 यात्रियों के साथ शुरू की गई है, 386 किलोमीटर की यह यात्रा 25 दिनों के बाद 5 अप्रैल, 2021 को पूरी होगी।
- वर्ष 1930 के दांडी मार्च में हिस्सा लेने वाले लोगों के वंशजों को सम्मानित किया जाएगा।
- यात्रा में शामिल लोग महात्मा गांधी के दांडी मार्च में शामिल उन 78 अनुयायियों की याद में दो अतिरिक्त मार्गों के साथ उसी मार्ग (अहमदाबाद से दांडी) से गुज़रेंगे जिस मार्ग पर वर्ष 1930 की दांडी यात्रा निकाली गई थी।
- गांधी से जुड़े छह स्थानों पर बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इनमें राजकोट, वड़ोदरा, बारडोली/बारदोली (सूरत), मांडवी (कच्छ) और दांडी (नवसारी) के साथ गांधीजी की जन्मभूमि पोरबंदर शामिल हैं।
- यात्रियों द्वारा रुक-रुक कर 21 स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने की भी योजना है।

वर्ष 1930 के दांडी मार्च के बारे में:

- दांडी मार्च, जिसे नमक मार्च (Salt March) और दांडी सत्याग्रह (Dandi Satyagraha) के नाम से भी जाना जाता है, मोहनदास करमचंद गांधी के नेतृत्व में एक अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन था।
- इसे 12 मार्च, 1930 से 6 अप्रैल, 1930 तक ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ कर प्रतिरोध और अहिंसक विरोध के प्रत्यक्ष कार्रवाई अभियान के रूप में चलाया गया।
- गांधीजी ने 12 मार्च को साबरमती से अरब सागर तक दांडी के तटीय शहर तक 78 अनुयायियों के साथ 241 मील की यात्रा की गई, इस यात्रा का उद्देश्य गांधी और उनके समर्थकों द्वारा समुद्र के जल से नमक बनाकर ब्रिटिश नीति की अवहेलना करना था।
- दांडी की तर्ज पर भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा बंबई और कराची जैसे तटीय शहरों में नमक बनाने हेतु भीड़ का नेतृत्व किया गया।
- सविनय अवज्ञा आंदोलन संपूर्ण देश में फैल गया, जल्द ही लाखों भारतीय इसमें शामिल हो गए। ब्रिटिश अधिकारियों ने 60,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया। 5 मई को गांधीजी के गिरफ्तार होने के बाद भी यह सत्याग्रह जारी रहा।
- कवयित्री सरोजिनी नायडू द्वारा 21 मई को बंबई से लगभग 150 मील उत्तर में धरसना नामक स्थल पर 2,500 लोगों का नेतृत्व किया गया। अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर द्वारा दर्ज की गई इस घटना ने भारत में ब्रिटिश नीति के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश उत्पन्न कर दिया।
- गांधीजी को जनवरी 1931 में जेल से रिहा कर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन से मुलाकात की। इस मुलाकात में लंदन में भारत के भविष्य पर होने वाले गोलमेज़ सम्मेलन (Round Table Conferences) में शामिल होने तथा सत्याग्रह को समाप्त करने पर सहमति दी गई।
  - गांधीजी ने अगस्त 1931 में राष्ट्रवादी भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। यह बैठक निराशाजनक रही, लेकिन ब्रिटिश नेताओं ने गांधीजी को एक ऐसी ताकत के रूप में स्वीकार किया जिसे वे न तो दबा सकते थे और न ही अनदेखा कर सकते थे।

दांडी मार्च (पृष्ठभूमि):

- वर्ष 1929 की लाहौर कॉन्ग्रेस ने कॉन्ग्रेस कार्य समिति (Congress Working Committee) को करों का भुगतान न करने के साथ ही सविनय अवज्ञा कार्यक्रम शुरू करने के लिये अधिकृत किया था।
- 26 जनवरी, 1930 को "स्वतंत्रता दिवस" मनाया गया, जिसके अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर देशभक्ति के गीत गाए गए।

- साबरमती आश्रम में फरवरी 1930 में कॉन्ग्रेस कार्य समिति की बैठक में गांधीजी को अपने अनुसार समय और स्थान का चयन कर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के लिये अधिकृत किया गया।
- गांधीजी ने भारत के वायसराय (वर्ष 1926-31) लॉर्ड इरविन को अल्टीमेटम दिया कि अगर उनके न्यूनतम मांगों को नज़रअंदाज कर दिया गया तो उनके पास सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा।

आंदोलन का प्रभाव:

- सविनय अवज्ञा आंदोलन को विभिन्न प्रांतों में अलग-अलग रूपों में शुरू किया गया, जिसमें विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार पर विशेष ज़ोर दिया गया।
- पूर्वी भारत में चौकीदारी कर का भुगतान करने से इनकार कर दिया गया, जिसके अंतर्गत नो-टैक्स अभियान (No-Tax Campaign) बिहार में अत्यधिक लोकप्रिय हुआ।
- जे.एन. सेनगुप्ता ने बंगाल में सरकार द्वारा प्रतिबंधित पुस्तकों को खुलेआम पढ़कर सरकारी कानूनों की अवहेलना की।
- महाराष्ट्र में वन कानूनों की अवहेलना बड़े पैमाने पर की गई।
- यह आंदोलन अवध, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और असम के प्रांतों में आग की तरह फैल गया।

महत्त्व:

- इस आंदोलन के परिणामस्वरूप भारत में ब्रिटेन का आयात काफी गिर गया। उदाहरण के लिये ब्रिटेन से कपड़े का आयात आधा हो गया।
- यह आंदोलन पिछले आंदोलनों की तुलना में अधिक व्यापक था, जिसमें महिलाओं, किसानों, श्रमिकों, छात्रों और व्यापारियों तथा दुकानदारों जैसे शहरी तत्त्वों ने बड़े पैमाने पर भागीदारी की। अत: अब कॉन्ग्रेस को अखिल भारतीय संगठन का स्वरूप प्राप्त हो गया।
- इस आंदोलन को कस्बे और देहात दोनों में गरीबों तथा अनपढ़ों से जो समर्थन हासिल हुआ, वह उल्लेखनीय था।
- इस आंदोलन में भारतीय महिलाओं की बड़ी संख्या में खुलकर भागीदारी उनके लिये वास्तव में मुक्ति का सबसे अलग अनुभव था।
- यद्यपि कॉन्ग्रेस ने वर्ष 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया, लेकिन इस आंदोलन ने वैश्विक स्तर पर ध्यान आकर्षित किया और साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष की प्रगति में महत्त्वपूर्ण चरण को चिह्नित किया।

ऑटोक्रेटाइज़ेशन गोज़ वायरल रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में स्वीडन के वैरायटीज़ ऑफ डेमोक्रेसी (Varieties of Democracy- V-Dem) इंस्टीट्यूट की ऑटोक्रेटाइज़ेशन गोज़ वायरल (Autocratisation Goes Viral) नामक वार्षिक रिपोर्ट में भारत को "चुनावी निरंकुशता" वाले देश के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

- यह रिपोर्ट अमेरिकी थिंक टैंक, फ्रीडम हाउस (Freedom House) द्वारा प्रकाशित 'फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021' (Freedom in the World 2021) रिपोर्ट में भारत को 'स्वतंत्र' (Free) से 'आंशिक रूप से स्वतंत्र' (Partly Free) श्रेणी में शामिल करने के बाद आई है।

प्रमुख बिंदु:

वी-डेम के बारे में:

- वी-डेम इंस्टीट्यूट एक स्वतंत्र शोध संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 2014 में स्वीडिश राजनीतिक वैज्ञानिक स्टैफर्ड लिंडबर्ग द्वारा की गई थी।
- यह 202 देशों के लगभग 30 मिलियन डेटा बिंदुओं के डेटासेट के आधार पर वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र की स्थिति के बारे में अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करता है।

वैश्विक परिदृश्य:

- पिछले 10 वर्षों में एशिया-प्रशांत क्षेत्र, मध्य एशिया, पूर्वी यूरोप और लैटिन अमेरिकी क्षेत्रों में 'उदार लोकतांत्रिक' (Liberal Democracies) की स्थिति में वैश्विक स्तर पर गिरावट आई है।
- भारत के अलावा जी-20 देशों में शामिल ब्राज़ील और तुर्की जैसे देश उन शीर्ष 10 देशों में शामिल हैं जिनका स्थान रैंकिंग में नीचे है।

भारत की स्थिति :

- भारत को पहले एक 'चुनावी लोकतंत्र' (Electoral Democracy) देश के रूप में वर्गीकृत किया गया था जिसे नवीनतम रिपोर्ट में 'चुनावी निरंकुशता' (Electoral Autocracy) के रूप में वर्गीकृत किया है।
- रिपोर्ट के अनुसार, भारत की स्थिति अब उतनी ही निरंकुश देश की है जितनी कि उसके पड़ोसी देश पाकिस्तान की है। भारत में निरंकुशता की स्थिति बांग्लादेश और नेपाल दोनों देशों से खराब है ।
- वर्ष 2014 से देश में राजनीतिक अधिकार और नागरिक स्वतंत्रता में गिरावट आई है, जिसमें मानवाधिकार संगठनों पर दबाव बढ़ने के साथ शिक्षाविदों और पत्रकारों को धमकी एवं धर्म के नाम पर मुसलमानों की हत्या सहित बड़े हमलों की आशंका में वृद्धि देखी गई है।

भारत की स्थिति में गिरावट के कारण:

- हाल ही में भारत सरकार द्वारा आलोचकों को चुप कराने तथा आतंकवाद को समाप्त करने के उद्देश्य से राजद्रोह अधिनयम की धारा 124 A, मानहानि अधिनयम (धारा 499) का उपयोग किया गया है।
- सरकार ने नागरिक समाज संगठनों (Civil Society Organisations) के प्रवेश, निकास और कामकाज को प्रतिबंधित करने हेतु विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (Foreign Contributions Regulation Act- FCRA), 2010 का प्रयोग किया है।
- गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) संशोधन विधेयक,1967 जैसे कानूनों का बार- बार प्रयोग किया जाना।

मेरा राशन मोबाइल' एप्लीकेशन

चर्चा में क्यों ?

देश में 'वन नेशन वन राशन कार्ड' (One Nation One Ration Card) प्रणाली को सुविधाजनक बनाने हेतु उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution) द्वारा 'मेरा राशन' (Mera Ration) नामक मोबाइल एप लॉन्च किया गया है यह लाभार्थी को किसी भी उचित मूल्य की दुकान (Fair Price Shop- FPS) तक आसान पहुँच प्रदान करेगा।

- इस एप का लाभ विशेष रूप से उन राशन कार्ड धारकों को मिलेगा जिन्हें आजीविका हेतु अन्य स्थानों पर जाना पड़ता है।

प्रमख बिंदु:

- एप के बारे में: इस एप्लीकेशन को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (National Informatics Center-NIC) द्वारा विकसित किया गया है।
  - भाषा: फिलहाल इस एप में अंग्रेज़ी एवं हिंदी भाषा का विकल्प उपलब्ध है।
    - यद्यपि इसे 14 भाषाओं में प्रस्तुत किये जाने की योजना है, जिन्हें उन स्थानों के आधार पर पहचाना जाएगा जहाँ से अधिकांश प्रवासी लोग आते हैं।
  - लाभार्थियों को सुविधाएँ:
    - इसके द्वारा लाभार्थी आसानी से निकटतम उचित मूल्य की दुकान तक पहुँच सकते हैं।
    - इस एप के माध्यम से लाभार्थी इस बात का पता लगा सकते हैं कि पूर्व में खाद्यान्न का कुल कितना हस्तांतरण किया गया है तथा कितना खाद्यान्न उसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा उसके आधार सीडिंग (Aadhaar Seeding) की स्थिति (आधार कार्ड को बैंक खाता से जोड़ना) के बारे में जाना जा सकता है।

- इसकी सहायता से लाभार्थी के प्रवास का विवरण दर्ज किया जा सकता है।
- यह सुझाव/प्रतिक्रिया दर्ज करने का विकल्प प्रस्तुत करता है।

वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC)

- कार्यान्वयन:
  - ONORC योजना को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Act- NFSA), 2013 के तहत राशन कार्डों की देशव्यापी पोर्टेबिलिटी प्रदान करने के उद्देश्य से खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
    - यह अधिनियम लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Targeted Public Distribution System) के तहत कानूनी तौर पर 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को सब्सिडी युक्त अनाज प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है।
- महत्त्व:
  - यह प्रणाली सभी NFSA लाभार्थियों, विशेष रूप से प्रवासी लाभार्थियों को देश में किसी भी उचित मूल्य की दुकान (FPS) से बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से सरल तरीके से मौजूदा राशन कार्ड द्वारा पूर्ण या आंशिक खाद्यान्न प्राप्त करने हेतु अनुमति देती है।
    - किसी भी उचित मूल्य की दुकान को चुनने की स्वतंत्रता पहले उपलब्ध नहीं थी।
  - ऐसे राज्य जो वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली में सुधार करने में सक्षम रहे हैं वे सकल राज्य घरेलू उत्पाद (Gross State Domestic Product- GSDP) का 0.25% अतिरिक्त उधार लेने के पात्र थे।
    - उत्तराखंड सहित सत्रह राज्यों में 'वन नेशन वन राशन कार्ड' प्रणाली संचालित है।
- कवरेज:
  - वर्ष 2019 में ONORC को 4 राज्यों में शुरू किया गया था तथा वर्ष 2020 तक यह 32 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में लागू किया जा चुका है।
    - शेष 4 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों (असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली और पश्चिम बंगाल) में इस योजना के आने वाले कुछ महीनों में समन्वित होने की उम्मीद है।
  - यह देश में लगभग 69 करोड़ NFSA लाभार्थियों (लगभग 86% NFSA जनसंख्या) को कवर करता है। ONORC के तहत लगभग 1.5 ~ 1.6 करोड़ पोर्टेबिलिटी लेन-देन का मासिक औसत दर्ज किया जा रहा है।
- सभी के लिये ONORC की उपलब्धता:
  - सरकार द्वारा 5.4 लाख राशन की दुकानों के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को प्रति माह 5 किलो सब्सिडी युक्त खाद्यान्न की आपूर्ति की जा रही है।
  - ONROC प्रणाली के साथ प्रवासी पोर्टल (Migrants' Portal) का एकीकरण श्रम और रोज़गार मंत्रालय के सहयोग से किया जाता है।
  - ONORC शहरी विकास मंत्रालय (Ministry of Housing & Urban Affairs) द्वारा संचालित प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना (PM SANNidhi Program) का हिस्सा है।
  - लोगों तक ONORC के बारे में जानकारियों का प्रचार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, प्रेस सूचना ब्यूरो, MyGov, आउटरीच और संचार ब्यूरो की मदद से किया गया है।

भारत में अनुचित अभियोजन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में अनुचित अभियोजन (Wrongful Prosecution) के मामलों के संदर्भ में एक याचिका दायर की गई है, इस याचिका में पुलिस अथवा प्रशासनिक अधिकारियों के अनुचित अभियोजन के कारण प्रभावित हुए पीड़ितों को मुआवज़ा देने हेतु सरकार द्वारा दिशा-निर्देश लागू करने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है।

नोट :

- इस याचिका में कहा गया कि सरकार द्वारा वर्ष 2018 में 'न्याय की हत्या'/घोर अन्याय (Miscarriage of Justice) पर भारतीय विधि आयोग की 277वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को लागू करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है।

  अनुचित अभियोजन (Wrongful Prosecution):
- यह उन मामलों को संदर्भित करता है जहाँ अभियुक्त अपराध का दोषी न हो, परंतु पुलिस और/या अभियोजन उस व्यक्ति की जाँच और/या उस पर मुकदमा चलाने के दौरान कदाचार में सम्मिलित हो।
- गौरतलब है कि भारत द्वारा 'नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्री य नियम' (ICCPR) के अनुमोदन/मंज़ूरी प्रदान की गई है। ICCPR सदस्य देशों के लिये यह दायित्व निर्धारित करता है कि वे इस प्रकार के घोर अन्याय के मामलों में पीड़ितों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने हेतु कानून बनाएँ।

प्रमुख बिंदु:

भारत में अनुचितअभियोजन:

- पुलिस और अभियोजन के कदाचार के कारण दर्ज गलत मुकदमों के लिये भारत में कोई प्रभावी वैधानिक/कानूनी तंत्र नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप देश में झूठे मामलों की संख्या बहुत बढ़ गई है।
  - अधिकारियों को अदालतों द्वारा मुकदमा चलाए जाने का कोई भय न होने और परोक्ष उद्देश्यों के लिये निर्दोष लोगों पर अभियोजन चलाने की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण झूठे मामलों को दायर करने में अभूतपूर्व उछाल आया है।
- याचिका में कहा गया है कि निर्दोष लोग उन अधिकारियों के द्वेष के शिकार हुए जिन्होंने अपने हितों को पूरा करने के लिये आपराधिक न्याय प्रणाली का दुरुपयोग किया है।
- इसने न केवल देश के सामाजिक ताने-बाने को नष्ट कर दिया है बल्कि 40 मिलियन से अधिक मामलों के भारी दबाव से जूझ रही न्यायपालिका को भी प्रभावित किया है।

अनुचित अभियोजन से जुड़े न्यायिक फैसले:

- इससे पहले मई 2017 में 'बबलू चौहान बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य सरकार' मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्दोष व्यक्तियों पर अनुचित अभियोजन चलाए जाने के मामलों के संदर्भ में चिंता व्यक्त की थी।
- दिल्ली उच्च न्यायालय ने विधि आयोग से इस मुद्दे की व्यापक जाँच करने और इस संदर्भ में सरकार से सिफारिश करने को कहा था।

भारतीय विधि आयोग की 277वीं रिपोर्ट में शामिल सिफारिशें:

- विधि आयोग द्वारा न्याय की हत्या (जिसके कारण लोगों पर अनुचित अभियोजन शुरु किया गया) के मामलों में पीड़ितों को मुआवज़ा दिलाने के लिये 'दंड प्रक्रिया संहिता, 1973' (CrPC) में संशोधन की सिफारिश की गई।
  - न्याय की हत्या से आशय अनुचित या दुर्भावनापूर्ण अभियोजन से है, जिसमें ऐसे अभियोजन के परिणामस्वरूप आरोपी व्यक्ति को दोषी ठहराया गया हो या उसे कारावास का दंड दिया गया हो।
- अनुचित अभियोजन के मामलों में मुआवज़े के दावों की सुनवाई के लिये प्रत्येक ज़िले में विशेष अदालतों की स्थापना की जानी चाहिये।
- मुआवज़े का दावा आरोपी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जो इस प्रकार के अभियोजन से प्रभावित हुआ हो; या उक्त आरोपी व्यक्ति द्वारा अधिकृत किसी भी एजेंट द्वारा; या ऐसे मामलों में जहाँ अनुचित अभियोजन की समाप्ति के बाद अभियुक्त की मृत्यु हो गई है, मृतक के सभी या कोई वारिस या कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा।
- ऐसे मामलों में मुआवज़े की राशि निर्धारित करते समय न्यायालय द्वारा कुछ निर्देशक सिद्धांतों का अनुसरण किया जाना चाहिये। इनमें अपराध की गंभीरता, दंड की गंभीरता, हिरासत की अवधि, स्वास्थ्य को नुकसान, प्रतिष्ठा को नुकसान और अवसरों की हानि शामिल है।
- इस फ्रेमवर्क के तहत मुआवज़े में आर्थिक (मौद्रिक) और गैर-आर्थिक सहायता (परामर्श, मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ, व्यावसायिक/रोज़गार संबंधी कौशल विकास और इसी तरह की अन्य समान सेवाएँ शामिल होंगी।

उपासना स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से 'उपासना स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991' को चुनौती देने वाली एक याचिका पर जवाब देने को कहा है।

- गौरतलब है कि यह अधिनियम किसी भी पूजा/उपासना स्थल की वस्तुस्थिति को उसी अवस्था में रोक देता/बनाए रखता है, जैसा कि वह 15 अगस्त, 1947 को थी।
- इस कानून की जाँच करने पर सहमति देते हुए न्यायालय ने मथुरा और वाराणसी सहित देश भर के विभिन्न पूजा स्थलों के संदर्भ में मुकदमे दायर करने के लिये दरवाज़े खोल दिये हैं।

प्रमुख बिंदु:

उपासना स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991:

- यह पूजा स्थलों (राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद के मामले को छोड़कर, जिसका मामला पहले से ही अदालत में था) की "धार्मिक प्रकृति" को वर्ष 1947 की स्थिति के अनुरूप बनाए रखने का प्रयास करता है।

उद्देश्य:

- इस अधिनियम की धारा 3 के तहत पूजा स्थल या यहाँ तक कि उसके खंड को एक अलग धार्मिक संप्रदाय या एक ही धार्मिक संप्रदाय के अलग वर्ग के पूजा स्थल में परिवर्तित करने को प्रतिबंधित किया गया है।
- इस अधिनियम की धारा 4(2) में कहा गया है कि पूजा स्थल की प्रकृति को परिवर्तित करने से संबंधित सभी मुकदमे, अपील या अन्य कार्रवाईयाँ (जो 15 अगस्त, 1947 को लंबित थी) इस अधिनियम के लागू होने के बाद समाप्त हो जाएंगी और ऐसे मामलों पर कोई नई कार्रवाई नहीं की जा सकती।
  - हालाँकि यदि पूजा स्थल की प्रकृति में बदलाव 15 अगस्त, 1947 (अधिनियम के लागू होने के बाद) की कट-ऑफ तारीख के बाद हुआ हो, तो उस स्थिति में कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती है।
- यह अधिनियम सरकार के लिये भी एक सकारात्मक दायित्व निर्धारित करता है कि वह हर पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र/प्रकृति को उसी प्रकार बनाए रखे जैसा कि वह स्वतंत्रता के समय था।
  - सरकार पर सभी धर्मों की समानता को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिये यह विधायी दायित्व एक आवश्यक धर्मनिरपेक्ष गुण है तथा यह भारतीय संविधान की मूल विशेषताओं में से एक है।

अपवाद:

- अयोध्या का विवादित स्थल (राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद) को इस अधिनियम से छूट दी गई थी। इसी छूट के कारण इस कानून के लागू होने के बाद भी अयोध्या मामले में मुकदमा आगे बढ़ सका।
- अयोध्या विवाद के अलावा इस अधिनियम में कुछ अन्य मामलों को भी छूट दी गई:
  - कोई भी पूजा स्थल जो 'प्राचीन स्मारक और पुरातात्त्विक स्थल अवशेष अधिनियम, 1958' के तहत शामिल प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक या एक पुरातात्त्विक स्थल है।
  - ऐसे मुकदमे जिनका निस्तारण हो चुका है या जिन पर अंतिम फैसला दिया जा चुका है।
  - ऐसा कोई भी विवाद जिसे संबंधित पक्षों द्वारा सुलझा लिया गया है या जिन उपासना स्थलों का रूपांतरण इस अधिनियम के लागू होने से पहले की मौन स्वीकृति के माध्यम से किया गया हो।

दंड:

- इस अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर जुर्माने के साथ अधिकतम तीन वर्ष के कारावास के दंड का प्रावधान है।

नोट :

सर्वोच्च न्यायालय का मत:

- वर्ष 2019 में अयोध्या मामले के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने इस कानून का उल्लेख करते हुए कहा कि यह संविधान के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को प्रकट करता है और इसकी प्रतिगामिता को सख्ती से प्रतिबंधित करता है।.

याचिका में दिये गए तर्क:

- याचिका में इस अधिनियम को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि यह अधिनियम धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन करता है।
  - इस याचिका में यह तर्क दिया गया है कि 15 अगस्त, 1947 की कट-ऑफ तिथि "मनमाना, तर्कहीन और पूर्वव्यापी" है तथा यह हिंदुओं, जैन, बौद्धों और सिखों को अपने "पूजा स्थलों" पर पुनः दावा करने के लिये अदालत जाने से रोकती है, जिन पर "कट्टरपंथी बर्बर आक्रमणकारियों" द्वारा "आक्रमण" कर "अतिक्रमण" कर लिया गया था।
- याचिका में यह तर्क दिया गया है कि केंद्र के पास "तीर्थस्थल" या "कब्रिस्तान" पर कानून बनाने की कोई शक्ति नहीं है, जो राज्य सूची के तहत आते हैं।
  - हालाँकि सरकार के अनुसार, वह इस कानून को लागू करने के लिये संघ सूची की प्रविष्टि 97 के तहत अपनी अवशिष्ट शक्ति का उपयोग कर सकती है।
  - संघ सूची की प्रविष्टि 97 केंद्र को उन विषयों पर कानून बनाने के लिये अवशिष्ट शक्ति प्रदान करती है जिन्हें (जिन विषयों को) तीनों में से किसी भी सूची में शामिल नहीं किया गया है।

ऊर्जा दक्षता उद्यम (E3) प्रमाणपत्र कार्यक्रम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विद्युत मंत्रालय (Ministry of Power) ने "ईंट निर्माण क्षेत्र के लिये ऊर्जा दक्षता उद्यम (E3) प्रमाणपत्र कार्यक्रम" (Energy Efficiency Enterprise (E3) Certifications Programme for the Brick Manufacturing Sector) शुरू किया है।

- E3 प्रमाणन योजना का उद्देश्य इस क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता क्षमता का अधिक दोहन करना है।

प्रमुख बिंदु

ऊर्जा दक्षता उद्यम (E3) प्रमाणपत्र कार्यक्रम के विषय में:

- E3 प्रमाणन ईंट उद्योग पर केंद्रित एक मान्य प्रक्रिया है। यह प्रमाणन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (Bureau of Energy Efficiency) द्वारा प्रदान किया जाएगा।
  - यह ऊर्जा-कुशल विनिर्माण को अपनाने वाले ईंट निर्माताओं को पहचानने और ग्राहकों को ऐसी E3 प्रमाणित विनिर्माण इकाइयों से ईंट खरीदने के लिये प्रोत्साहित करने की पहल है।
  - यह प्रमाणपत्र उन ईंट निर्माण उद्यमों को प्रदान किया जाएगा जो इस योजना में निर्दिष्ट न्यूनतम विशिष्ट ऊर्जा खपत (Specific Energy Consumption) मानदंडों को पूरा करते हैं।
  - यह उद्यम ऊर्जा अनुकूल ईंट निर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी तथा निम्न घनत्व वाली ईंटों (छिद्रित या छिद्रपूर्ण ईंटों) के उत्पादन को अपनाकर E3 प्रमाणन के योग्य हो सकता है।
  - E3 प्रमाणन को अपनाना वर्तमान में ईंट उद्योग के लिये स्वैच्छिक है।

ईंट विनिर्माण क्षेत्र:

- सकल घरेलू उत्पादन में योगदान: ईंट क्षेत्र का देश की जीडीपी में लगभग 0.7% का योगदान है, जो 1 करोड़ से अधिक श्रमिकों को मौसमी रोज़गार प्रदान करता है, साथ ही परिवहन एवं निर्माण जैसे अन्य आर्थिक क्षेत्रों पर भी इसका गहरा प्रभाव है।

नोट :

- बाज़ार का आकार: भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा ईंट उत्पादक देश है और E20 प्रमाणन कार्यक्रम के माध्यम से यह मांग अगले 20 वर्षों में तीन से चार गुना होने की उम्मीद है।
- ऊर्जा की खपत: ईंट निर्माण उद्योग में सालाना लगभग 45-50 मिलियन टन कोयले की खपत होती है, जो देश में कुल ऊर्जा खपत का 5-15% है।
  - ईंट क्षेत्र में स्टील और सीमेंट के बाद भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता के लिये दूसरी सबसे बड़ी क्षमता मौजूद है।

E3 प्रमाणन के लाभ:

- E3 प्रमाणन के कार्यान्वयन से निम्नलिखित लाभ होंगे:
  - ईंट निर्माण प्रक्रिया में ऊर्जा की बचत।
  - ईंटों की गुणवत्ता में सुधार।
  - घरों की लागत में कमी।
  - ऐसी इमारतों के मालिकों को बेहतर तापीय सुविधा (Better Thermal Comfort) और बेहतर तापरोधी गुणों (Improve Insulation Property) के कारण ऊर्जा की बचत।
- यह प्रतिवर्ष 7 मिलियन टन तेल और कार्बन मोनोआक्साइड (CO) की ऊर्जा बचत के बराबर है तथा वर्ष 2030 तक 7500 ईंट निर्माण इकाइयों द्वारा E3 प्रमाणन को अपनाने से लगभग 25 मिलियन टन की बचत अनुमानित है।
- क्षेत्र का आधुनिकीकरण: E3 प्रमाणन योजना ईंट क्षेत्र के आधुनिकीकरण में तेज़ी लाने का प्रयास के साथ ही बाज़ार में उपलब्ध लाभ का उपयोग करके ग्राहकों की मांग को पूरा करके आत्मनिर्भर भारत (Aatmanirbhar Bharat) के विज़न को पूरा करने का काम कर रही है।
- ECBC का अनुपालन: ऊर्जा कुशल ईंटें ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (Energy Conservation Building Code-ECBC) की आवश्यकताओं को पूरा करने में उपयोगी होंगी।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

- यह ब्यूरो विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है, जिसे वर्ष 2002 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया था।
  - ऊर्जा दक्षता और संरक्षण के क्षेत्र में इन नीतियों तथा कार्यक्रमों को लागू करना अनिवार्य है।
- यह भारतीय अर्थव्यवस्था की ऊर्जा आधिक्य को कम करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ विकासशील नीतियों और रणनीतियों में सहायता करता है।
- प्रमुख कार्यक्रम: राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक, प्रदर्शन और व्यापार योजना, मानक तथा लेबलिंग कार्यक्रम, ऊर्जा संरक्षण भवन कोड आदि।

ऊर्जा संरक्षण भवन कोड

- इस कोड को नए व्यावसायिक भवनों में न्यूनतम ऊर्जा प्रदर्शन मानकों को स्थापित करने के लिये वर्ष 2007 में विकसित किया गया था।
  - इमारतों द्वारा ऊर्जा संसाधनों के एक महत्त्वपूर्ण अनुपात का उपभोग किया जाता है और ECBC इन इमारतों की ऊर्जा खपत को कम करने वाला एक आवश्यक नियामक उपकरण है।
- ECBC 100 किलोवाट (kW) के संयोजित लोड या 120 kVA (किलोवोल्ट-एम्पीयर) और उससे अधिक की अनुबंधित मांग वाले नए वाणिज्यिक भवनों के लिये न्यूनतम ऊर्जा मानक निर्धारित करता है।
- BEE ने इमारतों के लिये एक स्वैच्छिक स्टार रेटिंग कार्यक्रम भी विकसित किया है जो एक इमारत के वास्तविक प्रदर्शन [इमारत के अपने क्षेत्रफल में ऊर्जा के उपयोग के संदर्भ में kWh/sq. m/year में व्यक्त)] पर आधारित है।

आर्थिक घटनाक्रम

आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (Food Safety and Standards Authority of India-FSSAI) द्वारा जारी आदेश में भारत में आयातित खाद्य फसलों में आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों (Genetically Modified Organisms- GMO) की सीमा को 1% निर्धारित कर दिया गया है।

- इससे पहले अगस्त 2020 में FSSAI द्वारा जारी आदेश में देश में आयातित 24 खाद्य फसलों हेतु एक सक्षम प्राधिकारी (Competent Authority) द्वारा 'गैर-जीएम सह जीएम मुक्त प्रमाण पत्र' (Non-GM-Origin-Cum-GM-free Certificate) की आवश्यकता पर बल दिया गया।

प्रमुख बिंदु:

आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव (GMOs):

- ये जीवित जीव होते हैं जिनमें विद्यमान आनुवंशिक पदार्थ को प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से आनुवंशिक इंजीनियरिंग का प्रयोग करके परिवर्तित किया गया है।
- इसमें पौधे, जानवर, बैक्टीरिया और वायरस के जीन का समुच्चय (Combinations) का निर्माण किया जाता है, यह कार्य पारंपरिक क्रॉसब्रीडिंग विधियों (Traditional Crossbreeding Methods) के माध्यम से नहीं होता है।

आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें:

- पारंपरिक पादप प्रजनन (Conventional Plant Breeding) में माता-पिता दोनों के वांछित लक्षणों (Desired Traits) के साथ संतति (Offspring) हेतु एक ही जीन की प्रजातियों का संकरण (Crossing) कराया जाता है।
    - वंश/जींस संबंधित जातियों (स्पीशीज़) का एक समूह होता है। एक वंश में कई स्पीशीज़ हो सकते हैं जिनके लक्षण, गुण अथवा विशेषताएँ समान होती हैं।
- बीटी कपास (Bt Cotton) भारत में एकमात्र आनुवंशिक रूप से संशोधित (Genetically Modified-GM) फसल है। बेसिलस थुरिंगिनेसिस (Bacillus thuringiensis- Bt) जीवाणु मृदा में विद्यमान एक विदेशी जीन है जो बीटी कपास को सामान्य कीट गुलाबी बालवॉर्म (Pink Bollworm) से सुरक्षा प्रदान करने हेतु एक विषाक्त प्रोटीन का स्राव करता है।
- दूसरी ओर हर्बिसाइड टोलरेंट बीटी (एचटी बीटी) (Herbicide Tolerant -Ht Bt) को मृदा में पाए जाने वाले एक अन्य जीवाणु को प्रविष्ट करके प्राप्त किया जाता है, जो पौधे को सामान्य हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट का विरोध करने में सक्षम बनाता है।
- बीटी बैंगन में प्रविष्ट जीन पौधे के फल और शाखाओं को क्षति पहुँचाने वाले छेदक कीटों (Shoot Borers) के हमलों का विरोध करने में सक्षम बनता है।
- DMH-11 सरसों में आनुवंशिक संशोधन, स्वपरागण (Self-Pollinates) के स्थान पर परपरागण (Cross-Pollination) की अनुमति प्रदान करता है।

भारत में GM फसलों की कानूनी स्थिति:

- भारत में आनुवंशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (Genetic Engineering Appraisal Committee- GEAC) शीर्ष निकाय है जो GM फसलों के वाणिज्यिक उत्पादन की अनुमति प्रदान करती है।
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत बिना अनुमोदन के GM संस्करण (GM Variant) का उपयोग करने पर 5 वर्ष की जेल तथा एक लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।

नोट :

आयातित फसलों का विनियमन:

- आयातित उपभोग सामग्रियों में GMO के स्तर को विनियमित करने का कार्य शुरू में जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (Genetic Engineering Appraisal Committee- GEAC) द्वारा किया जाता था।
- खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अधिनियमन के साथ ही इसकी भूमिका को कम कर दिया गया तथा FSSAI को आयातित सामग्रियों को मंज़ूरी प्रदान करने के लिये कहा गया।

लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (FIT)

चर्चा में क्यों?

भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI) ने अपनी मुद्रा और वित्त (RCF) संबंधी वर्ष 2020-21 की रिपोर्ट में कहा है कि मौजूदा मुद्रास्फीति लक्ष्य बैंड (4% +/- 2%) अगले 5 वर्षों के लिये उपयुक्त है।

प्रमुख बिंदु:

मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण:

- मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण का अर्थ:
  - यह केंद्रीय बैंकिंग की एक नीति है जो मुद्रास्फीति की एक निर्दिष्ट वार्षिक दर प्राप्त करने हेतु मौद्रिक नीति के संयोजन पर आधारित है।
  - मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण का सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि मूल्य स्थिरता को बनाए रखने हेतु दीर्घकालिक आर्थिक विकास सर्वाधिक उपयुक्त है और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करके मूल्य स्थिरता की स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है।
- कठोर मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (Strict Inflation Targeting) को तब अपनाया जाता है जब केंद्रीय बैंक केवल किसी दिये गए मुद्रास्फीति लक्ष्य के आस-पास मुद्रास्फीति को रखना चाहता है।
- वहीं लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (Flexible Inflation Targeting) को तब अपनाया जाता है जब केंद्रीय बैंक कुछ अन्य कारकों जैसे- ब्याज दरों की स्थिरता, विनिमय दर, उत्पादन और रोज़गार आदि को लेकर चिंतित होता है।

भारत का लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढाँचा:

- पृष्ठभूमि:
  - वर्ष 2015 में केंद्रीय बैंक अर्थात् रिज़र्व बैंक और सरकार के मध्य एक नीतिगत ढाँचे पर सहमति बनी जिसमें विकास को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु प्राथमिक उद्देश्य निर्धारित किया गया।
  - इसके पश्चात् लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को वर्ष 2016 में अपनाया गया। इससे भारत लचीली मुद्रास्फीति नीति को अपनाने वाले देशों की सूची में शामिल हो गया।
  - भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 में एक FIT ढाँचे को वैधानिक आधार प्रदान करने हेतु संशोधन किया गया।
  - संशोधित अधिनियम के तहत सरकार द्वारा RBI के परामर्श से प्रत्येक पाँच वर्ष में एक बार मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित किया जाता है।
- लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढाँचा:
  - भारत द्वारा 4 (+/- 2) प्रतिशत को लक्षित करते हुए एक लचीली मुद्रास्फीति नीति को अपनाया गया तथा उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति को एक प्रमुख संकेतक के रूप में चुना गया।
- उद्देश्य: मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को मौद्रिक नीति निर्धारण में अधिक स्थिरता, पूर्वानुमान लगाने और पारदर्शिता लाने हेतु जाना जाता है।
  - यह इस तर्क पर आधारित है कि बढ़ती कीमतें अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न करती हैं और बचत एवं निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं।
- निश्चित जवाबदेही: यह ढाँचा मुद्रास्फीति के लक्ष्यों को पूरा करने में विफल रहने पर भारतीय रिज़र्व बैंक को और अधिक जवाबदेह बनाता है।

- इसका दूसरा पहलू यह है कि इस तरह के लक्ष्य RBI को मौद्रिक नीति हेतु किसी भी प्रकार के कड़े कदम उठाने से रोकते हैं।

रिज़र्व बैंक का रुख (RCF रिपोर्ट के मुख्य बिंदु)

- मुद्रास्फीति FIT के पूर्व 9 प्रतिशत से कम होकर FIT के दौरान 3.8 से 4.3 प्रतिशत की सीमा के बीच रही, जो यह दर्शाता है कि भारत के लिये 4 प्रतिशत का मुद्रास्फीति लक्ष्य उपयुक्त है।
- अधिकतम मुद्रास्फीति जिसके ऊपर वृद्धि सुस्पष्ट रूप से रुक जाती है, भारत में उसकी रेंज 5 से 6 प्रतिशत के बीच है, यह दर्शाता है कि 6% की मुद्रास्फीति दर, मुद्रास्फीति लक्ष्य के लिये उपयुक्त ऊपरी सहनशीलता सीमा है। दूसरी ओर 2 प्रतिशत से अधिक की न्यून सीमा से सहिष्णुता बैंड के नीचे की वास्तविक मुद्रास्फीति हो सकती है, जोकि 2 प्रतिशत से नीचे की न्यूनतम सीमा वृद्धि को बाधित करेगा, यह दर्शाता है कि 2 प्रतिशत की मुद्रास्फीति दर उपयुक्त न्यूनतम सहिष्णुता सीमा है।
  - FIT अवधि के दौरान मुद्रा बाज़ार में मौद्रिक संचरण पूर्ण और यथोचित रूप से तेज़ रहा है, लेकिन बॉण्ड बाज़ारों में पूर्ण से कम रहा, जबकि बैंकों के ऋण और जमा दरों के मामले में संचरण में सुधार हुआ है, ऋण एवं जमा की सभी श्रेणियों में बाह्य बेंचमार्क आगे संचरण में सुधार कर सकते हैं।

मौद्रिक नीति:

- यह केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित व्यापक आर्थिक नीति है। इसमें मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दर का प्रबंधन शामिल है, यह मुद्रास्फीति, खपत, वृद्धि और तरलता जैसे व्यापक आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये इस्तेमाल की जाने वाली मांग पक्ष आधारित आर्थिक नीति है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति का उद्देश्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने और आर्थिक विकास की गति बढ़ाने के लिये धन की मात्रा का प्रबंधन करना है।
- RBI खुले बाज़ार की क्रियाओं, बैंक दर नीति, आरक्षित प्रणाली, ऋण नियंत्रण नीति, नैतिक प्रभाव और कई अन्य उपकरणों के माध्यम से मौद्रिक नीति को लागू करता है।

समायोजित और सख्त मौद्रिक नीति

- मुद्रास्फीति से बचने के लिये अधिकांश केंद्रीय बैंक उदार मौद्रिक नीति और सख्त मौद्रिक नीति के बीच वैकल्पिक मार्ग अपनाते हैं जो मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखते हुए विकास को प्रोत्साहित करने के लिये भिन्न-भिन्न मात्राओं में होते हैं।
  - जब केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिये मुद्रा आपूर्ति का विस्तार करता है, तब समायोजित मौद्रिक नीति को अपनाया जाता है।
    - ये उपाय ऋण को कम लागतजन्य बनाने और खर्च को अधिक प्रोत्साहित करने के लिये किये जाते हैं।
  - अनुबंधित आर्थिक विकास के लिये एक सख्त मौद्रिक नीति लागू की जाती है।
    - समायोजित मौद्रिक नीति के विपरीत एक सख्त मौद्रिक नीति में उधार लेने के लिये ब्याज दरों में वृद्धि और बचत को प्रोत्साहित करना शामिल है।

मौद्रिक नीति समिति

- RBI की 'मौद्रिक नीति समिति' 'भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934' के तहत स्थापित एक संविधिक निकाय है। यह आर्थिक विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मुद्रा स्थिरता को बनाए रखने हेतु कार्य करती है।
  - रिज़र्व बैंक का गवर्नर इस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है।
- यह मुद्रास्फीति दर, 4% के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये ब्याज दर (रेपो रेट) के निर्धारण का कार्य करती है।
  - वर्ष 2014 में तत्कालीन डिप्टी गवर्नर उर्जित पटेल की अध्यक्षता वाली रिज़र्व बैंक की समिति ने मौद्रिक नीति समिति की स्थापना की सिफारिश की थी।

आगे की राह

- एक मुक्त अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति का संचालन, विदेशी मुद्रा भंडार और संबंधित चलनिधि प्रबंधन काफी प्रमुख होते हैं; इसलिये पूंजी प्रवाह में वृद्धि की स्थिति से निपटने के लिये रिज़र्व बैंक की वंध्यीकरण क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता है।

नोट :

- मूल्य स्थिरता पर लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (FIT) का प्राथमिक ध्यान पूंजी खाते के अधिक उदारीकरण और भारतीय रुपए के संभव अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिये बेहतर है।

भारत और तकनीकी मंदी

चर्चा में क्यों?

वित्तीय वर्ष 2020-21 की तीसरी (अक्तूबर-दिसंबर) तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद दर में 0.4% की वृद्धि और विनिर्माण तथा कृषि में सुधार के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था तकनीकी मंदी (Technical Recession) से बाहर निकल गई है ।

- गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 की अप्रैल-जून और जुलाई-सितंबर की तिमाहियों में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में क्रमश: 24.4% तथा 7.3% की गिरावट ने देश की अर्थव्यवस्था को तकनीकी मंदी की स्थिति में धकेल दिया था।
- ध्यातव्य है कि जब किसी देश की जीडीपी में एक ही वित्तीय वर्ष की लगातार दो तिमाहियों में गिरावट देखने को मिलती है, तो इस स्थिति को तकनीकी मंदी कहा जाता है।

प्रमुख बिंदु:

विकास अनुमान:

- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने पूरे वित्तीय वर्ष (2020-21) के लिये 8% के संकुचन का अनुमान लगाया है जो कि आर्थिक सर्वेक्षण (7.7%) और भारतीय रिज़र्व बैंक (7.5%) के पूर्वानुमानों की तुलना में अधिक है।
- वर्तमान वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही (2020-21) के लिये वास्तविक जीडीपी में 0.4% की वृद्धि का अनुमान है। पिछले वित्तीय वर्ष की इसी तिमाही में अर्थव्यवस्था में 3.3% की दर से वृद्धि देखी गई थी।
- अप्रैल-जून तिमाही (Q1) और जुलाई-सितंबर (Q2) के लिये अर्थव्यवस्था की संकुचन दर को क्रमश: 23.9% से 24.4% और 7.5% से 7.3% तक संशोधित किया गया था।

प्रमुख क्षेत्रों में वृद्धि:

- उद्योग और सेवा क्षेत्र:
  - बिजली और विनिर्माण क्षेत्रों के बेहतर प्रदर्शन के साथ उद्योग क्षेत्र ने भी पहली दो तिमाहियों में संकुचन के खिलाफ तीसरी तिमाही में 2.6% की वृद्धि दर दर्ज की।
  - हालाँकि जीडीपी में 57% की सबसे बड़ी हिस्सेदारी के साथ सेवा क्षेत्र में अभी भी 0.9% की वार्षिक गिरावट के साथ संकुचन की स्थिति बनी हुई है।
    - वित्तीय, अचल संपत्ति और पेशेवर सेवाओं की वृद्धि दर 6.6% रही, जिसमें पिछली तिमाही में 9.5% संकुचन तथा पिछले वर्ष की इसी अवधि में 5.5% की वृद्धि देखी गई थी।
    - खनन, व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण सेवाएँ तथा सार्वजनिक प्रशासन सेवाएँ आदि क्षेत्रों में तीसरी तिमाही के दौरान संकुचन दर्ज किया गया तथा ये नकारात्मक वृद्धि वाले क्षेत्र बने रहे।
- कोर सेक्टर आउटपुट:
  - जनवरी 2021 में भारत के आठ प्रमुख क्षेत्रों ने उत्पादन में 0.1% की वृद्धि दर्ज की, इसमें विद्युत क्षेत्र में 5.1% की वृद्धि, उर्वरकों में 2.7% की वृद्धि और इस्पात उत्पादन में 2.6% की वृद्धि हुई, जबकि अन्य पाँच क्षेत्रों में गिरावट देखने को मिली।
  - कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद और सीमेंट में जनवरी में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई।
  - औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में आठ मुख्य उद्योगों की भागीदारी 40.27% है।
- कृषि:
  - अक्तूबर-दिसंबर में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 3.9% रही, जिसमें जुलाई-सितंबर में 3% की वृद्धि और पिछले वर्ष की इसी तिमाही के दौरान 3.4% की वृद्धि दर्ज हुई थी।

तर्क:

- नया निवेश:
  - निवेश की मांग (सकल स्थायी पूंजी निर्माण- GFCF) में देखी गई सकारात्मक गति तीसरी तिमाही में 2.6% बढ़ी।
    - GFCF: यह अनिवार्य रूप से निवल निवेश है। यह जीडीपी गणना की व्यय पद्धति का एक घटक है।
  - यह निवेश में वृद्धि सुनिश्चित करने हेतु आत्मनिर्भर भारत में शामिल विभिन्न पहलों के तहत सरकार के अथक प्रयासों का परिणाम है।
  - केंद्रीय बजट 2021-22 में उपलब्ध समर्थन पैकेज और 'उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन' (Production-Linked Incentive-PLI) सहित अन्य उपायों के माध्यम से आर्थिक रिकवरी हेतु एक मज़बूत वृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा।
- केंद्र के पूंजीगत व्यय में वृद्धि:
  - तीसरी तिमाही के दौरान सरकारी अंतिम उपभोग व्यय (GFCE) में पुनर्सुधार के लिये केंद्र के पूंजीगत व्यय में सालाना आधार पर अक्तूबर में 129%, नवंबर में 249% और दिसंबर में 62% की वृद्धि हुई।
    - GFCE एक देश की राष्ट्रीय आय पर कुल लेन-देन राशि है जो वस्तुओं और सेवाओं पर सरकारी व्यय का प्रतिनिधित्व करती है, इसे व्यक्तिगत आवश्यकताओं (व्यक्तिगत खपत) या समुदाय के सदस्यों की सामूहिक ज़रूरतों की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिये उपयोग किया जाता है।
- V-शेप्ड रिकवरी:
  - तीसरी तिमाही के जीडीपी आँकड़ों ने सरकार की प्रारंभिक नीति "आजीविका पर जीवन" (lives over livelihood) की सफलता को दर्शाया है। तीव्र 'V-शेप्ड रिकवरी' में निजी अंतिम उपभोग व्यय (PFCE) और 'ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन' (GFCF) दोनों को एक अंशशोधित राजकोषीय प्रोत्साहन के संयोजन के रूप में संचालित किया गया है।
    - PFCE: इसे निवासियों और गैर-लाभकारी संस्थाओं द्वारा खर्च के रूप में परिभाषित किया गया है जो कि घरों और सेवाओं के उपभोग पर आधारित होते हैं, चाहे वे आर्थिक क्षेत्र के भीतर हों या बाहर।

अन्य आर्थिक संकेतक:.

- घरेलू उपभोग: आँकड़ों से पता चलता है कि तीसरी तिमाही में घरेलू खपत बढ़कर तीसरी तिमाही की जीडीपी के 58.6% पर आ गई, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह 60.2% थी।
- सरकारी व्यय: जैसा कि GFCE में दर्शाया गया है, सरकारी खर्च दूसरी तिमाही में जीडीपी के 10% से घटकर तीसरी तिमाही में 9.8% हो गया।
- GVA अनुमान: सकल मूल्यवर्द्धित (GVA) के संदर्भ में विकास दर, जो कि सकल घरेलू उत्पाद में से शुद्ध उत्पाद कर को घटाने से प्राप्त होती है और आपूर्ति में वृद्धि को दर्शाती है, पिछले वर्ष के 7.2% और 3.9% के अनुमानों के मुकाबले वर्ष 2020-21 में 6.5% दर्ज की गई है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में संशोधन: नीति आयोग

चर्चा में क्यों?

नीति आयोग ने एक चर्चा पत्र (Discussion Paper) के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 के तहत ग्रामीण एवं शहरी कवरेज को क्रमश: 60 प्रतिशत और 40 प्रतिशत तक कम करने की सिफारिश की है।

- इसमें नवीनतम जनसंख्या आँकड़ों के अनुरूप लाभार्थियों के संशोधन का भी प्रस्ताव किया गया है, जो कि वर्तमान में वर्ष 2011 की जनगणना पर आधारित है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013

अधिसूचित: 10 सितंबर, 2013

- उद्देश्य: इसका उद्देश्य एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिये लोगों को वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्नए की पर्याप्तज मात्रा उपलब्धव कराते हुए उन्हेंश खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना है।

- कवरेज: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के तहत रियायती दर पर खाद्यान्न प्राप्त करने के लिये ग्रामीण आबादी का 75 प्रतिशत और शहरी आबादी का 50 प्रतिशत।
  - राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) समग्र तौर पर देश की कुल आबादी के 67 प्रतिशत हिस्से को कवर करता है।
- पात्रता
  - राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के तहत आने वाले प्राथमिकता वाले घर।
  - अंत्योदय अन्न योजना के तहत कवर किये गए घर।
- प्रावधान
  - प्रतिमाह प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें चावल 3 रुपए किलो, गेंहूँ 2 रुपए किलो और मोटा अनाज 1 रुपए किलो।
  - हालाँकि अंत्योदय अन्न योजना के तहत मौजूदा प्रतिमाह प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान करना जारी रहेगा।
  - गर्भवती महिलाओं और स्त नपान कराने वाली माताओं को गर्भावस्थाव के दौरान तथा बच्चे के जन्मस के 6 माह बाद भोजन के अलावा कम-से-कम 6000 रुपए का मातृत्वक लाभ प्रदान किये जाने का प्रावधानहै।
  - 14 वर्ष तक के बच्चों के लिये भोजन।
  - खाद्यान्न या भोजन की आपूर्ति नहीं होने की स्थिति में लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा भत्ता।
  - ज़िला और राज्य स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना।

प्रमुख बिंदु

- वर्तमान लाभार्थियों की संख्या:
  - अंत्योदय अन्न योजना के तहत फरवरी 2021 तक लगभग 2.37 करोड़ परिवार या 9.01 करोड़ व्यक्ति शामिल थे।
  - वहीं लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के तहत आने वाले प्राथमिकता वाले घरों में कुल 70.35 करोड़ व्यक्ति शामिल थे।
- नीति आयोग की सिफारिशों का महत्त्व
  - नीति आयोग के अनुमान के मुताबिक, यदि ग्रामीण-शहरी कवरेज अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है तो नवीनतम जनसंख्या संबंधी आँकड़ों के आधार पर मौजूदा लाभार्थियों की कुल संख्या 81.35 करोड़ से बढ़कर 89.52 करोड़ (8.17 करोड़ की वृद्धि) हो जाएगी।
    - इसके परिणामस्वरूप 14,800 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी की आवश्यकता होगी।
  - यदि कवरेज अनुपात को नीति आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार संशोधित किया जाता है तो केंद्र सरकार को 47,229 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है।
  - बचत की इस राशि का उपयोग अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे-स्वास्थ्य और शिक्षा में किया जा सकता है।
- चुनौतियाँ
  - कोरोना वायरस महामारी के दौरान कवरेज अनुपात में कमी करना समाज के गरीब वर्ग पर दोहरा बोझ (बेरोज़गारी और खाद्य असुरक्षा) डालेगा।
  - कई राज्यों द्वारा इस कदम का विरोध किया जा सकता है।
- अन्य सिफारिशें
  - शांता कुमार की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने कवरेज अनुपात को जनसंख्या के 67 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत तक करने की सिफारिश की थी।
    - समिति के मुताबिक, जनसंख्या का 67 प्रतिशत कवरेज काफी अधिक है और इसे लगभग 40 प्रतिशत तक सीमित किया जाना चाहिये, जिसके तहत आसानी से BPL परिवारों को कवर किया जा सकेगा।
  - आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में केंद्रीय पूल से जारी खाद्यान्नों के केंद्रीय निर्गम मूल्य (CIP) में संशोधन की सिफारिश की गई थी, जो बीते कई वर्षों से अपरिवर्तित है।

केंद्रीय निर्गम मूल्य (CIP)

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत रियायती दरों पर लाभार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है।
- केंद्र सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर अनाज खरीदती है और इसे केंद्रीय निर्गम मूल्य (CIP) पर राज्यों को बेचती है।
- केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर केंद्रीय निर्गम मूल्य (CIP) का निर्धारण किया जाता है, किंतु यह न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से अधिक नहीं होता है।

10,000 FPOs का गठन एवं संवर्द्धन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा केंद्रीय क्षेत्रक योजना '10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन एवं संवर्द्धन' (Formation & Promotion of 10,000 Farmer Producer Organizations- FPOs) की प्रथम वर्षगाँठ मनाई गई।

प्रमुख बिंदु:

- शुरुआत:
  - इसकी शुरुआत फरवरी 2020 में उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में 6865 करोड़ रुपए के बजटीय प्रावधान के साथ की गई थी ।
- FPOs के गठन एवं संवर्द्धन के बारे में:
  - वर्ष 2020-21 में FPOs के गठन हेतु 2200 से अधिक FPOs उत्पादन क्लस्टरों का आवंटन किया गया है।
  - कार्यान्वयन एजेंसियाँ (Implementing Agencies- IAs) प्रत्येक FPO को 5 वर्ष की अवधि हेतु संगठित करने, रजिस्टर करने और पेशेवर हैंडहोल्डिंग समर्थन (Professional Handholding
  - Support) प्रदान करने के उद्देश्य से क्लस्टर-आधारित व्यावसायिक संगठनों Cluster-Based Business Organizations- CBBOs) से जोड़ रही हैं।
    - CBBOs, FPO से संबंधित सभी मुद्दों पर जानकारी प्राप्त करने के लिये एक मंच प्रदान करेगा।
- वित्तीय सहायता:
  - 3 वर्ष की अवधि हेतु प्रति FPO के लिये 18.00 लाख रुपए का आवंटन।
  - FPO के प्रत्येक किसान सदस्य को 2 हज़ार रुपए (अधिकतम 15 लाख रुपए प्रति एफपीओ) का इक्विटी अनुदान प्रदान किया जाएगा।
  - FPO को संस्थागत ऋण सुलभता सुनिश्चित करने के लिये पात्र ऋण देने वाली संस्था से प्रति एफपीओ 2 करोड़ रुपए तक की ऋण गारंटी सुविधा का प्रावधान किया गया है।
- महत्त्व:
  - किसान की आय में वृद्धि:
    - यह किसानों के खेतों या फार्म गेट से ही उपज की बिक्री को बढ़ावा देगा जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी।
    - इससे आपूर्ति शृंखला छोटी होने के परिणामस्वरूप विपणन लागत में कमी आएगी जिससे किसानों को बेहतर आय प्राप्त होगी।
  - रोज़गार सृजन:
    - यह ग्रामीण युवाओं को रोज़गार के अधिक अवसर प्रदान करेगा तथा फार्म गेट के निकट विपणन और मूल्य संवर्द्धन हेतु बुनियादी ढाँचे में अधिक निवेश को प्रोत्साहित करेगा।
  - कृषि को व्यवहार्य बनाना:
    - यह भूमि को संगठित कर खेती को अधिक व्यवहार्य बनाएगा।

नोट :

- किसानों के लिये अन्य पहलें:
  - सतत् कृषि के लिये राष्ट्रीय मिशन
  - प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना।
  - राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)।
  - पोषक तत्त्वों पर आधारित सब्सिडी (एनबीएस) योजना।
  - राष्ट्रीय गोकुल मिशन।
  - प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना।
  - परंपरागत कृषि विकास योजना।

किसान उत्पादक संगठन:

- निर्माता संगठन (PO) एक कानूनी संस्था है जिसका गठन प्राथमिक उत्पादकों द्वारा किया जाता है, इनमें किसान, दूध उत्पादक, मछुआरे, बुनकर, ग्रामीण कारीगर, शिल्पकार शामिल होते हैं।
  - PO किसी भी उत्पाद के उत्पादकों के संगठन का एक सामान्य नाम है जैसे- कृषि, गैर-कृषि उत्पाद, कारीगर उत्पाद आदि।
- PO एक उत्पादन कंपनी, सहकारी समिति या कोई अन्य कानूनी फर्म हो सकती है जो सदस्यों के मध्य लाभ/लाभ के बँटवारे का प्रावधान करता है।
  - कुछ रूपों में निर्माता कंपनियाँ, प्राथमिक उत्पादकों के संस्थान PO के सदस्य बन सकते हैं।
- 'किसान उत्पादक संगठनों (Farmer Producer Organizations- FPOs) में विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसान उत्पादक शामिल होते हैं, ताकि कृषि की कई चुनौतियों का प्रभावी रूप सेसमाधान करने हेतु एक प्रभावी गठबंधन तैयार किया जा सके जैसे- निवेश, प्रौद्योगिकी, आदानों/निविष्टियाँ और बाज़ारों तक बेहतर पहुँच। FPO, PO का एक प्रकार है जिसके सदस्य किसान होते हैं।
- सामान्यत: संस्थानों/संसाधन एजेंसियों (RAs) को बढ़ावा देकर FPOs को गतिशीलता प्रदान की जा सकती है।
  - लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (SFAC), FPOs के प्रचार में सहायक हैं।
- FPOs को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संसाधन एजेंसियाँ (Resource Agencies) सरकारों तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) जैसी एजेंसियों से मिलने वाली सहायता का लाभ उठाती हैं।

मैरीटाइम इंडिया समिट 2021

चर्चा में क्यों?

जहाज़रानी मंत्रालय (Ministry of Ports, Shipping and Waterways) द्वारा मैरीटाइम इंडिया समिट 2021' का आयोजन किया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु:

- फोकस एरिया:
  - 7,516 किलोमीटर लंबी समुद्र तटरेखा के साथ बंदरगाह के विकास को आगे बढ़ाना।
  - भारत द्वारा वर्ष 2035 तक (सागरमाला कार्यक्रम के तहत) बंदरगाह परियोजनाओं में 82 बिलियन अमेरीकी डॉलर का निवेश किया जाएगा, समुद्री क्षेत्र में स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की हिस्सेदारी को बढ़ावा दिया जाएगा, जलमार्गों को विकसित करने तथा प्रकाश-स्तंभों के आसपास पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा।
  - भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 23 जलमार्गों का परिचालन करना है।
  - भारत का उद्देश्य बुनियादी ढाँचे के उन्नयन पर ध्यान केंद्रित कर आत्मनिर्भर भारत (Atmanirbhar Bharat) के दृष्टिकोण को मज़बूत करना है।

- भारतीय बंदरगाहों की वर्तमान स्थिति:
  - भारत के पश्चिम और पूर्वी तट पर 12 प्रमुख बंदरगाह और कई अन्य छोटे बंदरगाह स्थित हैं।
  - प्रमुख बंदरगाहों की क्षमता वर्ष 2014 में 870 मिलियन टन थी जो वर्ष 2021 में बढ़कर 1550 मिलियन टन हो गई है।
  - वर्तमान में भारतीय बंदरगाहों में डेटा के आसान प्रवाह हेतु डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी, डायरेक्ट पोर्ट एंट्री और अपग्रेडेड पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम (PCS) उपाय शामिल हैं जो बंदरगाहों पर मालवाहक जहाज़ों के प्रवेश तथा निकासी में लगने वाले समय को कम करने में सहायक हैं।
- महत्त्व:
  - यह समुद्री क्षेत्र के विकास में मदद करेगा और भारत को विश्व में अग्रणी नीली अर्थव्यवस्था (Blue Economy) के रूप में बढ़ावा देगा।
  - मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030 के लिये मार्ग प्रशस्त करेगा।

बंदरगाह विकास हेतु अन्य पहलें:

- सागर-मंथन: मैरीटाइम इंडिया समिट 2021' के अवसर पर मर्केंटाइल मरीन डोमेन अवेयरनेस सेंटर की भी शुरुआत की गई।
  - यह समुद्री सुरक्षा, खोज और बचाव क्षमताओं तथा सुरक्षा व समुद्री पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु एक सूचना प्रणाली है।
- वर्ष 2022 तक दोनों तटों पर जहाज़ों की मरम्मत करने वाले क्लस्टरों को विकसित किया जाएगा।
- 'वेल्थ फ्रॉम वेस्ट' (Wealth from Waste) के सृजन हेतु घरेलू जहाज़ रिसाइक्लिंग उद्योग (Ship Recycling Industry) को भी बढ़ावा दिया जाएगा।
  - भारत ने जहाज़ रिसाइक्लिंग अधिनियम, 2019 (Recycling of Ships Act, 2019) को लागू किया है और हॉन्गकॉन्ग अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के प्रति सहमति व्यक्त की है।
- भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक सभी भारतीय बंदरगाहों पर तीन चरणों में कुल ऊर्जा में 60 प्रतिशत से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना है।

सागरमाला कार्यक्रम:

- सागरमाला कार्यक्रम का अनुमोदन वर्ष 2015 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किया गया था, इसका उद्देश्य आधुनिकीकरण, मशीनीकरण और कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से 7,516 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा के आस-पास बंदरगाहों के इर्द-गिर्द प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विकास को बढ़ावा देना है।
- इस बंदरगाह-नेतृत्व विकास ढाँचे के तहत सरकार द्वारा कार्गो यातायात को तीन गुना तक बढ़ाए जाने की उम्मीद है।
- इसमें बंदरगाह टर्मिनलों के साथ रेल/सड़क संपर्क की सुविधा सुनिश्चित करना भी शामिल है, जैसे- बंदरगाहों को अंतिम-मील कनेक्टिविटी प्रदान करना, नए क्षेत्रों में संपर्क बढ़ाना, रेल, अंतर्देशीय जलमार्गों, तटीय एवं सड़क सेवाओं सहित मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी में वृद्धि करना।

अरोमा मिशन के तहत 'बैंगनी क्रांति'

चर्चा में क्यों?

जम्मू में डोडा ज़िले के गाँवों के लगभग 500 किसानों ने मक्का की खेती से लैवेंडर की ओर स्थानांतरण के बाद से अपनी आय में चौगुनी वृद्धि दर्ज की है, जिसे 'बैंगनी क्रांति' के नाम से जाना जा रहा है। यह अरोमा मिशन के तहत की गई पहल के कारण संभव हो पाया है।

प्रमुख बिंदु

बैंगनी क्रांति

- परिचय
  - पहली बार लैवेंडर की खेती कर रहे किसानों को इसके मुफ्त पौधे दिये गए थे और जो लोग पूर्व में लैवेंडर की खेती कर चुके थे, उनसे इसके लिये 5-6 रुपए प्रति एकड़ शुल्क लिया गया था।

- उद्देश्य
  - आयातित सुगंधित किस्मों को घरेलू किस्मों से प्रतिस्थापित करके घरेलू सुगंधित फसल आधारित कृषि अर्थव्यवस्था का निर्माण करना।
- उत्पाद
  - इसका मुख्य उत्पाद लैवेंडर तेल है, जो कम-से-कम 10,000 रुपए प्रति लीटर बिकता है।
  - लैवेंडर इत्र का उपयोग अगरबत्ती बनाने के लिये किया जाता है।
  - हाइड्रोसोल, जो फूलों से आसवन के बाद बनता है, साबुन और फ्रेशनर बनाने के लिये उपयोग किया जाता है।
- इसमें शामिल प्रमुख एजेंसियाँ
  - काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च (CSIR) और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, जम्मू (IIIM-J), ये दोनों निकाय मुख्य रूप से अरोमा मिशन के तहत 'बैंगनी क्रांति' को सफल बनाने के लिये उत्तरदायी हैं।
- महत्त्व
  - वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की सरकार की नीति के अनुरूप होने के अलावा लैवेंडर की खेती ने ज़िले की महिला किसानों को रोज़गार प्रदान करने में मदद की है और क्षेत्र में समावेशी विकास को गति दी है।

अरोमा मिशन

- उद्देश्य: अरोमा मिशन, अरोमा (सुगंध) उद्योग एवं ग्रामीण रोज़गार के विकास को बढ़ावा देने के लिये कृषि, प्रसंस्करण और उत्पाद विकास क्षेत्रों में वांछित हस्तक्षेप के माध्यम से अरोमा (सुगंध) क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन लाना है।
  - यह मिशन ऐसे आवश्यक तेलों के लिये सुगंधित फसलों की खेती को बढ़ावा देगा, जिनकी अरोमा (सुगंध) उद्योग में काफी अधिक मांग है।
  - यह मिशन भारतीय किसानों और अरोमा (सुगंध) उद्योग को 'मेन्थॉलिक मिंट' जैसे कुछ अन्य आवश्यक तेलों के उत्पादन और निर्यात में वैश्विक प्रतिनिधि बनने में मदद करेगा।
  - इसका उद्देश्य उच्च लाभ, बंजर भूमि के उपयोग और जंगली एवं पालतू जानवरों से फसलों की रक्षा करके किसानों को समृद्ध बनाना है।
- नोडल एजेंसी
  - लखनऊ स्थित CSIR- सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स (CIMAP) को इस मिशन की नोडल एजेंसी बनाया गया है। पालमपुर स्थित CSIR- इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोरिसोर्स टेक्नोलॉजी (IHBT) और जम्मू स्थित CSIR-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन (IIIM) भी इसमें शामिल हैं।
- कवरेज
  - इस मिशन के तहत सभी वैज्ञानिक हस्तक्षेप विदर्भ, बुंदेलखंड, गुजरात, मराठवाड़ा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और अन्य राज्यों के ऐसे सभी क्षेत्रों में लागू होंगे, जहाँ बार-बार मौसम की चरम घटनाएँ दर्ज की जाती हैं और जहाँ आत्महत्याओं की दर अधिकतम है।
  - सुगंधित पौधों में लैवेंडर, गुलाब, मुश्क बाला (इंडियन वेलेरियन) आदि शामिल हैं।
- परिणाम
  - अतिरिक्त 5500 हेक्टेयर क्षेत्र को सुगंधित नकदी फसलों की खेती के तहत लाना, इसके तहत विशेषतौर पर वर्षा आधारित/निम्नीकृत भूमि को लक्षित किया जाएगा।
  - पूरे देश में आसवन और मूल्य वृद्धि के लिये किसानों/उत्पादकों को तकनीकी एवं अवसंरचनात्मक सहायता प्रदान करना।
  - किसानों/उत्पादकों के लिये पारिश्रमिक कीमतें सुनिश्चित करने में प्रभावी।
  - बायबैक (पुनर्खरीद) तंत्र उपलब्ध कराना।
  - तेलों एवं अरोमा सामग्री का मूल्य-संवर्द्धन सुनिश्चित करना ताकि वैश्विक व्यापार और अर्थव्यवस्था में उनका एकीकरण सुनिश्चित किया जा सके।

केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला को क्षेत्रीय सीमा शुल्क प्रयोगशाला के रूप में मान्यता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (Central Board of Indirect Taxes & Custom) के तहत केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला (Central Revenues Control Laboratory), नई दिल्ली को एशिया-प्रशांत क्षेत्र के लिये विश्व सीमा शुल्क संगठन (World Customs Organisation) की क्षेत्रीय सीमा शुल्क प्रयोगशाला (Regional Customs Laboratory) के रूप में मान्यता दी गई।

- RCL के रूप में मान्यता से अब CRCL जापान और कोरिया जैसे क्षेत्रों में स्थापित सीमा शुल्क प्रयोगशालाओं के चुनिंदा समूहों में शामिल हो गया है।

प्रमुख बिंदु

केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला के विषय में:

- CRCL की स्थापना वर्ष 1939 में हुई थी।
- उपकरण आधारित परीक्षणों की शुरुआत से राजस्व प्रयोगशालाएँ अब कानून और प्रवर्तन पर कोई समझौता किये बिना तेज़ी से मंज़ूरी देने की सुविधा प्रदान कर रही हैं। इस प्रकार ये व्यापार को सुगम बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

क्षेत्रीय सीमा शुल्क प्रयोगशाला:

- इस प्रयोगशाला का काम टैरिफ वर्गीकरण और शुल्कों के स्तर तथा अन्य करों को निर्धारित करने के लिये केमिकल एनालिसिस (Chemical Analysis) करना है।
- इसकी भूमिका व्यापार पैटर्न और तकनीकी विकास में परिवर्तन के साथ-साथ विकसित हुई है।
- आधुनिक सीमा शुल्क प्रयोगशालाएँ अब पर्यावरण संरक्षण में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं (जैसे- ओज़ोन क्षरण करने वाले पदार्थों के व्यापार को नियंत्रित करना)। साथ ही लुप्तप्राय प्रजातियों की सुरक्षा, कीटनाशकों (जैसे- खतरनाक सामग्री), जैविक प्रदूषक, रासायनिक हथियार आदि के व्यापार को भी नियंत्रित कर रही हैं।

विश्व सीमा शुल्क संगठन:

- विश्व सीमा शुल्क संगठन की स्थापना वर्ष 1952 में सीमा शुल्क सहयोग परिषद (Customs Co-operation Council-CCC) के रूप में की गई। यह एक स्वतंत्र अंतर-सरकारी निकाय है, जिसका उद्देश्य सीमा शुल्क प्रशासन की प्रभावशीलता और दक्षता को बढ़ाना है।
- WCO दुनिया भर के 183 सीमा शुल्क प्रशासनों का प्रतिनिधित्व करता है, इनके द्वारा विश्व में सामूहिक रूप से लगभग 98% व्यापार किया जाता है।
- भारत को दो साल की अवधि के लिये (जून 2020 तक) WCO के एशिया प्रशांत क्षेत्र का उपाध्यक्ष (क्षेत्रीय प्रमुख) बनाया गया था।
- यह सीमा शुल्क मामलों को देखने में सक्षम एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसलिये इसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क समुदाय की आवाज़ कहा जा सकता है।
- इसका मुख्यालय ब्रसेल्स, बेल्जियम में है।
- WCO के तहत कुछ महत्त्वपूर्ण सम्मेलन/तंत्र:
  - सुरक्षित और वैश्विक व्यापार को सुगम बनाने के लिये मानकों का सेफ फ्रेमवर्क (SAFE Framework)।
  - हार्मोनाइज़्ड कमोडिटी विवरण (Harmonized Commodity Description) और कोडिंग सिस्टम (Coding System) पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन।
  - सीमा शुल्क प्रक्रियाओं के सरलीकरण और सामंजस्य पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (संशोधित क्योटो सम्मेलन)।

नोट :

बीमा लोकपाल नियमों में संशोधन, 2017

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने बीमा लोकपाल नियम (Insurance Ombudsman Rules), 2017 में संशोधन किया है। इस संशोधन के माध्यम से बीमा लोकपाल के दायरे में बीमा दलालों को लाया गया है और पॉलिसीधारकों को ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की भी अनुमति दी गई है।

प्रमुख बिंदु

संशोधित बीमा लोकपाल नियम के विषय में:

- शिकायतों का दायरा बढ़ाया गया: संशोधित नियमों द्वारा बीमाकर्त्ताओं, एजेंटों, दलालों आदि को भी कवर किया जाएगा।
- प्रस्तावित आईसीटी सक्षम शिकायत निवारण:
  - यह इलेक्ट्रॉनिक रूप से शिकायत करने में सक्षम बनाता है।
  - पॉलिसीधारक द्वारा अपनी शिकायत की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक करने हेतु शिकायत प्रबंधन प्रणाली का उपबंध है।
  - सुनवाई के लिये वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा।
- यह संशोधन तंत्र की समयबद्धता और लागत-प्रभावशीलता को मज़बूत करेगा।

लोकपाल को सशक्त बनाना:

- लोकपाल की चयन प्रक्रिया की स्वतंत्रता और अखंडता को सुरक्षित रखने के लिये कई संशोधन किये गए हैं, साथ ही लोकपाल के रूप में सेवा करने हेतु नियुक्त व्यक्तियों की स्वतंत्रता तथा निष्पक्षता को सुरक्षित करने के लिये सुरक्षा उपाय किये गए हैं।
- चयन समिति अब बीमा क्षेत्र में उपभोक्ता अधिकारों को बढ़ावा देने के ट्रैक रिकॉर्ड वाले एक व्यक्ति को शामिल करेगी।

बीमा लोकपाल

बीमा लोकपाल के विषय में:

- केंद्र सरकार द्वारा बीमा लोकपाल (Insurance Ombudsman) की स्थापना बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम (Insurance Regulatory and Development Authority Act), 1999 तथा लोक शिकायत निवारण नियम (Redressal of Public Grievances Rules), 1998 के अंतर्गत की गई।
- इसकी शक्तियाँ, कार्य, कार्यालय की शर्तें आदि बीमा लोकपाल नियम, 2017 द्वारा निर्धारित किये गए थे।

अहर्ता:

- लोकपाल को बीमा उद्योग, सिविल सेवा, प्रशासनिक सेवा या न्यायिक सेवा का अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से चुना जाएगा।

चयन:

- लोकपाल का चयन एक चयन समिति द्वारा किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:
  - बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) का अध्यक्ष, जिसे चयन समिति का भी अध्यक्ष चुना जाएगा।
  - जीवन बीमा परिषद (Life Insurance Council) और बीमा कंपनियों के कार्यकारी परिषद के सामान्य बीमा परिषद से एक-एक प्रतिनिधि।
  - भारत सरकार का एक प्रतिनिधि जिसको संयुक्त सचिव पद से नीचे का नहीं होना चाहिये।

कार्यालय की अवधि:

- इसका कार्यकाल तीन साल और अधिकतम 70 वर्ष की आयु तक होगा, इसकी पुनर्नियुक्ति की जा सकती है।

नोट :

कर्तव्य और कार्य:

- मध्यस्थता और परामर्श: लोकपाल उन मामलों में परामर्शदाता और मध्यस्थ के रूप में कार्य करेगा जहाँ विवादों में मध्यस्थता के लिये संबंधित पक्षों ने लिखित सहमति व्यक्त की हो।
- शिकायत निवारण: IRDA किसी भी समय बीमा से संबंधित किसी भी शिकायत या विवाद का उल्लेख बीमा लोकपाल से कर सकता है।

ईपीएफओ: वर्ष 2020-21 के लिये ब्याज दर

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organisation- EPFO) ने सिफारिश की है कि अंशधारकों को वर्ष 2020-2021 के लिये भविष्य निधि योगदान (कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत) हेतु 8.5% की दर से ब्याज दिया जाए।

कर्मचारी भविष्य निधि योजना

- EPFO कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम (Miscellaneous Provisions Act), 1952 को लागू करता है।
- EPFO अधिनियम, 1952 कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को संस्थागत भविष्य निधि प्रदान करता है।
- कर्मचारी के मूल वेतन और महँगाई भत्ते का 12% कर्मचारी और नियोक्ता दोनों ही ईपीएफ में जमा करते हैं।
  - आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2016-17 में सुझाव दिया गया था कि कर्मचारियों को अपने वेतन का 12% EPFO में जमा करने या इसे वेतन के रूप में प्राप्त करने का विकल्प को चुनने की अनुमति दी जाए।
- EPFO योजना उन कर्मचारियों के लिये अनिवार्य है जिनका मूल वेतन प्रतिमाह 15,000 रुपए तक है।

प्रमुख बिंदु

ब्याज दर:

- ब्याज दर को पिछले वर्ष के समान ही रखा गया है।
  - EPFO ने मार्च 2020 में वर्ष 2019-2020 के लिये भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर घटाकर 8.5% कर दी थी।
  - वर्ष 2018-19 में ब्याज दर 8.65% और वर्ष 2017-18 में 8.55% थी।

उच्च रिटर्न:

- EPFO ने वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक मंदी के दौरान ब्याज दरों में गिरावट के बीच चालू वर्ष में 8.5% की उच्च ब्याज दर को बनाए रखा है।

उच्च रिटर्न का कारण:

- EPFO ने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (Exchange Traded Fund) के ज़रिये इक्विटी में निवेश को समाप्त करने का फैसला लिया, जिसे वर्ष 2015-2016 में शुरू किया गया था।
  - इसने EPFO को अपने अंशधारकों को उच्च रिटर्न प्रदान करने में सक्षम बनाया है और भविष्य में भी EPFO को अच्छे अधिशेष के साथ अपने अंशधारकों को उच्च रिटर्न प्रदान करने की अनुमति दी है।
  - अनुशंसित ब्याज दर ऋण निवेश (Debt Investment) के ब्याज से प्राप्त आय और इक्विटी निवेश (Equity Investment) से प्राप्त आय का परिणाम है।

प्रमुख शब्दावलियाँ

- ऋण निवेश:
  - यह शब्द एक ऐसे निवेशक को संदर्भित करता है जो एक फर्म या परियोजना प्रायोजक को इस उम्मीद के साथ पैसा उधार देता है कि वह ब्याज के साथ मूलधन का भुगतान कर देगा।

- इक्विटी निवेश:
  - यह वह पैसा है जिसे शेयर बाज़ार (Stock Market) में किसी कंपनी के शेयर खरीदकर निवेश किया जाता है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

- यह एक सरकारी संगठन है जो भारत में संगठित क्षेत्र में लगे कर्मचारियों के लिये भविष्य निधि और पेंशन खातों का प्रबंधन करता है।
- यह कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 को लागू करता है।
  - वर्ष 1952 का यह अधिनियम कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिये भविष्य निधि संस्थान (Provident Fund Institution) के रूप में काम करता है।
- यह संगठन भारत सरकार के श्रम और रोज़गार मंत्रालय द्वारा प्रशासित है।
- यह सदस्यों और वित्तीय लेन-देन के मामले में विश्व में सबसे बड़ा संगठन है।

फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021: यूएनईपी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (United Nations Environment Programme- UNEP) ने फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट (Food Waste Index Report), 2021 जारी की।

- इस रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2019 में खाने के लिये उपलब्ध भोजन का 17% (घरों में 11%, खाद्य सेवा में 5% और खुदरा क्षेत्र में 2%) बर्बाद हो गया और लगभग 69 करोड़ लोगों को खाली पेट सोना पड़ा था।

प्रमुख बिंदु

फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट के विषय में:

- इस रिपोर्ट में वैश्विक खाद्य अपव्यय का सबसे व्यापक और विश्लेषित डेटा प्रस्तुत होता है।
- यह देशों के लिये घरेलू खाद्य सेवा और खुदरा स्तर पर खाद्य अपशिष्ट को मापने हेतु एक पद्धति भी प्रकाशित करता है।
- फूड लॉस इंडेक्स (Food Loss Index) के विपरीत फूड वेस्ट इंडेक्स कुल खाद्य अपशिष्ट (विशिष्ट वस्तुओं से जुड़े नुकसान या कचरे के बजाय) को मापता है।

परिणाम:

- खाद्य अपव्यय:
  - इस रिपोर्ट का अनुमान है कि वर्ष 2019 में लगभग 931 मिलियन टन खाद्य अपशिष्ट उत्पन्न हुआ था।
  - जिसमें से 61% घरों से, 26% खाद्य सेवा से और 13% खुदरा स्तर पर उत्पन्न हुआ।
- सभी आय वर्ग द्वारा अपव्यय:
  - खाद्य अपव्यय निम्न, मध्यम और उच्च सभी प्रकार की आय वाले देशों में पाया जाता है।
  - ऑस्ट्रिया जैसे विकसित देश 39 किलोग्राम/प्रति व्यक्ति/वर्ष खाद्य अपव्यय करते हैं। दूसरी ओर नाइज़ीरिया जैसे देश 189 किलोग्राम/प्रति व्यक्ति/वर्ष खाद्य अपव्यय किया जा रहा है। भारत 50 किलोग्राम/प्रति व्यक्ति/वर्ष खाद्य अपव्यय करता है।
  - यह पूर्व की उस धारणा के विपरीत है, जिसके तहत माना जाता था कि विकसित देशों में उपभोक्ता खाद्य की बर्बादी अधिक होती है और विकासशील देशों में खाद्य उत्पादन, भंडारण एवं परिवहन नुकसान अधिक होता है।
- डेटा उपलब्धता का अभाव:
  - वर्तमान में वैश्विक खाद्य अपव्यय डेटा की उपलब्धता कम है और इसे मापने का दृष्टिकोण भी अत्यधिक परिवर्तनशील है।

खाद्य अपव्यय में कमी का महत्त्व:

- भूख में कमी: खाद्य अपव्यय में कमी से भूमि रूपांतरण और प्रदूषण के माध्यम से प्रकृति का विनाश को रोका जा सकता है, भोजन की उपलब्धता बढ़ सकती है तथा इस वैश्विक मंदी के समय भूख को कम कर पैसा बचाया जा सकता है।
- SDGs के साथ संरेखित: फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट का उद्देश्य सतत् विकास लक्ष्यों (SDG 12.3) पर प्रगति को आगे बढ़ाना है, अर्थात् वर्ष 2030 तक खुदरा और उपभोक्ता स्तरों पर प्रति व्यक्ति वैश्विक खाद्य अपशिष्ट को आधा करना तथा उत्पादन एवं आपूर्ति शृंखलाओं के साथ खाद्य नुकसान को कम करना है।
- जीएचजी उत्सर्जन में कमी: वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 8-10% उन खाद्य पदार्थों से जुड़ा होता है जिनका सेवन नहीं किया जाता है। इस प्रकार खाद्य अपव्यय के मुद्दों से निपट कर पेरिस समझौते (Paris Agreement) के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है।

रिपोर्ट के सुझाव:

- खाद्य प्रणालियों के लिये NDC (राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान) को बढ़ाना: खाद्य हानि और कचरे को एकीकृत करके तथा खाद्य सुरक्षा को मज़बूत करके राष्ट्रीय जलवायु रणनीतियों संबंधी महत्त्वाकांक्षा को बढ़ाना।
- संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन के माध्यम से खाद्य अपव्यय के लिये गेम चेंजिंग समाधानों को अपनाना।
- क्षेत्रीय खाद्य अपशिष्ट कार्य समूह: यह कार्य समूह सदस्य राज्यों को खाद्य अपव्यय को मापने, राष्ट्रीय आधार रेखा विकसित करने और खाद्य अपव्यय की रोकथाम के लिये राष्ट्रीय रणनीतियों को डिज़ाइन करने में प्रशिक्षण प्रदान करेंगे।

संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन

- संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस वर्ष 2021 में सतत् विकास लक्ष्यों को वर्ष 2030 तक प्राप्त करने के लिये एक फूड सिस्टम समिट (Food Systems Summit) का आयोजन करेंगे।
- यह शिखर सम्मेलन सभी 17 SDG पर प्रगति के लिये साहसिक नए कार्य शुरू करेगा, जिनमें से प्रत्येक स्वस्थ और अधिक स्थायी तथा न्यायसंगत खाद्य प्रणालियों पर कुछ हद तक निर्भर करता है।

फूड लॉस इंडेक्स

- फूड लॉस इंडेक्स (The Food Loss Index) उन खाद्य हानियों पर ध्यान केंद्रित करता है जो उत्पादन से लेकर खुदरा स्तर तक होती है।
- यह सूचकांक एक आधार अवधि में देश की 10 मुख्य वस्तुओं में हुए घाटे के प्रतिशत को मापता है।
- SDG लक्ष्य 12.3 की प्रगति को मापने के लिये FLI सहायता करता है।

CSIR का फ्लोरीकल्चर मिशन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (Council of Scientific and Industrial Research-CSIR) के "फ्लोरीकल्चर मिशन" (Floriculture Mission) को भारत के 21 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू करने की मंज़ूरी दी गई है।

- इसके अतिरिक्त एंड्रायड ऐप के साथ CSIR सामाजिक पोर्टल (CSIR's Societal Portal) भी जारी किया गया।

प्रमुख बिंदु:

मिशन के बारे में:

- फ्लोरीकल्चर, बागवानी (Horticulture) विज्ञान की एक शाखा है जो छोटे या बड़े क्षेत्रों में सजावटी पौधों की खेती, प्रसंस्करण और विपणन से संबंधित है। यह आसपास के वातावरण को सुहावना बनाने तथा बगीचों व उद्यानों के रखरखाव में सहायक है।

- इस मिशन के तहत मधुमक्खी पालन हेतु वाणिज्यिक फूलों की खेती, मौसमी/वर्ष भर होने वाले फूलों की खेती, जंगली फूलों की खेती पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
  - कुछ लोकप्रिय फूलों की खेती में ग्लैडियोलस (Gladiolus), कन्ना (Canna), कार्नेशन (Carnation), गुलदाउदी (Chrysanthemum), जरबेरा (Gerber), लिलियम (Lilium), गेंदा (Marigold), गुलाब (Rose), ट्यूबरोज (Tuberose) आदि शामिल हैं।
- इस मिशन में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के संस्थानों में उपलब्ध जानकारियों का उपयोग किया जाएगा जो देश के किसानों तथा उद्योगों की निर्यात ज़रूरतों को पूरा करने में सहायक होगी ।
  - वर्ष 2018 में भारतीय फूलों की खेती का बाज़ार मूल्य 15700 करोड़ रुपए का था। जिसके वर्ष 2019-24 के दौरान 47200 करोड़ रुपए तक होने का अनुमान है।
- इस मिशन के कार्यान्वयन में CSIR के साथ निम्नलिखित अन्य एजेंसियाँ शामिल हैं:
  - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)
  - खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC)
  - एपीडा और ट्राइफेड
  - खुशबू और स्वाद विकास केंद्र, कन्नौज
  - वाणिज्य मंत्रालय और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)

अभियान का महत्त्व:

- आय में वृद्धि: फ्लोरीकल्चर में नर्सरी लगाने, फूलों की खेती तथा उत्पादों के व्यापार हेतु उद्यमिता विकास, मूल्य संवर्द्धन और निर्यात के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों को रोज़गार प्रदान करने की क्षमता है।
- कृषि जलवायु विविधता: विविध कृषि-जलवायु और इडेफिक परिस्थितियों (मिट्टी के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण) तथा पौधों की समृद्ध विविधता जैसे कारक विद्यमान होने के बावजूद भी वैश्विक पुष्प कृषि बाज़ार में भारत का केवल 0.6% ही योगदान है।
- आयात प्रतिस्थापन: विभिन्न देशों से हर वर्ष कम से कम 1200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के पुष्प उत्पाद का आयात किया जा रहा है।
- अभियान में उल्लेखित एपीकल्चर (मधुमक्खी पालन) को फ्लोरीकल्चर को सम्मिलित करने पर अधिक लाभ प्राप्त होगा।

अन्य संबंधित पहल (एकीकृत बागवानी विकास मिशन):

- एकीकृत बागवानी विकास मिशन (Mission for Integrated Development of Horticulture- MIDH) बागवानी क्षेत्र को कवर करने के उद्देश्य से एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके अंतर्गत फलों, सब्जियों, जड़ और कंद फसलों, मशरूम, मसाले, फूल, सुगंधित पौधों, नारियल, काजू, कोको और बाँस को शामिल किया जाता है।

CSIR's के सामाजिक पोर्टल के बारे में:

- इस पोर्टल को CSIR द्वारा द्वारा MyGov की मदद से विकसित किया गया है।
- यह पोर्टल के माध्यम से सामाजिक समस्याओं का समाधान वैज्ञानिक और तकनीकी हस्तक्षेपों के माध्यम से किया जाएगा।
- यह समाज में विभिन्न हितधारकों के समक्ष उपलब्ध चुनौतियों और समस्याओं पर इनपुट से संबंधित पहला प्रयास है।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद:

- भारत सरकार द्वारा इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत सितंबर 1942 में एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया गया था।
- इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में अत्याधुनिक अनुसंधान एवं विकास के लिये जाना जाता है।
- CSIR को नेचर रैंकिंग रैंकिंग -2020 में पहले स्थान पर रखा गया है।
  - नेचर इंडेक्स संस्थागत, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर उच्च-गुणवत्ता वाले शोध परिणामों एवं सहयोग के संदर्भ वास्तविक समय परिपत्र प्रदान करता है।

MSME क्रेडिट हेल्थ इंडेक्स

चर्चा में क्यों?

नवीनतम MSME क्रेडिट हेल्थ इंडेक्स इंगित करता है कि जून 2020 में समाप्त तिमाही की तुलना में सितंबर 2020 में समाप्त तिमाही में MSME क्रेडिट वृद्धि में तेज़ी देखी गई।

- आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECGLS) ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्रों के लिये ऋण वृद्धि में सहायता की है।

प्रमुख बिंदु:

MSME क्रेडिट हेल्थ इंडेक्स:

- जारीकर्त्ता: ट्रांसयूनियन सिबिल (TransUnion CIBIL) ने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के साथ साझेदारी में 'MSME क्रेडिट हेल्थ इंडेक्स' लॉन्च किया है।
    - यह सूचकांक तिमाही आधार पर प्रकाशित किया जाता है।
- लक्ष्य: भारत में MSME क्षेत्र की वृद्धि और क्षमता का मूल्यांकन करना।
    - यह सूचकांक सरकार, नीति निर्माताओं, ऋणदाताओं और MSME क्षेत्र के सहभागियों को MSME क्षेत्र की स्थिति के आकलन के लिये एक संख्यात्मक संकेतक प्रदान करता है।
    - मापन: यह सूचकांक भारत के MSME उद्योग की क्रेडिट स्थिति को दो मापदंडों पर मापता है- वृद्धि और क्षमता। वृद्धि और क्षमता दोनों सूचकांक के उच्चतर सिद्धांत का पालन करते हैं।
    - समय के साथ एक्सपोज़र वैल्यू (बकाया शेष) में बढ़ोतरी के अनुसार वृद्धि को मापा जाता है।
        - बढ़ता ग्रोथ इंडेक्स क्रेडिट ग्रोथ में सुधार का संकेत देता है।
    - गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) के संदर्भ में क्रेडिट जोखिम में कमी/वृद्धि से क्षमता को मापा जाता है।
        - इस सूचकांक के अंतर्गत क्षमता में वृद्धि बेहतर परिसंपत्ति गुणवत्ता तथा इस क्षेत्र की संरचनात्मक क्षमता में सुधार को दर्शाता है।
    - महत्त्व: यह मापन मॉडल बेहतर MSME क्रेडिट जोखिम प्रबंधन, बेहतर रणनीतियों और नीतियों के निर्माण से MSME क्षेत्र और अर्थव्यवस्था का पुनरुद्धार व पुनरुत्थान में सहयोग प्रदान करता है।

नवीनतम आँकड़े:

- समग्र वृद्धि सूचकांक जून 2020 के 111 अंक से तीन अंक बढ़कर 114 अंक हो गया।
- समग्र क्षमता सूचकांक भी इसी अवधि में 83 से बढ़कर 89 हो गया।

आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECGLS):

- यह योजना मई 2020 में कोरोनोवायरस के कारण लागू लॉकडाउन की वजह से उत्पन्न संकट को कम करने के लिये विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को ऋण प्रदान करने हेतु आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के एक भाग के रूप में शुरू की गई।
- ECLGS गारंटीकृत आपातकालीन क्रेडिट लाइन (GECL) सुविधा प्रदान करता है।
    - GECL एक ऐसा ऋण है जिसके लिये 100% गारंटी 'नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी' (NCGTC) द्वारा मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस (MLI)- बैंकों, वित्तीय संस्थानों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) को प्रदान की जाती है।
    - बैंकों के मामले में अतिरिक्त कार्यशील पूंजी अवधि ऋण सुविधा तथा NBFCs के मामले में अतिरिक्त ऋण सुविधा प्रदान करने के लिये पात्र सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs)/व्यवसायों और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत इच्छुक ऋणधारकों के लिये उपलब्ध है।

राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड:

- 'NCGTC' कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत वर्ष 2014 में निगमित एक निजी लिमिटेड कंपनी है, इसे वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में स्थापित किया गया है, जो क्रेडिट गारंटी के लिये एक सामान्य ट्रस्टी कंपनी के रूप में कार्य करती है।
  - ऋण गारंटी कार्यक्रम उधारदाताओं के उधार जोखिम को साझा करने के लिये डिज़ाइन किये गए हैं और यह संभावित ऋण प्राप्तकर्त्ताओं के लिये वित्त तक पहुँच की सुविधा प्रदान करते हैं।

कृषि-वानिकी पर उप-मिशन' योजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि-वानिकी पर उप-मिशन (SMAF) योजना के अंतर्गत रेशम क्षेत्र में कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करने के लिये एक कन्वर्जेंस मॉडल (Convergence Model) पर केंद्रीय रेशम बोर्ड (Central Silk Board) के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये हैं।

- भारत सरकार ने देश में सेरीकल्चर के विकास के लिये अपनी केंद्र प्रायोजित योजना 'सिल्क समग्र' (Silk Samagra) हेतु तीन वर्ष यानी वर्ष 2017-2020 के लिये 2161.68 करोड़ रुपए आवंटित किये थे।

प्रमुख बिंदु

कन्वर्जेंस मॉडल:

- उद्देश्य:
  - इस मॉडल का उद्देश्य किसानों को रेशम पालन आधारित कृषि वानिकी मॉडल अपनाने के लिये प्रोत्साहित करना है, जिससे प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया (Make in India) एवं मेक फॉर द वर्ल्ड (Make for the World) दृष्टिकोण में योगदान मिल सकेगा।
- कन्वर्जेंस मॉडल के विषय में:
  - यह लिंकेज उत्पादकों को बेहतर रिटर्न देने के लिये कृषि वानिकी में एक नया आयाम जोड़ेगा तथा साथ ही अनेक प्रकार के रेशम, जिसके लिये भारत प्रसिद्ध है, के उत्पादन में सहायक सिद्ध होगा।
  - भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला केंद्रीय रेशम बोर्ड (Central Silk Board) रेशम क्षेत्र में कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिये उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है।
    - केंद्रीय रेशम बोर्ड एक वैधानिक निकाय है जिसे वर्ष 1948 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था।
  - रेशम पालन क्षेत्र में सहयोग को औपचारिक रूप देने की पहल विशेष रूप से रेशम कीट पालन वाले पौधों (मलबरी, असन, अर्जुन, सोम, सलू, केसरू, बड़ा केसरू, इत्यादि) को प्रोत्साहित करने के लिये लक्षित है ताकि खेतों पर ब्लॉक पौधारोपण या परिधीय वृक्षारोपण दोनों के रूप में खेती की जा सके।
- महत्त्व:
  - खेत की मेड़ों पर रेशम आधारित वृक्ष प्रजातियों के रोपण और रेशम कीटों के पालन में किसानों के लिये कृषि गतिविधियों से आय के नियमित स्रोत के अलावा अतिरिक्त आय के अवसर पैदा करने की क्षमता है।
  - यह वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण में योगदान देगा।

कृषि-वानिकी पर उप-मिशन (SMAF) योजना:

- परिचय
  - कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग (DAC & FW) वर्ष 2016-17 से 'नेशनल एग्रोफोरेस्ट्री पॉलिसी' (वर्ष 2014) की सिफारिश के हिस्से के रूप में कृषि-वानिकी पर उप-मिशन (SMAF) योजना को लागू कर रहा है।

नोट :

- इस नीति को फरवरी, 2014 में दिल्ली में आयोजित 'वर्ल्ड एग्रोफोरेस्ट्री कॉन्ग्रेस में लॉन्च किया गया था और भारत इस प्रकार की व्यापक नीति वाला पहला देश है।
- यह योजना केवल उन राज्यों में लागू की गई है, जिन्होंने लकड़ी के परिवहन के लिये ट्रांज़िट नियमों को उदार बनाया है और इसे अन्य राज्यों में तब विस्तारित किया जाएगा, जब इस प्रकार के नियम उन राज्यों द्वारा अधिसूचित किये जाएंगे।
  - वर्तमान में यह योजना 20 राज्यों और 2 केंद्रशासित प्रदेशों में लागू की जा रही है।
- यह योजना औषधीय महत्त्व वाली स्थानिक प्रजातियों या वृक्ष प्रजातियों को बढ़ावा देती है।
  - योजना द्वारा विदेशी प्रजातियों पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता है।

- उद्देश्य
  - किसानों को आय का एक अतिरिक्त स्रोत प्रदान करने तथा खाद्य भंडारों में वृद्धि के लिये जलवायु अनुकूल कृषि फसलों के साथ बहु-उद्देशीय वृक्ष लगाने हेतु उन्हें प्रोत्साहित करना।
- वित्तपोषण:
  - यह योजना सभी राज्यों में 60:40 (केंद्र:राज्य) के वित्तपोषण पैटर्न पर आधारित है, परंतु उत्तर-पूर्व क्षेत्र के 8 राज्य, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों के लिये यह वित्तपोषण पैटर्न 90:10 पर आधारित है। केंद्रशासित प्रदेशों के मामले में शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।
- लाभार्थी:
  - योजना के तहत संबंधित हस्तक्षेपों के लिये कृषकों को हस्तक्षेप की वास्तविक लागत का 50 प्रतिशत (मूल्य मानदंडों के अनुसार अनुमानित लागत की 50 % सीमा तक) तक समर्थन दिया जाएगा।
  - किसान समूह/सहकारी समितियाँ और किसान उत्पादक संगठन (FPO) भी इस कार्यक्रम का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन किसानों को यह सहायता निर्धारित मापदंडों और प्रावधानों के अनुरूप ही दी जाएगी।
  - आवंटन का कम-से-कम 50 प्रतिशत हिस्सा लघु और सीमांत किसानों के लिये उपयोग किया जाना आवश्यक है, जिनमें से कम-से-कम 30 प्रतिशत महिला लाभार्थी/किसान होनी अनिवार्य हैं। इसके अलावा विशेष घटक योजना (SCP) और जनजाति उप-योजना (TSP) के लिये कुल आवंटन का क्रमशः 16 प्रतिशत और 8 प्रतिशत अथवा ज़िले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की कुल आबादी के अनुपात में आवंटन का एक विशेष हिस्सा उपयोग में लाया जाएगा।
  - इस कार्यक्रम के तहत लाभ पाने के लिये किसानों के पास मृदा स्वास्थ्य कार्ड होना अनिवार्य है।

किसानों से संबंधित अन्य पहलें:

- राष्ट्रीय सतत् कृषि मिशन
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
- एकीकृत बागवानी विकास मिशन
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
- पोषक तत्त्वों पर आधारित सब्सिडी (NBS) योजना
- राष्ट्रीय गोकुल मिशन
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
- परंपरागत कृषि विकास योजना

कृषि वानिकी

- कृषि वानिकी, सामाजिक वानिकी का महत्त्वपूर्ण भाग है। इसके अंतर्गत किसान खेतों में फसल उगाने के साथ-साथ पेड़, चारा उत्पादक पौधे, घास व फलीदार फसलें भी उगाते हैं।

नोट :

- कृषि वानिकी में पेड़ों को फसल की श्रेणी में ही रखा जाता है। इसके अंतर्गत पेड़ों को खेतों की मेड़, बाँधों पर, जलाक्रांत क्षेत्रों में और सड़कों के किनारे चरागाहों में उगाया जाता है।

रेशम उत्पादन

- रेशम उत्पादन के विषय में:
  - यह कृषि आधारित उद्योग है।
  - इस उद्योग में कच्चे रेशम के उत्पादन के लिये रेशम के कीड़ों का पालन किया जाता है।
  - रेशम उत्पादन के मुख्य क्रिया-कलापों में रेशम कीटों के आहार के लिये खाद्य पौधों की कृषि तथा कीटों द्वारा बुने हुए कोकूनों से रेशम तंतु निकालना, इसका प्रसंस्करण तथा बुनाई आदि की प्रक्रिया सन्निहित है।
    - कच्चा रेशम बनाने के लिये रेशम के कीटों का पालन सेरीकल्चर या रेशमकीट पालन कहलाता है।
  - घरेलू रेशम के कीड़ों (बॉम्बेक्स मोरी) को सेरीकल्चर के उद्देश्य से पाला जाता है।
- भारत में रेशम उत्पादन:
  - रेशम के कीड़ों की विभिन्न प्रजातियों से प्राप्त वाणिज्यिक महत्त्व के रेशम के कुल पाँच प्रमुख प्रकार होते हैं।
    - ये हैं- मलबरी (Mulberry), ओक टसर (Oak Tasar), ट्रॉपिकल टसर (Tropical Tasar), मूंगा (Muga) और एरी (Eri)।
  - मलबरी के अलावा रेशम की अन्य किस्में जंगली प्रकार की किस्में होती हैं, जिन्हें सामान्य रूप में 'वन्या' (Vanya) कहा जाता है।
  - भारत में रेशम की इन सभी वाणिज्यिक किस्मों का उत्पादन होता है।
  - दक्षिण भारत देश का प्रमुख रेशम उत्पादक क्षेत्र है और यह क्षेत्र कांचीपुरम, धर्मावरम, आर्नी आदि बुनाई के लिये भी काफी प्रसिद्ध है।

भुगतान प्रणालियों हेतु न्यू अम्ब्रेला एंटिटी

चर्चा में क्यों?

निजी कंपनियों ने भुगतान प्रणालियों हेतु 'न्यू अम्ब्रेला एंटिटीज़' (New Umbrella Entities- NUEs) की स्थापना में रुचि दिखाई है। उल्लेखनीय है कि न्यू अम्ब्रेला एंटिटी की अवधारणा भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI) द्वारा प्रस्तुत की गई है।

- इसका उद्देश्य भारत के मौजूदा राष्ट्रीय भुगतान निगम (National Payments Corporation of India- NPCI) हेतु एक वैकल्पिक तंत्र विकसित करना है।

प्रमुख बिंदु:

'न्यू अम्ब्रेला एंटिटी' (NUEs):

- NUEs एक गैर-लाभकारी इकाई होगी जो स्थापित नई भुगतान प्रणालियों का प्रबंधन और संचालन करेगी, विशेष रूप से खुदरा क्षेत्र में जिसमें एटीएम (ATMs), व्हाइट-लेबल पीओएस (white-label PoS), आधार-आधारित भुगतान (Aadhaar-Based Payments) और प्रेषण सेवाएँ (Remittance Services) आदि शामिल हैं।
- NUEs के तहत निर्धारित कार्य:
  - NUEs द्वारा नई भुगतान विधियों, मानकों और प्रौद्योगिकियों को विकसित किया जाएगा।
  - ये समाशोधन एवं निपटान तंत्रों (Clearing and Settlement Systems) का संचालन करेंगे, संबंधित जोखिम जैसे- निपटान, क्रेडिट, तरलता और संचालन आदि की पहचान कर उनका प्रबंधन करेंगे तथा तंत्र में ईमानदारी बनाए रखने में सहायक होंगे।
  - ये देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खुदरा भुगतान प्रणाली के विकास तथा संबंधित मुद्दों की निगरानी करेंगी ताकि उस नुकसान और धोखाधड़ी से बचा जा सके जो सिस्टम और अर्थव्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है।

NUEs की आवश्यकता:

- राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) की सीमाएँ: वर्तमान में खुदरा भुगतान प्रणाली प्रदान करने हेतु NPCI एक अम्ब्रेला एंटिटी है, जो बैंकों के स्वामित्व वाली एक गैर-लाभकारी इकाई है।
  - NPCI निपटान प्रणाली द्वारा UPI, AEPS, RuPay, Fastag, आदि का संचालन किया जाता है।
  - NPCI जो कि भारत में सभी खुदरा भुगतान प्रणालियों का प्रबंधन करने वाली एकमात्र इकाई है, में शामिल विभिन्न भुगतान माध्यमों द्वारा होने वाले नुकसानों को इंगित किया गया है।
- प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ाना: भुगतान प्रणाली हेतु अन्य संगठनों द्वारा अम्ब्रेला एंटिटी स्थापित करने की RBI की इस योजना का उद्देश्य इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धी परिदृश्य का विस्तार करना है।
  - विभिन्न संगठनों द्वारा NUE स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य डिजिटल भुगतान क्षेत्र (Digital Payments Sector) में बड़ी हिस्सेदारी प्राप्त करना है।

NUEs से संबंधित ढाँचा:

- निवासियों का स्वामित्व तथा नियंत्रण : भारत में रह रहे नागरिकों के स्वामित्व और नियंत्रण वाली कंपनियाँ ही NUE के प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप के रूप में आवेदन हेतु पात्र होंगी। इसके अलावा इन्हें भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में 3 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिये।
  - शेयर होल्डिंग के तरीकों में विविधता होनी चाहिये। NUE द्वारा भुगतान की गई पूंजी का 25% से अधिक हिस्सा रखने वाली किसी भी इकाई को प्रमोटर माना जाएगा।
- पूंजी: अम्ब्रेला एंटिटी के पास न्यूनतम 500 करोड़ रुपए की चुकता पूंजी होगी।
- किसी एकल प्रमोटर या प्रमोटर समूह को इकाई की पूंजी में 40% से अधिक निवेश करने की अनुमति नहीं होगी।
  - हर समय न्यूनतम शुद्ध मूल्य 300 करोड़ रुपए रखना होगा।
- शासन संरचना: NUE के बोर्ड में नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों को फिट एंड प्रॉपर' (Fit and Proper) मानदंडों के साथ-साथ कॉर्पोरेट प्रशासन के मानदंडों के अनुरूप होना चाहिये।
  - RBI ने निदेशकों की नियुक्ति को मंज़ूरी देने और NUE के बोर्ड में एक सदस्य को नामित करने का अधिकार बरकरार रखा है।
- विदेशी निवेश: जब तक विदेशी निवेशक मौजूदा दिशा-निर्देशों का पालन करते हैं तब तक उन्हें NUEs में निवेश करने की अनुमति है।

प्री-पैक इन्सॉल्वेंसी रिज़ॉल्यूशन प्रोसेस

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में इनसॉल्वेंसी लॉ कमेटी (ILC) की एक उपसमिति द्वारा 'दिवाला एवं शोधन अक्षमता कोड' (Insolvency and Bankruptcy Code- IBC), 2016 के मूल ढाँचे के भीतर प्री-पैक ढाँचे (Pre-Pack Framework) की सिफारिश की गई है।

- जून, 2020 में प्री-पैक इन्सॉल्वेंसी रिज़ॉल्यूशन प्रोसेस की सिफारिश करने हेतु सरकार द्वारा भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI) के अध्यक्ष एम.एस. साहू की अध्यक्षता में इन्सॉल्वेंसी लॉ कमेटी (Insolvency Law Committee- ILC) की एक उपसमिति का गठन किया गया था।

प्रमुख बिंदु:

प्री-पैक्स:

- प्री-पैक का आशय एक सार्वजनिक बोली प्रक्रिया के बजाय सुरक्षित लेनदारों और निवेशकों के बीच एक समझौते के माध्यम से तनावग्रस्त कंपनी के ऋण के समाधान से है।
  - पिछले एक दशक में ब्रिटेन और यूरोप में इन्सॉल्वेंसी रिज़ॉल्यूशन (Insolvency Resolution) हेतु यह व्यवस्था काफी लोकप्रिय हुई है।

- भारत के मामले में ऐसी प्रणाली के तहत वित्तीय लेनदारों को संभावित निवेशकों से सहमत होना अनिवार्य होगा और समाधान योजना हेतु नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) की मंज़ूरी लेनी भी आवश्यक होगी।

प्री-पैक्स की आवश्यकता:

- IBC के तहत कॉरपोरेट इनसॉल्वेंसी रिज़ॉल्यूशन प्रक्रिया (CIRP) को लेकर लेनदारों द्वारा उठाए गए प्रमुख मुद्दों में से एक संकटग्रस्त कंपनियों के समाधान की धीमी प्रगति भी है।
  - CIRP, संहिता के प्रावधानों के अनुसार, यह एक कॉरपोरेट देनदार के कॉर्पोरेट दिवालिया स्थिति के समाधान की प्रक्रिया है।
  - IBC के अंतर्गत हितधारकों को इन्सॉल्वेंसी कार्यवाही शुरू करने के 330 दिनों के भीतर CIRP को पूरा करना आवश्यक होता है।

प्री-पैक्स की मुख्य विशेषताएँ:

- आमतौर पर प्री-पैक प्रक्रिया संचालन में हितधारकों की सहायता हेतु एक इन्सॉल्वेंसी प्रैक्टिशनर (Insolvency Practitioner) की ज़रूरत होती है।
- सहमति प्रक्रिया की परिकल्पना - इसके तहत प्रक्रिया के औपचारिक भाग को लागू करने से पूर्व कॉर्पोरेट देनदार के तनाव को दूर करने हेतु कार्रवाई करने के लिये हितधारकों की अनुमति या उनकी मंज़ूरी की बात कही गई है।
- न्यायालय की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं: इसके तहत सदैव न्यायालय की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। जहाँ भी मंज़ूरी की आवश्यकता होती है, अक्सर वहाँ न्यायालय पार्टियों के व्यावसायिक ज्ञान द्वारा निर्देशित होते हैं।
  - प्री-पैक प्रक्रिया का परिणाम, जहाँ न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया है, सभी हितधारकों के लिये बाध्यकारी होता है।

प्री-पैक प्रस्ताव का महत्त्व

- त्वरित समाधान: प्री-पैक प्रक्रिया के तहत त्वरित गति से समाधान प्रस्तुत किया जाता है, यह तनावपूर्ण स्थिति में कंपनी के मूल्यों के संरक्षण के साथ-साथ उनमें में वृद्धि करती है और समाधान की संभावना को बढ़ाती है।
- व्यवसाय में व्यवधानों को कम करना: चूँकि प्री-पैक प्रक्रिया के तहत कॉर्पोरेट देनदार कंपनी के मौजूदा प्रबंधन के साथ काम करना जारी रखते हैं, इसलिये व्यवसाय में किसी भी प्रकार के व्यवधान की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि इस प्रक्रिया के तहत कंपनी का प्रबंधन अंतरिम समाधान पेशेवर को हस्तांतरित नहीं किया जाता है और कंपनी के कर्मचारी, आपूर्तिकर्त्ता, ग्राहक एवं निवेशक कंपनी के साथ बने रहते हैं।
- सामूहिक समाधान: यह देखते हुए कि संकटग्रस्त कंपनियों का सामूहिक समाधान, कंपनियों के व्यक्तिगत समाधान की तुलना में अधिक प्रभावी हो सकता है, कई न्यायालय इसके लिये एक सक्षम ढाँचा उपलब्ध कराने पर विचार कर रहे हैं।
- ऐसे में इससे संबंधित एक सक्षम तंत्र की अनुपस्थिति में प्री-पैक प्रक्रिया बहुत मददगार साबित हो सकती है।
- न्यायालयों के भार में कमी: सामान्यत: न्यायालयों की ढाँचागत क्षमता सीमित होती है और वे अपनी सीमाओं के भीतर अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकते हैं।
  - अपनी अनौपचारिक और सहमतिपूर्ण प्रकृति के कारण एक प्री-पैक प्रक्रिया में न्यायालय के भार को कम करने की क्षमता होती है। इसे प्रक्रिया के अनौपचारिक भाग के दौरान न्यायालय की भागीदारी की आवश्यकता नहीं होती है, वहीं औपचारिक प्रक्रिया के दौरान न्यायालयों की न्यूनतम भूमिका की आवश्यकता होती है।
  - न्यायालयों के बाहर समाधान प्रक्रिया के लिये कार्यात्मक इकाइयों का होना आवश्यक है, ताकि एनसीएलटी अंतिम न्यायालय के रूप में कार्य कर सके तथा दिवालियापन से संबंधित ऐसे मामलों का समाधान कर सके जिनका कोई समझौता संभव नहीं है।

प्री-पैक प्रक्रिया की कमियाँ:

- पारदर्शिता का अभाव:
  - इस प्रक्रिया की एक प्रमुख कमज़ोरी इसका CIRP की तुलना में कम पारदर्शी होना है, क्योंकि इसके तहत वित्तीय लेनदार पारदर्शी बोली प्रकिया का प्रयोग किये बिना संभावित निवेशक के साथ निजी स्तर पर समझौता कर लेते हैं।
  - इससे परिचालन देनदारों जैसे हितधारक अनुचित उपचार का मुद्दा उठा सकते हैं।

- अपर्याप्त विपणन: अनुसंधान से पता चलता है कि जहाँ भी प्री-पैक प्रक्रिया में पर्याप्त विपणन नहीं होता है, वहाँ लेनदारों को कम राशि प्राप्त होती है।
- नई कंपनी की भावी व्यवहार्यता पर कोई विचार नहीं किया जाता है: इन्सॉल्वेंसी प्रैक्टिशनर के लिये प्री-पैक प्रक्रिया के तहत बिक्री से उभरने वाले नए व्यवसाय के भविष्य की व्यवहार्यता को देखने की कोई कानूनी आवश्यकता नहीं होती है।
  - इन्सॉल्वेंसी प्रैक्टिशनर का एकमात्र कानूनी दायित्व पुराने व्यवसाय की लेनदारी से संबंधित होता है।

आगे की राह:

- IBC की वर्तमान कार्यप्रणाली के तहत इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल/दिवाला पेशेवर समय के साथ आवश्यक विशेषज्ञता विकसित कर रहे हैं। जिस प्रकार ब्रिटेन की शासन व्यवस्था के तहत कानून समय-समय पर प्रख्यापित होने के बजाय समय के साथ विकसित हुआ है, भारत में प्री-पैक इनसॉल्वेंसी के आवेदन हेतु उच्च स्तर पर इनसॉल्वेंसी विशेषज्ञों के अनुभव की आवश्यकता होगी क्योंकि इस तरह के रिज़ॉल्यूशन प्रक्रियाओं/अभ्यासों पर उनका अत्यधिक नियंत्रण होता है।
- हालाँकि न्यायालय से बाहर विवादों के समाधान में वृद्धि के साथ प्री-पैक इन्सॉल्वेंसी CIRP कार्यवाही का अगला विकल्प हो सकता है।

दूरसंचार क्षेत्र के लिये पीएलआई योजना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दूरसंचार क्षेत्र के लिये उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (Production Linked Incentive Scheme-PLI) को मंज़ूरी दी गई है। साथ ही इस योजना पर पाँच वर्षों के लिये 12,195 करोड़ रुपए के परिव्यय की घोषणा की गई है।

प्रमुख बिंदु:

उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना:

- घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और आयात बिल में कटौती करने के लिये केंद्र सरकार द्वारा मार्च 2020 में इस योजना को प्रस्तुत किया गया था, इसका उद्देश्य घरेलू इकाइयों में निर्मित उत्पादों के परिणामस्वरूप बढ़ती बिक्री पर कंपनियों को प्रोत्साहन देना है।
- विदेशी कंपनियों को भारत में अपनी इकाई स्थापित करने हेतु आमंत्रित करने के अलावा इस योजना का उद्देश्य स्थानीय कंपनियों को नई विनिर्माण इकाइयों को स्थापित करने या मौजूदा विनिर्माण इकाइयों का विस्तार करने के लिये प्रोत्साहित करना है।
- इस योजना को इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों, आईटी हार्डवेयर, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल आदि सहित कई अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों के लिये भी मंज़ूरी दी गई है।

दूरसंचार क्षेत्र के लिये पीएलआई योजना:

- परिचय:
  - यह योजना दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों जैसे- स्विच, राउटर, 4जी/5जी रेडियो एक्सेस नेटवर्क, वायरलेस उपकरण और अन्य इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) एक्सेस डिवाइस के घरेलू विनिर्माण के लिये लक्षित है।
  - इस योजना का संचालन 1 अप्रैल, 2021 से शुरू होगा।
- योजना के लिये पात्रता:
  - इस योजना के लिये कंपनियों की पात्रता विनिर्मित वस्तुओं के संचयी वृद्धिशील निवेश और वृद्धिशील बिक्री की न्यूनतम सीमा को प्राप्त करने के अधीन है।
  - कुल संचयी निवेश एकमुश्त किया जा सकता है, बशर्ते वह चार वर्ष की अवधि के लिये निर्धारित संचय सीमा को पूरा करता हो।
  - शुद्ध करों के सापेक्ष विनिर्मित वस्तुओं की संचयी वृद्धिशील बिक्री की गणना के लिये वित्तीय वर्ष 2019-20 को आधार वर्ष के रूप में माना जाएगा।

- प्रोत्साहन:
  - इस योजना के लिये अर्हता प्राप्त निवेशक को न्यूनतम निवेश सीमा से 20 गुना तक प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिससे वे अपनी अप्रयुक्त क्षमता का उपयोग कर सकेंगे।
- MSMEs को उच्च प्रोत्साहन:
  - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिये न्यूनतम निवेश सीमा 10 करोड़ रुपए है, जबकि अन्य के लिये यह 100 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है।
  - MSMEs के लिये पहले तीन वर्षों में 1% अधिक प्रोत्साहन भी प्रस्तावित किया गया है।

महत्त्व :

- इस योजना के परिणामस्वरूप अगले पाँच वर्षों में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निर्यात के साथ लगभग 2.4 लाख करोड़ रुपए के वृद्धिशील उत्पादन और 3,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश प्राप्त होने का अनुमान है।
- इस योजना से 40,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोज़गार के अवसर सृजित होने के साथ ही दूरसंचार उपकरण विनिर्माण से 17,000 करोड़ रुपए का कर राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है।
- इस योजना के माध्यम से भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा। गौरतलब है कि वर्तमान में भारत अपनी आवश्यकता के लगभग 80% से अधिक दूरसंचार और वायरलेस नेटवर्किंग उपकरणों का आयात करता है।

रेलवे किराये का समायोजन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में रेलवे की संसदीय स्थायी समिति ने माल और यात्री किराये दोनों के तार्किक समायोजन का सुझाव दिया है।

प्रमुख बिंदु:

समिति का अवलोकन:

- सामाजिक सेवा दायित्व:
  - समिति ने रेलवे को कथित रूप से सामाजिक सेवा दायित्वों के कारण यात्री सेवाओं में होने वाले नुकसान पर चिंता व्यक्त की है, गौरतलब है कि सामाजिक सेवा दायित्वों में लागत से कम कीमत के टिकटों के किराये का निर्धारण शामिल है।
  - रेलवे को यात्री परिवहन में एक वर्ष में लगभग 35,000-38,000 करोड़ रुपए की हानि होती है।
- Covid-19 का प्रभाव:
  - Covid-19 महामारी के दौरान रेलवे परिचालन के निलंबन के कारण यात्री सेवाओं से प्राप्त राजस्व में और अधिक गिरावट देखी गई है।
- परिचालन अनुपात:
  - समिति ने रेलवे परिचालन अनुपात (Operating Ratio) में नियमित रूप से गिरावट को रेखांकित किया है।
  - OR यह दर्शाता है कि रेलवे को एक रुपया कमाने के लिये कितना धन खर्च करना पड़ता है। यह रेलवे के वित्तीय स्वास्थ्य का आकलन करने में सहायता करता है।
  - उदाहरण के रूप में वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये 98.36% का परिचालन अनुपात, यह दर्शाता है कि रेलवे को 100 रुपए कमाने के लिये 98.36 रुपए खर्च करने पड़े।
    - वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये रेलवे परिचालन अनुपात 131.4% होने का अनुमान है।
    - साथ ही वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु रेलवे द्वारा 96.15% परिचालन अनुपात का लक्ष्य रखा गया है।

रेलवे के परिचालन में चुनौतियाँ

- भारतीय रेलवे की कुछ प्रमुख चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं: नौकरशाही, सार्वजनिक सेवा दायित्व की गलत धारणा के साथ जटिल संरचना, विकृत निवेश प्राथमिकताएँ, प्रमुख मार्गों पर क्षमता की कमी, तनावपूर्ण टर्मिनल, तर्कहीन यात्री और माल ढुलाई किराया।
- भारतीय रेलवे का माल ढुलाई भाड़ा विश्व में सबसे अधिक है। किराये में हुई इस वृद्धि ने उपभोक्ताओं को माल ढुलाई के लिये रेल के बदले रोडवेज़ जैसे अन्य विकल्पों को अपनाने के लिये प्रेरित किया है, जो कि उनके लिये अधिक सुविधाजनक है।
- रेलवे की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि माल ढुलाई से अर्जित लाभ का उपयोग यात्री और अन्य कोच सेवाओं के नुकसान की भरपाई के लिये किया जाता है, जिससे माल तथा यात्री व्यवसाय दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

समिति का सुझाव:

- सामाजिक सेवा दायित्वों पर पुनर्विचार और COVID-19 के दौरान निलंबित सेवाओं को पुन: शुरू करना।
- यात्री किराये का समायोजन:
    - माल ढुलाई पर अधिक किराये के बोझ को कम करने के लिये यात्री किराये का "विवेकपूर्ण समायोजन" करना।
- किराये को मांग और बाज़ार से जोड़ना:
    - समिति ने यात्री किराये और माल भाड़े की दर दोनों को मांग-सह-बाज़ार चालित होने तथा भिन्न खंडों/क्षेत्रों के लिये इनके अलग-अलग निर्धारण का सुझाव दिया है।
- ग्राहकों को बनाए रखना:
    - चूँकि एक प्रतिस्पर्द्धी बाज़ार में परिवहन की मांग प्रत्यास्थ (Elastic) होती है, रेलवे को इस तथ्य के प्रति सजग रहना चाहिये कि किराये में किसी भी वृद्धि को अन्य परिवहन माध्यमों से प्रतिस्पर्द्धा के आधार पर एक निश्चित सीमा तक सीमित किया जाना चाहिये।
    - ग्राहक आधार को बनाए रखने और राजस्व बढ़ाने के लिये माल ढुलाई तथा यात्री परिवहन व्यवसाय दोनों में रेलवे की परिचालन दक्षता का अधिक-से-अधिक लाभ उठाना होगा।
- नियोजन और प्रबंधन को मज़बूत बनाना:
    - रेलवे को विभिन्न तरीकों/स्रोतों से पर्याप्त गैर-किराया राजस्व अर्जित करने के लिये अपने नियोजन, प्रबंधन और मौद्रिक तंत्र को मज़बूत करना चाहिये।
        - उदाहरण: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, भूमि पट्टे, पार्किंग, स्क्रैप की बिक्री, विज्ञापनों और प्रचार आदि से प्राप्त लाभांश।

हालिया प्रयास:

- राष्ट्रीय रेल योजना का मसौदा:
    - देश की कुल माल ढुलाई प्रणाली में रेलवे की हिस्सेदारी को बढ़ाने और रेलवे में क्षमता की कमी को दूर करने के प्रयास के लिये भारतीय रेलवे द्वारा दिसंबर 2020 में राष्ट्रीय रेल योजना का मसौदा जारी किया गया है।
- समर्पित माल ढुलाई गलियारा:
    - यह एक उच्च गति और उच्च क्षमता वाला रेलवे कॉरिडोर है जो विशेष रूप से माल ढुलाई, या दूसरे शब्दों में माल और वस्तुओं के परिवहन के लिये समर्पित है।
- निजी यात्री गाड़ियों के संचालन के लिये नीति:
    - जुलाई 2020 में भारतीय रेलवे ने 151 नई ट्रेनों के माध्यम से निजी कंपनियों को अपने नेटवर्क पर यात्री गाड़ियों के संचालन की अनुमति देने की प्रक्रिया शुरू की।
- आदर्श स्टेशन योजना:
    - इस योजना का उद्देश्य भारत के उपनगरीय स्टेशनों को आदर्श स्टेशनों में अपग्रेड करना है।
- रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन और विभिन्न रेलवे अधिकारी संवर्गों का विलय:
    - वर्ष 2019-20 में सरकार ने भारतीय रेलवे के पुनर्गठन को मंज़ूरी दी, जिसमें बोर्ड की क्षमता (सदस्यों की संख्या) में कमी के साथ-साथ विभिन्न संवर्गों का भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा नामक केंद्रीय सेवा में विलय शामिल था।

आगे की राह:

- दैनिक आधार पर या बार-बार रेलवे सेवा का उपयोग करने वाले यात्रियों/उपभोक्ताओं के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सब्सिडी प्रदान की जा सकती है, जैसा कि कई अन्य सरकारी योजनाओं के मामले में किया जाता है। इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि यात्री टिकट की पूरी कीमत चुकाएँ और सरकार के लिये सब्सिडी का बोझ केवल उन वर्गों तक सीमित किया जा सके जिन्हें इसकी सबसे अधिक ज़रूरत है।
- देश के बढ़ते परिवहन बाज़ार में परिवर्तन के साथ एक एकीकृत मल्टी-मोडल 'संपूर्ण यात्रा' सेवा एक प्रमुख मांग होगी। रेलवे की यात्री परिवहन व्यापार रणनीति के लिये अंतर-शहरी यात्री परिवहन श्रेणी को विशेष रूप से लक्षित किये जाने की आवश्यकता है क्योंकि वर्तमान में इसके कोर व्यवसाय के तहत दैनिक रूप से लगभग 4,000 ट्रेनों का संचालन किया जाता है। इस तरह की सेवाओं की आपूर्ति में व्यापक कमी को संबोधित करते हुए उन्हें आधुनिक प्री-बोर्ड और ऑन-बोर्ड सुविधा के साथ पर्याप्त रूप से अपग्रेड और त्वरित बनाया जाना चाहिये।

राजा भूमिबोल विश्व मृदा दिवस - 2020 पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (Indian Council of Agricultural Research- ICAR) को खाद्य और कृषि संगठन (Food and Agriculture Organization- FAO) द्वारा प्रतिष्ठित "राजा भूमिबोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार" (King Bhumibol World Soil Day Award) - 2020 प्रदान किया गया।

- FAO ने ICAR को यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मान वर्ष 2020 में विश्व मृदा दिवस (World Soil Day) के अवसर पर "मृदा क्षरण रोको, हमारा भविष्य बचाओ" विषय पर "मृदा स्वास्थ्य जागरूकता" में योगदान के लिये देने की घोषणा की थी।

प्रमुख बिंदु

राजा भूमिबोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार के विषय में:

- इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2018 में की गई थी। यह उन व्यक्तियों या संस्थानों को दिया जाता है जो सफलतापूर्वक और प्रभावशाली तरीके से विश्व मृदा दिवस समारोह का आयोजन कर मृदा संरक्षण के विषय में जागरूकता बढ़ाते हैं।
- यह पुरस्कार थाईलैंड के साम्राज्य द्वारा प्रायोजित है, जिसे थाईलैंड के राजा भूमिबोल अदुल्यादेज (King Bhumibol Adulyadej) द्वारा मृदा प्रबंधन, खाद्य सुरक्षा और गरीबी उन्मूलन के महत्त्व के प्रति जागरूकता फैलाने के लिये की गई आजीवन प्रतिबद्धता के चलते उनके नाम पर रखा गया है।
- इस पुरस्कार के पूर्व विजेताओं में प्रैक्टिकल एक्शन इन बांग्लादेश- 2018 और कोस्टा रिकान सॉयल साइंस सोसायटी (AACS)- 2019 शामिल हैं।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद:

- यह भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के अंतर्गत कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग हेतु एक स्वायत्तशासी संस्था है।
- इसकी स्थापना 16 जुलाई, 1929 को की गई थी, जिसे पहले इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च (Imperial Council of Agricultural Research) के नाम से जाना जाता था।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
- यह परिषद बागवानी, मात्स्यिकी और पशु विज्ञान सहित कृषि के क्षेत्र में समन्वयन, मार्गदर्शन और अनुसंधान प्रबंधन एवं शिक्षा के लिये भारत का एक सर्वोच्च निकाय है।

मृदा क्षरण:

- मृदा क्षरण का अर्थ मिट्टी के भौतिक, रासायनिक और जैविक दशा में गिरावट से है और यह स्थिति सामान्यत: कृषि, औद्योगिक या शहरी उद्देश्यों के लिये मृदा के अनुचित उपयोग या खराब प्रबंधन के कारण उत्पन्न होती है।

- इससे मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की हानि, मिट्टी की उर्वरता और संरचनात्मक स्थिति में गिरावट, क्षरण, लवणता में प्रतिकूल परिवर्तन आदि हो सकता है।

- मिट्टी का क्षरण भोजन, चारा आदि के लिये बढ़ती आबादी की मांग को पूरा करने हेतु भूमि पर अत्यधिक दबाव के कारण होता है।
- ये प्रक्रियाएँ सामाजिक असुरक्षा के चलते कृषि उत्पादकता को कम करती हैं।
- जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन और ग्लोबल वार्मिंग मृदा क्षरण का प्रमुख कारण हो सकता है।
- विभिन्न मानवीय गतिविधियाँ जैसे- बड़े पैमाने पर नहरों से सिंचाई और दोषपूर्ण भूमि के उपयोग के कारण लवण, बाढ़, सूखा, कटाव तथा जलभराव के माध्यम से तीव्र मृदा क्षरण की स्थिति उत्पन्न होती है।
- मृदा क्षरण के अन्य कारण हैं:
  - वनों की कटाई
  - अत्यधिक चराई
  - कृषि संबंधी गतिविधियाँ
  - वनस्पतियों का घरेलू प्रयोजन के लिये अत्यधिक दोहन

ग्लिंका विश्व मृदा पुरस्कार

- यह पुरस्कार भी FAO द्वारा प्रदान किया जाता है। यह एक वार्षिक पुरस्कार है, जिसे दुनिया के सबसे अधिक दबाव वाले पर्यावरणीय मुद्दों को हल करने के लिये समर्पित व्यक्तियों को दिया जाता है।
- यह उन व्यक्तियों और संगठनों को दिया जाता है, जो अपने नेतृत्व और गतिविधियों द्वारा मृदा प्रबंधन को बढ़ावा तथा मृदा संसाधनों के संरक्षण में योगदान दे रहे हैं।

नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी थ्रू अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम

चर्चा में क्यों?

नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी थ्रू अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम (NETAP) ने वर्ष 2021 (जनवरी-जून 2021) के लिये 'अप्रेंटिसशिप आउटलुक रिपोर्ट' का नवीनतम संस्करण जारी किया है।

- अप्रेंटिसशिप का आशय एक ऐसे कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम से है, जिसमें एक व्यक्ति किसी कंपनी में एक प्रशिक्षु के रूप में कार्य करता है और अल्प अवधि के लिये क्लासरूम (थ्योरी) प्रशिक्षण लेता है, जिसके बाद वह ऑन-द-जॉब (व्यावहारिक) प्रशिक्षण प्राप्त करता है।

प्रमुख बिंदु

नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी थ्रू अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम (NETAP)

- इसकी स्थापना वर्ष 2014 में शत-प्रतिशत नियोक्ता द्वारा वित्तपोषित सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के रूप में की गई थी।
- कार्यक्रम का शुभारंभ कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय तथा टीमलीज़ कौशल विश्वविद्यालय (गुजरात) द्वारा किया गया था।
- इस कार्यक्रम की शुरुआत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) के राष्ट्रीय रोज़गार संवर्द्धन मिशन के अनुरूप हुई है।
- NETAP की संरचना अप्रेंटिसशिप अधिनियम, 1961 की चुनौतियों से पार पाने के लिये की गई थी।
  - NETAP ने आगामी 10 वर्षों के लिये प्रतिवर्ष 2 लाख अप्रेंटिस नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया है। यह कार्यक्रम अपने अंतिम चरण में दुनिया का सबसे बड़ा अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम होगा।
- यह बेरोज़गार युवाओं को काम के दौरान ही व्यावहारिक कौशल प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेगा और साथ ही उनकी आजीविका का भी एक महत्त्वपूर्ण स्रोत होगा।

राष्ट्रीय रोज़गार संवर्द्धन मिशन

- यह AICTE और भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई एक महत्त्वपूर्ण पहल है।
- 2013 में पेश किये गए NEEM का उद्देश्य ऐसे किसी भी व्यक्ति की रोज़गार क्षमता बढ़ाने हेतु व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना है:
  - जो या तो किसी भी तकनीकी या गैर-तकनीकी स्ट्रीम में स्नातक/डिप्लोमा कर रहा है, या
  - जिसने डिग्री या डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की पढ़ाई छोड़ दी है।
- इस मिशन के तहत ऐसा कोई भी पंजीकृत व्यक्ति प्रशिक्षु हो सकता है, जिसकी न्यूनतम शिक्षा दसवीं कक्षा तक है और जिसकी आयु 16 से 40 वर्ष के बीच है।
- मिशन के तहत कुल 23 उद्योगों को सूचीबद्ध किया गया है, जहाँ एक प्रशिक्षु को नामांकन किया जा सकता है। इसमें ऑटोमोबाइल उद्योग, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य सेवा तथा वित्तीय क्षेत्र आदि शामिल हैं।
- इसके तहत प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से पंजीकृत कंपनियों या पंजीकृत उद्योगों में प्रति वर्ष कम-से-कम 10,000 छात्रों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

अप्रेंटिसशिप आउटलुक रिपोर्ट- प्रमुख निष्कर्ष

- भारत का अप्रेंटिसशिप इकोसिस्टम: भारत में तकरीबन 41 प्रतिशत नियोक्ता प्रशिक्षुओं को काम पर रखने के इच्छुक हैं, जबकि 58 प्रतिशत उद्यम इस वर्ष अपने प्रशिक्षुओं की मात्रा को बढ़ाना चाहते हैं।
- अग्रणी शहर: रिपोर्ट के मुताबिक, चेन्नई अप्रेंटिसशिप के लिये सबसे अनुकूल शहर के रूप में उभरा है।
  - ऐसे शहरों जहाँ मेट्रो सेवा नहीं है, की श्रेणी में अहमदाबाद और नागपुर को अप्रेंटिसशिप के लिये सबसे अनुकूल शहर माना गया है।
- अग्रणी क्षेत्र: रिपोर्ट में विनिर्माण, ऑटोमोबाइल और खुदरा क्षेत्र को अप्रेंटिसशिप के लिये अग्रणी क्षेत्र बताया गया है।
- महिलाओं का अप्रेंटिसशिप के प्रति सकारात्मक रुझान: समग्र रूप से पिछले वर्ष की तुलना में महिला प्रशिक्षुओं को वरीयता देने की दर में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
  - यह रुझान बंगलूरू, मुंबई और कोलकाता में काफी प्रबल दिखाई दिया।

महत्त्व

- अनुमान के मुताबिक, वर्ष 2041 तक भारत की कार्यशील जनसंख्या में काफी अधिक वृद्धि होगी। इससे अर्थव्यवस्था में रोज़गार सृजन की आवश्यक दर पर काफी अधिक प्रभाव पड़ेगा।
- आँकड़े बताते हैं कि सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों के कारण देश में 5वीं और 8वीं कक्षा के बाद लगभग 3 प्रतिशत बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। ऐसे में अप्रेंटिसशिप, विद्यालयी शिक्षा की कमी को पूरा करने और कार्यबल में कौशल-अंतर को कम करने हेतु एक महत्त्वपूर्ण तंत्र साबित हो सकता है।

अप्रेंटिसशिप से संबंधित अन्य पहलें

- अप्रेंटिसशिप अधिनियम, 1961
- 'स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिसशिप एंड स्किल्स' अथवा 'श्रेयस'
- राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्द्धन योजना (NAPS)
- औद्योगिक मूल्य संवर्द्धन हेतु कौशल सुदृढ़ीकरण (स्ट्राइव)
- 'युवाह: जनरेशन अनलिमिटेड' पहल
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

नोट :

दूरसंचार कंपनियों के लिये लाइसेंस शर्तों में संशोधन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में दूरसंचार विभाग (Department of Telecommunication) ने दूरसंचार कंपनियों (Telecom Company) के लिये लाइसेंस शर्तों में संशोधन किया है। ये नए मानदंड 15 जून, 2021 से लागू किये जाएंगे।

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च 2021 में आयात को कम करने और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने के लिये दूरसंचार क्षेत्र हेतु उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (Production-Linked Incentive) योजना को मंज़ूरी दी।

प्रमुख बिंदु

नए लाइसेंस की शर्तें:

- उद्देश्य:
  - दूरसंचार उत्पादों और उपकरणों की खरीद के समय रक्षा तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के मानदंडों को शामिल करना।
- प्रावधान:
  - यदि टेलीकॉम कंपनियाँ उपकरणों की खरीद करके अपने मौजूदा नेटवर्क को अपग्रेड करना चाहती हैं तो उन्हें विश्वसनीय स्रोतों से ही टेलीकॉम उत्पादों की खरीद करनी होगी, जिसके लिये उन्हें निर्दिष्ट प्राधिकारी (National Cyber Security Coordinator) से अनुमति लेनी होगी।
  - नए मानदंड पहले से उपयोग किये जा रहे उपकरणों के वार्षिक रखरखाव अनुबंध या उन्नयन को प्रभावित नहीं करेंगे।

विश्वसनीय दूरसंचार उत्पाद:

- विश्वसनीय दूरसंचार उत्पाद के विषय में:
  - यह एक ऐसा उत्पाद, कंपनी या तकनीक है जिसे किसी राष्ट्र की सरकार द्वारा अपने महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे के विकास के लिये सुरक्षित माना जाता है।
- वर्गीकरण:
  - भारत के सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने दिसंबर 2020 में दूरसंचार उत्पादों तथा उनके स्रोतों को 'विश्वसनीय' और 'गैर-विश्वसनीय' श्रेणियों के तहत वर्गीकृत करने के इरादे से दूरसंचार क्षेत्र में नए राष्ट्रीय सुरक्षा निर्देश (National Security Directive) को मंज़ूरी दी थी।
  - राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक (National Cyber Security Coordinator) को विश्वसनीय और गैर-विश्वसनीय दूरसंचार उपकरण स्रोतों तथा उत्पादों की सूची पर निर्णय लेने के लिये अधिकृत प्राधिकारी बनाया गया है।
    - इसके निर्णय उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (Deputy National Security Advisor) की अध्यक्षता वाली समिति की मंज़ूरी के आधार पर लिये जाएंगे।
    - विशेषज्ञ समिति में डिप्टी NSA के अलावा अन्य विभागों और मंत्रालयों के सदस्य होंगे और स्वतंत्र विशेषज्ञों के साथ-साथ उद्योग के दो सदस्य भी होंगे।

प्रभाव:

- हुआवेई और ZTE दोनों कथित रूप से जालसाज़ी तथा चीनी सरकार के लिये जासूसी करने हेतु वैश्विक जाँच के अधीन हैं एवं इन्हें कई देशों द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है।
  - नई नीति भविष्य में संभावित रूप से हुआवेई (Huawei) और ZTE जैसे चीनी दूरसंचार उपकरण विक्रेताओं के लिये भारत के खरीदारों को उपकरण मुहैया कराना कठिन बना सकती है।

महत्त्व:

- दूरसंचार उपकरण दूरसंचार, कनेक्टिविटी और डेटा ट्रांसफर में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसका सीधा प्रभाव भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ता है। अतः इस बदलाव से भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को मज़बूत करने में मदद मिलेगी।
- स्थानीय उपकरणों की मांग बढ़ेगी, जिससे मेक-इन-इंडिया (Make-in-India) और आत्मनिर्भर भारत (Atmanirbhar Bharat) को बढ़ावा मिलेगा।

नोट :

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

नियंत्रण रेखा पर युद्ध विराम

चर्चा में क्यों?

भारत और पाकिस्तान नियंत्रण रेखा (Line of Control- LoC) और अन्य सभी क्षेत्रों के संबंध में वर्ष 2003 के संघर्ष विराम समझौते का पालन करने के लिये सहमत हुए हैं।

- यह समझौता जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा (LoC) तथा अन्य क्षेत्रों में क्रॉस फायर वायलेशन की 5000 से अधिक घटनाओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है, वर्ष 2020 में ऐसे 46 प्राणघातक हमले हुए।
- यह निर्णय दो 'डायरेक्टर जनरल्स ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस' (DGsMO) के बीच वार्ता के बाद लिया गया।

प्रमुख बिंदु:

2003 का सीज़फायर समझौता:

- कारगिल युद्ध (1999) के चार वर्ष बाद नवंबर 2003 में मूल युद्ध विराम समझौता हुआ था।
- वर्ष 2003 का युद्धविराम समझौता एक मील का पत्थर था क्योंकि इसने वर्ष 2006 तक नियंत्रण रेखा पर शांति कायम की। वर्ष 2003 और 2006 के बीच भारत और पाकिस्तान के जवानों द्वारा एक भी गोली नहीं चलाई गई थी।
- लेकिन वर्ष 2006 के बाद से संघर्ष विराम के उल्लंघन की घटनाओं की आवृत्ति बढ़ी है।

बैक चैनल डिप्लोमेसी के माध्यम से वार्ता:

- कई संकेतों से पता चलता है कि बैक चैनल डिप्लोमेसी के माध्यम से वार्ता को आगे बढ़ाया गया और इसने दोनों पक्षों के बीच संयुक्त बयान देने में सहायता की, इसकी शुरुआत फरवरी 2021 में पाकिस्तानी सेना प्रमुख द्वारा कश्मीर मुद्दे को "शांतिपूर्वक" हल करने के प्रस्ताव रखे जाने के साथ हुई।
- पाकिस्तान ने कोविड -19 को नियंत्रित करने के लिये दक्षिण एशियाई स्तर पर सहयोग के लिये भारत के पाँच प्रस्तावों का समर्थन किया।
- हाल ही में भारत ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को श्रीलंका दौरे के लिये अपने हवाई क्षेत्र के उपयोग की अनुमति दी, जहाँ पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने श्रीलंका के लिये 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर की नई क्रेडिट लाइन की घोषणा की है।
- हालाँकि बैक चैनल वार्ताओं के इन स्पष्ट संकेतों के दौरान दोनों पक्षों ने कश्मीर मुद्दे पर अपनी स्थितियों को बनाए रखा है।
  - नवंबर 2020 में पाकिस्तान सरकार द्वारा गिलगित बाल्टिस्तान को अनंतिम प्रांतीय दर्जा प्रदान किये जाने के बाद भारत ने गिलगित बाल्टिस्तान को भारत का एक अभिन्न अंग बताया था।

वर्ष 2003 के समझौते के संबंध में नवीनतम पुनः प्रतिबद्धता का महत्त्व:

- यह समझौता कश्मीर में ज़मीनी स्तर पर सुरक्षा स्थिति के सुधार में योगदान दे सकता है।
- भारत प्रायः यह आरोप लगाता रहा है कि पाकिस्तान द्वारा कई बार संघर्ष विराम के उल्लंघन का उद्देश्य आतंकवादियों को घुसपैठ कराने के लिये कवर प्रदान करना होता था। अब घुसपैठ की कोशिशें कम हो सकती हैं तथा सीमा पार आतंकवाद को रोकने संबंधी भारत की प्रमुख मांग पर भी कोई रास्ता निकाला जा सकता है।

भारत-पाकिस्तान के बीच हालिया विकास के बिंदु:

- दोनों पक्षों के संबंधों का चरम स्तर पिछली बार वर्ष 2015 में क्रिसमस के दिन देखा गया था, जब भारतीय प्रधानमंत्री एक अघोषित यात्रा के तहत पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से मिलने लाहौर गए।
- 2 जनवरी, 2016 को पठानकोट एयरबेस पर हमले के कारण दोनों पक्षों के बीच संवाद जल्द ही टूट गया, जिसके बाद उरी में एक चौकी पर हमला किया गया और भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक के साथ प्रतिक्रिया दी।

- 14 फरवरी, 2019 के पुलवामा आतंकी हमले और भारत द्वारा बालाकोट ऑपरेशन के कारण द्विपक्षीय संबंधों में लगातार गिरावट आती रही।

नियंत्रण रेखा (Line of Control):

- संयुक्त राष्ट्र द्वारा कश्मीर युद्ध के बाद घोषित वर्ष 1948 की संघर्ष विराम रेखा ही बाद में नियंत्रण रेखा के रूप में सामने आई।
- दोनों देशों के बीच वर्ष 1972 के शिमला समझौते के बाद इसे LoC के रूप में नामित किया गया।
- LoC का सीमांकन दुनिया के सबसे ऊँचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर (प्वाइंट NJ9842) तक किया गया है।
- LoC को दोनों सेनाओं के सैन्य संचालन महानिदेशक (DGMO) द्वारा हस्ताक्षरित एक नक्शे पर चित्रित किया गया है और यह एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त कानूनी समझौता है।

बैक चैनल डिप्लोमेसी:

- 'बैक चैनल डिप्लोमेसी' आधिकारिक नौकरशाही संरचनाओं और प्रारूपों के बाहर अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने तथा विदेश नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये राज्यों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राजनयिक रणनीतियों में से एक है।
- इसका एक अन्य उदेश्य सूचना की गोपनीयता सुनिश्चित करने और उन्हें लक्ष्य प्राप्त करने तक आधिकारिक स्रोतों और मीडिया की पहुँच से दूर रखना है।

आगे की राह:

- विश्वास निर्माण उपायों (CBM) को 'ट्रस्ट डेफिसिट' कम करने के लिये उपयोग में लाया जाना चाहिये, लेकिन विवादों के समाधान के विकल्प के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिये।
- साझा हितों को विकसित करने के लिये आर्थिक सहयोग और व्यापार की सुविधा होनी चाहिये। आतंकवाद तथा गैर-राज्य अभिकर्त्ताओं की समस्याओं को संस्थागत तंत्र के माध्यम से संयुक्त रूप से संबोधित किये जाने की आवश्यकता है।
- यदि युद्धविराम को लेकर नया संकल्प लाया जाता है तो दोनों देशों के बीच माहौल और बेहतर बनेगा तथा कई अनसुलझे मुद्दों का समाधान किया जाएगा, जिसमें दोनों तरफ पूर्ण शक्ति प्राप्त राजनयिक मिशनों की बहाली भी शामिल है।

भारत-चीन हॉटलाइन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत और चीन ने दोनों देशों के बीच एक हॉटलाइन स्थापित करने को लेकर बनी सहमति की घोषणा की है।

प्रमुख बिंदु

हॉटलाइन

- दोनों देशों के बीच हॉटलाइन स्थापित करने का निर्णय भारत के विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री के बीच एक टेलीफोनिक वार्ता के दौरान लिया गया।
  - हॉटलाइन निरंतर परिचालन वाली एक प्रत्यक्ष टेलीफोन लाइन होती है, जो तत्काल संचार को सुविधाजनक बनाती है।
- हॉटलाइन दोनों देशों के बीच समय पर संचार और विचारों के आदान-प्रदान में सहायक होगी।

भारत का पक्ष

- भारत ने दोनों देशों के संबंधों के दृष्टिकोण से परस्पर सम्मान, परस्पर संवेदनशीलता और परस्पर हित पर ज़ोर दिया।
- हाल ही में दोनों देशों के बीच सीमा से सैन्य वापसी को लेकर समझौता किया गया है, जो कि वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर शांति को बढ़ावा देगा और अंततः दोनों देशों के संबंधों को सामान्य करेगा।

चीन का पक्ष

- चीन के अनुसार, सीमा पर मौजूद स्थिति को दोनों देशों के संबंधों के केंद्र में नहीं लाया जाना चाहिये, बल्कि इसे दोनों देशों के समग्र संबंधों में सीमित स्थान दिया जाना चाहिये।

- हॉटलाइन की स्थापना यह दर्शाती है कि दोनों देश अपने आपसी मुद्दों को हल करते हुए पुन: सामान्य गतिविधियों की स्थिति में लौट रहे हैं।

हालिया विकासक्रम

- मई 2020: नाथू ला, सिक्किम (भारत) में चीनी और भारतीय सेनाओं के बीच झड़प हुई।
  - सिक्किम में झड़प के बाद दोनों देशों के बीच लद्दाख में तनाव बढ़ गया और सीमा क्षेत्र में कई स्थानों पर सैनिक टुकड़ियाँ एकत्रित हो गईं।
- जून 2020: भारत और चीन की सेनाएँ पैंगोंग त्सो, गलवान घाटी, डेमचोक और दौलत बेग ओल्डी आदि क्षेत्रों में आपसी गतिरोध का सामना कर रही थीं तथा ये क्षेत्र वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर तनाव का केंद्र बन गए थे।
- जून 2020: भारत द्वारा चीन के 59 एप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
- नवंबर 2020: भारत ने 43 एप्स पर प्रतिबंध लगाया, जिनमें से अधिकतर चीन से संबंधित थे।
  - ये प्रतिबंध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69A के तहत लागू किये गए थे।
- फरवरी 2021: भारत और चीन ने अंतत: पैंगोंग त्सो झील पर आंशिक सैन्य वापसी को लेकर सहमति व्यक्त की।

आगे की राह

- आवश्यक है कि दोनों देश इतनी चुनौतियों के बाद प्राप्त स्थिति को और मज़बूत करें तथा इस प्रगति को आगे बढ़ाने के लिये साथ काम करें, परामर्श प्रक्रिया को जारी रखें तथा सीमा प्रबंधन एवं नियंत्रण तंत्र में सुधार करें।
- दो बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के रूप में चीन और भारत को एक-दूसरे के साथ मिलकर पारस्परिक विकास को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, साथ ही एक-दूसरे के विकास में बाधा बनने के बजाय साझेदारी को बढ़ाना होगा।
- भारत और चीन को सीमावर्ती क्षेत्रों में आपसी विश्वास बनाए रखने और शांति स्थापित करने के लिये सीमा वार्ता को आगे बढ़ाने की भी ज़रूरत है।

पाकिस्तान-श्रीलंका और भारत

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने श्रीलंका का दौरा किया। यह वर्ष 2016 के बाद किसी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की पहली श्रीलंका यात्रा है और कोविड -19 महामारी शुरू होने के बाद से किसी देश की सरकार के प्रमुख द्वारा की गई पहली यात्रा है।

प्रमुख बिंदु:

श्रीलंका-पाकिस्तान संबंध (पृष्ठभूमि):

- व्यापार:
  - श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच वर्ष 2005 में एक मुक्त व्यापार समझौता हुआ। पाकिस्तान दक्षिण एशिया में श्रीलंका का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
- संस्कृति:
  - पिछले दशक में पाकिस्तान ने श्रीलंका के साथ अपने प्राचीन बौद्ध संबंधों और स्थलों के संदर्भ में सांस्कृतिक संबंध स्थापित करने की कोशिश की है।
- रक्षा सहयोग:
  - रक्षा सहयोग श्रीलंका-पाकिस्तान द्विपक्षीय संबंधों में एक मजबूत स्तंभ है।
  - वर्ष 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान श्रीलंका ने पाकिस्तानी जेट विमानों को ईंधन भरने की अनुमति दी थी।
  - वर्ष 2009 में 'लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम' (LTTE) के खिलाफ गृह युद्ध में श्रीलंका ने युद्ध के अंतिम चरण में अपने लड़ाकू पायलटों हेतु हथियारों और गोला-बारूद के लिये पाकिस्तान का रुख किया।

- हाल ही में श्रीलंका ने पाकिस्तान के बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास अमन-21 में भाग लिया।

यात्रा के संबंध में:

- रक्षा क्रेडिट लाइन सुविधा:
  - पाकिस्तान ने रक्षा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिये श्रीलंका को 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर की नई क्रेडिट लाइन प्रदान करने की पेशकश की है
- सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा:
  - पाकिस्तान द्वारा श्रीलंका के कैंडी स्थित पेरेडेनिया विश्वविद्यालय में एशियाई संस्कृति और सभ्यताओं के अध्ययन के लिये एक केंद्र स्थापित किया जाएगा।
  - श्रीलंका ने कोलंबो में एक खेल संस्थान का नाम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के नाम पर रखा तथा दोनों देशों के बीच क्रिकेट संबंधों पर प्रकाश डाला गया।

यात्रा का महत्त्व:

- पाकिस्तान के संदर्भ में:
  - व्यापार संबंधों में वृद्धि:
    - पाकिस्तान ने व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने हेतु श्रीलंका को चीन- पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का लाभ उठाने के लिये आमंत्रित किया है।
- श्रीलंका के संदर्भ में:
  - UNHRC में समर्थन की मांग:
    - श्रीलंका ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) के सदस्य राज्यों से इस द्वीपीय राष्ट्र में मानवाधिकार को लेकर जवाबदेही और सामंजस्य पर आगामी प्रस्ताव को खारिज करने की अपील की है।
    - श्रीलंका अपने 26 वर्षीय गृह युद्ध (1983-2009) पीड़ितों को न्याय दिलाने एवं मानवाधिकारों का हनन करने वालों को पकड़ने के लिये नए प्रस्ताव का सामना कर रहा है। यह युद्ध मुख्य रूप से सिंहली प्रभुत्व वाली श्रीलंकाई सरकार और लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (LTTE) के विद्रोही समूह के बीच एक संघर्ष था, जिसके बाद तमिल अल्पसंख्यकों के लिये एक अलग राज्य की स्थापना की उम्मीद की गई थी।
  - भारत और पाकिस्तान के साथ संतुलित संबंध:
    - इसने श्रीलंका को भारत और पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने का अवसर प्रदान किया है।
    - श्रीलंका ने अपनी संसद में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के संबोधन को इसलिये रद्द कर दिया क्योंकि इस बात की आशंका थी कि वे कश्मीर का मुद्दा उठाएंगे।
  - मुस्लिम विरोधी छवि में सुधार:
    - यह यात्रा इस्लामिक देशों में श्रीलंका की छवि को हुए नुकसान में सुधार कर सकती है, क्योंकि श्रीलंका ने हाल ही में कोविड-19 से मरने वाले मुसलमानों के शवों को दफनाने से इनकार कर दिया था।
    - श्रीलंका की आबादी में लगभग 11% मुस्लिम हैं, पिछले कुछ दशकों से सिंहली बौद्धों के साथ इनके संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं, जिसकी परिणति पिछले कुछ वर्षों में दंगों एवं अशांति के रूप में हुई है।

भारत के लिये चिंता का विषय:

- पाकिस्तान को अलग-थलग करने की कोशिशों में बाधाएँ:
  - भारत निकटतम पड़ोसी के रूप में पाकिस्तान को अब तक श्रीलंका के संदर्भ में गंभीर प्रतिद्वंद्वी नहीं मानता है।
  - हालाँकि इस यात्रा से यह संकेत मिला है कि पाकिस्तान को "अलग-थलग" करने के भारत के प्रयासों के बावजूद श्रीलंका उसका पड़ोसी मित्र है।

नोट :

- चीन से बढ़ती निकटता:
  - कोलंबो बंदरगाह पर ईस्ट कंटेनर टर्मिनल के विकास के लिये एक त्रिपक्षीय समझौते (जापान और भारत के साथ) से श्रीलंका के अलग होने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की यात्रा और जाफना के एक द्वीप पर हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी कंपनी स्थापित करने के लिये एक चीनी कंपनी को अनुबंध प्रदान करना भारत के लिये चिंता का कारण है।
- हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के हितों को खतरा:
  - हिंद महासागर क्षेत्र में श्रीलंका, चीन और पाकिस्तान के बीच हितों का बढ़ता सामंजस्य चिंता का विषय है।
  - हिंद महासागर के लिये भारत की रणनीतिक दृष्टि (SAGAR) की उपलब्धि में और चीन की 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' रणनीति का मुकाबला करने में श्रीलंका की केंद्रीय भूमिका है।
  - श्रीलंका द्वारा पाकिस्तान को 50 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन ऐसे समय में प्रदान की गई है जब भारत ने नौसेना की क्षमता को मज़बूत करने के लिये पड़ोसी मालदीव को 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर की क्रेडिट लाइन प्रदान की है और तटीय सुरक्षा के लिये मॉरीशस के साथ 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है।
- संपर्क:
  - ग्वादर बंदरगाह CPEC द्वारा चीन के झिंजियांग प्रांत से जुड़ा है, जो वर्ष 2013 में चीन द्वारा शुरू की गई महत्त्वाकांक्षी मल्टी बिलियन डॉलर की 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' का एक महत्त्वपूर्ण तटीय किनारा है।
  - वर्तमान में पाकिस्तान द्वारा श्रीलंका के साथ संबंध स्थापित करने का एक प्रमुख कारण यह भी है कि भारत ईरान में चाबहार बंदरगाह पर फिर से काम शुरू करने की कोशिश कर रहा है, जिसे भारत मध्य एशिया और अफगानिस्तान के लिये पाकिस्तान को दरकिनार कर एक मार्ग के रूप में देखता है।
- पाकिस्तान द्वारा कट्टरपंथ का प्रसार:
  - भारतीय सुरक्षा संस्थाओं ने छिटपुट मात्रा में विशेष रूप से पूर्वी श्रीलंका के मुस्लिमों के कट्टरपंथीकरण में पाकिस्तान की भूमिका पर चिंता व्यक्त की है।

आगे की राह:

- श्रीलंका ने भारत और पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को स्पष्ट रूप से संतुलित करने का प्रयत्न किया है तथा यह संकेत दिया है कि दोनों देशों के साथ उसके अलग-अलग संबंध हैं तथा भारत को श्रीलंका-पाकिस्तान संबंधों से चिंतित नहीं होना चाहिये। श्रीलंका और मालदीव के साथ वर्ष 2020 में एक त्रिपक्षीय समुद्री वार्ता को पुनर्जीवित करना इस दिशा में एक सकारात्मक कदम है।
- भारत को श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे द्वारा प्रस्तावित एक पुराने उपाय पर भी विचार करना चाहिये, जिसके तहत भारत के मध्य से एक ओवरलैंड आर्थिक गलियारे की बात की गई थी जो श्रीलंका को मध्य एशिया और उससे आगे के लिये एक मार्ग प्रदान करेगा।

स्विट्ज़रलैंड की 'तटस्थता' नीति

चर्चा में क्यों?

हाल ही में स्विट्ज़रलैंड के राजदूत ने कहा कि विश्व में बदलती राजनीतिक स्थितियों के कारण स्विट्ज़रलैंड की 'तटस्थता' की पारंपरिक विदेश नीति (अर्थात् स्विस तटस्थता) के प्रति एक बार पुन: आकर्षण बढ़ रहा है।

प्रमुख बिंदु

'तटस्थता' की विदेश नीति

- इस प्रकार की विदेश नीति में कोई देश भविष्य के किसी भी युद्ध में 'तटस्थ' रहने की प्रतिबद्धता प्रकट करता है। एक संप्रभु राज्य जो किसी अन्य पक्ष द्वारा हमला किये जाने की स्थिति में युद्ध में प्रवेश करता है तो उसे 'सशस्त्र तटस्थता' की स्थिति वाला देश कहा जाता है।

- स्थायी रूप से तटस्थ देश वह संप्रभु देश होता है, जो किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि अथवा अपनी स्वयं की घोषणा के कारण भविष्य के सभी युद्धों में तटस्थ रहने को बाध्य होता है। स्थायी रूप से 'तटस्थ' स्विट्ज़रलैंड इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है। इसके अलावा आयरलैंड और ऑस्ट्रिया आदि भी इसी सूची में शामिल हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तटस्थता के मूल्य के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिये संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस के रूप में मनाया जाता है।
  - राष्ट्रीय तटस्थता नीतियों का उद्देश्य निवारक कूटनीति के उपयोग को बढ़ावा देना है, जो संयुक्त राष्ट्र का एक मुख्य कार्य है।
  - यह 'निवारक कूटनीति' विवादों को संघर्ष का रूप लेने से रोकने और संघर्षों के प्रसार को सीमित करने के लिये की गई राजनयिक कार्यवाही को संदर्भित करती है।

स्विट्ज़रलैंड की 'तटस्थता' नीति और उसका विकास

- स्विट्ज़रलैंड अपनी 'तटस्थता' की नीति को लेकर काफी प्रसिद्ध है, हालाँकि उसकी इस नीति को शांतिवाद की अवधारणा मानकर भ्रमित नहीं होना चाहिये। स्विट्ज़रलैंड में पुरुषों के लिये सैन्य सेवा में शामिल होना अनिवार्य है।
- स्विट्ज़रलैंड ने अंतिम बार तकरीबन 500 वर्ष पूर्व फ्राँसीसियों के विरुद्ध जंग में हिस्सा लिया था, जिसमें स्विट्ज़रलैंड की हार हुई थी।
- वर्ष 1783 में पेरिस संधि के तहत स्विट्ज़रलैंड को एक 'तटस्थ' देश के रूप में स्वीकार किया गया था।
  - पेरिस संधि पर 3 सितंबर, 1783 को ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा द्वारा पेरिस में हस्ताक्षर किये गए थे तथा इसने आधिकारिक रूप से अमेरिकी युद्ध को समाप्त कर दिया था।
- प्रथम विश्व युद्ध (1914-18) के दौरान स्विट्ज़रलैंड ने अपने निष्पक्ष रुख को बनाए रखा, इस दौरान स्विट्ज़रलैंड ने अपनी सेना जुटाई और शरणार्थियों को शरण दी, किंतु सैन्य रूप से किसी का भी पक्ष लेने से इनकार कर दिया।
- 1920 में नवगठित 'लीग ऑफ नेशंस' ने आधिकारिक तौर पर स्विट्ज़रलैंड की 'तटस्थता' नीति को मान्यता दी और जिनेवा में अपना मुख्यालय स्थापित किया।
- स्विट्ज़रलैंड की 'तटस्थता' नीति पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तब खतरा उत्पन्न हो गया, जब स्विट्ज़रलैंड ने स्वयं को धुरी राष्ट्रों से घिरा पाया। हालाँकि तब भी स्विट्ज़रलैंड ने आक्रमण की स्थिति में प्रतिशोध का वादा कर अपनी स्वतंत्रता और 'तटस्थता' को बनाए रखा।
- द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से स्विट्ज़रलैंड ने मानवीय पहलों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अधिक सक्रिय भूमिका निभाई है, किंतु सैन्य मामलों में वह तटस्थ रहा है। वह उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (NATO) या यूरोपीय संघ (UN) में कभी शामिल नहीं हुआ और केवल वर्ष 2002 में संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ था।
- 21वीं सदी में भी स्विट्ज़रलैंड मुश्किल विषयों पर वार्ता के लिये एक मार्ग प्रदान कर रहा है।
  - सीरिया, लीबिया और यमन को लेकर वार्ता जिनेवा में ही हुई थी।

भारत के लिये महत्त्व

- भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति और स्विट्ज़रलैंड की तटस्थता की नीति के कारण दोनों देशों के बीच घनिष्ठ साझेदारी स्थापित हुई है।
- वर्ष 1948 में दोनों देशों के बीच मैत्री संधि हुई थी। दोनों देश लोकतंत्र और बहुलवाद की भावना में विश्वास करते हैं।

गुटनिरपेक्ष आंदोलन

- परिचय
  - यह विश्व के 120 विकासशील देशों का एक मंच है, जिसमें वे देश शामिल हैं, जो औपचारिक तौर पर विश्व की किसी भी बड़ी महाशक्ति के गुट में शामिल नहीं हैं।
- पृष्ठभूमि
  - इस समूह की शुरुआत वर्ष 1961 में बेलग्रेड, यूगोस्लाविया में हुई थी।
  - इस समूह का गठन यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसिप ब्रोज़ टिटो, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के दूसरे राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर, घाना के पहले राष्ट्रपति क्वामे नक्रमा और इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति सुकर्णो द्वारा किया गया था।

नोट :

- गुटनिरपेक्ष आंदोलन के गठन की प्रक्रिया में वर्ष 1955 में आयोजित बांडुंग सम्मेलन को काफी महत्त्वपूर्ण माना जाता है।

- उद्देश्य
  - इसका उद्देश्य विश्व राजनीति में एक स्वतंत्र मार्ग का निर्माण करना है, ताकि सदस्य देश प्रमुख शक्तियों के बीच संघर्ष में मात्र प्यादा बनकर न रह जाएँ।
  - यह (1) स्वतंत्र निर्णय के अधिकार, (2) साम्राज्यवाद एवं नव-उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष और (3) वैश्विक शक्तियों के संबंध में संतुलित नीति के उपयोग को उसके दृष्टिकोण को प्रभावित करने वाले तीन मूल तत्त्वों के रूप में स्वीकारता है।
  - वर्तमान में इसका एक अतिरिक्त लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के पुनर्गठन में सहायता करना है।
- सिद्धांत
  - मूलभूत अधिकारों और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों का सम्मान करना।
  - सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना।
  - सभी नस्लों और सभी राष्ट्रों के बीच समानता स्थापित करना, चाहे वे छोटे हों या बड़े।
  - किसी अन्य देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना।
  - संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुरूप स्वयं के बचाव के लिये व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रत्येक राष्ट्र के अधिकार का सम्मान करना।
  - किसी भी वैश्विक शक्ति के विशिष्ट हितों को लाभ पहुँचाने के लिये सामूहिक रक्षा संधि का उपयोग न करना।
  - किसी भी राष्ट्र की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के विरुद्ध आक्रामकता और बल के उपयोग के खतरों से बचना।
  - शांतिपूर्ण ढंग से सभी अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा करना।
  - आपसी हित और सहयोग को बढ़ावा देना।
  - न्याय और अंतर्राष्ट्रीय दायित्व का सम्मान करना।

रियाद पर हूती हमला

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सऊदी अरब की राजधानी रियाद पर हूती विद्रोहियों द्वारा किये गए बैलिस्टिक मिसाइल हमले को सऊदी अरब के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन द्वारा विफल कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि सऊदी अरब के नेतृत्वव वाला सैन्यफ गठबंधन पिछले एक वर्ष से यमन के साथ संघर्षरत है।

प्रमुख बिंदु

हालिया हमले के कारण:

- लाभ उठाने के लिये:
  - हूती विद्रोही लगातार सफल होते जा रहे हैं, उनके विस्तार (विशेष रूप से सऊदी अरब की सीमा से लगे जॉफ प्रांत में) में अत्यधिक प्रगति हुई है।
  - अब वे उत्तर में यमन सरकार के अंतिम गढ़ मारिब शहर पर हमला करने की योजना बना रहे हैं।
- ईरान का समर्थन:
  - हूती विद्रोहियों द्वारा लिये जा रहे निर्णयों में ईरान शामिल होता है क्योंकि वह सऊदी अरब को यमन की अराजकता में उलझाए रखना चाहता है।
  - ईरानी क्रांति के बाद पिछले 40 वर्षों से सऊदी अरब और ईरान एक-दूसरे के साथ छद्म युद्ध में संलग्न हैं। अब यमन इन संघर्ष पीड़ितों में से एक है।

नोट :

पृष्ठभूमि:

- यमन संघर्ष:
  - वर्ष 2014 से यमन बहुपक्षीय संघर्ष का सामना कर रहा है जिसमें स्थानीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अभिकर्त्ता शामिल हैं।
  - लगभग 1,000 वर्षों तक यमन में एक राज्य पर शासन करने वाले हूती नामक ज़ैदी शिया मुसलमानों के एक समूह ने लंबे समय से प्रतीक्षित चुनावों को स्थगित करने और नए संविधान पर वार्ता स्थगन के राष्ट्रपति हादी के फैसले के खिलाफ व्यापक गुस्से का इज़हार किया।
  - उन्होंने अपने गढ़ साडा प्रांत से राजधानी सना तक मार्च यानी प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के महल को घेर लिया, इस घटना में हादी को नज़रबंद कर लिया गया।
- सऊदी अरब द्वारा हस्तक्षेप:
  - हूती विद्रोहियों के दक्षिण में प्रसार को जारी रखने तथा सरकार के अंतिम गढ़ अदन को जीतने की धमकी के बाद हादी के अनुरोध पर सऊदी अरब के नेतृत्व में एक सैन्य गठबंधन ने मार्च 2015 में विश्व के सबसे विकट राजनीतिक संकटों में से एक को रोकने के लिये यमन में हस्तक्षेप किया।
- संघर्ष विराम:
  - यमन के हूती विद्रोहियों और यमन के राष्ट्रपति के प्रति वफादार सऊदी अरब के समर्थन वाले बलों ने वर्ष 2018 में संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता वाले युद्धविराम समझौते पर सहमति व्यक्त की।
- हूती हमलों की पुन: शुरुआत:
  - वर्ष 2019 में यमन के शिया हूती विद्रोहियों ने संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन कर सऊदी अरब में कच्चे तेल का उत्पादन करने वाली कंपनी अरामको पर हमला कर दिया।

चिंताएँ:

- यमन सामरिक रूप से अत्यंत महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ने वाले एक जलडमरूमध्य पर स्थित है, जहाँ से विश्व के अधिकांश तेलवाहक जहाज़ गुज़रते हैं।
- इस देश में व्याप्त अस्थिरता के कारण उत्पन्न खतरे (जैसे कि अल कायदा अथवा IS से जुड़े हमले) पश्चिमी देशों के लिये चिंता का विषय है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विद्रोहियों को आतंकवादियों की सूची से हटाने और छह वर्षों से जारी संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों के बावजूद राज्य पर हूती विद्रोहियों ने सीमा पार हमलों में वृद्धि की है।
- इस संघर्ष को शिया शासित ईरान और सुन्नी शासित सऊदी अरब के बीच एक क्षेत्रीय शक्ति संघर्ष के हिस्से के रूप में भी देखा जाता है।

भारत के हित:

- भारत की तेल सुरक्षा तथा इस क्षेत्र में रह रहे 8 मिलियन भारतीय प्रवासी जो भारत में प्रतिवर्ष 80 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की धनराशि प्रेषित करते हैं, पर विचार किया जाए तो यमन में व्याप्त अस्थिरता भारत के लिये भी एक चुनौती है।

भारत द्वारा की गई पहलें:

- ऑपरेशन राहत:
  - अप्रैल 2015 में 4000 से अधिक भारतीयों को यमन से सुरक्षित वापस लाने के लिये भारत ने व्यापक स्तर पर हवाई तथा समुद्री ऑपरेशन का संचालन किया।
- मानवीय सहायता:
  - अतीत में भारत ने यमन को भोजन और चिकित्सा सहायता प्रदान की है तथा यमन के हज़ारों नागरिकों ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारत में चिकित्सा उपचार का लाभ उठाया है।
  - विभिन्न भारतीय संस्थानों में बड़ी संख्या में यमन के नागरिकों को शिक्षा की सुविधा प्रदान की जाती है।

नोट :

भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार

चर्चा में क्यों:

संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि (USTR) की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 'मेक इन इंडिया' अभियान के माध्यम से आयात प्रतिस्थापन पर भारत का हालिया ज़ोर भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार संबंधों के सामने कई चुनौतियों में से एक है।

प्रमुख बिंदु:

- भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार:
  - वर्ष 2019-20 में अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार 88.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था।
  - संयुक्त राज्य अमेरिका उन देशों में से एक है जिनके साथ भारत व्यापार अधिशेष की स्थिति में है।
  - अमेरिका के साथ भारत का व्यापार अधिशेष वर्ष 2018-19 के 16.86 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 17.42 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।
  - सेवाओं के आयात के मामले में भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका के लिये छठा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्त्ता था।
  - भारत का वृहद् बाज़ार, आर्थिक विकास और विकास की दिशा में प्रोन्नति आदि स्थितियाँ इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के निर्यातकों के लिये एक आवश्यक बाज़ार के रूप में प्रस्तुत करती हैं।
- व्यापार से संबंधित मुद्दे:
  - टैरिफ: दोनों देश टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं के साथ ही विदेशी कंपनियों को हानि पहुँचाने वाली कई प्रथाओं और नियमों के साथ बाज़ार को नियंत्रित करते हैं।
  - सामान्यर प्राथमिकता प्रणाली (Generalized System of Preferences- GSP): अमेरिका ने जून 2019 से GSP कार्यक्रम के तहत भारतीय निर्यातकों को मिलने वाले शुल्क मुक्त लाभ को वापस लेने का फैसला किया।
  - सेवाएँ: भारत के लिये एक प्रमुख समस्या अमेरिका की अस्थायी वीज़ा नीतियाँ हैं, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में काम करने वाले भारतीय नागरिकों को प्रभावित करती हैं।
    - भारत दोनों देशों में कार्य करने वाले श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा संरक्षण के समन्वय के लिये एक "समग्रीकरण समझौते" की तलाश में है।
  - कृषि: भारत में 'सैनिटरी और फाइटोसैनेटरी' (SPS) बाधाएँ संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि निर्यात को सीमित करती हैं।
    - प्रत्येक पक्ष दूसरे के कृषि समर्थन कार्यक्रमों को बाज़ार विकृति के रूप में भी देखता है।
  - बौद्धिक संपदा: नवाचार को प्रोत्साहित करने और अन्य नीतिगत लक्ष्यों, जैसे-दवाओं तक पहुँच स्थापित करना आदि नियमों को संतुलित करने के लिये दोनों देशों के बौद्धिक संपदा संरक्षण नियम अलग-अलग हैं।
  - भारत वर्ष 2020 में पेटेंट, विभिन्न प्रतिबंध दरों और व्यापार संरक्षण की चिंताओं के आधार पर अमेरिका की 'स्पेशल 301' रिपोर्ट में 'प्रायोरिटी वॉच लिस्ट' पर बना हुआ है।
  - अनिवार्य स्थानीयकरण: संयुक्त राज्य अमेरिका भारत पर इसकी अनिवार्य स्थानीयकरण प्रथाओं को लेकर दवाब बनाता रहता है।
    - देश में डेटा भंडारण, घरेलू सामग्री (जैसे भारत के सौर क्षेत्र की रक्षा करने वाले कानून) और कुछ क्षेत्रों में घरेलू परीक्षण की आवश्यकताओं को बढ़ावा देने वाली विभिन्न विनिर्माण और रोज़गार आधारित पहलें।
    - इलेक्ट्रॉनिक भुगतान सेवा आपूर्तिकर्त्ताओं जैसे- मास्टर कार्ड, वीज़ा आदि के लिये भारत की नई डेटा स्थानीयकरण आवश्यकताएँ।
  - निवेश: निवेश बाधाओं के बारे में अमेरिका की चिंताएँ अभी भी बनी हुई हैं, ऐसे में नए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे- अमेज़न और वॉलमार्ट के स्वामित्व वाले फ्लिपकार्ट के व्यवसाय पर नए भारतीय प्रतिबंध बढाए गए हैं।
  - रक्षा व्यापार: अमेरिका भारत की रक्षा ऑफसेट नीति और रक्षा क्षेत्र में उच्च प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में अधिक सुधारों का आग्रह करता है।

सामान्यर प्राथमिकता प्रणाली (GSP):

- सामान्यक प्राथमिकता प्रणाली अमेरिका का एक व्यापार कार्यक्रम है जिसे 129 लाभार्थी देशों और क्षेत्रों के 4,800 उत्पादों के लिये प्राथमिकता आधारित शुल्क मुक्त प्रविष्टि प्रदान कर विकासशील दुनिया में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने हेतु बनाया गया है।
- 1 जनवरी, 1976 को वर्ष 1974 के व्यापार अधिनियम के तहत GSP की स्थापना की गई थी।

आगे की राह:

- दोनों देशों में विशेष रूप से चीन विरोधी भावना बढ़ने के कारण द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा मिलने की बहुत अधिक संभावना है।
- इस प्रकार वार्ताओं को विभिन्न गैर-टैरिफ बाधाओं और बाज़ार पहुँच संबंधी सुधारों पर केंद्रित करना चाहिये।

सूखाग्रस्त मेडागास्कर को मानवीय सहायता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत ने मेडागास्कर को 1,000 मीट्रिक टन चावल और 1,00,000 हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन (Hydroxychloroquine-HCQ) की गोलियों की खेप भेजी है, ताकि गंभीर सूखे से उत्पन्न मानवीय संकट से निपटने में उसकी सहायता की जा सके।

प्रमुख बिंदु

हाल में की गई सहायता:

- यह मानवीय सहायता भारतीय नौसेना के जहाज़ जलश्वा (Jalashwa) के माध्यम से भेजी गई है।
- आईएनएस जलश्वा से भारतीय नौसेना की एक प्रशिक्षण टीम भी भेजी जाएगी, जिसे मालागासी स्पेशल फोर्स के निर्माण और प्रशिक्षण के लिये मेडागास्कर में तैनात किया जाएगा।
- आईएनएस जलश्वा कोमोरोस गणराज्य के पोर्ट अंजौन पर जाएगा जहाँ 1,000 मीट्रिक टन भारतीय चावल की खेप उतारी जाएगी।

मेडागास्कर की पूर्व में सहायता:

- कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय नौसेना के जहाज़ आईएनएस केसरी द्वारा "मिशन सागर" (Mission Sagar) पहल के अंतर्गत मेडागास्कर सहित अन्य देशों को खाद्य पदार्थों और चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई थी।
- आईएनएस शार्दूल ने मार्च 2020 में अंटसिरानाना (Antsiranana) बंदरगाह का दौरा किया और मेडागास्कर के उत्तरी क्षेत्र में भारी बाढ़ से निपटने के लिये उसे मानवीय सहायता तथा आपदा राहत (Humanitarian Assistance and Disaster Relief) सहायता के रूप में 600 टन चावल उपलब्ध कराया गया।
- भारत पहला देश था जिसने डायने चक्रवात (Cyclone Diane) के समय आईएनएस ऐरावत द्वारा ऑपरेशन वेनिला (Operation Vanilla) के तहत मेडागास्कर की त्वरित सहायता की।
- भारत सक्रिय रूप से मालागासी के लोगों के क्षमता निर्माण के साथ-साथ अन्य उच्च कुशल/तकनीकी क्षेत्रों में उन्हें प्रशिक्षित करने में लगा हुआ है, जिसके लिये भारतीय तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग (Indian Technical and Economic Cooperation) एवं भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन (India Africa Forum Summit) के माध्यम से पाठ्यक्रम प्रस्तुत किये जाते हैं।

महत्त्व:

- मेडागास्कर और कोमोरोस जैसे मैत्रीपूर्ण देशों में क्षमता निर्माण के लिये खाद्य सहायता तथा क्षमता निर्माण जैसी पहल मिशन सागर के अनुरूप है।
- यह भारत की भूमिका को हिंद महासागर क्षेत्र में एक सुरक्षा प्रदाता के रूप में दर्शाता है।

हाल के विकास:

- भारत को हिंद महासागर आयोग (Indian Ocean Commission) में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है।
  - इस दर्जे का सामरिक महत्त्व है क्योंकि यह आयोग पश्चिमी/अफ्रीकी हिंद महासागर का एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्रीय संस्थान है।

- हिंद महासागर आयोग में कोमोरोस, मेडागास्कर, मॉरीशस, रियूनियन (फ्राँस के नियंत्रण में) और सेशल्स शामिल हैं।
- भारत ने संस्थागत, आर्थिक और सहकारी वातावरण में बातचीत को बढ़ावा देने के लिये हिंद महासागर क्षेत्र (Indian Ocean Region) संगोष्ठी की मेज़बानी की, इससे हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता तथा समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा।
  - मेडागास्कर के रक्षा मंत्री ने भी इस संगोष्ठी में भाग लिया था।

भारत-जापान के लिये वेस्ट कंटेनर टर्मिनल का प्रस्ताव: श्रीलंका

चर्चा में क्यों?

हाल ही में श्रीलंका ने भारतीय और जापानी कंपनियों को वेस्ट कंटेनर टर्मिनल (West Container Terminal) देने का फैसला किया है।

- यह फैसला श्रीलंका सरकार द्वारा वर्ष 2019 के त्रिपक्षीय समझौते से भारत और जापान को बाहर निकालने के एक महीने बाद आया है। इस समझौते के अंतर्गत इन दोनों भागीदारों को संयुक्त रूप से ईस्ट कंटेनर टर्मिनल (East Container Terminal) को विकसित करना था।

प्रमुख बिंदु

WCT परियोजना के विषय में:

- श्रीलंका ने भारत के अडानी पोर्ट्स, विशेष आर्थिक क्षेत्र लिमिटेड और इसके स्थानीय प्रतिनिधि को सार्वजनिक-निजी भागीदारी के अंतर्गत 35 वर्षों की अवधि के लिये निर्माण, संचालन और स्थानांतरण (Build, Operate and Transfer) के आधार पर WCT को विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना में जापान एक निवेशक के रूप में होगा।

हिस्सेदारी:

- श्रीलंका पोर्ट्स अथॉरिटी (SLPA) के पास ECT परियोजना में 51% हिस्सेदारी है, लेकिन WCT के प्रस्ताव में भारत और जापान को 85% हिस्सेदारी दी जाएगी।
- यह कोलंबो इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल (CICT) के लिये निर्धारित शर्तों के समान है, जहाँ चाइना मर्चेंट्स पोर्ट होल्डिंग्स कंपनी लिमिटेड की 85% हिस्सेदारी है।

महत्त्व:

- WCT चीन द्वारा संचालित CICT से सटा हुआ है और चीन संचालित पोर्ट सिटी से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर बनाया जा रहा है, जो रणनीतिक रूप से इसे भारत के लिये महत्त्वपूर्ण बनाता है।
- यह परियोजना भारत को हिंद महासागर में अपनी रणनीतिक दृष्टि (SAGAR), पड़ोस पहले की नीति (Neighbourhood First Policy) और चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स (String of Pearl) रणनीति का मुकाबला करने में सहायता करेगी।
- कोलंबो का प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब उसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UN Human Right Council) के सत्र में समर्थन की आवश्यकता है, जहाँ देश में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर एक प्रस्ताव जल्द ही मतदान के लिये रखा जाएगा।

भारत - श्रीलंका संबंध

- पृष्ठभूमि: भारत, श्रीलंका का निकटतम पड़ोसी है। दोनों देशों के बीच संबंध 2,500 साल से अधिक पुराना है और दोनों पक्षों ने बौद्धिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं भाषायी सहयोग की विरासत का निर्माण किया है।
- आतंकवाद के खिलाफ समर्थन: श्रीलंका में गृहयुद्ध के दौरान भारत ने विद्रोही ताकतों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिये श्रीलंकाई सरकार का समर्थन किया था।
- पुनर्वास के लिये समर्थन: भारतीय आवास परियोजना (Indian Housing Project) भारत सरकार द्वारा श्रीलंका को विकासात्मक सहायता देने के लिये प्रमुख परियोजना है। इस परियोजना के तहत गृहयुद्ध से प्रभावित क्षेत्रों के लोगों तथा चाय बागान श्रमिकों के लिये 50,000 घरों का निर्माण करना है।

- कोविड-19 के दौरान सहायता: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने कोविड महामारी से बुरी तरह प्रभावित श्रीलंका के विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ावा देने और उसकी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिये इसे 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मुद्रा विनिमय सुविधा प्रदान करने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किये थे। भारत ने श्रीलंका को कोविड-19 टीके भी दिये हैं।
- संयुक्त अभ्यास: भारत और श्रीलंका संयुक्त सैन्य (मित्र शक्ति) तथा नौसेना अभ्यास (SLINEX) का आयोजन करते हैं।
- समूहों में भागीदारी: श्रीलंका बिम्सटेक (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation) और सार्क (SAARC) जैसे ग्रुपों का भी सदस्य है, जिनमें भारत एक अग्रणी भूमिका निभाता है।

इज़रायल-फिलिस्तीन युद्ध अपराधों की जाँच

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय (International Criminal Court- ICC) द्वारा इज़रायल (वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी) के कब्ज़े वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों में युद्ध अपराधों की जाँच शुरू की गई है।

प्रमुख बिंदु:

- जाँच का यह निर्णय एक हालिया फैसले के बाद लिया गया है जिसमें कहा गया कि वर्ष 1967 में हुए छ: दिवसीय अरब-इज़रायल युद्ध (Six-day Arab-Israeli War) के बाद इज़रायल के कब्ज़े वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र अदालत के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।
  - इस युद्ध में इज़रायल की सेनाओं ने सीरिया से गोलान हाइट्स, जॉर्डन से वेस्ट बैंक और पूर्वी यरुशलम तथा मिस्र से सिनाई प्रायद्वीप व गाजा पट्टी को अपने अधिकार में ले लिया था।
- जाँच में वर्ष 2014 के गाजा युद्ध, वर्ष 2018 में गाजा सीमा पर झड़पों और वेस्ट बैंक में इज़रायल सेटलमेंट-बिल्डिंग को भी शामिल किये जाने की उम्मीद है।
  - जाँच में यह भी देखा जाएगा कि क्या गाजा से हमास और अन्य समूहों द्वारा युद्ध अपराधों के लिये रॉकेट फायर (Rocket Fire) का प्रयोग किया गया था।
- ICC के बारे में:
  - अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय विश्व का प्रथम स्थायी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है। इसे रोम संविधि (The Rome Statute) नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संधि द्वारा शासित किया जाता है।
  - ICC का मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में अवस्थित है।
  - अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय सामान्यत: नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के विरुद्ध अपराध और आक्रमण जैसे गंभीर अपराधों से संबंधित मामलों की जाँच करता है।
  - ICC का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के माध्यम से अपराधों के लिये ज़िम्मेदार लोगों को दंडित करना, साथ ही इन अपराधों की पुनरावृत्ति को रोकने में मदद करना है।
  - भारत, चीन एवं अमेरिका रोम संविधि के पक्षकार देश नहीं हैं।

गोलान हाइट्स:

- गोलान हाइट्स एक चट्टानी पठार है जो दक्षिण-पश्चिमी सीरिया में इज़रायल और सीरिया की सीमा के मध्य 1,800 km^2 क्षेत्र में फैला है।
- यह एक सामरिक क्षेत्र है जिसे वर्ष 1967 के युद्ध में इज़रायल ने सीरिया से अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। वर्ष 1981 में इज़रायल ने इस क्षेत्र को ध्वस्त कर दिया।
- हाल ही में अमेरिका द्वारा आधिकारिक तौर पर यरुशलम और गोलान हाइट्स को इज़रायल के एक हिस्से के रूप में मान्यता दी गई है।

भारत-बांग्लादेश द्विपक्षीय वार्ता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के विदेश मंत्री ने द्विपक्षीय वार्ता के लिये बांग्लादेश का दौरा किया।

- यह बैठक मार्च 2021 में निर्धारित भारतीय प्रधानमंत्री की बांग्लादेश यात्रा से पहले आयोजित की जाएगी।
- इससे पूर्व वर्ष 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में बांग्लादेश के सशस्त्र बलों की 122 सदस्यीय टुकड़ी ने 72वें गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लिया था।

प्रमुख बिंदु

बांग्लादेश का पक्ष

- समस्याओं का समाधान
  - बांग्लादेश के मुताबिक, पड़ोसी देशों की समस्याओं को चर्चा और वार्ता के माध्यम से हल किया जाना चाहिये।
- एक-दूसरे के लाभ को प्राथमिकता
  - दोनों देशों को अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिये संभावित तरीकों पर ध्यान देना होगा और एक-दूसरे की प्राथमिकताओं को परस्पर लाभकारी तरीके से समायोजित करने पर ज़ोर देना होगा।
- महामारी के दौरान सहयोग
  - इस दौरान बांग्लादेश ने मौजूदा कोरोना वायरस महामारी के विरुद्ध टीकाकरण कार्यक्रम को लागू करने में दोनों देशों की सहयोगात्मक पहल के महत्त्व को भी रेखांकित किया।
  - बांग्लादेश ने भारत के सीरम इंस्टीट्यूट से वैक्सीन खरीदी है।
    - भारत में बनी वैक्सीन की 9 मिलियन खुराक के साथ बांग्लादेश इसका सबसे बड़ा प्राप्तकर्त्ता है।
- बहुआयामी संबंध
  - दोनों देश सुरक्षा, व्यापार, परिवहन और कनेक्टिविटी, संस्कृति, ऊर्जा, साझा संसाधनों और रक्षा समेत सभी आयामों में संबंधों का विस्तार करने के लिये प्रतिबद्ध हैं।

भारत का पक्ष

- भारत ने बांग्लादेश को 'विकासशील' देशों की श्रेणी से संबंधित सभी मापदंड पूरे करने पर बधाई दी।
  - ज्ञात हो कि बांग्लादेश वर्ष 1975 से ही संयुक्त राष्ट्र (UN) के 'सबसे कम विकसित' देशों (LDC) की श्रेणी में शामिल था।
  - किंतु वर्ष 2018 में बांग्लादेश ने 'विकासशील' देशों की श्रेणी से संबंधित सभी आवश्यक मापदंडों को पूरा कर लिया है।
  - इसलिये संयुक्त राष्ट्र ने बांग्लादेश को 'सबसे कम विकसित' देश की श्रेणी से 'विकासशील' देश की श्रेणी में शामिल करने की सिफारिश की है।
  - एक बार अंतिम सिफारिश प्राप्त होने पर बांग्लादेश वर्ष 2026 में औपचारिक रूप से विकासशील राष्ट्र की श्रेणी में शामिल हो जाएगा।
- रणनीतिक साझेदार:
  - भारत-बांग्लादेश रणनीतिक साझेदारी, दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध शांतिपूर्ण, समृद्ध और प्रगतिशील दक्षिण एशिया के सपने को साकार करने के लिये काफी महत्त्वपूर्ण हैं।
- महामारी के दौरान निरंतर वार्ता
  - कोरोना वायरस महामारी के बावजूद दोनों देशों के बीच बातचीत और परामर्श जारी रहा:
    - भारत और बांग्लादेश ने दिसंबर 2020 में एक वर्चुअल समिट का आयोजन किया।
    - सितंबर 2020 में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच एक संयुक्त सलाहकार आयोग का गठन किया गया।

नोट :

- तीस्ता नदी विवाद
  - तीस्ता नदी विवाद पर चर्चा के लिये भारत एवं बांग्लादेश के जल संसाधन सचिवों के बीच बैठक का आयोजन किया जाएगा।
- कनेक्टिविटी का विकास
  - भारत ने दक्षिण एशिया क्षेत्र के भू-आर्थिक परिदृश्य को बदलने के लिये बांग्लादेश के साथ आगामी 20 वर्षों के लिये कनेक्टिविटी के विकास पर ध्यान केंद्रित करने की इच्छा ज़ाहिर की है।
- भारत की विदेश नीति के केंद्र में बांग्लादेश
  - बांग्लादेश सदैव ही भारत की 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति के केंद्र में रहा है, साथ ही वह भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति के लिये भी प्रासंगिक है।
  - बांग्लादेश न केवल दक्षिण एशिया में बल्कि व्यापक इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भारत का एक महत्त्वपूर्ण पड़ोसी और भागीदार देश है।
- ज़मीनी स्थिति में सुधार
  - दोनों देशों के बीच ज़मीनी स्तर पर महत्त्वपूर्ण प्रगति हासिल की गई है।
    - अगरतला में छत्रोग्राम बंदरगाह के माध्यम से कंटेनर कार्गो के ट्रायल रन का संचालन करना।
    - त्रिपुरा को राष्ट्रीय जलमार्ग से जोड़ने वाले अंतर्देशीय जलमार्गों में दो नए प्रोटोकॉल मार्गों को जोड़ना।
    - बांग्लादेश को 10 ब्रॉड गेज इंजन प्रदान करना।
    - ऊर्जा क्षेत्र में एक संयुक्त उद्यम का विकास।

आगे की राह

- नागरिकता संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के कारण भारत और बांग्लादेश के संबंधों में बीते वर्ष कुछ तनाव देखने को मिला था, हालाँकि लगभग एक वर्ष बाद अब दोनों देशों के संबंधों में सुधार होता दिखाई दे रहा है, जो कि प्रायः 'क्विट' कूटनीति का एक परिणाम प्रतीत होता है। भारत को ऐसी साझेदारी के विकास पर ज़ोर देना चाहिये जो आर्थिक विकास और विकासात्मक मापदंडों में सुधार करने में सहायक हो।
- जियो-इकोनॉमिक में हो रहे परिवर्तनों को देखते हुए बांग्लादेश के साथ संबंधों को मज़बूत करना भारत के लिये काफी महत्त्वपूर्ण है। बांग्लादेश अपनी लगातार बढ़ती अर्थव्यवस्था और आर्थिक सफलता के साथ दक्षिण एशिया क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण भागीदार के रूप में उभर सकता है।
  - दोनों देश 54 ट्रांस-बाउंड्री नदियों को साझा करते हैं और इसलिये जल प्रबंधन काफी महत्त्वपूर्ण विषय है।
- भारत-बांग्लादेश संबंध महत्त्वपूर्ण स्तर पर पहुँच गए हैं, हालाँकि अभी भी सहयोग, समन्वय और समेकन के आधार पर दोनों देशों के संबंधों को अगले स्तर तक ले जाने की गुंजाइश शेष है।
- तीस्ता नदी जैसे विशिष्ट मुद्दों को हल करना और रोहिंग्या मुद्दे पर बांग्लादेश के आह्वान पर प्रतिक्रिया देना काफी महत्त्वपूर्ण है।

भारत-स्वीडन आभासी शिखर सम्मेलन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के और स्वीडन के प्रधानमंत्री ने एक आभासी शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों तथा आपसी हित के अन्य क्षेत्रीय एवं बहुपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की।

- इस शिखर सम्मेलन ने दोनों देशों को अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर चर्चा करने और महामारी के साथ-साथ आपसी महत्त्व के क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों, सतत् विकास, लैंगिक समानता, आतंकवाद और आपदा लचीली अवसंरचना सहित अन्य मुद्दों पर प्रतिक्रिया देने का अवसर प्रदान किया।

प्रमुख बिंदु

शिखर सम्मेलन की हाइलाइट्स:

- आर्थिक सहयोग:
  - दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भारत-स्वीडन सहयोगात्मक औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम (India-Sweden Collaborative Industrial Research & Development Programme) के तहत स्मार्ट एंड सस्टेनेबल सिटीज़, परिवहन प्रणाली, स्वच्छ प्रौद्योगिकियाँ और डिजिटलाइजेशन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के क्षेत्र में दूसरी बार संयुक्त औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास के निर्णय का स्वागत किया।
  - दोनों देशों द्वारा वर्ष 2021 के दौरान स्वास्थ्य और जीवन विज्ञान तथा वेस्ट टू वेल्थ यानि अपशिष्ट से धन के विषयवस्तु सहित चक्रीय अर्थव्यवस्था पर द्विपक्षीय अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देने की महत्त्वाकांक्षा की पुष्टि की गई।
- अन्य क्षेत्रों में सहयोग:
  - इस आभासी सम्मेलन के दौरान AIIMS-जोधपुर में भारत-स्वीडन हेल्थ हब के निर्माण का स्वागत किया गया।
  - दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने हाइड्रोजन अनुसंधान और इसके संभावित अनुप्रयोगों (अर्थात् ऊर्जा और अन्य प्रमुख उद्योगों में) के संदर्भ में हुई प्रगति का उल्लेख किया।
- बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग:
  - भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (International Solar Alliance- ISA) में शामिल होने के स्वीडन के फैसले का स्वागत किया।
  - स्वीडन ने वर्ष 2021-2022 के लिये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के निर्वाचित सदस्य के रूप में भारत के आठवें कार्यकाल पर बधाई दी।
  - दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UN Security Council- UNSC) में तत्काल सुधार के महत्त्व के विचार का समर्थन किया, जिसके तहत UNSC के विस्तार का उद्देश्य न केवल बहुपक्षवाद की विश्वसनीयता को बनाए रखना है बल्कि मानवता के समक्ष विद्यमान विभिन्न गंभीर चुनौतियों का सामना करना भी है।
  - भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में भारत की स्थायी सदस्यता के लिये स्वीडन को समर्थन हेतु धन्यवाद दिया।
  - साथ ही भारत ने यूरोपीय सुरक्षा एवं सहयोग संगठन (OSCE) की अध्यक्षता प्राप्त करने को लेकर स्वीडन को बधाई दी।
- जलवायु कार्रवाई:
  - सम्मेलन के दौरान पेरिस समझौते में अमेरिका के पुन:प्रवेश का स्वागत किया गया, जो कि यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो में आयोजित होने वाली COP26 से पूर्व वैश्विक जलवायु कार्रवाई को नई गति प्रदान करेगा।
  - इस दौरान भारत-स्वीडन संयुक्त पहल- लीडरशिप ग्रुप ऑन इंडस्ट्री ट्रांजिशन- में देशों बढ़ती सदस्यता का उल्लेख किया गया।
    - इसे सितंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन के दौरान न्यूयॉर्क में लॉन्च किया गया था।
  - वैश्विक पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से संबंधित चुनौतियों का सामना करने के लिये आर्कटिक परिषद के सदस्यों के मध्य सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई।
- सुरक्षा
  - गोपनीय सूचना के आदान-प्रदान और पारस्परिक सुरक्षा पर वर्ष 2019 के सामान्य सुरक्षा समझौते को अंतिम रूप देने का स्वागत किया गया, जिससे सभी रक्षा क्षेत्रों में एक व्यापक साझेदारी सक्षम हो सकेगी।
  - भारतीय प्रधानमंत्री ने स्वीडिश रक्षा फर्मों को 'मेक इन इंडिया कार्यक्रम' में हिस्सा लेने के लिये आमंत्रित किया (विशेष तौर पर तमिलनाडु एवं उत्तर प्रदेश के दो रक्षा उत्पादन गलियारों में निवेश हेतु)।

भारत-स्वीडन संबंध

- राजनीतिक संबंध: पहला भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन वर्ष 2018 में आयोजित किया गया था।
  - स्वीडन के राजा और रानी ने दिसंबर, 2019 में भारत का शाही दौरा किया था।

- आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध: वर्तमान में दोनों देशों के बीच लगभग 2 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार होता है। चीन और जापान के बाद, भारत एशिया में स्वीडन का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
  - भारत द्वारा स्वीडन में निर्यात की जाने वाली मुख्य वस्तुओं में शामिल हैं- वस्त्र एवं सहायक सामग्री; कपड़े का धागा,धातु निर्माण से संबंधित वस्तु; वाहन; सामान्य औद्योगिक मशीनरी और उपकरण आदि।
  - स्वीडन से भारत में आयात होने वाली मुख्य वस्तुओं में शामिल हैं- कागज़ की लुगदी, वाहन, कागज बोर्ड, सामान्य औद्योगिक मशीनरी और उपकरण आदि।
- यूरोपीय संघ का सदस्य होने के नाते, स्वीडन यूरोपीय संघ (EU) और यूरोपीय संघ के देशों के साथ भारत की साझेदारी को मज़बूत करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
- दोनों देशों के बीच निकट संबंध लोकतांत्रित मूल्यों, कानून के शासन, बहुलवाद, समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मानवाधिकारों को और मज़बूत करेंगे।

प्रथम भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन

- यह अप्रैल, 2018 में आयोजित किया गया था।
- इसका उद्देश्य भारत और पाँच नॉर्डिक देशों- स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क के बीच सहयोग को और अधिक मज़बूत करना था।
- भारत के लिये नॉर्डिक का महत्त्व
  - सुरक्षा, आर्थिक विकास और जलवायु परिवर्तन जैसे प्रमुख मुद्दों पर वार्ता।
  - भारत सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और शिक्षाविदों के बीच एक मज़बूत सहयोग के माध्यम से नवाचार के लिये नॉर्डिक दृष्टिकोण को अपना सकता है।
  - स्वच्छ प्रौद्योगिकी, समुद्री समाधान, बंदरगाह आधुनिकीकरण, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य, जीवविज्ञान और कृषि जैसे क्षेत्रों में, नॉर्डिक समाधान उपयोगी हो सकते हैं।

लीडरशिप ग्रुप ऑन इंडस्ट्री ट्रांजिशन

- लीडरशिप ग्रुप ऑन इंडस्ट्री ट्रांजिशन (LeadIT) उन देशों और कंपनियों का एक समूह है, जो पेरिस समझौते को प्राप्त करने हेतु कार्रवाई के लिये प्रतिबद्ध हैं।
- इसे सितंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में स्वीडन और भारत द्वारा लॉन्च किया गया था और यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा समर्थित है।
- इस समूह के सदस्य इस धारणा का समर्थन करते हैं कि वर्ष 2050 तक शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन को प्राप्त करने के उद्देश्य से, ऊर्जा-गहन उद्योग निम्न कार्बन लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में प्रगति कर सकता है।

ईरान का गिरता रुपया रिज़र्व

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय व्यापारियों ने ईरान के रुपए के घटते भंडार पर सावधानी बरतते हुए ईरानी खरीदारों के साथ नए निर्यात अनुबंधों पर हस्ताक्षर करना लगभग बंद कर दिया है।

- इससे पहले वर्ष 2020 में भारतीय विदेश मंत्रालय ने सूचित किया था कि अब वह ईरान की फरज़ाद-बी गैस क्षेत्र परियोजना (Farzad-B Gas field Project) में शामिल नहीं है। इसका कारण ईरानी सरकार द्वारा नीतिगत परिवर्तन, ईरान के अनिश्चित वित्त और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिबंधों (USA sanctions) को बताया गया था।
- ईरान ने वर्ष 2020 में एक विधेयक पारित किया, जिसके अनुसार ईरानी मुद्रा रियाल (Rial) में चार स्लैब अर्थात चार शून्य तक की कटौती की गई। इस विधेयक से ईरान की वर्तमान मुद्रा रियाल को बदलकर तोमान (Toman) किया गया।

प्रमुख बिंदु

गिराता हुआ रिज़र्व:

- ईरान का रुपया भारत के UCO और IDBI बैंक में आरक्षित है, ये दोनों बैंक रुपया व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिये अधिकृत हैं।

रिज़र्व में गिरावट का कारण:

- ईरान तेल की बिक्री के लिये संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिबंधों से अमेरिकी डॉलर का उपयोग करने में असमर्थ है।
- ईरान ने पहले रुपए के बदले भारत को तेल बेचने के लिये एक सौदा किया था, जिसका उपयोग उसने कृषि वस्तुओं सहित महत्त्वपूर्ण वस्तुओं का आयात करने हेतु किया, लेकिन भारत ने मई 2019 में अमेरिकी प्रतिबंधों की समय सीमा समाप्त होने के बाद से तेहरान का तेल खरीदना बंद कर दिया।
- ईरान ने भारत से सामान खरीदने हेतु अपने रुपए का उपयोग जारी रखा, लेकिन ईरान के कच्चे तेल की बिक्री 22 महीने तक नहीं होने से उसके रुपए के भंडार में गिरावट आई है।
  - ईरान का भंडार काफी कम हो गया है और जल्द ही खत्म हो जाएगा क्योंकि इसका व्यापार बंद हो गया है।

निहितार्थ:

- निर्यातकों की आशंका:
  - निर्यातकों को विश्वास नहीं है कि उन्हें नए शिपमेंट के लिये समय पर भुगतान किया जाएगा और वे ईरान से भुगतान में देरी होने के कारण समझौता करने से बच रहे हैं।
- भारतीय निर्यात में गिरावट:
  - भारत द्वारा ईरान को किया जाना वाला समग्र निर्यात वर्ष 2020 में 42% गिरकर एक साल पहले 2.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर गो गया, जो एक दशक में सबसे कम था।
  - वर्ष 2021 में भी गिरावट जारी है और इस साल जनवरी में एक साल पहले की तुलना में निर्यात घटकर 100.20 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।
- चीन का बढ़ता प्रभाव:
  - हाल ही में ईरान और चीन के बीच हस्ताक्षरित समझौते से बैंकिंग, दूरसंचार, बंदरगाह, रेलवे आदि परियोजनाओं में चीनी की उपस्थिति का ईरान में विस्तार होगा।
- भारत के हितों की सुरक्षा:
  - भारत के 400 अरब अमेरिकी डॉलर के समझौते को चीन और ईरान के बीच हुआ रणनीतिक समझौता बाधित कर सकती है, जिसके अंतर्गत भारत चाबहार (Chabahar) बंदरगाह के माध्यम से अफगानिस्तान और फिर अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे (International North South Transportation Corridor) से तथा जुड़ना चाहता है, हालाँकि ईरान द्वारा अभी तक इन परियोजनाओं से अलग होने का कोई संकेत नहीं दिया गया है।
- भारत की क्षेत्र में भूमिका:
  - भारत द्वारा ईरान से संबंध बनाये रखना, सऊदी अरब और इज़रायल के साथ-साथ पश्चिम एशिया में अपनी संतुलन नीति को बनाये रखना चुनौतीपूर्ण होगा।
- सांप्रदायिक तनाव से बचना:
  - भारत में शिया और सुन्नी दोनों मुसलमानों की बड़ी संख्या रहती है, जिससे भारत इस क्षेत्र में किसी भी सांप्रदायिक तनाव से खुद को अलग करना चाहता है। अत: भारत को ईरान के साथ ना तो पूरी तरह से नाता तोड़ना चाहिये और ना ही अमेरिका की खुलकर आलोचना करनी चाहिये।
- भारत की ऊर्जा सुरक्षा:
  - भारत इस्लामिक राष्ट्र से आयात होने वाले कुल तेल का 90% हिस्सा ईरान से आयात करता था, जिसको अब रोक दिया गया है।

- भारत वर्ष 2018 के मध्य तक चीन के बाद ईरान से तेल आयात करने वाला प्रमुख देश था।

- शांतिपूर्ण अफगानिस्तान:
  - भारत, अफगानिस्तान में निवेश करने वाला एक प्रमुख देश है, इसलिये वह अफगानिस्तान में निर्वाचित, लोकतांत्रिक, संप्रभु और शांतिपूर्ण व्यवस्था चाहता है।
  - भारत, अफगानिस्तान के पड़ोस में विकसित हो रहे ईरान - पाकिस्तान - चीन धुरी को एक ऐसे क्षेत्र के रूप में देख रहा है जहाँ आतंकवादियों को शरण दी जाएगी।
- पाकिस्तान का प्रभाव:
  - पाकिस्तान की सक्रियता मध्य-पूर्व (Middle-East) में अधिक है। वह इस्लामिक सहयोग संगठन (Organisation of Islamic Cooperation) के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर और अरब देशों के साथ संबंध बनाकर कश्मीर मुद्दे पर उनका समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहा है।

आगे की राह

- भारत सरकार का वर्ष 2019 में ईरान से तेल आयात को रोकने का निर्णय भारत-अमेरिका संबंधों को देखते हुए लिया गया था, लेकिन भारत को आज एक ऐसे मार्ग की ज़रूरत है जिस पर चल कर वह या तो अमेरिका से ईरान से व्यापार को बनाये रखने पर छूट प्राप्त कर ले या फिर उसके प्रतिबंधों को दरकिनार करके अपनी ऊर्जा जरूरतों तथा क्षेत्रीय विदेश नीति के उद्देश्यों को देखते हुए ईरान के साथ अपना व्यापार जारी रखे जैसा कि वर्ष 2012-13 में किया गया था।
- भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिये मध्य पूर्व के तेल और गैस पर अत्यधिक निर्भर है। अत: इसे ईरान, यूएई, कतर और सऊदी अरब के साथ-साथ इराक सहित प्रमुख ऊर्जा आपूर्तिकर्त्ताओं के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखना चाहिये।

INSTC कॉरिडोर और चाबहार बंदरगाह

चर्चा में क्यों?

भारत ने चाबहार बंदरगाह को 13 देशों के 'अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन कॉरिडोर' (INSTC) में शामिल करने की मंशा व्यक्त की है और 'मैरीटाइम इंडिया समिट' के दौरान चाबहार दिवस समारोह में INSTC सदस्यता का विस्तार करने के लिये अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान से इसमें शामिल होने का आग्रह किया गया।

- इस शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान, आर्मेनिया, ईरान, कज़ाखस्तान, रूस और उज़्बेकिस्तान के अवसंरचना क्षेत्र से संबंधित मंत्रियों सहित कई क्षेत्रीय अधिकारियों ने भाग लिया।

प्रमुख बिंदु:

भारत का प्रस्ताव:

- INSTC जो कि ईरान के सबसे बड़े बंदरगाह बंदर अब्बास से होकर गुज़रता है, में चाबहार बंदरगाह को शामिल करने का प्रस्ताव भारत ने रखा है तथा कहा है कि काबुल (अफगानिस्तान) और ताशकंद (उज़्बेकिस्तान) में भूमि मार्ग के माध्यम से INSTC के "पूर्वी गलियारे" का निर्माण होगा।
  - चाबहार को INSTC में शामिल करने के लिये भारत का यह प्रस्ताव, अमेरिका द्वारा संयुक्त व्यापक कार्रवाई योजना (Joint Comprehensive Plan Of Action-JCPOA) परमाणु समझौते पर ईरान के साथ वार्ता की स्थिति बहाल करने और कुछ प्रतिबंधों में संभावित ढील को ध्यान में रखकर भी दिया गया है।
- अफगानिस्तान के माध्यम से एक पूर्वी गलियारे की स्थापना इसकी क्षमता में वृद्धि करेगी।
  - भारत ने अफगानिस्तान और ईरान को मानवीय सहायता, आपातकालीन आपूर्ति और व्यापार के अवसरों में वृद्धि करने के मामले में हाल के वर्षों में चाबहार की भूमिका पर प्रकाश डाला।

चाबहार बंदरगाह:

- अवस्थिति:
  - यह ओमान की खाड़ी पर स्थित है और पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से केवल 72 किमी. दूर है, जिसे चीन द्वारा विकसित किया गया है।

अन्य तथ्य:

- यह एकमात्र ईरानी बंदरगाह है जिसकी हिंद महासागर तक सीधी पहुँच है और इसमें दो अलग-अलग बंदरगाह हैं- जिनका नाम शाहिद बेहिश्ती और शाहिद कलंतरी है।
- अफगानिस्तान, ईरान और भारत ने चाबहार बंदरगाह को विकसित करने और वर्ष 2016 में एक त्रिपक्षीय परिवहन एवं पारगमन गलियारा स्थापित करने के लिये त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किये।

महत्त्व:

- भारत के संदर्भ में:
  - संपर्क:
    - यह भारत की अफगानिस्तान और मध्य एशियाई राज्यों से कनेक्टिविटी बढ़ाने की एक महत्त्वपूर्ण योजना है।
  - चीन और पाकिस्तान को प्रत्युत्तर:
    - यह अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ व्यापार के लिये एक स्थायी वैकल्पिक मार्ग खोलता है, क्योंकि पाकिस्तान मुख्य मार्ग में बाधाएँ उत्पन्न करता है।
    - चीन और पाकिस्तान 'चीन पाक आर्थिक गलियारे' (CPEC) तथा ग्वादर बंदरगाह के माध्यम से आर्थिक एवं व्यापार सहयोग बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, पाकिस्तान चीन के 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' (BRI) का भी हिस्सा है।
  - इंडो-पैसिफिक रणनीति का एक भाग: चाबहार बंदरगाह भारत की इंडो-पैसिफिक रणनीति का एक प्रमुख भाग है जिसमें हिंद महासागर क्षेत्र के साथ यूरेशिया भी शामिल है।
- अफगानिस्तान के संदर्भ में:
  - यह बुनियादी ढाँचे और शिक्षा परियोजनाओं के माध्यम से अफगानिस्तान के विकास में भारत की भूमिका को सुविधाजनक बनाएगा।
- मध्य एशियाई देशों के संदर्भ में:
  - मध्य एशियाई देश जैसे- कज़ाखस्तान, उज़्बेकिस्तान भी चाबहार बंदरगाह को हिंद महासागर क्षेत्र के प्रवेश द्वार के रूप में देखते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC):

- यह सदस्य देशों के बीच परिवहन सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ईरान, रूस और भारत द्वारा सेंट पीटर्सबर्ग में 12 सितंबर, 2000 को स्थापित एक बहु-मॉडल परिवहन परियोजना है।
  - INSTC में ग्यारह नए सदस्यों को शामिल करने के लिये इसका विस्तार किया गया - अज़रबैजान गणराज्य, आर्मेनिया गणराज्य, कज़ाखस्तान गणराज्य, किर्गिज़ गणराज्य, ताजिकिस्तान गणराज्य, तुर्की गणराज्य, यूक्रेन गणराज्य, बेलारूस गणराज्य, ओमान, सीरिया और बुल्गारिया (पर्यवेक्षक)।
- यह माल परिवहन के लिये जहाज़, रेल और सड़क मार्ग के 7,200 किलोमीटर लंबे मल्टी-मोड नेटवर्क को लागू करता है, जिसका उद्देश्य भारत और रूस के बीच परिवहन लागत को लगभग 30% कम करना तथा पारगमन समय को 40 दिनों के आधे से अधिक कम करना है।
- यह कॉरिडोर इस्लामिक गणराज्य ईरान के माध्यम से हिंद महासागर और फारस की खाड़ी को कैस्पियन सागर से जोड़ता है तथा रूसी संघ के माध्यम से सेंट पीटर्सबर्ग एवं उत्तरी यूरोप से जुड़ा हुआ है।

अफगान शांति प्रक्रिया और भारत

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान में शांति के लिये भविष्य की राह निर्धारित करने हेतु एक नई शांति योजना की परिकल्पना की है।

- योजना के तहत अमेरिका के तत्त्वावधान में एक क्षेत्रीय सम्मेलन का प्रस्ताव दिया गया है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, रूस, चीन, पाकिस्तान और ईरान के विदेश मंत्रियों के साथ अफगानिस्तान पर 'एकीकृत' दृष्टिकोण के माध्यम से चर्चा की जाएगी।

प्रमुख बिंदु

अमेरिकी राष्ट्रपति की नई शांति योजना

- सैन्य वापसी में विलंब: इस शांति योजना ने इस संभावना को प्रबल कर दिया है कि वर्तमान में अफगानिस्तान में तैनात अमेरिकी सैनिक लंबे समय तक अफगानिस्तान में रह सकते हैं।
  - इससे पूर्व अमेरिका-तालिबान समझौते के तहत अमेरिका ने मई 2021 तक सभी सैनिकों को वापस अमेरिका लाने का वादा किया था।
- तत्काल कार्रवाई: अमेरिका, तालिबान पर कम-से-कम 90 दिनों तक हिंसा कम करने संबंधी तात्कालिक समझौते को स्वीकार करने हेतु दबाव बना रहा है, ताकि शांति स्थापित करने के लिये एक नया मार्ग बनाया जा सके।
- समावेशी प्रक्रिया: अमेरिका अफगानी पक्षों पर किसी भी प्रकार की 'शर्त' लागू नहीं करेगा, बल्कि अमेरिका एक समावेशी अंतरिम सरकार, नई राजनीतिक व्यवस्था के लिये 'मूलभूत सिद्धांतों' पर आधारित एक समझौता और एक 'स्थायी एवं व्यापक युद्ध विराम' की व्यवस्था प्रदान करेगा।
- तुर्की की भूमिका: अमेरिका, तुर्की को काबुल (अफगानिस्तान की राजधानी) में हो रहे शांति समझौते में तुर्की को शामिल करने और इस समझौते को अंतिम रूप देने में सहायता करने पर ज़ोर दे रहा है।
- एकीकृत दृष्टिकोण: अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र से कहा कि वह अफगानिस्तान में शांति के लिये 'एकीकृत दृष्टिकोण' विकसित करने हेतु चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान, भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की वार्ता आयोजित करे।

'एकीकृत दृष्टिकोण' के माध्यम से शांति प्रक्रिया में भारत की भूमिका

- शांति स्थापित करने की प्रक्रिया में भारत काफी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है और अमेरिका ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है।
- भारत, अफगानिस्तान में शांति और सुलह के लिये सभी प्रयासों का समर्थन करता है, जो कि समावेशी और अफगान-नेतृत्व एवं अफगान-नियंत्रित होगा।
- भारत ने अवसंरचना के विकास, सुरक्षा बलों को प्रशिक्षित करने और आवश्यक उपकरणों की आपूर्ति करने में भारी निवेश किया है।
- अफगानिस्तान की स्थिरता भारत के दृष्टिकोण से काफी महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि इसने अफगानिस्तान के विकास के संदर्भ में काफी निवेश किया है।
- भारत विशेष तौर पर आतंकवाद, हिंसा, महिला अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों से संबंधित मानकों को स्थापित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

अफगानिस्तान में भारत के हित

- आर्थिक और सामरिक हित: अफगानिस्तान तेल एवं खनिज संपन्न मध्य एशियाई गणराज्यों के लिये प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है।
  - अफगानिस्तान की सत्ता ही भारत को मध्य एशिया (अफगानिस्तान के माध्यम से) से जोड़ने वाले भूमि मार्गों को नियंत्रित करती है।
- विकास परियोजनाएँ: अफगानिस्तान में व्यापक स्तर पर पुनर्निर्माण की योजनाएँ, भारतीय कंपनियों के लिये कई विशिष्ट अवसर पैदा करेंगी।
  - इन प्रमुख परियोजनाओं में अफगान संसद, डेलारम-जरंज राजमार्ग और अफगानिस्तान-भारत मैत्री बाँध (सलमा बाँध) आदि शामिल हैं।
  - इसके अलावा 3 बिलियन डॉलर से अधिक की भारत की सहायता और सैकड़ों छोटी विकास परियोजनाएँ (जैसे- स्कूल, अस्पताल और जल परियोजना) आदि ने अफगानिस्तान में भारत की स्थिति काफी मज़बूत की है।

नोट :

- सुरक्षा संबंधी हित: भारत, पाकिस्तान समर्थित राज्य प्रायोजित आतंकवाद से प्रभावित है, जो इस क्षेत्र में सक्रिय आतंकवादी समूहों (जैसे- हक्कानी नेटवर्क आदि) का समर्थन करता है। अत: अफगानिस्तान में एक मैत्रीपूर्ण सरकार स्थापित करने से पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद से निपटने में मदद मिल सकती है।

चुनौतियाँ

- अफगान सरकार और तालिबान दोनों ही किसी भी प्रकार से सत्ता के बँटवारे के लिये तैयार नहीं हैं।
  - तालेबान, पाकिस्तान में अपने शरणस्थलों को छोड़ने को तैयार नहीं है और न ही वह अफगानिस्तान में सख्त इस्लामी व्यवस्था को कमज़ोर होने देना चाहता है।
- इसके अलावा स्वयं तालिबान भी आंतरिक रूप से काफी विभाजित है। यह विभिन्न क्षेत्रीय और आदिवासी समूहों से मिलकर बना है जो अर्द्ध-स्वायत्तता के साथ काम करता है।
  - अत: यह संभव है कि उनमें से कुछ हिंसक गतिविधियों को जारी रखें, जिससे शांति और संवाद प्रक्रिया प्रभावित होगी।

आगे की राह

- इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता स्थापित करने के लिये एक स्वतंत्र, संप्रभु, लोकतांत्रिक, बहुलवादी और समावेशी अफगानिस्तान काफी महत्त्वपूर्ण है।
- यह सुनिश्चित करने के लिये अफगान शांति प्रक्रिया का अफगान नेतृत्त्व, अफगान स्वामित्व और अफगान नियंत्रित होना आवश्यक है।
- साथ ही वैश्विक समुदाय का आतंकवाद जैसे वैश्विक मुद्दे के विरुद्ध भी एकजुट होना आवश्यक है। ऐसे में यह समय 'अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय' (CCIT) को लागू करने की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हो सकता है, जिसे भारत द्वारा वर्ष 1996 में संयुक्त राष्ट्र में प्रस्तावित किया गया था।
- यद्यपि अमेरिका द्वारा की जा रही नई पहल एक महत्त्वपूर्ण कदम है, किंतु आगे की राह काफी चुनौतीपूर्ण होगी। अफगानिस्तान में स्थायी शांति स्थापित करने के लिये सभी पक्षों को धैर्य के साथ मध्यमार्ग अपनाने की आवश्यकता होगी।

उइगर मुस्लिम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में तुर्की में कई सौ उइगर मुस्लिम महिलाओं ने चीन के साथ तुर्की के प्रत्यर्पण समझौते के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विरोध प्रदर्शन किया और चीन के शिनजियांग प्रांत में बड़े पैमाने पर बने शिविरों को जल्द-से-जल्द बंद करने की मांग की।

- इससे पहले वर्ष 2020 में अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेज़ेंटेटिव्स ने उइगर मुसलमानों के उत्पीड़न के लिये ज़िम्मेदार चीनी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने हेतु एक कानून को मंज़ूरी दी थी।

प्रमुख बिंदु

उइगर मुस्लिम

- उइगर मुख्य रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यक तुर्क जातीय समूह हैं, जिनकी उत्पत्ति मध्य एवं पूर्वी एशिया से मानी जाती है।
  - उइगर अपनी स्वयं की भाषा बोलते हैं, जो कि काफी हद तक तुर्की भाषा के समान है और उइगर स्वयं को सांस्कृतिक एवं जातीय रूप से मध्य एशियाई देशों के करीब पाते हैं।
- उइगर मुस्लिमों को चीन में आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त 55 जातीय अल्पसंख्यक समुदायों में से एक माना जाता है।
- हालाँकि चीन उइगर मुस्लिमों को केवल एक क्षेत्रीय अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता देता है और यह अस्वीकार करता है कि वे स्वदेशी समूह हैं।
- वर्तमान में उइगर जातीय समुदाय की सबसे बड़ी आबादी चीन के शिनजियांग क्षेत्र में रहती है।
  - उइगर मुस्लिमों की एक महत्त्वपूर्ण आबादी पड़ोसी मध्य एशियाई देशों जैसे- उज़्बेकिस्तान, किर्गिज़स्तान और कज़ाखस्तान में भी रहती है।

- शिनजियांग तकनीकी रूप से चीन के भीतर एक स्वायत्त क्षेत्र है और यह क्षेत्र खनिजों से समृद्ध है तथा भारत, पाकिस्तान, रूस और अफगानिस्तान सहित आठ देशों के साथ सीमा साझा करता है।

उइगरों का उत्पीड़न

- पिछले कुछ दशकों में चीन के शिनजियांग प्रांत की आर्थिक समृद्धि में काफी बढ़ोतरी हुई है और इसी के साथ इस प्रांत में चीन के हान समुदाय के लोगों की संख्या में भी काफी वृद्धि हुई है, जो कि इस क्षेत्र में बेहतर रोज़गार कर रहे हैं जिसके कारण उइगर मुस्लिमों के समक्ष आजीविका एवं अस्तित्व का संकट उत्पन्न हो गया है।
  - इसी वजह से वर्ष 2009 में दोनों समुदायों के बीच हिंसा भी हुई, जिसके कारण शिनजियांग प्रांत की राजधानी उरुमकी में 200 से अधिक लोग मारे गए, जिनमें से अधिकतर चीन के हान समुदाय से संबंधित थे।
- दशकों से शिनजियांग प्रांत के उइगर मुस्लिम, आतंकवाद और अलगाववाद संबंधी झूठे आरोपों के कारण उत्पीड़न, ज़बरन नज़रबंदी, गहन जाँच, निगरानी और यहाँ तक कि गुलामी जैसे तमाम तरह के दुर्व्यवहारों का सामना कर रहे हैं।
  - चीन ने अपने शिविरों और प्रशिक्षण केंद्रों में हज़ारों उइगर मुस्लिमों को ज़बरन कैद कर रखा है, हालाँकि चीन इन शिविरों को 'शैक्षिक केंद्र' के रूप में प्रस्तुत करता रहा है, उसका कहना है कि यहाँ उइगरों को 'चरमपंथी विचारों' और 'कट्टरपंथीकरण' से बाहर निकलने तथा पेशेवर कौशल प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है।
- चीन का दावा है कि उइगर समूह एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करना चाहते हैं और पड़ोसी क्षेत्रों के साथ उइगरों समुदाय के सांस्कृतिक संबंधों के कारण चीन के प्रतिनिधियों को भय है कि कुछ बाहरी शक्तियाँ शिनजियांग प्रांत में अलगाववादी आंदोलन को जन्म दे सकती हैं।

चीन की प्रत्यर्पण संधि

- दिसंबर 2020 में चीन ने तुर्की के साथ एक प्रत्यर्पण संधि को मंज़ूरी दी थी, जिसका उद्देश्य आतंकवादियों सहित अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों पर कार्रवाई हेतु न्यायिक सहयोग को मज़बूत करना था।
  - प्रत्यर्पण किसी देश द्वारा अपनाई जाने वाली औपचारिक प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति को दूसरे देश में अभियोजन के लिये आत्मसमर्पण करने या प्रार्थी देश के अधिकार क्षेत्र में अपराध करने वाले व्यक्ति पर अभियोग चलाने की अनुमति प्रदान करती है।
- यह प्रत्यर्पण समझौता ऐसे समय पर किया गया, जब तुर्की और चीन के बीच आर्थिक एवं वित्तीय संबंध काफी मज़बूत हो रहे हैं।
  - चीन, तुर्की के लिये कोरोना वायरस वैक्सीन का प्रमुख आपूर्तिकर्त्ता है।
- 1990 के बाद से तुर्की में उइगर प्रवासी और अधिक जीवंतता के साथ प्रदर्शनों, सम्मेलनों एवं बैठकों आदि के माध्यम से विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं।
- उइगर मुस्लिमों से संबंधित चिंताएँ
  - यदि तुर्की संधि की पुष्टि करता है, तो यह संधि तुर्की में उइगर मुस्लिमों और उनकी संस्कृति पर काफी प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, क्योंकि इससे उइगर प्रवासियों का आंदोलन कमज़ोर हो जाएगा।
  - यह संधि उइगर अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न करने और उनके विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिये चीन को एक नया उपकरण प्रदान करेगी।

भारत का पक्ष

- भारत सरकार ने उइगर मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचारों और उनके उत्पीड़न को लेकर अभी तक कोई विशिष्ट एवं औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है।

आगे की राह

- सभी देशों को उइगर मुस्लिमों को लेकर अपनी स्थिति पर पुनर्विचार करना चाहिये और शिनजियांग प्रांत में मुस्लिमों के साथ हो रहे उत्पीड़न को रोकने के लिये चीन से तत्काल आग्रह करना चाहिये।
- चीन को अपने पेशेवर प्रशिक्षण केंद्रों को बंद करना चाहिये और धार्मिक एवं राजनीतिक कैदियों को जेलों व शिविरों से रिहा करना चाहिये। चीन को सही मायने में बहुसंस्कृतिवाद की अवधारणा को अपनाना चाहिये और उइगरों तथा चीन के अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों को चीन के सामान्य नागरिक की तरह स्वीकार करना चाहिये।

भारत-बांग्लादेश परिवहन कनेक्टिविटी का महत्त्व: विश्व बैंक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व बैंक की रिपोर्ट "कनेक्टिंग टू थ्राइव: चैलेंजेज़ एंड अपॉर्च्युनिटीज़ ऑफ ट्रांसपोर्ट इंटीग्रेशन इन ईस्टर्न साउथ एशिया" में कहा गया है कि भारत और बांग्लादेश के बीच निर्बाध परिवहन कनेक्टिविटी बांग्लादेश तथा भारत की राष्ट्रीय आय को क्रमश: 17% और 8% तक बढ़ाने की क्षमता रखती है। ।

- रिपोर्ट में बांग्लादेश-भूटान-भारत-नेपाल (BBIN) मोटर वाहन समझौते (MVA) का विश्लेषण किया गया है।

प्रमुख बिंदु:

विभिन्न मुद्दे:

- व्यापार:
  - दोनों देशों के द्विपक्षीय व्यापार में बांग्लादेश के व्यापार का लगभग 10% और भारत के व्यापार का मात्र 1% हिस्सा है।
    - उच्च टैरिफ, पैरा-टैरिफ और नॉन टैरिफ बाधाएँ भी प्रमुख व्यापार बाधाओं के रूप में मौजूद हैं। बांग्लादेश और भारत में टैरिफ का औसत वैश्विक औसत के दोगुने से अधिक है।
- सीमा पारगमन संबंधी जटिलता:
  - परिवहन एकीकरण में कमी बांग्लादेश और भारत के बीच की सीमा को दुर्गम बनाता है। भारत-बांग्लादेश के बीच सबसे महत्त्वपूर्ण सीमा चौकी पेट्रापोल-बेनापोल को पार करने में कई दिन लगते हैं।
    - इसके विपरीत पूर्वी अफ्रीका सहित दुनिया के अन्य क्षेत्रों में सीमाओं को पार करने में लगने वाला समय छह घंटे से भी कम है।
- पूर्वोत्तर की अलग स्थिति:
  - भारतीय ट्रकों को बांग्लादेश से होकर जाने की अनुमति नहीं है। भारत का उत्तर-पूर्व क्षेत्र देश के बाकी हिस्सों से अलग-थलग है और केवल 27 किलोमीटर चौड़े सिलीगुड़ी कॉरिडोर के माध्यम से जुड़ा हुआ है, जिसे "चिकन नेक" भी कहा जाता है। इस कारण परिवहन मार्ग बहुत लंबा और महँगा है।

बेहतर कनेक्टिविटी के लाभ:

- वास्तविक आय में वृद्धि:
  - बांग्लादेश के सभी ज़िले एकीकरण से लाभान्वित होंगे तथा पूर्वी ज़िलों की वास्तविक आय में बड़ा लाभ होगा।
  - बांग्लादेश के सीमावर्ती राज्य जैसे उत्तर-पूर्व में असम, मेघालय, मिज़ोरम और त्रिपुरा तथा पश्चिम में पश्चिम बंगाल एवं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे दूर स्थित राज्यों को भी सहज कनेक्टिविटी का अधिक आर्थिक लाभ मिलेगा।
- निर्यात में वृद्धि:
  - बांग्लादेश से भारत को किये जाने वाले निर्यात में 297% की वृद्धि और भारत से बांग्लादेश को किये जाने वाले निर्यात में 172% की वृद्धि होगी।
- सामरिक महत्त्व:
  - भौगोलिक रूप से बांग्लादेश की अवस्थिति इसे भारत, नेपाल, भूटान और अन्य पूर्वी एशियाई देशों के लिये एक रणनीतिक प्रवेश द्वार बनाती है। क्षेत्रीय व्यापार, पारगमन और रसद नेटवर्क में सुधार करके बांग्लादेश एक आर्थिक महाशक्ति बन सकता है।

महत्त्वपूर्ण सिफारिशें:

- MVA को सशक्त बनाना:
  - चालक के लाइसेंस और वीज़ा नियमों में सामंजस्य बिठाना।
  - एक कुशल क्षेत्रीय पारगमन सुविधा की स्थापना।
  - व्यापार और परिवहन दस्तावेज़ों को युक्तिसंगत एवं डिजिटल बनाना।

नोट :

    - व्यापार मार्गों के चयन प्रक्रिया को उदार बनाना।
- क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार:
    - क्षेत्रीय गलियारों के साथ कोर परिवहन और रसद अवसंरचना ढाँचे की प्रभावी क्षमता में विस्तार करना।
    - परिवहन सेवा बाज़ारों में प्रतिस्पर्द्धा सुनिश्चित करना।
    - भूमि पत्तन और समुद्री पत्तनों पर आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी के बुनियादी ढाँचे का निर्माण करना।
    - बांग्लादेश और भारत में 'ऑफ-बॉर्डर कस्टम क्लीयरेंस' सुविधाएँ विकसित करना।
- स्थानीय समुदायों का एकीकरण:
    - स्थानीय बाज़ारों को क्षेत्रीय गलियारों से जोड़ना।
    - निर्यात-उन्मुख मूल्य शृंखलाओं में रसद संबंधी बाधाओं को दूर करना।
    - वृहत् समुदाय और घरेलू स्तर पर निर्यात-उन्मुख कृषि मूल्य शृंखलाओं में महिलाओं की भागीदारी में सुधार करना।

बांग्लादेश-भूटान-भारत-नेपाल मोटर वाहन समझौता:

BBIN:

- इस समझौते को यात्री, व्यक्तिगत व माल ढुलाई वाहनों के यातायात नियमन हेतु अमल में लाया गया है।
- इस समझौते का मुख्य उद्देश्य इस उप क्षेत्र में सड़क यातायात को सुरक्षित, आर्थिक और पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल बनाना है।
- वर्ष 2015 में बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल के बीच भूटान की राजधानी थिंपू में BBIN मोटर वाहन समझौते पर हस्ताक्षर किये गए थे।
    - समझौते के अनुसार, सदस्य देश अन्य देशों में पंजीकृत वाहनों को कुछ नियमों और शर्तों के तहत अपने क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति देंगे। सीमा शुल्क और अन्य शुल्क का निर्धारण संबंधित देशों द्वारा किया जाएगा तथा इन्हें द्विपक्षीय एवं त्रिपक्षीय मंचों पर अंतिम रूप दिया जाएगा।
    - MVA के कार्यान्वयन में देरी हुई है क्योंकि देश कुछ प्रावधानों पर स्पष्टीकरण चाहते हैं।
- उद्देश्य:
    - व्यक्तियों और सामानों की सीमा पार आवाजाही को सुविधाजनक बनाकर लोगों को सहज संपर्क प्रदान करना और आर्थिक संपर्क बढ़ाना।

क्वाड शिखर सम्मेलन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने क्वाड (QUAD) समूह के प्रतिनिधियों के पहले शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस बैठक को अमेरिका द्वारा एक आभासी मंच पर आयोजित किया गया।

- इससे पहले फरवरी 2021 में क्वाड मंत्रिस्तरीय बैठक में भारत-प्रशांत क्षेत्र और म्याँमार में सैन्य अधिग्रहण के मुद्दों पर चर्चा हुई।
- क्वाड भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान देशों का एक समूह है, जिसका उद्देश्य भारत-प्रशांत क्षेत्र में लोकतांत्रिक देशों के हितों की रक्षा करना और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना है।

प्रमुख बिंदु:

केंद्रीय बिंदु:

- कोविड-19, जलवायु परिवर्तन और उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे विषय।

संकल्प:

- क्वाड, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों पर आधारित 'स्वतंत्र, मुक्त एवं समृद्ध' भारत-प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने तथा भारत-प्रशांत क्षेत्र और क्षेत्रों में मौजूद चुनौतियों से निपटने के प्रति प्रतिबद्ध है।

प्रमुख बिंदु:

- क्वाड वैक्सीन पार्टनरशिप:
  - महामारी का मुकाबला करने के लिये टीकों तक "न्यायसंगत" पहुँच सुनिश्चित करने हेतु सहमत।
  - अपने वित्तीय संसाधनों, विनिर्माण क्षमताओं और तार्किक शक्तियों को एकत्रित करने की योजना पर सहमत।
  - जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भारत द्वारा शुरू की गई वैक्सीन मैत्री पहल को वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे।
  - भारत की 'वैक्सीन मैत्री पहल' (भारत की वैक्सीन कूटनीति) की सराहना की।
  - वैक्सीन मैत्री पहल पड़ोसी देशों को कोविड-19 के टीके प्रदान करने के लिये भारत द्वारा शुरू की गई एक पहल है।
- चीन से संबंधित चर्चा:
  - वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर क्वाड नेताओं ने चीनी आक्रामकता के कई उदाहरणों में से एक के रूप में चर्चा की।
  - हॉन्गकॉन्ग, शिनज़ियांग, ताइवान स्ट्रेट और ऑस्ट्रेलिया पर दवाब तथा सेनकाकू विवाद से संबंधित अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई।
  - संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिष्ठानों (Microsoft Exchange और Solar Winds) पर चीनी साइबर हमले के बारे में और भारत, जापान तथा ऑस्ट्रेलिया में साइबर सुरक्षा संबंधी घटनाओं पर भी चर्चा की गई।

भारत का पक्ष:

- क्वाड अपने लोकतांत्रिक मूल्यों के चलते एकजुट है और भारत-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता का एक महत्त्वपूर्ण स्तंभ बना रहेगा।
- इस समूह को प्राचीन भारतीय दर्शन 'वसुधैव कुटुंबकम' का विस्तार कहा जाता है, जो दुनिया को एक परिवार मानता है।

अमेरिका का पक्ष:

- क्वाड एक सैन्य गठबंधन या उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (NATO) के समकक्ष नहीं है, यह अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी, जलवायु और सुरक्षा पर सहयोग करने का अवसर है।
- समुद्री सुरक्षा, मानवीय और आपदा प्रतिक्रिया क्वाड एजेंडे के मूल में हैं।
- भारत-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग के लिये QUAD एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र बनता जा रहा है।

ऑस्ट्रेलिया का पक्ष:

- क्वाड समूह के माध्यम से समान विचारधारा वाले लोकतंत्रों के एक नए स्थायी और शक्तिशाली क्षेत्रीय समूह की शुरुआत हो सकती है।

जापान का पक्ष:

- सदस्य देशों के शीर्ष नेताओं की बैठक के कारण क्वाड को नई गतिशीलता मिली है।
- जापान एक स्वतंत्र और समृद्ध भारत-प्रशांत क्षेत्र और कोविड-19 से उभरने सहित क्षेत्र की शांति, स्थिरता के लिये ठोस योगदान करके अपने सहयोग को मज़बूती से आगे बढ़ाएगा।

चीन की आशंका:

- चीन ने कहा है कि देशों के बीच आदान-प्रदान और सहयोग तीसरे पक्ष को लक्षित करने के बजाय आपसी समझ से करना चाहिये और किसी विशेष गुट का पीछा करने से बचना चाहिये।
  - संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के शीर्ष राजनयिकों के बीच मार्च 2021 के अंत में अलास्का में बैठक होने वाली है।
- QUAD को खुलेपन, समावेशिता और जीत के परिणामों के सिद्धांतों को बनाए रखना चाहिये और ऐसे कार्यों को करना चाहिये जो क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और समृद्धि के अनुकूल हों।

क्वाड:

- चतुर्भुज सुरक्षा संवाद' (QUAD- Quadrilateral Security Dialogue) अर्थात् क्वाड भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच अनौपचारिक रणनीतिक वार्ता मंच है।

नोट :

- यह 'मुक्त, खुले और समृद्ध' भारत-प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने और उसके समर्थन के लिये इन देशों को एक साथ लाता है।
- क्वाड की अवधारणा औपचारिक रूप से सबसे पहले वर्ष 2007 में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंज़ो आबे द्वारा प्रस्तुत की गई थी, हालाँकि चीन के दबाव में ऑस्ट्रेलिया के पीछे हटने के कारण इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सका।
- शिंज़ो आबे द्वारा वर्ष 2012 में हिंद महासागर से प्रशांत महासागर तक समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका को शामिल करते हुए एक 'डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड' (Democratic Security Diamond) स्थापित करने का विचार प्रस्तुत किया गया।
- 'क्वाड' समूह की स्थापना नवंबर 2017 में हिंद-प्रशांत क्षेत्र को किसी बाहरी शक्ति (विशेषकर चीन) के प्रभाव से मुक्त रखने हेतु नई रणनीति बनाने के लिये हुई और आसियान शिखर सम्मेलन के एक दिन पहले इसकी पहली बैठक का आयोजन किया गया।
- क्वाड के सभी चार देशों (जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए) ने वर्ष 2020 में मालाबार अभ्यास (Malabar Exercise) में भाग लिया।
  - मालाबार अभ्यास भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेनाओं के बीच होने वाला एक वार्षिक त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास है, जिसे भारतीय तथा प्रशांत महासागरों में बारी-बारी से आयोजित किया जाता है।

दृष्टि The Vision

नोट :

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2021

चर्चा में क्यों ?

सर चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा रमन इफेक्ट 'की खोज करने की स्मृति में हर वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस (National Science Day- NSD) के रूप में मनाया जाता है। वेंकट रमन को उनके इस कार्य के लिये वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस वर्ष 1987 में मनाया गया था।

प्रमुख बिंदु:

- मूल उद्देश्य: लोगों में विज्ञान के महत्त्व और उसके अनुप्रयोग के संबंध में संदेश का प्रचार करना।
- थीम: वर्ष 2021 के लिये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम है- एसटीआई का भविष्य (विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार): शिक्षा, कौशल, कार्य पर प्रभाव (Future of STI (Science, Technology and Innovations): Impacts on Education, Skills, and Work)।
- आयोजन: इसका आयोजन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद (National Council for Science & Technology Communication- NCSTC) द्वारा किया जाता है।
- पुरस्कार वितरण:
  - इस अवसर पर नेशनल एसएंडटी कम्युनिकेशन अवाड्र्स, ऑगमेंटिंग राइटिंग स्किल्स फॉर आर्टिकुलेटिंग रिसर्च (AWSAR) अवाड्र्स, एसईआरबी वुमन एक्सीलेंस अवाड्र्स तथा विज्ञान मीडिया और पत्रकारिता में उत्कृष्ट कार्य हेतु राजेंद्र प्रभु मेमोरियल एप्रिसिएशन शील्ड का वितरण किया गया।
  - भारत में एसएंडटी अवार्ड् और विदेश में भारतीय मूल के शिक्षाविदों पर पहली बार राष्ट्रीय एसएंडटी डेटाबेस जारी किया गया।
- ऑगमेंटिंग राइटिंग स्किल्स फॉर आर्टिकुलेटिंग रिसर्च (AWSAR):
  - AWSAR एक पहल है जिसका उद्देश्य भारतीय अनुसंधान से संबंधित कहानियों को आम जनता के समझने हेतु आसान प्रारूप में प्रसारित करना है।
  - उद्देश्य:
    - अपने शोध कार्य के आधार पर कम-से-कम एक कहानी/लेख प्रस्तुत करने हेतु उच्च अध्ययन करने वाले युवाओं को प्रोत्साहित करना।
    - लोकप्रिय विज्ञान लेखन के माध्यम से विज्ञान की समझ को बढ़ावा देना और विद्वानों के मध्य विज्ञान संचार/लोकप्रियता की संस्कृति का निर्माण करना।
    - प्राकृतिक, भौतिक, गणितीय और सूचना विज्ञान, व्यावहारिक विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग एवं बहु-विषयक विज्ञान के विशिष्ट पहलुओं पर शोधकर्त्ताओं की पहल और आउटपुट की पहचान करना।
    - शोधकर्त्ताओं के लिये प्रारंभिक शोध चरणों (पीएचडी स्कॉलर्स और पीडीएफ) मे प्रशिक्षण कार्यशालाओं का संचालन करना।
- हालिया विकास:
  - नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (NRF): इसे नई शिक्षा नीति (New Education Policy- NEP) 2020 के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया जाना है।
    - यह भारत में 'अनुसंधान की गुणवत्ता' हेतु वित्तपोषण, सलाह और निर्माण आदि कार्यों को देखेगा । NRF भारत में विभिन्न विषयों पर कार्य करने वाले शोधकर्ताओं को निधि प्रदान करता है।
  - राष्ट्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति (STIP 2020) का मसौदा ।

रमन प्रभाव:

- रमन प्रभाव अणुओं द्वारा फोटॉन कणों का लचीला प्रकीर्णन है जो उच्च कंपन या घूर्णी ऊर्जा स्तरों को प्रोत्साहित करते हैं। इसे रमन स्कैटरिंग भी कहा जाता है।
    - सरल शब्दों में यह प्रकाश की तरंगदैर्ध्य में परिवर्तन है जो प्रकाश की किरणों के अणुओं द्वारा विक्षेपित होने के कारण होता है।
    - जब प्रकाश की एक किरण किसी रासायनिक यौगिक के धूल रहित एवं पारदर्शी नमूने से होकर गुज़रती है तो प्रकाश का एक छोटा हिस्सा आपतित किरण की दिशा से भिन्न अन्य दिशाओं में उभरता है।
    - इस प्रकिर्णित प्रकाश के अधिकांश हिस्से का तरंगदैर्ध्य अपरिवर्तित रहता है। हालाँकि प्रकाश का एक छोटा हिस्सा ऐसा भी होता है जिसका तरंगदैर्ध्य आपतित प्रकाश के तरंगदैर्ध्य से भिन्न होता है और इसकी उपस्थिति रमन प्रभाव का परिणाम है।
- रमन प्रभाव रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का आधार निर्मित करता है जिसका उपयोग रसायन विज्ञानियों और भौतिकविदों द्वारा सामग्री के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु किया जाता है।
    - स्पेक्ट्रोस्कोपी पदार्थ और विद्युत चुंबकीय विकिरण के मध्य का अध्ययन है।

ग्लोबल बायो-इंडिया-2021

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने वर्चुअल माध्यम से नई दिल्ली में 'ग्लोबल बायो-इंडिया-2021' के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया।

- यह राष्ट्रीय स्तर पर और वैश्विक समुदाय के लिये भारत के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र की क्षमता और इस क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों को दर्शाता है।
- केंद्रीय मंत्री ने इस अवसर पर "राष्ट्रीय जैव-प्रौद्योगिकी रणनीति" या 'नेशनल बायोटेक स्ट्रेटजी' (National Biotech Strategy) का अनावरण किया और 'ग्लोबल बायो-इंडिया' की आभासी प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया।

प्रमुख बिंदु:

- संक्षिप्त परिचय:
    - यह जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र की एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय निकाय, नियामक निकाय, केंद्रीय और राज्य मंत्रालयों, एसएमई, बड़े उद्योगों, जैव प्रौद्योगिकी, अनुसंधान संस्थानों, निवेशकों तथा स्टार्टअप पारिस्थितिकीतंत्र सहित अन्य हितधारक शामिल हैं।
- लक्ष्य:
    - इसका लक्ष्य भारत को विश्व में एक उभरते हुए नवोन्मेष केंद्र और जैव विनिर्माण केंद्र के रूप में मान्यता प्रदान करना है।
        - गौरतलब है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक (Global Innovation Index-GII), 2020 में भारत को 48वाँ स्थान प्राप्त हुआ था।
- उद्देश्य:
    - जैव- साझेदारी, नीतिगत चर्चा, भारत के लिये कंपनियों के अधिकारियों की योजनाएँ और भारतीय बायोटेक पारिस्थितिक तंत्र को अंतर्राष्ट्रीय पारिस्थितिक तंत्र के साथ जोड़ना तथा नए विचार मूल्यांकन एवं निवेश के लिये मंच तैयार करना।
    - राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों, स्टार्टअप और अनुसंधान संस्थानों के प्रमुख जैव प्रौद्योगिकी नवाचारों, उत्पादों, सेवाओं, प्रौद्योगिकियों की पहचान तथा उनका प्रदर्शन करना।
    - अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की बड़ी अनुबंध परियोजनाओं के साथ-साथ प्रमुख वैश्विक उद्यमों से भारत में वित्तपोषण को आकर्षित करना।
    - विश्व बैंक की ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस रिपोर्ट 2020 के अनुसार, भारत वर्ष 2014 की 6वीं रैंक के विपरीत वर्तमान में दक्षिण-एशियाई देशों में प्रथम स्थान पर है।

नोट :

- आयोजक:
  - इसका आयोजन केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम 'जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद' (BIRAC) और भारतीय उद्योग परिसंघ (CII), एसोसिएशनऑफ बायोटेक्नोलॉजी लेड एंटरप्राइज़ेज़ (ABLE) तथा इन्वेस्ट इंडिया की साझेदारी में किया गया था।
    - ABLE एक गैर-लाभकारी अखिल भारतीय मंच है जो भारतीय जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है।

जैव प्रौद्योगिकी:

- जैव प्रौद्योगिकी वह तकनीक है जो विभिन्न उत्पादों को विकसित करने या बनाने के लिये जैविक प्रणालियों, जीवित जीवों या इसके कुछ हिस्सों का उपयोग करती है।
- जैव प्रौद्योगिकी के तहत बायोफार्मास्यूटिकल्स का औद्योगिक पैमाने पर उत्पादन करने हेतु आनुवंशिक रूप से संशोधित रोगाणुओं, कवक, पौधों और जानवरों का उपयोग किया जाता है।
- जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों में रोग की चिकित्सा, निदान, कृषि के लिये आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें, प्रसंस्कृत खाद्य, बायोरेमेडिएशन, अपशिष्ट उपचार और ऊर्जा उत्पादन आदि शामिल हैं।

लाभ	चुनौतियाँ
• उच्च गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों का उत्पादन। • कम खरपतवार नाशक और कीटनाशक का उपयोग। • अधिक प्रभावी कृषि। • उच्च उत्पादन स्तर। • प्राकृतिक संसाधनों का कुशल प्रयोग। • विटामिन और पोषक तत्त्वों की कमी को दूर करने में सहायक। • उत्पादों की शेल्फ लाइफ में वृद्धि। • भुखमरी की समस्या से निपटने हेतु उपाय। • कठिन/चरम मौसम की स्थिति वाले क्षेत्रों के लिये विशेष रूप से उपयुक्त। • महत्त्वपूर्ण औषधियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन। • रोग संबंधी आनुवंशिक विकारों का अधिक कुशलता से इलाज किया जा सकता है। • अन्य देशों पर निर्भरता में कमी। • औद्योगिक प्रक्रियाओं की दक्षता में वृद्धि।	• इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग और जीएमओ (GMOs) का उपयोग शामिल है। • GMP के गुण को अनजाने में अन्य पौधों द्वारा अपनाया जा सकता है। • मृदा की उर्वरता में गिरावट हो सकती है। • क्रॉस प्लांटेशन के कारण संकर प्रजातियों से जुड़ी समस्याएँ। • छोटे और सीमांत किसान जो GMO का प्रयोग नहीं करते हैं, वे पिछड़ सकते हैं। • स्थनीय बेरोज़गारी के स्तर में वृद्धि। • कुछ गरीब देशों की गरीबी में और वृद्धि हो सकती है। • अधिक उत्पादन एक बड़ी समस्या बन सकती है। • खाद्य निर्यात में गिरावट आ सकती है। • जैव-विविधता का ह्रास। • GMO से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएँ। • भोजन में कृत्रिम स्वाद की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि। • संक्रामक रोग और महामारी। • पादप-रोगों का प्रसार।

भारत का जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र:

- परिचय:
  - जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र को वर्ष 2024 तक भारत के 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान देने वाले प्रमुख चालकों में से एक माना जाता है।
  - भारत सरकार की नीतिगत पहल जैसे- मेक इन इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को एक विश्व स्तरीय जैव प्रौद्योगिकी और जैव-विनिर्माण हब के रूप में विकसित करना है।

- वैश्विक जैव प्रौद्योगिकी उद्योग में लगभग 3% हिस्सेदारी के साथ भारत विश्व में जैव प्रौद्योगिकी के लिये प्राथमिकता वाले शीर्ष -12 देशों में से एक है।
- वर्ष 2020 में भारतीय जैव प्रौद्योगिकी उद्योग की हिस्सेदारी 70 बिलियन अमेरिकी डॉलर आंकी गई थी और इसके वर्ष 2025 तक बढ़कर 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है।

- जैव प्रौद्योगिकी पार्क:
  - जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने आवश्यक अवसंरचना सहायता प्रदान करते हुए जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो रहे अनुसंधानों को उत्पादों और सेवाओं में बदलने के लिये देश भर में जैव प्रौद्योगिकी पार्क/ इन्क्यूबेटरों की स्थापना की है।
  - ये जैव प्रौद्योगिकी पार्क जैव प्रौद्योगिकी के त्वरित वाणिज्यिक विकास हेतु टेक्नोलॉजी इन्क्यूबेशन, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन और पायलट संयंत्र अध्ययन के लिये वैज्ञानिकों तथा 'लघु एवं मध्यम आकार के उद्यमों' (SMEs) को सुविधाएँ प्रदान करते हैं।
- राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विकास रणनीति मसौदा 2020-24:
  - संक्षिप्त परिचय:
    - इसके तहत वर्ष 2025 तक जैव प्रौद्योगिकी उद्योग को 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक ले जाने के लिये स्टार्टअप के साथ अधिक जुड़ाव और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल का लाभ उठाने पर ज़ोर दिया गया है।
  - लक्ष्य:
    - शिक्षा और उद्योग को जोड़ते हुए एक जीवंत स्टार्टअप, उद्यमी और औद्योगिक आधार का निर्माण तथा विकास करना।
  - फोकस:
    - स्टार्टअप्स, लघु उद्योग और बड़े उद्योगों के पूर्ण जुड़ाव के साथ अनुसंधान संस्थानों एवं प्रयोगशालाओं (सार्वजनिक और निजी दोनों) में एक मज़बूत बुनियादी अनुसंधान एवं नवाचार संचालित पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण तथा इसका विकास करना।

स्वच्छता सारथी फेलोशिप: वेस्ट टू वेल्थ मिशन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय ने अपने "वेस्ट टू वेल्थ" (Waste to Wealth) मिशन के अंतर्गत “स्वच्छता सारथी फेलोशिप" (Swachhta Saarthi Fellowship) की शुरुआत की है।

प्रमुख बिंदु

- स्वच्छता सारथी फेलोशिप के विषय में:
  - उद्देश्य: इस फेलोशिप का उद्देश्य उन छात्रों, स्वयं सहायता समूहों, सफाई कर्मचारियों आदि को प्रोत्साहन प्रदान करना है जो निरंतर अपने प्रयासों से शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में कचरे को कम करने में लगे हुए हैं।
  - इस फेलोशिप के अंतर्गत प्रोत्साहन पुरस्कार को तीन अलग-अलग श्रेणियों में बाँटा गया है:
    - श्रेणी-ए: यह श्रेणी उन स्कूली विद्यार्थियों के लिये है जो 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के हैं और सामुदायिक स्तर पर कचरा प्रबंधन के कार्यों में लगे हुए हैं।
    - श्रेणी-बी: इसके अंतर्गत कॉलेज के उन छात्रों को प्रोत्साहन मिलेगा जो स्नातक, परास्नातक तथा शोध छात्र हैं और सामुदायिक स्तर पर कचरा प्रबंधन में लगे हुए हैं।
    - श्रेणी-सी: इसके अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से समुदाय में कार्य कर रहे उन नागरिकों, नगर निगम कर्मियों और स्वच्छता कर्मियों को प्रोत्साहन मिलेगा जो अपने उत्तरदायित्व से आगे बढ़कर कार्य कर रहे हैं।
- वेस्ट टू वेल्थ मिशन:
  - यह मिशन अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पन्न करने, बेकार सामग्री के पुनर्चक्रण आदि के लिये प्रौद्योगिकियों की पहचान करने के साथ ही उनके विकास और उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।

नोट :

- "द वेस्ट टू वेल्थ" मिशन प्रधानमंत्री की विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद (PM-STIAC) के नौ राष्ट्रीय मिशनों में से एक है।
- यह मिशन स्वच्छ भारत और स्मार्ट शहर जैसी परियोजनाओं में मदद करेगा, साथ ही एक ऐसा वृहद् आर्थिक मॉडल तैयार करेगा जो देश में अपशिष्ट प्रबंधन को कारगर बनाने के साथ-साथ उसे आर्थिक रूप से व्यवहार्य भी बनाएगा।

ई-वेस्ट टू वेल्थ: नई प्रौद्योगिकी (आईआईटी दिल्ली)

- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली ने धन के लिये ई-कचरे का प्रबंधन और पुनर्चक्रण करने हेतु एक शून्य-उत्सर्जन तकनीक विकसित की है।
- ई-कचरे की नई कार्यप्रणाली मेटल रिकवरी और एनर्जी प्रोडक्शन के लिये "शहरी खदानों" (Urban Mine) का उपयोग करेगी।
  - ई-कचरे से तरल और गैसीय ईंधन प्राप्त करने के लिये इसे पायरोलाइसिस (Pyrolysis) किया जाता है। यह ई-कचरे को गर्म करके अलग-अलग पदार्थों में विभक्त करने की प्रक्रिया है।
  - इन अलग हुए ठोस अवशेषों में 90-95% शुद्ध धातु मिश्रण और कुछ कार्बनयुक्त पदार्थ होते हैं।
  - कार्बनयुक्त पदार्थ को एयरोजेल (Aerogel) में बदला जाता है, जिसका उपयोग तेल रिसाव की सफाई, डाई हटाने, कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने आदि में किया जाता है।
- यह तकनीक स्मार्ट सिटी मिशन, स्वच्छ भारत अभियान और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलों की ज़रूरतों को पूरा करेगी।

राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति 2020

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक कार्यालय द्वारा एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति 2020 तैयार की जा रही है।

- साइबर सुरक्षा का आशय किसी भी प्रकार के हमले, क्षति, दुरुपयोग और जासूसी से महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचना सहित संपूर्ण साइबर स्पेस की रक्षा करने से है।
- राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (NSC) एक तीन-स्तरीय संगठन है, जो कि सामरिक चिंता वाले राजनीतिक, आर्थिक, ऊर्जा और सुरक्षा संबंधी मुद्दों को देखता है।

प्रमुख बिंदु

राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति 2020

- उद्देश्य
  - इसका प्राथमिक उद्देश्य बेहतर ऑडिट प्रणाली के माध्यम से साइबर सुरक्षा और साइबर जागरूकता में सुधार लाना है।
  - इसके तहत सूचीबद्ध साइबर ऑडिटर, विभिन्न संगठनों की सुरक्षा से संबंधित सुविधाओं और विशेषताओं पर बारीकी से नज़र रखेंगे, जो कि वर्तमान में कानूनी रूप से आवश्यक है।
- परिचय
  - नीति के तहत यह मानते हुए कि साइबर हमले नियमित आधार पर हो सकते हैं, नियमित तौर पर साइबर संकट प्रबंधन अभ्यास का आयोजन किया जाएगा।
  - इस नीति में एक साइबर तत्परता सूचकांक की बात की गई है, जो कि साइबर सुरक्षा तत्परता की निगरानी करेगा।
  - साइबर सुरक्षा के लिये एक अलग बजट का सुझाव दिया गया है, ताकि अपेक्षित डोमेन ज्ञान वाली विभिन्न एजेंसियों की भूमिका और कार्यों के मध्य तालमेल स्थापित किया जा सके।

आवश्यकता

- साइबर वार
  - संयुक्त राज्य अमेरिका उन चुनिंदा देशों में से एक है, जिसने न केवल साइबर हमले से बचाव की रणनीति विकसित करने में काफी अधिक धनराशि का निवेश किया है, बल्कि उसके पास साइबर युद्ध अपराधियों से निपटने के लिये आवश्यक क्षमता भी मौजूद है।
  - जिन देशों की साइबर युद्ध क्षमता सबसे अधिक है उनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, इज़रायल और यूनाइटेड किंगडम आदि शामिल हैं।
- महामारी के बाद डिजिटलीकरण में बढ़ोतरी
  - कोरोना वायरस महामारी के बाद से महत्त्वपूर्ण अवसंरचना का तेज़ी से डिजिटलीकरण किया जा रहा है, जिसमें वित्तीय सेवाएँ, बैंक, बिजली, विनिर्माण, परमाणु ऊर्जा संयंत्र आदि शामिल हैं।
- महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों की सुरक्षा
  - विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों की बढ़ती परस्परता और 5G के साथ इंटरनेट के प्रयोग में होने वाली बढ़ोतरी के मद्देनज़र यह काफी महत्त्वपूर्ण हो गया है।
  - भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (CERT-In) द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों की मानें तो केवल वर्ष 2020 के प्रारंभिक आठ महीनों में ही कुल 6.97 लाख साइबर सुरक्षा संबंधी घटनाएँ दर्ज हुई थीं, जो कि पिछले चार वर्षों में हुई कुल साइबर घटनाओं के बराबर हैं।
- हालिया साइबर घटनाएँ
  - भारत के बिजली क्षेत्र को व्यापक पैमाने पर लक्षित करने के लिये 'रेड इको' नामक चीन के एक समूह द्वारा मैलवेयर आदि के उपयोग में वृद्धि देखी गई है।
    - 'रेड इको' द्वारा 'शैडोपैड' (ShadowPad) नामक नए मैलवेयर का उपयोग किया जाता है, जिसमें सर्वर तक पहुँच प्राप्त करने के लिये बैकडोर का प्रयोग शामिल है।
  - 'स्टोन पांडा' नाम से प्रचलित चीन के एक हैकर समूह द्वारा 'भारत बायोटेक' और 'सीरम इंस्टीट्यूट' की सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना एवं सप्लाई चेन सॉफ्टवेयर में कई सुभेद्यताएँ खोजी गई थीं।
  - 'सोलरविंड' नामक साइबर अटैक ने अमेरिका के महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय बुनियादी अवसंरचना को प्रभावित किया था।
- सरकार के लिये
  - एक स्थानीय, राज्य या केंद्र सरकार देश (भौगोलिक, सैन्य रणनीतिक संपत्ति आदि) एवं नागरिकों से संबंधित विभिन्न गोपनीय डेटा एकत्रित करती है और इस डेटा की सुरक्षा काफी महत्त्वपूर्ण होती है।
- आम लोगों के लिये
  - सोशल नेटवर्किंग साइटों पर किसी व्यक्ति द्वारा साझा की गई तस्वीरों, वीडियो और अन्य व्यक्तिगत जानकारी को अनुचित रूप से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रयोग किया जा सकता है, जिससे गंभीर, यहाँ तक कि जानलेवा घटनाएँ भी हो सकती हैं।
- व्यवसायों के लिये
  - कंपनियों के पास उनके सिस्टम में बहुत सा डेटा और जानकारी मौजूद होती है। साइबर हमले के माध्यम से किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्द्धी सूचनाओं (जैसे-पेटेंट और मूल कार्य) और कर्मचारियों/ग्राहकों के निजी डेटा की चोरी होने का खतरा रहता है, जिसके परिणामस्वरूप भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।

सरकार द्वारा शुरू की गई पहलें

- 'साइबर सुरक्षित भारत' पहल
- साइबर स्वच्छता केंद्र
- राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल
- भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C)

- नेशनल क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर (NCIIPC)
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000
- राष्ट्रीय साइबर नीति, 2013

आगे की राह

- भारत वैश्विक स्तर पर 17 सबसे अधिक डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं में दूसरा सबसे तेज़ी से डिजिटल प्रौद्योगिकी अपनाने वाला देश है और तीव्र डिजिटलीकरण के मद्देनज़र साइबर सुरक्षा के लिये दूरदर्शी उपाय अपनाना काफी महत्त्वपूर्ण है।
- निजी और सार्वजानिक निगमों अथवा सरकारी विभागों के लिये यह महत्त्वपूर्ण है कि वे अपने संगठनों की डिजिटल अवसंरचना में मौजूद विभिन्न सुभेद्यता जानें और उन्हें दूर करने के लिये एक प्रणाली का विकास करें।
- विभिन्न एजेंसियों और मंत्रालयों के बीच परिचालन समन्वय सुनिश्चित करने के लिये एक सर्वोच्च निकाय की आवश्यकता है।
- साइबर अवरोध को साइबर हमलों को रोकने के लिये रणनीतिक अवरोध के रूप में देखा जा सकता है। हमें साइबर स्पेस सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये आक्रामक क्षमता हासिल करने की आवश्यकता है।

प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट, 2021: UNCTAD

चर्चा में क्यों?

प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट, 2021 के हालिया 'कंट्री रेडीनेस इंडेक्स' के अनुसार, भारत प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की तुलना में सीमांत प्रौद्योगिकियों में सबसे बड़े 'ओवर परफॉर्मर' के रूप में उभरा।

- इस रिपोर्ट को 'व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन' (UNCTAD) द्वारा जारी किया गया।

प्रमुख बिंदु:

रिपोर्ट के संबंध में:

- रिपोर्ट को व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD) द्वारा जारी किया गया।
- यह उन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों, साधनों और संस्थागत सुधारों को भी संबोधित करता है जिनकी आवश्यकता सभी के लिये एक समान दुनिया बनाने के लिये होती है, जो किसी को भी पीछे नहीं छोड़ते।

महत्त्वपूर्ण बिंदु:

- सीमांत तकनीकी बाज़ार: रिपोर्ट बताती है कि सीमांत प्रौद्योगिकियाँ पहले से ही 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बाज़ार का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, जो कि वर्ष 2025 तक 3.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ सकता है।
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: यह विकासशील देशों में नवाचार क्षमता के निर्माण के लिये मज़बूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान के साथ-साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सुविधा देता है।
- समावेशन: इस रिपोर्ट में परिकल्पना की गई है कि यह डिजिटल क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाती है, तकनीकी मूल्यांकन करती है और सतत् विकास पर सीमांत प्रौद्योगिकियों के प्रभाव पर एक समावेशी बहस को बढ़ावा देती है।
- मनुष्य और मशीनों के कार्यों की तुलना: तकनीकी परिवर्तन के माध्यम से नौकरियों, मज़दूरी और निम्न तरीकों से असमानताओं में वृद्धि होती है:
    - ऑटोमेशन क्षेत्र की नौकरियाँ।
    - रोज़गार विस्थापन के साथ रोज़गार का ध्रुवीकरण भी हो सकता है, जो मध्य स्तरीय वेतन वाली नौकरियों में संकुचन के साथ संयुक्त रूप से उच्च और निम्न स्तरीय वेतन वाली नौकरियों में विस्तार को संदर्भित करता है।
    - सीमांत प्रौद्योगिकियों का उपयोग डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन सेवाओं को प्रदान करने के लिये किया जा रहा है, जिन्होंने 'गिग अर्थव्यवस्था' के निर्माण को प्रेरित किया है।

भारत संबंधी निष्कर्ष:

- भारत की वास्तविक सूचकांक रैंकिंग 43 है, जबकि अनुमानित प्रति व्यक्ति आय पर आधारित रैंक 108 है।
- इसका मतलब यह है कि भारत ने 65 देशों से अच्छा प्रदर्शन किया। फिलीपींस के बाद भारत का स्थान था जिसने 57 देशों से अच्छा प्रदर्शन किया।
- भारत ने अनुसंधान और विकास में अच्छा प्रदर्शन किया।
- यह तुलनात्मक रूप से कम लागत पर उपलब्ध योग्य और उच्च कुशल मानव संसाधनों की प्रचुर आपूर्ति के रूप में परिलक्षित होता है।
- हालाँकि संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड और यूनाइटेड किंगडम जैसे देश सीमांत प्रौद्योगिकियों के लिये "बेस्ट प्रिपेयर्ड" श्रेणी में थे।

विकसित देशों के सम्मुख चुनौतियाँ:

- जननांकिकीय परिवर्तन: निम्न आय और निम्न-मध्यम आय वाले देशों में विस्तार और युवा आबादी है जो श्रम की आपूर्ति में वृद्धि करेगी और ऑटोमेशन क्षेत्र के प्रभाव को कम करते हुए मज़दूरी को कम करेगी।
- कम तकनीकी और नवाचार क्षमताएँ: कम आय वाले देशों में कम कुशल लोग होते हैं और कृषि पर काफी हद तक निर्भर होते हैं जो नई तकनीकों का लाभ उठाने में अपेक्षाकृत धीमे होते हैं।
- कम विविधीकरण: विकासशील देश आमतौर पर औद्योगिक देशों का अनुकरण कर उनकी अर्थव्यवस्थाओं में विविधता लाने और स्थानीय उपयोग के लिये नई तकनीकों को गृहण करते हैं, लेकिन यह प्रक्रिया सबसे गरीब देशों में सबसे धीमी है।
- कमज़ोर वित्तपोषण तंत्र: अधिकांश विकासशील देशों ने अपने अनुसंधान एवं विकास व्यय में वृद्धि की है, लेकिन ये अभी भी अपेक्षाकृत कम है।
- बौद्धिक संपदा अधिकार और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण: सख्त बौद्धिक संपदा संरक्षण सीमांत प्रौद्योगिकियों के उपयोग को प्रतिबंधित करेगा जो कृषि, स्वास्थ्य और ऊर्जा जैसे SDG से संबंधित क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण हो सकते हैं।

सुझाव:

- रिपोर्ट का तर्क है कि सतत् विकास के लिये सीमांत प्रौद्योगिकियाँ आवश्यक हैं, वे प्रारंभिक असमानताओं को भी कम कर सकती हैं।
  - यह जोखिम को कम करने के लिये नीतियों पर निर्भर है, साथ ही सीमांत प्रौद्योगिकियाँ समानता बढ़ाने में योगदान करती हैं।
- एक मज़बूत औद्योगिक आधार का निर्माण और सीमावर्ती प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिये एक संतुलित दृष्टिकोण इक्कीसवीं सदी में सफलता प्राप्त करने हेतु ज़रूरी है।

सीमांत प्रौद्योगिकियाँ:

- सीमांत प्रौद्योगिकियों को संभावित विघटनकारी प्रौद्योगिकियों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो बड़े पैमाने पर चुनौतियों या अवसरों को संबोधित कर सकती हैं।
- इनमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा, ब्लॉकचेन, 5जी, 3-डी प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, ड्रोन, जीन एडिटिंग, नैनो टेक्नोलॉजी और सोलर फोटोवोल्टिक शामिल हैं।

व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD)

- वर्ष 1964 में स्थापित व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (United Nations Conference on Trade and Development- UNCTAD) विकासशील देशों के विकास के अनुकूल उनके एकीकरण को विश्व अर्थव्यवस्था में बढ़ावा देता है।
- यह एक स्थायी अंतर-सरकारी निकाय है।
- इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है।
- इसके द्वारा प्रकाशित कुछ रिपोर्ट हैं:
  - व्यापार और विकास रिपोर्ट (Trade and Development Report)

- विश्व निवेश रिपोर्ट (World Investment Report)
- न्यूनतम विकसित देश रिपोर्ट (The Least Developed Countries Report)
- सूचना एवं अर्थव्यवस्था रिपोर्ट (Information and Economy Report)
- प्रौद्योगिकी एवं नवाचार रिपोर्ट (Technology and Innovation Report)
- वस्तु तथा विकास रिपोर्ट (Commodities and Development Report)

क्वासर P172 + 18

चर्चा में क्यों?

हाल ही में खगोलविदों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने यूरोपियन सदर्न ऑब्ज़र्वेटरी की सबसे बड़ी टेलीस्कोप (European Southern Observatory's Very Large Telescope- ESO's VLT) की मदद से रेडियो उत्सर्जन के सबसे दूर स्थित स्रोत रेडियो-लाउड क्वासर (Radio-Loud' Quasar) की खोज की है।

प्रमुख बिंदु

क्वासर:

- क्वासर (Quasar), आकाशगंगा (Galaxy) का सबसे चमकदार पिंड होता है, जिससे रेडियो आवृत्ति पर धारा (Jet) का उत्सर्जन होता है।
- क्वासर शब्द "क्वासी-स्टेलर रेडियो सोर्स" (Quasi-Stellar Radio Source) का संक्षिप्त रूप है।
  - क्वासर को पहली बार 1960 के दशक में खोजा गया था, जिसका अर्थ है तारों की तरह रेडियो तरंगों का उत्सर्जक।
  - खगोलविदों ने बाद में पता लगाया कि अधिकांश क्वासर से रेडियो उत्सर्जन बहुत कम होता है फिर भी वर्तमान में इसे इसी नाम से जाना जाता है। क्वासर रेडियो तरंगों और दृश्य प्रकाश के अलावा पराबैंगनी, अवरक्त, एक्स-रे और गामा-किरणों का उत्सर्जन करते हैं।
- अधिकांश क्वासर हमारे सौरमंडल से भी बड़े हैं। एक क्वासर की चौड़ाई लगभग 1 किलोपारसेक (Kiloparsec) तक होती है।
- ये केवल आकाशगंगा में पाए जाते हैं, जिनमें विशालकाय ब्लैकहोल (Blackhole) होते हैं जो इन चमकने वाली डिस्क को ऊर्जा देते रहते हैं।
  - ब्लैकहोल्स अंतरिक्ष में उपस्थित ऐसे छिद्र हैं जहाँ गुरुत्व बल इतना अधिक होता है कि वहाँ से प्रकाश का पारगमन नहीं हो सकता।
- अधिकांश सक्रिय आकाशगंगाओं के केंद्र में एक विशालकाय ब्लैकहोल होता है जो आसपास की वस्तुओं को अपनी ओर खींच लेता है।
- क्वासर का निर्माण एक ब्लैकहोल के चारों ओर घुमावदार भाग से निकलने वाली सामग्रियों द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा से होता है।
- इनको बाद में "रेडियो-लाउड" (Radio-Loud) और "रेडियो-क्विट" (Radio-Quiet) कक्षाओं में वर्गीकृत किया जाता है।
  - रेडियो-लाउड:
    - इनमें शक्तिशाली जेट होते हैं जो रेडियो-तरंगदैर्ध्य उत्सर्जन के प्रमुख स्रोत हैं।
    - ये क्वासर की कुल संख्या के लगभग 10% होते है।
  - रेडियो-क्विट:
    - इस प्रकार के क्वासर के पास शक्तिशाली जेट की कमी होती है जो रेडियो-लाउड की तुलना में अपेक्षाकृत कमज़ोर रेडियो उत्सर्जन करते हैं।
    - अधिकांश क्वासर (लगभग 90%) रेडियो-क्विट प्रकार के हैं।

हाल ही में खोजा गया क्वासर P 172+18:

- तरंगदैर्ध्य उत्सर्जित करने वाले क्वासर को P172+18 नाम दिया गया है, जिसमें 6.8 की रेडशिफ्ट (Redshift) था।
  - क्वासर की रोशनी को पृथ्वी तक पहुँचने में 13 अरब साल लग गए।

- वैज्ञानिकों के अनुसार, यह विशेष तरह का क्वासर है क्योंकि इसकी उत्पत्ति तब हुई थी जब ब्रह्मांड लगभग 78 करोड़ वर्ष पुराना था।
- ब्लैकहोल के चारों ओर चमकता हुआ डिस्क हमारे सूर्य की तुलना में 30 करोड़ गुना अधिक विशाल है।
- यह सबसे तेज़ गति वाले क्वासर में से एक है, जिसका अर्थ है कि यह आकाशगंगा से तेज़ी से वस्तुओं को जमा कर रहा है।
- अब तक छह से अधिक रेडशिफ्ट वाले केवल 3 अन्य 'रेडियो-लाउड' स्रोतों को खोजा जा चुका है और सबसे दूर वाले हिस्से में 6.18 का रेडशिफ्ट था।
  - रेडियो तरंगदैर्ध्य का रेडशिफ्ट जितना अधिक होता है, उतना ही उसका स्रोत दूर होता है।

निष्कर्ष:

- इस क्वासर के केंद्र में ब्लैकहोल अपनी आकाशगंगा को आश्चर्यजनक दर पर खत्म कर रहा है।

महत्त्व:

- इन 'रेडियो-लाउड' चमकने वाले पिंडों का विस्तृत अध्ययन खगोलविदों को यह समझने के लिये प्रेरित कर सकता है कि बिग बैंग के बाद से उनके कोर में विशालकाय ब्लैकहोल्स कैसे तेज़ी से बढ़ रहे हैं।
- यह प्राचीन तारा प्रणालियों और खगोलीय पिंडों के विषय में भी सुराग दे सकता है।

ESO's VLT के विषय में:

- क्वासर P172+18 का निरीक्षण करने के लिये उपयोग किये जाने वाला वेरी लार्ज टेलीस्कोप अटाकामा रेगिस्तान (Atacama Desert) में स्थित परानल वेधशाला (Paranal Observatory) में है।
  - चार यूनिट वाले इस टेलीस्कोप में 8.2 मीटर (27 फीट) के दर्पण लगे हुए हैं।
  - इससे कोई भी ऐसी वस्तु जिसको आँखों से नहीं देख सकते हैं, की खोज की जा सकती है।
  - यूरोपियन सदर्न ऑब्ज़र्वेटरी के अनुसार, वेरी लार्ज टेलीस्कोप विश्व का सबसे उन्नत ऑप्टिकल टेलीस्कोप है।

रेडशिफ्ट

- गुरुत्वाकर्षण रेडशिफ्ट तब होता है जब प्रकाश के कण (फोटॉन) एक ब्लैकहोल से गुज़रते हैं और प्रकाश की तरंगदैर्ध्य बाहर निकलती है। यह प्रकाश स्पेक्ट्रम के लाल हिस्से में तरंगदैर्ध्य को स्थानांतरित करता है।
- तीव्र गुरुत्वाकर्षण से बचने के लिये प्रकाश के कणों (फोटॉनों) को ऊर्जा खर्च करनी होगी।
- इन फोटॉनों को एक ही समय में प्रकाश की गति से निरंतर गति करनी चाहिये।
- अत: फोटॉन गति धीमी होने पर ऊर्जा नहीं खोते हैं, लेकिन इसे दूसरे तरीकों से खर्च करना पड़ता है।
- यह खर्च हुई ऊर्जा प्रकाश स्पेक्ट्रम के लाल छोर की ओर एक बदलाव के रूप में प्रकट होती है।

अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में चीन और रूस ने अंतरिक्ष सहयोग में एक नए युग की शुरुआत को चिह्नित करते हुए चंद्रमा की सतह पर एक अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन (International Lunar Research Station- ILRS) बनाने हेतु सहमति व्यक्त की है।

- रूस अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (International Space Station) जो कि निवास करने योग्य एक कृत्रिम उपग्रह है, का हिस्सा है। यह पृथ्वी की निम्न कक्षा में मानव निर्मित सबसे बड़ी संरचना है।

प्रमुख बिंदु:

अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन (ILRS)

- ILRS के बारे में:
  - ILRS दीर्घकालिक स्वायत्त संचालन (Long-Term Autonomous Operation) क्षमता के साथ एक व्यापक वैज्ञानिक प्रयोग का आधार है।

- इस स्टेशन को चंद्र सतह और/या चंद्र की कक्षा में बनाया जाएगा जो चंद्र अन्वेषण, चंद्र आधारित अवलोकन, बुनियादी वैज्ञानिक प्रयोग और तकनीकी सत्यापन जैसी वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों को अंजाम देगा।

- सिद्धांत:
  - रूस और चीन द्वारा आपसी परामर्श, संयुक्त निर्माण तथा साझा लाभों के सिद्धांत का पालन किया जाएगा।
  - दोनों देशों द्वारा ILRS में शामिल होने वाले इच्छुक देशों और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों को व्यापक सहयोग एवं सुविधा प्रदान की जाएगी।
- महत्त्व:
  - ILRS वैज्ञानिक अनुसंधान के आदान-प्रदान और मानवीय अन्वेषण को मज़बूती प्रदान करेगा तथा शांतिपूर्ण उद्देश्यों हेतु बाह्य अंतरिक्ष के उपयोग को बढ़ावा देगा।

चंद्रमा से संबंधित अन्य कार्यक्रम:

- नासा का आर्टेमिस कार्यक्रम: इससे पहले वर्ष 2020 में राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन (NASA) ने अपने आर्टेमिस प्रोग्राम हेतु एक रूपरेखा का प्रकाशन किया, जिसके तहत वर्ष 2024 तक अगले पुरुष और प्रथम महिला को चंद्रमा की सतह पर भेजने की योजना है।
  - गेटवे अंतरिक्ष में मानव और वैज्ञानिक अन्वेषण का समर्थन करने हेतु चंद्रमा के चारों ओर एक आउटपोस्ट है।
- यूएई का राशिद मिशन:
  - संयुक्त अरब अमीरात (UAE) द्वारा वर्ष 2024 में राशिद (Rashid) नाम के एक मानव रहित अंतरिक्षयान को चंद्रमा पर भेजने का फैसला किया गया है
- चीन के चांग ई-4 और चांग ई-5 मिशन:
  - चांग ई -4 मिशन (Chang'e-4 Mission) चीन द्वारा चंद्रमा की दूरी का पता लगाने हेतु प्रथम अन्वेषण/जाँच है।
  - चांग ई-5 मिशन (Chang'e-5 mission) चंद्रमा की उत्पत्ति और निर्माण के बारे में वैज्ञानिकों को और अधिक जानने में मदद करने हेतु चंद्रमा पर नमूने एकत्र करेगा।

भारतीय पहल:

- चंद्रयान- 3:
  - भारत चंद्रयान- 3 मिशन पर कार्य कर रहा है जो चंद्रयान- 2 मिशन की अगली कड़ी है। यह संभवत: चंद्रमा की सतह पर एक और सॉफ्ट -लैंडिंग का प्रयास करेगा।
- अंतरिक्ष स्टेशन:
  - भारत का उद्देश्य पृथ्वी की निचली कक्षा में माइक्रोग्रैविटी प्रयोगों (Microgravity Experiments) के संचालन से 5-7 वर्षों में अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना है।

चंद्रमा:

चंद्रमा से संबंधित तथ्य:

- चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है और सौरमंडल का पाँचवाँ सबसे बड़ा चंद्रमा भी है।
- चंद्रमा की उपस्थिति हमारे ग्रहों के कंपनों को शांत कर जलवायु को स्थिरता प्रदान करती है।
- पृथ्वी से चंद्रमा की कुल दूरी 3,85,000 किलोमीटर है।
- चंद्रमा का वातावरण अत्यधिक विरल है जिसे एक्सोस्फीयर (Exosphere) कहा जाता है।
- चंद्रमा की पूरी सतह ज्वालामुखी उद्गारों के प्रभाव और गड्ढों से भरी हुई है।
- पृथ्वी और चंद्रमा आपस में अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। पृथ्वी और चंद्रमा की घूर्णन गति में इतनी समानता है कि हमें हर समय चंद्रमा का केवल एक हिस्सा ही दिखाई देता है।

नोट :

चंद्रमा के अध्ययन का कारण:

- पृथ्वी की उत्पत्ति के पूर्व कारणों को समझना:
  - चंद्रमा की उत्पत्ति के साक्ष्य पृथ्वी से प्राप्त अवशेषों में मिलते हैं। पृथ्वी की प्रारंभिक संरचना के साक्ष्य चंद्रमा की धूल की परतों के मध्य छिपे हो सकते हैं।
  - इसके अलावा पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत के संभावित संकेत भी चंद्रमा पर मिलते हैं।
- पृथ्वी पर भूकंपीय गतिविधि को समझना :
  - चंद्रमा के अध्ययन से हमें यह समझने में मदद मिल सकती है कि सतह पर कम तरल पानी के साथ पृथ्वी पर भूकंपीय गतिविधियाँ कितनी बार हो सकती हैं, जैसे कि प्रमुख हिम युगों के समय या पृथ्वी के शुरुआती इतिहास के समय देखा जाता है, जब सतह तरल महासागरों को संरक्षित करने हेतु बहुत गर्म थी।
- पृथ्वी के वायुमंडल की संरचना:
  - चंद्रमा से पृथ्वी की चमक को मापकर वैज्ञानिकों द्वारा इस बात का सटीक अनुमान लगाया जा सकता है कि पृथ्वी स्वयं कितनी चमकती है, यहाँ तक कि पृथ्वी के वायुमंडल की संरचना का भी पता लगाया जा सकता है।
- ज्वार-भाटा, ऋतु एवं जलवायु को समझना:
  - ज्वार-भाटा और ऋतु परिवर्तन के क्रम को समझने हेतु चंद्रमा के द्रव्यमान, आकार और कक्षीय गुणों को मापना आवश्यक है।
  - पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य इन ज्वारीय और कक्षीय अंत: क्रियाओं का अध्ययन, पृथ्वी की जलवायु पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों को समझने हेतु अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: इसरो

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (Indian Space Research Organisation- ISRO) और जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (Japan Aerospace Exploration Agency- JAXA) ने पृथ्वी अवलोकन, चंद्र सहयोग और उपग्रह नेविगेशन में सहयोग की समीक्षा की।

प्रमुख बिंदु

सहयोग के विषय में:

- वे "अंतरिक्ष स्थिति संबंधी जागरूकता और पेशेवर विनिमय कार्यक्रम" में सहयोग के अवसर तलाशने पर भी सहमत हुए।
- दोनों एजेंसियों ने उपग्रह डेटा का उपयोग करके चावल फसल क्षेत्र और वायु गुणवत्ता निगरानी पर सहयोगी गतिविधियों के लिये एक कार्यान्वयन व्यवस्था पर हस्ताक्षर किये।
- भारत और जापान पहले से ही एक संयुक्त चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण (LUPEX) मिशन पर काम कर रहे हैं।
  - LUPEX का लक्ष्य वर्ष 2024 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर और रोवर भेजना है।

अन्य देशों के साथ समझौते:

- दोनों देशों ने इस बात पर चर्चा की कि ऑस्ट्रेलिया गगनयान (Gaganyaan) मानव मिशन में बुनियादी ज़रूरतों के लिये भारत की सहायता करेगा।
- भारत और इटली ने पृथ्वी के अवलोकन, अंतरिक्ष विज्ञान और रोबोटिक तथा मानव अन्वेषण में अवसरों का पता लगाने का फैसला किया है।
  - भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ने एक संशोधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये जो व्यापक रणनीतिक साझेदारी का निर्माण करेगा।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की कुछ उपलब्धियाँ

चंद्रयान- 1:

- इसरो का चंद्रमा के लिये यह पहला मिशन था, जो अंतर्राष्ट्रीय पेलोड और सहयोग का एक अनुकरणीय उदाहरण है।
- इस मिशन ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित की है, जिसने इसरो-नासा द्वारा संयुक्त रूप से चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं की खोज में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

मेघा-ट्रोपिक्स:

- मेघा-ट्रोपिक्स (MEGHA-TROPIQUES) नामक इंडो-फ्रेंच संयुक्त उपग्रह मिशन वर्ष 2011 में मानसून, चक्रवात आदि जैसे उष्णकटिबंधीय वातावरण तथा जलवायु के अध्ययन के लिये शुरू किया गया था।

सरल:

- सरल (SARAL- Satellite for ALTIKA and ARGOS) वर्ष 2013 में इंडो-फ्रेंच द्वारा एल्टीमेट्री (Altimetry) का उपयोग करके अंतरिक्ष से समुद्र का अध्ययन करने के लिये इस मिशन को लॉन्च किया गया था।

निसार:

- ISRO और NASA पृथ्वी विज्ञान के अध्ययन के लिये NISAR (NASA ISRO Synthetic Aperture Radar) नामक एक संयुक्त उपग्रह मिशन को साकार करने में जुटे हैं।
- यह मिशन पृथ्वी का अवलोकन करेगा और इसके बदलते पारिस्थितिकी तंत्र का पता लगाएगा।
- यह विश्व का सबसे महँगा इमेजिंग उपग्रह है और दोनों अंतरिक्ष एजेंसियों का इरादा वर्ष 2022 तक इस उपग्रह को लॉन्च करना है।

उन्नति:

- यह नैनो सैटेलाइट (Nano Satellites) विकास पर एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम है, जो अन्वेषण और बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर प्रथम संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (United Nations Conference on the Exploration and Peaceful Uses of Outer Space) की 50वीं वर्षगाँठ (UNISPACE 50) मनाने के लिये ISRO की एक पहल है।

तृष्णा:

- इसरो और फ्राँसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES ने जल चक्र की निगरानी के लिये तृष्णा (TRISHNA) जैसे उन्नत उपग्रहों को विकसित करने में भागीदारी की है।

क्षुद्रग्रह 2001 FO32

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन (NASA) ने भविष्यवाणी की है कि क्षुद्रग्रह 2001 FO32 वर्ष 2021 में पृथ्वी के पास से गुजरने वाला सबसे बड़ा क्षुद्रग्रह है। यह 21 मार्च को पृथ्वी के सबसे करीब होगा।

प्रमुख बिंदु:

2001 FO32 क्षुद्रग्रह:

- खोज: इसकी खोज 20 वर्ष पहले की गई थी और तब से वैज्ञानिक सूर्य के चारों ओर इसके परिक्रमा पथ पर बहुत ही सटीक तरीके से इसका अध्ययन कर रहे हैं।
  - इसकी खोज मार्च 2001 में सोकोरो, न्यू मैक्सिको में स्थित 'लिंकन नियर-अर्थ एस्टेरॉयड रिसर्च (LINEAR) प्रोग्राम' द्वारा की गई थी।
  - 1998 OR2 अंतिम बार देखा गया विशेष रूप से बड़ा क्षुद्रग्रह था, जो 29 अप्रैल, 2020 को पृथ्वी के करीब से गुज़रा था, जबकि 2001 FO32, 1998 OR2 से कुछ छोटा है।
- कक्षा: यह सूर्य के चारों ओर अत्यधिक विलक्षण कक्षा में स्थित है और 810 दिनों (लगभग 2 वर्ष) में एक परिक्रमा पूरी करता है। इसकी कक्षा पृथ्वी के कक्षीय तल से 39° झुकी हुई है।

- यह कक्षा इस क्षुद्रग्रह को बुध की तुलना में सूर्य के करीब ले जाती है और यह मंगल की तुलना में सूर्य से दोगुनी दूरी पर स्थित है।
- गति: यह क्षुद्रग्रह लगभग 1,24,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुज़रेगा जो कि तुलनात्मक रूप से उन अधिकांश क्षुद्रग्रहों की गति से तेज़ है, जो पृथ्वी के सामने से गुज़रते हैं।
- पृथ्वी से टकराने का कोई खतरा नहीं:
  - यह क्षुद्रग्रह 'नियर अर्थ ऑब्जेक्ट' के रूप में वर्णित है। यह क्षुद्रग्रह पृथ्वी से लगभग 2 मिलियन किलोमीटर (पृथ्वी से चंद्रमा की कुल दूरी के 51/4 गुना) की दूरी पर होगा।
    - खगोलीय दृष्टिकोण से यह दूरी इतनी है कि इसे 'संभावित खतरनाक क्षुद्रग्रह' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
    - आने वाली सदियों में पृथ्वी को टकराव संबंधी कोई खतरा नहीं है।
- अगली संभावित घटना: क्षुद्रग्रह वर्ष 2052 तक पृथ्वी के करीब नहीं आएगा, उस समय यह लगभग 2.8 मिलियन किमी. पास से गुज़रेगा।

महत्त्व:

- यह खगोलविदों को क्षुद्रग्रह के आकार और अल्बेडो (Albedo) के बारे में अधिक सटीक जानकारी प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेगा (अर्थात् यह कितना चमकीला या परावर्तक सतह वाला है) तथा इसके संघटन, आकार की बेहतर समझ और इसकी संरचना के बारे में जानकारी जुटाई जा सकेगी।
- जब सूरज की रोशनी किसी क्षुद्रग्रह की सतह से टकराती है, तो इसमें उपस्थित खनिज प्रतिबिंबित होते हुए कुछ तरंगदैर्ध्य को अवशोषित करते हैं। सतह से परावर्तित प्रकाश के स्पेक्ट्रम का अध्ययन करके खगोलविद् क्षुद्रग्रह की सतह पर खनिजों के रासायनिक "फिंगरप्रिंट" को माप सकते हैं।

चर्चा में रहने वाले अन्य क्षुद्रग्रह:

- क्षुद्रग्रह 2020 ND
- 163348 (2002 NN4)
- क्षुद्रग्रह 2018VP1
- क्षुद्रग्रह 16 Psyche
- क्षुद्रग्रह बेन्नू

क्षुद्रग्रह:

- क्षुद्रग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और सौरमंडल में स्थित छोटे पिंड हैं।
- ये धातुओं और चट्टानों से निर्मित होते हैं।
- इनकी छोटी और अंडाकार कक्षाएँ होती हैं।
- क्षुद्रग्रह बेल्ट सौरमंडल में एक टोरस के आकार का क्षेत्र है, जो लगभग बृहस्पति और मंगल ग्रहों की कक्षाओं के बीच स्थित है।

क्षुद्रग्रहों का वर्गीकरण:

- मुख्य क्षुद्रग्रह पेटी: अधिकांश क्षुद्रग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित क्षुद्रग्रह पेटी में पाए जाते हैं।
- ट्रोजंस (Trojans): ये क्षुद्रग्रह एक बड़े ग्रह के साथ कक्षा साझा करते हैं, लेकिन इसके साथ टकराते नहीं हैं क्योंकि वे कक्षा में लगभग दो विशेष स्थानों (L4 और L5 लैग्रैन्जियन पॉइंट्स) के आस-पास एकत्रित होते हैं, जहाँ सूर्य और ग्रहों के बीच संतुलित गुरुत्वाकर्षण खिंचाव होता है।
  - लैग्रैन्जियन पॉइंट्स अंतरिक्ष में स्थित ऐसे बिंदु हैं, जहाँ सूर्य और पृथ्वी जैसे दो निकायों का गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण और प्रतिकर्षण के क्षेत्रों का निर्माण करता है। इनका उपयोग अंतरिक्षयान द्वारा समान स्थिति में बने रहने के लिये आवश्यक ईंधन की खपत को कम करने हेतु किया जा सकता है।
- नियर अर्थ ऑब्जेक्ट: इन ऑब्जेक्ट्स की कक्षाएँ पृथ्वी के करीब होती हैं। क्षुद्रग्रह जो वास्तव में पृथ्वी के कक्षीय पथ को पार करते हैं, उन्हें 'अर्थ-क्रॉसर्स' (Earth-crossers) के रूप में जाना जाता है।

नोट :

संभावित खतरनाक क्षुद्रग्रह:

- इसका मतलब है कि एक क्षुद्रग्रह के पृथ्वी के करीब आने की कितनी संभावना है।
- विशेष रूप से ऐसे सभी क्षुद्रग्रह जिनकी 'मिनिमम ऑर्बिट इंटेरसेक्शन डिस्टेंस' (MOID) 0.05 खगोलीय इकाई (लगभग 7,480,000 Km) या इससे कम तथा निरपेक्ष परिमाण (H) 22.0 (लगभग 150 MT व्यास) हो, उन्हें संभावित खतरनाक क्षुद्रग्रह माना जाता है।
  - 'मिनिमम ऑर्बिट इंटेरसेक्शन डिस्टेंस' दो लगभग अतिच्छादित अंडाकार कक्षाओं के बीच न्यूनतम दूरी की गणना करने के लिये एक विधि है।
  - खगोलीय इकाई (AU) पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होती है और यह लगभग 150 मिलियन किमी. है।
  - निरपेक्ष परिमाण किसी भी तारे की चमक का एक मापक है, अर्थात् प्रत्येक समय तारे द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा की कुल मात्रा।

हिंद महासागर में जीनोम मैपिंग

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान (National Institute of Oceanography- NIO) ने हिंद महासागर (Indian Ocean) में अपनी तरह की पहली जीनोम मैपिंग (Genome Mapping) परियोजना शुरू करने की योजना बनाई है।

- हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा जल निकाय है और पृथ्वी की सतह पर उपस्थित जल का लगभग 20% भाग इसमें समाहित है।

प्रमुख बिंदु

उद्देश्य:

- हिंद महासागर में सूक्ष्मजीवों के जीनोम मानचित्रण के लिये नमूने एकत्र करना।
- जलवायु परिवर्तन, पोषक तत्त्वों में कमी और बढ़ते प्रदूषण के लिये जैव रसायन तथा महासागर की प्रतिक्रिया को समझना।

परियोजना की लागत और अवधि:

- इस परियोजना की कुल लागत 25 करोड़ रुपए है और इसे पूरा होने में तीन साल लगेंगे।

परियोजना के विषय में:

- NIO के वैज्ञानिकों और शोधकर्त्ताओं का एक दल सिंधु साधना (Sindhu Sadhana) नामक पोत के माध्यम से इस अनुसंधान परियोजना पर हिंद महासागर में 10,000 समुद्री मील से अधिक की दूरी तय करके 90 दिन बिताएगा ताकि समुद्र के आंतरिक भाग की कार्यपद्धति को जाना जा सके।
  - वे हिंद महासागर का भ्रमण भारत के पूर्वी तट से शुरू करके ऑस्ट्रेलिया, पोर्ट लुइस (मॉरीशस) और भारत के पश्चिमी तट से दूर पाकिस्तान की सीमा तक करेंगे।

जीनोम संग्रह:

- शोधकर्त्ता समुद्र के विभिन्न हिस्सों से लगभग 5 किमी. की औसत गहराई पर नमूने एकत्र करेंगे।
- जीन मैपिंग जैसे इंसानों से एकत्र किये गए रक्त के नमूनों पर की जाती है, वैसे ही वैज्ञानिक समुद्र में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, रोगाणुओं का मानचित्रण करेंगे।
- उनमें मौजूद पोषक तत्त्वों और समुद्र के विभिन्न हिस्सों में उनकी कमी का पता डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड (DNA) और राइबोन्यूक्लिक एसिड (RNA) की मैपिंग से चलेगा।

ट्रेस धातुओं का अध्ययन:

- महासागरों को कैडमियम या तांबे जैसी ट्रेस धातुओं (Trace Metal) की आपूर्ति कॉन्टिनेंटल रन-ऑफ, वायुमंडलीय निक्षेप, हाइड्रोथर्मल गतिविधियों आदि के माध्यम से होती है।

- ये धातु महासागरीय उत्पादकता के लिये आवश्यक हैं।
- समुद्री बायोटा (Marine Biota) के साथ-साथ ट्रेस धातुओं की अंत:क्रियाओं को "पोषक तत्त्वों के पुनर्चक्रण और महासागरों की उत्पादकता के विषय में समग्र समझ हेतु" जानना महत्त्वपूर्ण है।
- समुद्री जीवन पर उनकी प्रतिक्रियाओं के अलावा ट्रेस धातुओं के समस्थानिक रूपों का उपयोग समुद्री संचलन के लिये ज़िम्मेदार जल द्रव्यमान की गति का पता लगाने और जैविक, भू-रासायनिक, पारिस्थितिक तंत्र की प्रक्रियाओं तथा खाद्य जाल का विश्लेषण करने के लिये एक उपकरण के रूप में किया जाता है।
- NIO की इस परियोजना से ट्रेस धातुओं के विषय में हिंद महासागर के गैर-अनुमानित क्षेत्रों से नई जानकारी मिल सकती है।

लाभ:

- पारिस्थितिकी तंत्र को समझने में:
  - यह परियोजना वैज्ञानिकों को हिंद महासागर के पारिस्थितिकी तंत्र के आंतरिक क्रियाकलाप को समझने में मदद करेगी।
- परिवर्तन के कारकों को समझने में:
  - इस शोध से वैज्ञानिकों को महासागरों में RNA और DNA में परिवर्तन को नियंत्रित तथा उन्हें प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की पहचान करने में मदद मिलेगी।
- खनिज संकेंद्रण की पहचान करने में:
  - महासागर में नाइट्रेट्स, सल्फेट्स, सिलिकेट्स जैसे सूक्ष्म पोषक तत्त्व और लौह अयस्क, जस्ता जैसी धातुओं तथा कैडमियम या तांबे जैसी ट्रेस धातुओं की उपस्थिति का जाँच करना।
  - जीनोम मैपिंग वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सूक्ष्म जीवों की प्रतिक्रिया के अलावा उस उपस्थिति को दर्शाएगा जिसके चलते इनका रूपांतरण हुआ है।
  - इससे यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि समुद्र के किस हिस्से में किस खनिज या तत्त्व की अधिक सांद्रता है।
  - वैज्ञानिक इसके बाद एक निश्चित खनिज या तत्त्व की अधिकता या कमी के लिये प्रेरक कारकों से निपटने और उनके शमन हेतु संभावित समाधान सुझाएंगे।
- मानव लाभ:
  - भविष्य में हिंद महासागर का उपयोग मानव लाभ के लिये करने हेतु DNA और RNA पूल का इस्तेमाल किया जाएगा।
- जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग में वृद्धि:
  - जीनोम मैपिंग से एंटी कैंसर उपचार, सौंदर्य प्रसाधन आदि वाणिज्यिक जैव प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग में वृद्धि हो सकती है।
- संरक्षण प्रयासों का अनुकूलन:
  - इस महासागर की आनुवांशिक स्तर पर अन्वेषण करने से वर्गिकी/वर्गीकरण विज्ञान (Taxonomy) और अनुकूलन क्षमता में नई अंतर्दृष्टि पैदा होगी, जो इसके संरक्षण प्रयासों में मदद कर सकती है।

जीनोम

- किसी भी जीव के डीएनए (या RNA वायरस में RNA) में विद्यमान समस्त जीनों का अनुक्रम जीनोम (Genome) कहलाता है।
- प्रत्येक जीनोम में संबंधित जीव को बनाने और बनाए रखने के लिये आवश्यक सभी जानकारी होती है।
- मनुष्य के पूरे जीनोम की एक प्रति में 3 बिलियन से अधिक DNA बेस जुड़े होते हैं।

जीनोम मैपिंग

- एक जीन के स्थान और जीन के बीच की दूरी की पहचान करने के लिये उपयोग किये जाने वाले विभिन्न प्रकार की तकनीकों को जीनोम मैपिंग (Genome Mapping) कहा जाता है।
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) ने जनवरी 2020 में मानव जीनोम परियोजना (Human Genome Project) से प्रेरणा लेते हुए महत्त्वाकांक्षी "जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट" (Genome India Project) की शुरुआत की। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य पूरे भारत से 10,000 नागरिकों के आनुवंशिक नमूने एकत्र करना है, ताकि एक संदर्भ जीनोम का निर्माण किया जा सके।

राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान

- राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के विषय में:
  - यह एक बहु-अनुशासनात्मक महासागरीय अनुसंधान संस्थान है और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR), नई दिल्ली के घटक प्रयोगशालाओं में से एक है।
- मुख्यालय और अन्य केंद्र:
  - इस केंद्र का मुख्यालय 'डोना पाउला' (गोवा) में स्थित है और तीन क्षेत्रीय कार्यालय कोच्चि (केरल), मुंबई (महाराष्ट्र) और विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) में स्थित हैं।
- स्थापना:
  - इसकी स्थापना वर्ष 1960 के अंतर्राष्ट्रीय हिंद महासागर अभियान (International Indian Ocean Expedition) के अंतर्गत 1 जनवरी, 1966 को हुई थी।
- अनुसंधान क्षेत्र:
  - इस संस्थान का मुख्य कार्य हिंद महासागर की महासागरीय विशेषताओं का परीक्षण करना तथा उन्हें समझना है।
  - इस संस्थान द्वारा समुद्र विज्ञान की जैविक, रासायनिक, भू-गर्भीय और भौतिक विशेषताओं से संबंधित शाखाओं में शोध किया जाता है, साथ ही समुद्र इंजीनियरिंग, समुद्री उपकरण तथा समुद्री पुरातत्त्व विषयों में भी शोध किया जाता है।

पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण

प्रवासी पक्षी और चिल्का झील

चर्चा में क्यों?

ओडिशा में (चिल्का झील के निकट) तापमान बढ़ने के कारण चिलिका झील और भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के आसपास से प्रवासी पक्षियों ने अन्य वर्षों की तुलना में पहले (फरवरी में) ही इन स्थानों को छोड़ना शुरू कर दिया है।

- इन क्षेत्रों में प्रवासी पक्षियों का आगमन सामान्यत: नवंबर माह में शुरू होता है और मार्च के मध्य या अप्रैल की शुरुआत में ये पक्षी तब वापस जाते हैं जब तापमान लगभग 39 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है।

प्रमुख बिंदु:

- प्रवासी प्रजातियाँ: हर वर्ष सर्दी के मौसम में प्रवासी पक्षी एशिया के सबसे बड़े खारे पानी के लैगून चिल्का झील तथा भारत के दूसरे सबसे बड़े मैंग्रोव जंगल भितरकनिका(प्रथम सुंदरबन, पश्चिम बंगाल में स्थित) में आते हैं।
  - पक्षियों की ये प्रजातियाँ साइबेरिया, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, हिमालयी क्षेत्र और मध्य यूरोप से उड़ान भरकर भारत आते हैं।
- समय-पूर्व प्रस्थान का कारण:
  - क्षेत्र का गर्म होना: वर्ष 2015 से वर्ष 2019 के दौरान फरवरी महीने में भुवनेश्वर (चिल्का झील से 35 किलोमीटर की दूरी पर) का औसत तापमान 34-35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।
  - घटता जल स्तर: बढ़ रहे तापमान के साथ झील के जल स्तर में गिरावट के कारण भी पक्षियों द्वारा समय-पूर्व प्रस्थान किया गया है।
- चिल्का झील:
  - चिल्का एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लैगून है।
  - शीतकाल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करने वाला सबसे बड़ा मैदान होने के साथ ही यह पौधों और जानवरों की कई संकटग्रस्त प्रजातियों का निवास स्थान है।
  - वर्ष 1981 में चिल्का झील को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व का पहला भारतीय आर्द्रभूमि नामित किया गया था।
  - चिल्का में प्रमुख आकर्षण इरावदी डॉलफिन (Irrawaddy Dolphins) हैं जिन्हें अक्सर सतपाड़ा द्वीप के पास देखा जाता है।
  - लैगून क्षेत्र में लगभग 16 वर्ग किमी. में फैला नलबाना द्वीप (फारेस्ट ऑफ रीडस) को वर्ष 1987 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था।
  - कालिजई मंदिर- यह मंदिर चिल्का झील में एक द्वीप पर स्थित है।
- भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान:
  - भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा के समृद्ध जैव विविधता स्थलों में से एक है जो अपने मैंग्रोव, प्रवासी पक्षियों, कछुओं, एस्टुरीन मगरमच्छों और अनगिनत लताओं के लिये प्रसिद्ध है।
  - भितरकनिका में 3 संरक्षित क्षेत्र शामिल हैं जिनमें भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान (Bhitarkanika National Park), भितरकनिका वन्यजीव अभयारण्य (Bhitarkanika Wildlife Sanctuary) और गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य (Gahirmatha Marine Sanctuary) शामिल हैं।
  - भितरकनिका ब्राह्मणी, बैतरणी, धामरा तथा महानदी नदी प्रणालियों के मुहाने पर स्थित है।
  - यह देश के 70% एस्टुरीन या खारे पानी के मगरमच्छों का निवास स्थान है जिसके संरक्षण का कार्य वर्ष 1975 में शुरू किया गया था।

नोट :

भारत में प्रवासी प्रजातियाँ:

- भारत कई प्रवासी जानवरों और पक्षियों का अस्थायी निवास स्थान है।
- इनमें से अमूर फाल्कन्स (Amur Falcons), बार-हेडेड गीज़ (Bar-Headed Geese), ब्लैक-नेक्ड क्रेन (Black-Necked Cranes), मरीन टर्टल (Marine Turtles), डूगोंग (Dugongs), हंपबैक व्हेल (Humpback Whales) आदि शामिल हैं।
- भारतीय उपमहाद्वीप प्रमुख पक्षी फ्लाईवे नेटवर्क का भी हिस्सा है, अर्थात मध्य एशियाई फ्लाईवे (Central Asian Flyway-CAF) आर्कटिक और भारतीय महासागरों के मध्य के क्षेत्रों को कवर करता है।
- भारत ने मध्य एशियाई फ्लाईवे (Central Asian Flyway) के तहत प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना (National Action Plan) भी शुरू की है क्योंकि भारत प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय' (Convention on Migratory Species-CMS) का एक पक्षकार है।

राष्ट्रीय नदी कायाकल्प तंत्र को लेकर NGT का सुझाव

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने जल शक्ति मंत्रालय को जल प्रदूषण पर लगाम लगाने और देश भर में सभी प्रदूषित नदियों के कायाकल्प के लिये उठाए गए कदमों की प्रभावी निगरानी के लिये एक उपयुक्त राष्ट्रीय नदी कायाकल्प तंत्र विकसित करने का निर्देश दिया है।

प्रमुख बिंदु

पृष्ठभूमि

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) का आकलन
  - निष्कर्ष
    - केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के वर्ष 2016-17 के आकलन के अनुसार, देश में प्रदूषित नदी क्षेत्रों की संख्या बढ़कर 351 हो गई है, जो कि दो वर्ष पूर्व 302 थी और इस दौरान गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों (जहाँ जल की गुणवत्ता सबसे खराब है) की संख्या 34 से बढ़कर 45 हो गई है।
    - इसमें से तकरीबन 117 क्षेत्र अकेले असम, गुजरात और महाराष्ट्र में हैं।
  - CPCB मूल्यांकन का आधार:
    - 1990 के दशक के बाद से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) मुख्य रूप से बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड (BOD) के आधार पर नदियों की गुणवत्ता की निगरानी कर रहा है। BOD की मात्रा जितनी अधिक होती है नदी की गुणवत्ता उतनी ही खराब मानी जाती है।
    - ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में कार्बनिक पदार्थों के जैव रासायनिक अपघटन के लिये आवश्यक होती है, BOD कहलाती है।
    - केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) 3 मिलीग्राम/लीटर से कम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड (BOD) को स्वच्छ एवं स्वस्थ नदी का संकेतक मानता है।
  - संबंधित प्रयास
    - नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने देश भर में 350 से अधिक प्रदूषित क्षेत्रों को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिये एक राष्ट्रीय योजना तैयार कर उसे लागू करने हेतु केंद्रीय निगरानी समिति का गठन किया था क्योंकि इसके कारण जल एवं पर्यावरण की सुरक्षा पर गंभीर खतरा उत्पन्न होता है।

- नवीनतम दिशा
  - अवलोकन
    - वर्ष 1974 में लागू किये गए जल अधिनियम के बावजूद नदियों के जल की गुणवत्ता में गिरावट दर्ज की गई है।
    - इस अधिनियम का उद्देश्य जल्द की गुणवत्ता में सुधार लाना था।
  - NRRM की स्थापना:
    - NGT द्वारा दिये गए सुझाव के मुताबिक, इस तंत्र को 'राष्ट्रीय नदी कायाकल्प तंत्र' (NRRM) कहा जा सकता है। NRRM एक प्रभावी निगरानी रणनीति के रूप में राष्ट्रीय, राज्य या ज़िला स्तर पर पर्यावरण डेटा ग्रिड स्थापित करने पर विचार कर सकता है।
  - NRRM के दायरे का विस्तार:
    - नदियों के कायाकल्प की प्रक्रिया को केवल 351 क्षेत्रों तक सीमित नहीं किया जाना चाहिये, बल्कि देश भर की सभी छोटी, मध्यम व बड़ी प्रदूषित नदियों के अलावा सूखी नदियों के मामले में भी इसे लागू किया जा सकता है।
  - कार्यान्वयन
    - सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों द्वारा प्रदूषण की समाप्ति और नदियों के कायाकल्प के लिये कार्य योजनाओं के प्रभावी उपाय किये जाने चाहिये।
    - सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को प्रत्येक माह कम-से-कम एक बार व्यक्तिगत रूप से प्रगति की निगरानी करनी होगी।
    - मुआवज़े के भुगतान से संबंधित दिशा-निर्देशों के पालन की विफलता की स्थिति में जवाबदेही संबंधित मुख्य सचिवों की होगी।
- प्रदूषित नदी क्षेत्रों की वृद्धि का कारण
  - तीव्र शहरीकरण और कुशल अपशिष्ट निपटान प्रणालियों का अभाव।
  - नदियों के किनारे औद्योगिक शहरों की संख्या में बढ़ोतरी।
  - कृषि गतिविधियों आदि में कमी।
- प्रदूषण का प्रभाव
  - विश्व बैंक का अनुमान है कि भारत में जल प्रदूषण की स्वास्थ्य लागत भारत की कुल GDP के तीन प्रतिशत के बराबर है।
    - भारत में सभी बीमारियों का 80 प्रतिशत और कुल मौतों के एक-तिहाई हिस्से के लिये जल-जनित बीमारियाँ उत्तरदायी हैं।
  - गंगा के प्रदूषित जल के कारण केवल इंसानों को ही नहीं, बल्कि जानवरों को भी खतरा है। प्रदूषण के कारण जिन प्रजातियों पर खतरा उत्पन्न हुआ है, उनमें 140 से अधिक मछली प्रजातियाँ, 90 उभयचर प्रजातियाँ, सरीसृप जैसे कि घड़ियाल, और स्तनधारी जैसे- दक्षिण एशियाई नदी डॉल्फिन आदि शामिल हैं।
- संबंधित संवैधानिक प्रावधान
  - अनुच्छेद 21: स्वच्छ पर्यावरण और प्रदूषण मुक्त जल आदि को जीवन के अधिकार के व्यापक दायरे के तहत संरक्षण प्रदान किया गया है।
  - अनुच्छेद 51-A (G): वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना व इसमें सुधार करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है।
- जल प्रदूषण से निपटने संबंधी प्रयास
  - राष्ट्रीय जल नीति (2012)
    - इसका उद्देश्य मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में एकीकृत कानूनों और संस्थानों की एक प्रणाली के निर्माण के लिये रूपरेखा और कार्य योजना पर निर्णय लेना है।
    - जल संसाधन मंत्रालय की यह नीति मानव अस्तित्व के साथ-साथ आर्थिक विकास संबंधी गतिविधियों के लिये जल के महत्त्व पर प्रकाश डालती है।

- यह इष्टतम, किफायती, टिकाऊ और न्यायसंगत साधनों के माध्यम से जल संसाधनों के संरक्षण के लिये एक रूपरेखा प्रस्तुत करती है।
- राष्ट्रीय जल मिशन (2010): यह जल के संरक्षण, कम अपव्यय और समान वितरण के लिये बेहतर जल संसाधन प्रबंधन सुनिश्चित करता है।
- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन: यह मिशन गंगा नदी में पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और न्यूनीकरण के लिये उपाय करने हेतु राष्ट्रीय, राज्य और ज़िला स्तर पर पाँच स्तरीय संरचना की परिकल्पना करता है।
  - इसका उद्देश्य गंगा नदी के कायाकल्प के लिये निरंतर पर्याप्त जल प्रवाह सुनिश्चित करना है।
- नमामि गंगे परियोजना: यह गंगा नदी को व्यापक रूप से स्वच्छ एवं संरक्षित करने के प्रयासों को एकीकृत करती है।

PSLV की 53वीं उड़ान

चर्चा में क्यों?

हाल ही में इसरो द्वारा PSLV-C51 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। यह इसरो के प्रक्षेपण यान की 53वीं उड़ान थी और साथ ही इसरो की वाणिज्यिक शाखा, 'न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड' (NSIL) का पहला समर्पित मिशन था।

- इस उड़ान में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (SHAR) से इसरो द्वारा भारत के 5, अमेरिका के 13, ब्राज़ील का ऑप्टिकल पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अमेज़ोनिया-1 (Amazonia-1) और 18 सह-यात्री उपग्रहों (Co-Passenger Satellites) को सफलतापूर्वक लॉन्च किया किया गया।
  - SHAR, श्रीहरिकोटा भारत का स्पेसपोर्ट (Spaceport) है जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों को लॉन्च करने हेतु अवसंरचनात्मक आधार प्रदान करता है।

प्रमुख बिंदु:

- ब्राज़ील का उपग्रह अमेज़ोनिया-1:
  - अमेज़ोनिया-1 के बारे में:
    - 637 किलोग्राम वज़नी अमेज़ोनिया-1, ब्राज़ील के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेगस रिसर्च का पृथ्वी1 पर्यवेक्षण उपग्रह (Earth Observation Satellite) है। इस उपग्रह को सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा (Sun-Synchronous Polar Orbit) में 758 किमी. की ऊँचाई पर निर्धारित कक्षा में स्थापित किया गया है।
  - उद्देश्य:
    - अमेज़न क्षेत्र में निर्वनीकरण की निगरानी तथा ब्राज़ीलियाई क्षेत्र में विविधताकपूर्ण कृषि का विश्लेषिण करने के लिये प्रयोक्ताटओं को सुदूर संवेदी आँकड़े प्रदान कर विद्यमान संरचना को और अधिक सुदृढ़ करना।
- 5 भारतीय उपग्रह:
  - UNITYsat:
    - UNITYsat रेडियो प्रसारण सेवाएँ प्रदान करने के लिये लॉन्च किया गया तीन उपग्रहों का एक संयोजन है।
    - UNITYsat को जेप्पियार इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी, श्रीपेरम्बदूर (JITsat), जी एच रायसोनी कालेज आफ इंजीनियरिंग, नागपुर (GHRCEsat) और श्री शक्ति इंटीट्टयूट आफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, कोयम्बटूर (Sri Shakthi Sat) द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है।
  - SDSAT:
    - सतीश धवन उपग्रह (SDSAT) एक नैनो उपग्रह है जिसका उद्देश्य विकिरण के स्तरों/अंतरिक्ष मौसम का अध्ययन करना एवं लंबी दूरी की संचार तकनीकों का प्रदर्शन करना है।
    - इसे चेन्नई स्थित स्पेस किड्ज़ (शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों हेतु नवोन्मेषी अवधारणाएँ तैयार करने के लिये समर्पित एक संगठन) द्वारा निर्मित गया है।

- आत्मनिर्भर भारत और निजी कंपनियों के लिये अंतरिक्ष की राह खोलने वाले निर्णय के मामले में एकजुटता दिखाने और इस निर्णय के प्रति आभार व्यक्त करने के लिये SDSAT के शीर्ष पैनल पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर उकेरी गई है।
- इनके साथ ही एक SD कार्ड में भगवद्गीता को भी भेजा गया है, जो एकात्मकता को मानवता का सर्वोच्च रूप और सर्वोच्च सम्मान बताती है।

- सिंधु नेत्र (Sindhu Netra):
  - इसे बंगलूरू स्थित PES विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा विकसित किया गया जिसके लिये रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) द्वारा 2.2 करोड़ रुपए का अनुबंध किया गया था।
  - यह उपग्रह इमेजिंग के माध्यम से संदिग्ध जहाज़ों की पहचान करने में मदद करेगा।

- अमेरिका के उपग्रह:
  - PSLV-C51 द्वारा प्रमोचित उपग्रहों में से 13 उपग्रह अमेरिका के हैं, जिसमें एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन उपग्रह (SAI-1 नैनो कनेक्ट 2) तथा शेष दोतरफा संचार और डेटा प्रसारण (SpaceBEEs) से संबंधित हैं।
- महत्त्व:
  - भारत-ब्राज़ील संबंधों को गति:
    - 2000 के दशक की शुरुआत से भारत और ब्राज़ील ने सरकारों के स्तर पर (वर्ष 2004) और अंतरिक्ष एजेंसियों के स्तर पर (वर्ष 2002 में ISRO और ब्राज़ीलियाई अंतरिक्ष एजेंसी AEB के मध्य) बाह्य अंतरिक्ष के अन्वेषण तथा शांतिपूर्ण उपयोग हेतु सहयोगात्मक समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं।
    - हाल ही में लॉन्च किया गया नया उपग्रह (अमेज़ोनिया-1) विभिन्न व्यापारिक और सरकारी अवसरों का मार्ग प्रशस्त करेगा। ब्राज़ील द्वारा अपने प्रक्षेपण वाहन कार्यक्रम के लिये सामग्री और प्रणालियों की खरीद में भारत से समर्थन का अनुरोध भी किया गया है।
  - नए अंतरिक्ष सुधारों का कार्यान्वयन:
    - PSLV-C51 द्वारा प्रमोचित पाँच भारतीय उपग्रहों का निर्माण भारत सरकार द्वारा घोषित नए अंतरिक्ष सुधारों के तहत किया गया था।
    - स्वीकृत सुधारों से अंतरिक्ष गतिविधियों की पूरी श्रृंखला में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा।
    - सहयात्री उपग्रहों में से 4 के प्रमोचन के लिये इन-स्पेस (IN-SPACe) द्वारा हस्ताक्षर किये गए थे 14 उपग्रहों के वाणिज्यिक प्रमोचन के लिये NSIL के माध्यम से हस्ताक्षर किये गए थे।
  - IN-SPACe: यह अंतरिक्ष विभाग (DOS) के तहत एक स्वतंत्र नोडल एजेंसी है जो भारतीय अंतरिक्ष अवसंरचना का उपयोग करने हेतु निजी क्षेत्र की कंपनियों को समान अवसर उपलब्ध कराएगी।
  - NSIL: यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) की वाणिज्यिक शाखा है, जिसकी प्राथमिक ज़िम्मेदारी भारतीय उद्योगों को उच्च प्रौद्योगिकी की अंतरिक्ष गतिविधियों में सक्षम बनाना है। यह अंतरिक्ष संबंधी भारतीय उत्पादों और सेवाओं के प्रचार एवं व्यावसायिक उपयोग हेतु भी ज़िम्मेदार है।
  - अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग:
    - इस तरह की परियोजनाएँ विभिन्न क्षेत्रों में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों के विस्तार को प्रदर्शित करती हैं, जो 'पर्यावरण और मानवीय जीवन को सहजता' प्रदान करती हैं।

ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचन वाहन:

- भारत का 'ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचन वाहन' (PSLV) तीसरी पीढ़ी का प्रमोचन वाहन है।
- यह एक चार-चरणीय प्रमोचन वाहन है जिसके प्रथम और तीसरे चरण में ठोस रॉकेट मोटर्स तथा दूसरे एवं चौथे चरण में तरल रॉकेट इंजन का उपयोग किया जाता है।
- यह तरल चरणों से युक्त प्रथम भारतीय प्रमोचन वाहन है।

क्षमता:

- प्रारंभ में PSLV की वहन क्षमता 850 किलोग्राम थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 1.9 टन कर दिया गया।

उपलब्धियाँ:

- PSLV ने जियोस्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट (GTO), चंद्रमा, मंगल सहित अंतरिक्ष में लगभग सभी कक्षाओं में पेलोड ले जाने में मदद की है और शीघ्र ही इसकी सहायता से सूर्य के लिये भी एक मिशन शुरूकिया जाएगा।
- वर्ष 1994-2019 के मध्य PSLV द्वारा 20 देशों के 70 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों हेतु 50 भारतीय उपग्रह और 222 विदेशी उपग्रह लॉन्च किये गए हैं।
- इस पेलोड के सफल प्रक्षेपणों में चंद्रयान -1, मार्स ऑर्बिटर मिशन और स्पेस रिकवरी मिशन आदि शामिल हैं।
- PSLV की अब तक दो उड़ानें विफल रही हैं जिसमें वर्ष 1993 में PSLV D1 की पहली उड़ान और वर्ष 2017 में PSLV C-39 की उड़ान शामिल हैं।

राइट-टू-रिपेयर: यूरोपीय संघ

चर्चा में क्यों?

यूरोपीय संघ (EU) में रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, हेयर ड्रायर या टेलीविज़न आदि बेचने वाली कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि आगामी 10 वर्ष तक इन उपकरणों की मरम्मत की जा सके।

- 'राइट-टू-रिपेयर' के नाम से जाना जा रहा यह अधिकार मार्च 2021 से 27 राष्ट्रों में लागू हुआ है।

प्रमुख बिंदु

- परिचय
  - 'राइट-टू-रिपेयर' एक ऐसे अधिकार अथवा कानून को संदर्भित करता है, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को अपने स्वयं के उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत करने और उन्हें संशोधित करने की अनुमति देता है, जहाँ अन्यथा ऐसे उपकरणों के निर्माता उपभोक्ताओं को केवल उनके द्वारा प्रस्तुत सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति देते हैं।
  - 'राइट-टू-रिपेयर' का विचार मूल रूप से अमेरिका से उत्पन्न हुआ था, जहाँ 'मोटर व्हीकल ओनर्स राइट टू रिपेयर एक्ट, 2012' किसी भी व्यक्ति को वाहनों की मरम्मत करने में सक्षम बनाने के लिये वाहन निर्माताओं को सभी आवश्यक दस्तावेज़ और जानकारी प्रदान करना अनिवार्य बनाता है।
- नए नियम
  - यूरोपीय संघ के नए नियमों के तहत निर्माताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि कम-से-कम एक दशक तक किसी भी उपकरण के पाट्र्स उपलब्ध रहें, हालाँकि कुछ पाट्र्स केवल विशिष्ट पेशेवर कंपनियों को ही प्रदान किये जाएंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनका प्रयोग सही तरीके से हो।
  - अब से नए उपकरणों को मरम्मत के लिये आवश्यक सूचनाओं और दस्तावेज़ों के साथ ही निर्मित किया जाएगा, साथ ही उन्हें इस लिहाज से डिज़ाइन किया जाएगा कि उनकी मरम्मत करना संभव न हो और उन्हें आसानी से पारंपरिक साधनों का उपयोग करते हुए नष्ट किया जा सके, जिससे उपकरणों की रीसाइक्लिंग में सुधार होगा।
- यूरोप में ई-कचरा
  - ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनीटर 2020 के अनुसार, यूरोपीय लोग प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति 16 किलोग्राम से अधिक ई-कचरे का उत्पादन करते हैं।
    - एशिया और अफ्रीका में यह क्रमश: 5.6 और 2.5 किलोग्राम है, जो कि सबसे कम है।
    - ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनीटर: यह यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी (UNU), इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन (ITU) और इंटरनेशनल सॉलिड वेस्ट एसोसिएशन (ISWA) द्वारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सहयोग गठित ग्लोबल ई-वेस्ट स्टैटिस्टिक्स पार्टनरशिप (GESP) के तहत एक गठबंधन है।

- इस ई-कचरे का लगभग आधा हिस्सा टूटे हुए घरेलू उपकरणों के कारण उत्पन्न होता है, और यूरोपीय संघ में इसमें से लगभग 40 प्रतिशत को ही रीसाईकल किया जाता है, जिसके कारण काफी अधिक मात्रा में खतरनाक ई-कचरा रीसाईकल होने से छूट जाता है।

- महत्त्व
  - यह ई-कचरे की विशाल मात्रा को कम करने में मदद करेगा, जो कि महाद्वीप पर प्रत्येक वर्ष बढ़ता जा रहा है।
  - यह उपभोक्ताओं को पैसा बचाने में मदद करेगा।
  - यह उपकरणों के जीवनकाल, रखरखाव, पुन: उपयोग, उन्नयन, पुनर्चक्रण और अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार कर चक्रीय अर्थव्यवस्था के उद्देश्यों में योगदान देगा।
  - यह दो विनिर्माण चुनौतियों से निपटने में मदद करेगा:
    - नियोजित मूल्यह्रास के प्रति उचित ध्यान न दिया जाना।
    - निर्माता कंपनियों द्वारा मरम्मत एवं रखरखाव नेटवर्क को नियंत्रित करना।
- आधुनिक उपकरणों के साथ मरम्मत संबंधी समस्या
  - विशेष उपकरणों की आवश्यकता
    - आधुनिक उपकरणों को प्राय: इस प्रकार डिज़ाइन किया जाता है कि उन्हें खोलने अथवा मरम्मत करने के लिये विशिष्ट उपकरणों की आवश्यकता होती है और ऐसे उपकरण न होने पर इनकी मरम्मत नहीं की जा सकती है।
  - स्पेयर पार्ट्स की कमी
    - स्पेयर पार्ट्स की कमी भी एक बड़ी समस्या है। कभी-कभी किसी बड़ी मशीन के एक छोटे से टुकड़े को खोजना काफी चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
- विनिर्माताओं से संबंधित चिंताएँ
  - निर्माताओं ने 'राइट-टू-रिपेयर' का विरोध किया है, क्योंकि इससे नए उत्पादों को अधिक मात्रा में बेचने की उनकी क्षमता प्रभावित होगी और वे उत्पाद निर्माता के बजाय सेवा प्रदाता बनने के लिये मजबूर हो जाएंगे।
  - निर्माताओं का यह भी मत है कि उपभोक्ता को उच्च-प्रौद्योगिकी उत्पादों की मरम्मत करने की अनुमति देना एक जोखिमपूर्ण कार्य है, उदाहरण के लिये प्राय: कारों में लिथियम- आयन बैटरी का प्रयोग किया जाता है।

भारत में ई-कचरा

- आधिकारिक आँकड़े
  - केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, भारत में वर्ष 2019-20 में 10 लाख टन से अधिक ई-कचरा उत्पन्न हुआ था। वर्ष 2017-18 के मुकाबले वर्ष 2019-20 में ई-कचरे में 7 लाख टन की बढ़ोतरी हुई थी।
- भारत द्वारा किये गए प्रयास
  - ई-कचरा प्रबंधन नियम, 2016:
    - इसका उद्देश्य ई-कचरे से उपयोगी सामग्री को अलग करना और/या उसे पुन: उपयोग के लिये सक्षम बनाना है, ताकि निपटान के लिये खतरनाक किस्म के कचरे को कम किया जा सके और बिजली तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उचित प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके।
  - ई-कचरा क्लिनिक:
    - यह ई-कचरे के पृथक्करण, प्रसंस्करण और निपटान से संबंधित है।

ई-वेस्ट:

- ई-वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक-अपशिष्ट का संक्षिप्त रूप है और इस शब्द का उपयोग पुराने, समाप्त या खारिज इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के संदर्भ में किया जाता है। इसमें उनके घटक, उपभोग्य वस्तुएँ, उनके भाग
- और स्पेयर शामिल हैं।

- इसे दो व्यापक श्रेणियों के तहत 21 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है:
  - सूचना प्रौद्योगिकी और संचार उपकरण।
  - उपभोक्ता विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स।
- ई-कचरे में उनके घटक, उपभोग्य वस्तुएँ और पुर्जे आदि शामिल होते हैं।

आगे की राह

इस तरह के नियम भारत जैसे देश में विशेष तौर पर महत्त्वपूर्ण हो सकते हैं, जहाँ सेवा प्रदाताओं पर प्राय: सही ढंग से कार्य न करने का आरोप लगाया जाता है और अधिकृत कार्यशालाएँ कुछ ही क्षेत्रों में मौजूद हैं। यदि भारत में इस तरह के कानून को अपनाया जाता है तो देश में मरम्मत और रखरखाव सेवाओं की गुणवत्ता में काफी सुधार किया जा सकता है।

अरावली पहाड़ियों में पुन: उत्खनन शुरू करने की अपील

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हरियाणा सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) से अपील की है कि उसे कोविड-19 महामारी से कमज़ोर हो चुकी अपनी अर्थव्यवस्था को पुन: सुदृढ़ करने के लिये अरावली हिल्स (Aravalli Hill) में उत्खनन करने की अनुमति दी जाए।

प्रमुख बिंदु

- अरावली रेंज के विषय में:
  - अवस्थिति:
    - इस रेंज का विस्तार गुजरात के हिम्मतनगर से शुरू होकर हरियाणा, राजस्थान, और दिल्ली (लगभग 720 किमी.) तक है।
  - बनावट:
    - अरावली रेंज लाखों साल पुरानी है, जिसका निर्माण भारतीय उपमहाद्वीपीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट की मुख्य भूमि से टकराने के कारण हुआ।
  - आयु:
    - कार्बन डेटिंग से पता चला है कि इस रेंज की तांबे और अन्य धातुओं की खानें कम-से-कम 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की हैं।
  - विशेषताएँ:
    - अरावली रेंज विश्व के सबसे पुराने वलित पर्वतों में से एक है, जो अब एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में है, इसकी ऊँचाई 300 मीटर से 900 मीटर के बीच है।
    - अरावली रेंज की सबसे ऊँची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर (1,722 मीटर) है।
    - यह मुख्य रूप से वलित पर्वत है, जिसका निर्माण दो प्लेटों के अभिसरण के कारण हुआ है।
  - विस्तार:
    - अरावली रेंज को दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जाता है- सांभर सिरोही रेंज और सांभर खेतड़ी रेंज, यहाँ अरावली रेंज का विस्तार लगभग 560 किमी. है।
    - दिल्ली से लेकर हरिद्वार तक फैले अरावली का अदृश्य भाग गंगा और सिंधु नदियों के जल के बीच एक विभाजन बनाता है।
- इनका महत्त्व:
  - मरुस्थलीकरण को रोकने में:
    - अरावली पूर्व के उपजाऊ मैदान और पश्चिम के रेतीले मरुस्थल के बीच एक अवरोध के रूप में स्थित है।
    - ऐतिहासिक रूप से यह कहा जाता है कि अरावली रेंज ने थार मरुस्थल को गंगा के मैदान की ओर फैलने से रोक कर रखा है।
  - जैव विविधता से समृद्ध:
    - इस रेंज में 300 स्थानीय पौधों की प्रजातियाँ, 120 पक्षियों की प्रजातियाँ और सियार तथा नेवले जैसे कई विशेष जानवरों का आवास है।

- पर्यावरण पर प्रभाव:
  - अरावली रेंज का उत्तर-पश्चिम भारत और इसके आस-पास के क्षेत्रों की जलवायु पर विशेष प्रभाव है।
  - यह रेंज मानसून के दौरान बादलों को शिमला और नैनीताल की ओर मोड़ने में सहायता करता है, जिससे उप-हिमालयी नदियों को जल प्राप्त होता है और इस जल से उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों को पानी की प्राप्ति होती है।
  - यह रेंज सर्दी के महीनों में उपजाऊ जलोढ़ नदी घाटियों को मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं से बचाती है।
- भूजल का पुनर्भरण:
  - अरावली रेंज अपने आसपास के क्षेत्रों के लिये भूजल पुनर्भरण के रूप में भी कार्य करती है जो वर्षा जल को सोखकर भूजल स्तर को पुनर्जीवित करती है।
- प्रदूषण पर नियंत्रण:
  - यह रेंज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) की प्रदूषित हवा के लिये "फेफड़े" का काम करती है।
  - हरियाणा में भारत के कुल वन आवरण का लगभग 3.59% (वन स्थिति रिपोर्ट, 2017) वन आवरण है, जो भारत में किसी अन्य राज्य की तुलना में सबसे कम है। हरियाणा के इस वन आवरण में अरावली रेंज का प्रमुख योगदान है।

- संकट:
  - अरावली रेंज पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र है, लेकिन इसे वर्षों से उत्खनन और पर्यावरण क्षरण का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।
  - सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी (Central Empowered Committee) की वर्ष 2018 की रिपोर्ट से पता चलता है कि वर्ष 1967-68 के बाद से राजस्थान में अवैध खनन के कारण अरावली रेंज का 25% हिस्सा नष्ट हो गया है।
  - उत्खनन के परिणामस्वरूप जलस्तर में ह्रास और वनों का विनाश हुआ है। अरावली रेंज की बनास, लूनी, साहिबी और सखी जैसी कई नदियाँ अब लुप्त हो चुकी हैं।
- उठाए गए कदम:
  - सर्वोच्च न्यायालय के वर्ष 2002 के आदेश के अनुसार, जब तक स्पष्ट रूप से केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा अनुमति नहीं दी जाती, अरावली क्षेत्र में उत्खनन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालाँकि इस क्षेत्र में अवैध उत्खनन अब भी जारी है।
  - पोरबंदर से पानीपत तक ग्रीन वॉल (Green Wall) की योजना बनाई जा रही है, जिसका उद्देश्य अरावली रेंज के साथ-साथ बढ़ते भूमि क्षरण और थार रेगिस्तान के पूर्वी विस्तार को रोकना है।
  - पारिस्थितिकीविदों द्वारा अरावली के संरक्षण में शामिल एक नागरिक कार्रवाई समूह "आई एम गुरुग्राम" (I Am Gurgaon) के स्वयंसेवकों और इस क्षेत्र के निवासियों को अरावली की पारिस्थितिकी को बनाए रखने में मदद की गई थी। इस क्षेत्र के पर्यावरण में आ रही गिरावट को रोकने के लिये समाज संचालित यह मॉडल अधिक प्रभावी हो सकता है।

NDC संश्लेषण रिपोर्ट: UNFCCC

चर्चा में क्यों?

जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन (UNFCCC) ने अपनी राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (Nationally Determined Contributions- NDC) संश्लेषण रिपोर्ट में सदी के अंत तक वैश्विक तापमान वृद्धि को 2° C (आदर्श रूप से 1.5 ° C) रखने हेतु पेरिस समझौते के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये देशों द्वारा अधिक महत्त्वाकांक्षी जलवायु कार्य योजनाओं को अपनाने का आह्वान किया गया है।

- 1 से 12 नवंबर, 2021 तक ग्लासगो (यूनाइटेड किंगडम) में आयोजित होने वाले UNFCCC के पक्षकारों के 26वें सम्मेलन (COP26) से पहले इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करने की मांग की गई थी।
- NDC पेरिस समझौते का मुख्य केंद्रबिंदु है। राष्ट्रीय स्तर पर उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों में कमी लाने हेतु प्रत्येक देश द्वारा प्रयास किया जा रहा है। NDC में प्रत्येक देश द्वारा घरेलू परिस्थितियों और क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए अपनी महत्त्वाकांक्षाओं को प्रदर्शित किया जाता है।

प्रमुख बिंदु:

NDC के बारे में:

- NDC संश्लेषण रिपोर्ट में 31 दिसंबर, 2020 तक की प्रस्तुतियाँ शामिल की गई हैं जिसमें 75 पार्टियों के नए या अपडेटेड NDC शामिल किये गए हैं, जो लगभग 30% वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का प्रतिनिधित्व करते हैं।

रिपोर्ट का परिणाम:

- बेहतर प्रदर्शन करने वाले देश:
  - विश्व के 18 सबसे बड़े उत्सर्जक क्षेत्रों में से केवल यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय संघ ही ऐसे क्षेत्र हैं जिन्होंने अपने ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) में कमी की प्रतिबद्धता को काफी बढ़ाया है।
- निम्न प्रदर्शन करने वाले देश:
  - विश्व के 16 सबसे बड़े उत्सर्जकों द्वारा अपनी प्रतिबद्धता के अनुसार उत्सर्जन में कमी नहीं की गई है।
- अनुकूलन कार्य और आर्थिक विविधता:
  - अधिकांश देशों द्वारा अनुकूलन कार्रवाई और आर्थिक विविधीकरण योजनाओं के सह-लाभ पर रिपोर्ट दी गई है।
  - शमन क्रियाओं के साथ अनुकूलन क्रियाओं और आर्थिक विविधीकरण की योजनाओं में जलवायु-स्मार्ट कृषि, तटीय पारिस्थितिक तंत्रों को अपनाना, ऊर्जा उत्पादन में नवीकरणीय स्रोतों की हिस्सेदारी को बढ़ाना, कार्बन डाइऑक्साइड भंडारण, परिवहन क्षेत्र में ईंधन की कीमतों में सुधार करना तथा बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन हेतु एक चक्रीय अर्थव्यवस्था को अपनाना शामिल है।
- नवीनीकरण की आवश्यकता:
  - जलवायु महत्त्वाकांक्षा (Ambition) का मौजूदा स्तर पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने से काफी दूर है।
  - जबकि अधिकांश देशों ने उत्सर्जन को कम करने हेतु अपनी व्यक्तिगत जलवायु परिवर्तन संबंधी महत्त्वाकांक्षा के स्तर में वृद्धि की है, उनका संयुक्त प्रभाव वर्ष 2010 के स्तरों की तुलना में वर्ष 2030 तक केवल 1% की कमी करने में मदद करेगा।
    - हालाँकि, जलवायु परिवर्तन के इंटरगवर्नमेंटल पैनल के अनुसार, 1.5°C के लक्ष्य को पूरा करने हेतु वैश्विक उत्सर्जन को 45% तक कम करने की आवश्यकता है।

UNFCCC

- UNFCCC के बारे में:
  - UNFCCC का आशय 'जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क' से है।
  - UNFCCC सचिवालय (यूएन क्लाइमेट चेंज) संयुक्त राष्ट्र की एक इकाई है जो जलवायु परिवर्तन के खतरे पर वैश्विक प्रतिक्रिया का समर्थन करती है।
  - कन्वेंशन के पास सार्वभौमिक सदस्यता (197 पार्टियाँ) है तथा यह वर्ष 2015 के पेरिस समझौते की मूल संधि (Parent Treaty) है। UNFCCC वर्ष 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल की मूल संधि भी है।
- सचिवालय:
  - UNFCCC का सचिवालय जर्मनी के बॉन में स्थित है।
- उद्देश्य:
  - UNFCCC के अंतर्गत शामिल तीन समझौतों का अंतिम उद्देश्य वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों की सांद्रता को एक स्तर पर स्थिर करना है। यह एक निश्चित समय सीमा में जलवायु प्रणाली के साथ उत्पन्न खतरनाक मानव हस्तक्षेप को रोकने में सहायक होगा, जो पारिस्थितिकी प्रणालियों को स्वाभाविक रूप से अनुकूल बनाने की अनुमति देता है और स्थायी विकास को सक्षम बनाता है।

पेरिस समझौता

परिचय

- पेरिस समझौता (जिसे COP21 के रूप में भी जाना जाता है) एक ऐतिहासिक पर्यावरणीय समझौता है, जिसे वर्ष 2015 में जलवायु परिवर्तन और इसके नकारात्मक प्रभावों से निपटने के लिये अपनाया गया था।

- इसने क्योटो प्रोटोकॉल का स्थान लिया, जो कि जलवायु परिवर्तन से निपटने संबंधी प्रारंभिक समझौतों में से एक था।

उद्देश्य: इस समझौते का उद्देश्य वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को काफी हद तक कम करना है, ताकि इस सदी में वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तर (Pre-Industrial level) से 2 डिग्री सेल्सियस कम रखा जा सके। इसके साथ ही आगे चलकर तापमान वृद्धि को और 1.5 डिग्री सेल्सियस रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

- जलवायु परिवर्तन जैसे- चरम मौसमी घटनाओं के कारण संवेदनशील देशों को होने वाले वित्तीय घाटे को संबोधित करना।
- उन देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करना जो कम संपन्न हैं और तुलनात्मक रूप से अधिक असुरक्षित हैं, ताकि उन्हें स्वच्छ ऊर्जा के लिये जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाने में सहायता की जा सके।
- उत्सर्जन को कम करने के लिये व्यापक पैमाने पर निवेश की आवश्यकता होती है। हालाँकि समझौते का यह हिस्सा विकासशील देशों पर कानूनी दायित्त्व नहीं डालता है।

'राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान' (INDC): सम्मेलन की शुरुआत से पूर्व 180 से अधिक देशों ने अपने कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने के लिये प्रतिज्ञा की थी।

- INDCs को समझौते के तहत मान्यता दी गई है, लेकिन यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है।
- भारत ने भी जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये समझौते के तहत लक्ष्यों को पूरा करने हेतु अपनी INDCs प्रतिबद्धताओं की पुष्टि की है।

CMA:

- यह पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले और उसकी पुष्टि करने वाले देशों का एक समूह है जो पेरिस समझौते के कार्यान्वयन की देखरेख करता है तथा इसके प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिये महत्त्वपूर्ण निर्णय लेता है।
- पेरिस समझौते में शामिल सभी देशों को इस समूह में प्रतिनिधित्त्व मिलता है और जो इसमें शामिल नहीं हैं उन्हें पर्यवेक्षक का दर्जा दिया जाता है।

भारत के INDCs

- उत्सर्जन तीव्रता को जीडीपी के लगभग एक-तिहाई तक कम करना।
- बिजली की कुल स्थापित क्षमता का 40% गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करना।
- 2030 तक भारत द्वारा वन और वृक्ष आवरण के माध्यम से 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त कार्बन सिंक (वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने का एक साधन) के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।

आगे की राह

- प्रस्तुत रिपोर्ट में शामिल राष्ट्रों को अपने NDC की समीक्षा करने तथा उसके नवीनीकरण हेतु और अधिक समय मिलेगा। इसे नवंबर 2021 में होने वाले COP26 से पहले अंतिम संश्लेषण रिपोर्ट में संकलित किया जाएगा।
- जहाँ भी आवश्यक हो पर्याप्त सहायता के माध्यम से जलवायु प्रयासों को सक्षम एवं सुगम बनाया जाना चाहिये। यह एक महत्त्वपूर्ण विषय है, जिसे उच्च वरीयता और तात्कालिकता के साथ संबोधित किया जाना आवश्यक है, क्योंकि पर्याप्त संसाधनों तथा प्रौद्योगिकी के अभाव में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना संभव नहीं है।

विश्व वन्यजीव दिवस पर WWF संरक्षण अभियान

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर (Worldwide Fund for Nature- WWF) द्वारा विश्व वन्यजीव दिवस (3 मार्च) के अवसर पर यूरोप के अंतिम पुराने विकसित वनों को बचाने हेतु यूरोपीय संघ (European Union- EU) सहित कई हितधारकों से अपील की गई।

- WWF की स्थापना वर्ष 1961 में की गई थी, इसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के ग्लैंड में स्थित है। इसका मिशन प्रकृति का संरक्षण करना है, साथ ही पृथ्वी पर जीवन की विविधता के संरक्षण में आने वाली बाधाओं को दूर करना है।

प्रमुख बिंदु:

- यूरोप के अंतिम पुराने विकसित वन (Old-Growth Forests- OGF) आदिम जंगल हैं जिनका प्राकृतिक प्रक्रियाओं (Natural Processes) में वर्चस्व है। इनमें अक्षत वन (Virgin Forest), निकटवर्ती अक्षत वन (Near-Virgin Forest) तथा मनुष्यों द्वारा लंबे समय से अछूते वन (Long-Untouched Forests) शामिल हैं, जैसे- पोलैंड में बियालोवेआ वन।
- अब तक मध्य और दक्षिण-पूर्वी यूरोप में 3,50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में पुराने-विकसित और वर्जिन वनों की पहचान की गई थी। इनमें से केवल 2,80,000 हेक्टेयर को ही कानूनी संरक्षण प्राप्त है।

अवस्थिति:

- OGF और वनीय आवास का सबसे बड़ा क्षेत्र मुख्य रूप से यूरोप (रूस के बाहर) के रोमानिया, यूक्रेन, स्लोवाकिया और बुल्गारिया में पाया जाता है।

पारिस्थितिक महत्त्व:

- ये यूरोप की सबसे बड़ी जीवित मांसाहारी (Large Carnivore Populations) आबादी के साथ-साथ वनस्पतियों और जीवों की हज़ारों अन्य प्रजातियों के आवास स्थल रहे है।
- इन वनों द्वारा जलवायु को नियंत्रित करने के लिये पानी को छानने और स्वच्छ जल के भंडारण जैसी महत्त्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का प्रतिपादन किया गया, इस प्रकार ये जंगल लोगों और अर्थव्यवस्था हेतु महत्त्वपूर्ण रहे है।

खतरा:

- कानूनी एवं अवैध रूप से अनिश्चित तौर पर वनों की कटाई तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण जंगलों पर दबाव बढ़ा है।
- वनीय निवासों के विखंडन और विनाश के कारण जानवर और रोग वाहक दोनों की अनजाने में मनुष्यों के साथ लगातार संपर्क एवं संघर्ष की स्थिति बनी हुई है।

उठाए जाने वाले कदम:

- धारणीय/स्थायी क्षतिपूर्ति तंत्र (Sustainable Compensation Mechanisms) को विकसित करने और बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
- इस प्रकार के वनों के सतत् विकास का समर्थन करने हेतु वन-आधारित स्थानीय हरित व्यवसाय और निवेश योजनाओं का विकास किये जाने की आवश्यकता है।

विश्व वन्यजीव दिवस:

- वर्ष 2013 से हर वर्ष 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिन अर्थात् 3 मार्च, 1973 को ही वन्यजीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES) को अंगीकृत किया गया था।।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा (United Nations General Assembly) के प्रस्ताव द्वारा संयुक्त राष्ट्र के कैलेंडर में वन्यजीवों हेतु इस विशेष दिन के वैश्विक पालन सुनिश्चित करने हेतु CITES सचिवालय द्वारा निर्देशित किया जाता है।
- थीम:
  - वर्ष 2021 के लिये विश्व वन्यजीव दिवस की थीम 'वन और आजीविका: लोगों और ग्रह को बनाए रखना' (Forests and Livelihoods: Sustaining People and Planet) है। इसे संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals) के साथ जोड़ा गया है।
  - विश्व वन्यजीव दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने घोषणा की है कि भारत में यह चीता प्रजनन हेतु समर्पित है, जो वर्ष 1952 में विलुप्त हो गया था।

स्वतंत्र पर्यावरण नियामक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने सरकार से ग्रीन क्लीयरेंस (Green Clearance) की निगरानी के लिये "स्वतंत्र पर्यावरण नियामक" (Independent Environment Regulator) की स्थापना नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करने के लिये कहा है।

प्रमुख बिंदु

सर्वोच्च न्यायालय का आदेश:

- सर्वोच्च न्यायालय ने लाफार्ज उमियम माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (Lafarge Umiam Mining Private Limited v. Union of India Case), 2011 जिसे आमतौर पर 'लाफार्ज माइनिंग केस' (Lafarge Mining Case) के रूप में जाना जाता है, मामले की सुनवाई के दौरान ग्रीन क्लीयरेंस की स्वतंत्र निगरानी सुनिश्चित करने के लिये पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत एक राष्ट्रीय पर्यावरण नियामक संस्था की स्थापना का आदेश दिया था।

नियामक के कार्य:

- मूल्यांकन और अनुमोदन:
  - यह नियामक परियोजनाओं का स्वतंत्र, वस्तुनिष्ठ और पारदर्शी मूल्यांकन तथा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करेगा।
- निगरानी और कार्यान्वयन:
  - यह नियामक पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु निर्धारित शर्तों के कार्यान्वयन की निगरानी के साथ-साथ इन शर्तों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना भी लगाएगा। ऐसी शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियामक राष्ट्रीय वन नीति (National Forest Policy), 1988 को विधिवत लागू करेगा।

वर्तमान मुद्दे:

- पर्यावरण प्रभाव आकलन (2006) से संबंधित:
  - क्षमता का अभाव:
    - राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरणीय मंज़ूरी एक विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (Expert Appraisal Committee) द्वारा दी जाती है। यह समिति बिना किसी नियामक क्षमता के तदर्थ आधार पर कार्य करती है।
    - राज्य स्तरीय मूल्यांकन समितियाँ विनियामक सहायता के अभाव में इस मंज़ूरी की देखरेख करती हैं।
    - ये समितियाँ पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (Environment Impact Assessment) अधिसूचना, 2006 के अनुसार कार्य करती हैं।
  - विशेषज्ञता का अभाव:
    - इन समितियों के सदस्यों और अध्यक्षों में विशेषज्ञता की कमी के कारण इनके द्वारा किये जाने वाले पर्यावरणीय प्रभाव आकलन पर प्रश्नचिह्न लगाया जाता रहा है।
  - उचित विधान का अभाव:
    - प्रभावी विधायी शक्ति और संस्थागत क्षमता के बिना विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति और राज्य स्तरीय समितियों को दाँत रहित की संज्ञा दी गई है।
- विनियमन और बढ़ती लागत:
  - एक ही चीज़ के लिये बहुत सारी मंज़ूरियों की अवश्यकता होती है, जिनमें से कोई भी मंज़ूरी पर्यावरण या समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिये नहीं होती। ऐसी उच्च लागत वाली मंज़ूरियों से उद्योग पर बोझ बढ़ता है।
    - वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के तहत वन मंज़ूरी।

नोट :

    - तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना, 2011 के तहत तटीय मंज़ूरी।
    - वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत वन्यजीव के संदर्भ में मंज़ूरी।
  - नियमों तथा नियामकों की बहुलता उद्योगों और सरकार के बीच असंगत तत्त्वों की वृद्धि में सहायक होती है।

आवश्यकता:

- निष्पक्ष निर्णय:
  - संपूर्ण पर्यावरणीय विनियामक प्रक्रिया की देखरेख करने के लिये एक स्वतंत्र निकाय का अभाव निर्णय लेने में राजनीतिक हित को जन्म दे सकता है।
- उचित अनुपालन:
  - पर्यावरणीय प्रभाव आकलन मानदंडों के अनुपालन की निगरानी जैसी प्रमुख चिंताओं से एक नियामक द्वारा उचित मानक स्थापित करके निपटा जा सकता है।
- क्षमता और स्वतंत्रता:
  - भारत में वर्तमान पर्यावरण विनियमन संस्थागत तंत्र में नियामक क्षमता तथा स्वतंत्रता का अभाव है।
- विनियामक स्तर पर होने वाली देरी को रोकना:
  - विनियामक स्तर पर होने वाली देरी को कम करना भी महत्त्वपूर्ण है। यह एक विश्वसनीय स्वतंत्र नियामक की मदद से संभव हो सकता है लेकिन पर्यावरण संरक्षण के लिये नियामक प्रक्रिया और मानकों में कठोरता का एक इष्टतम स्तर महत्त्वपूर्ण हो सकता है।

अस्थायी समाधान:

- सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, जब तक एक स्वतंत्र नियामक स्थापित नहीं किया जाता है, तब तक पर्यावरण मंत्रालय को मान्यता प्राप्त संस्थानों का एक पैनल तैयार करना चाहिये, ताकि परियोजनाओं का तत्काल पर्यावरणीय प्रभाव आकलन किया जा सके।

  आगे की राह
- मानकों के निर्धारण, निगरानी और प्रवर्तन की स्वतंत्रता एक प्रभावी नियामक निकाय की महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ हैं। एक स्वतंत्र नियामक की स्थापना पर्यावरण कानूनों में सुधार से पहले किया जाना चाहिये।
- पर्यावरणीय विनियमन हेतु द्वितीय स्तर का सुधार अति आवश्यक है जिससे पर्यावरण के साथ-साथ सामुदायिक अधिकारों की भी रक्षा होगी तथा ऐसे मामलों में उद्योगों की स्थापना में लगने वाले समय एवं लागत दोनों में कमी होगी।
- अत: वर्तमान में पुरातन कानूनों को हटाकर कानून की बहुलता को कम और नियामक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने की ज़रूरत है।

भूगोल एवं आपदा प्रबंधन

भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट

चर्चा में क्यों?

तेलंगाना के पेद्दापल्ली ज़िले के रामागुंडम में नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (National Thermal Power Corporation Limited- NTPC) द्वारा भारत का सबसे बड़ा (उत्पादन क्षमता के मामले में) फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट (Solar Power Plant) विकसित किया जा रहा है।

- यह परियोजना वर्ष 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) क्षमता के 175 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप है जिसमें 100 गीगावाट (GW) सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता भी शामिल है।

प्रमुख बिंदु:

फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट:

- यह जल निकायों की सतह पर फोटोवोल्टिक पैनलों (Photovoltaic Panels) की तैनाती को संदर्भित करता है, जो भारत में प्रयोग होने वाली भूमि आधारित सौर ऊर्जा उत्पादन क्षेत्रों का एक व्यवहार्य विकल्प है।
  - दक्षिण भारत में बड़ी संख्या में जलाशय मौजूद हैं जो फ्लोटिंग सोलर विधि द्वारा अक्षय ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु अत्यधिक अनुकूल हैं।
- भविष्य की परियोजनाएँ:
  - दक्षिण भारत के रामागुंडम में स्थित 447 MW क्षमता का थर्मल प्लांट NTPC द्वारा विकसित किये जा रहे नवीकरणीय (सौर) ऊर्जा संयंत्रों में से एक होगा जो अपनी पूरी क्षमता के साथ मार्च 2023 तक चालू हो जाएगा।
  - अगले तीन महीनों में संचालित होने वाले अक्षय ऊर्जा संयंत्रों में विशाखापत्तनम के पास स्थित 25MW क्षमता का सिम्हाद्री थर्मल पावर प्लांट (Simhadri Thermal Power Plant) तथा केरल के कायमकुलम में 92 MW क्षमता का फ्लोटिंग सोलर प्लांट शामिल हैं।

लाभ:

- भूमि अधिग्रहण का मुद्दा: अक्षय ऊर्जा संयंत्र मालिकों के समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियाँ- भूमि अधिग्रहण, ग्रिड कनेक्टिविटी, संयंत्रों का रखरखाव और ऑफ-टेक (Off-Take) हैं।
  - फ्लोटिंग सोलर प्लांट उच्च जनसंख्या घनत्व और उपलब्ध भूमि के उपयोग के मध्य उत्पन्न प्रतिस्पर्द्धा को संतुलित करते हैं। भूमि का उपयोग अन्य उद्देश्यों हेतु किया जा सकता है, जैसे खेती या निर्माण कार्य।
- कूलिंग इफेक्ट: जल स्रोत एक कूलिंग इफेक्ट (Cooling Effect) उत्पन्न करते हैं, जिससे सौर फोटोवोल्टिक पैनलों की कार्य क्षमता में 5-10% की वृद्धि होती है।
  - समय के साथ यह महत्त्वपूर्ण लागत, बचत में तब्दील हो रही है।
- अन्य लाभ: ग्रिड इंटरकनेक्शन की लागत में कमी, जल के वाष्पीकरण में कमी, जल की गुणवत्ता में सुधार तथा एल्गी प्रस्फुटन (Algal Blooming) में कमी।

चुनौतियाँ:

- अधिक लागत: सामान्यत: ज़मीन पर स्थापित सोलर प्लांट्स की तुलना में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की अभियांत्रिकी और निर्माण लागत अधिक होती है।

- सुरक्षा से संबंधित मुद्दे: चूँकि फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट में पानी और बिजली दोनों शामिल होते हैं, इसलिये केबल प्रबंधन और इन्सुलेशन परीक्षण पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है, खासकर जब केबल पानी के संपर्क में हों।
- क्षति और संक्षारण: फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के कई हिस्सों में निरंतर घर्षण और यांत्रिक टूट-फूट होती रहती है।
  - प्लांट्स के निर्माण में सही तकनीकी के अभाव के कारण वे विफल साबित हो सकते हैं।
  - तटीय वातावरण या क्षेत्रों में स्थापित होने से नमी के कारण इनके गिरने और संक्षारण का खतरा बना रहता है।
- वाटर-बेड टोपोग्राफी की समझ: फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट्स को विकसित एवं स्थापित करने हेतु वाटर-बेड टोपोग्राफी (Water-bed Topography) और इसकी उपयुक्तता को समझने की आवश्यकता होती है।

अन्य सौर ऊर्जा पहलें:

- नेशनल सोलर मिशन: सौर ऊर्जा ने भारत के जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना (National Action Plan on Climate Change) में शामिल राष्ट्रीय सौर मिशन के साथ अपना केंद्रीय स्थान बनाया है।
- INDCs लक्ष्य: इसके तहत वर्ष 2022 तक ग्रिड से जुड़े 100 GW सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।
  - यह राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (Intended Nationally Determined Contributions- INDCs) के अंतर्गत गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 40% संचयी इलेक्ट्रिक पावर की स्थापित क्षमता प्राप्त करने तथा वर्ष 2030 तक वर्ष 2005 के स्तर पर अपने जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता को 33% से 35% तक कम करने के लक्ष्य के अनुरूप है।
- ISA का शुभारंभ: अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (International Solar Alliance- ISA) की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री और फ्राँस के राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के 21वें सत्र (COP-21) में फ्राँस के पेरिस में की गई थी।
- सरकारी योजनाएँ: इसमें सौर पार्क योजना, नहर बैंक और नहर शीर्ष योजना, बंडलिंग योजना, ग्रिड कनेक्टेड सौर रूफटॉप योजना आदि शामिल है।
- 'वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड' परियोजना: भारत के पास एक महत्तवाकांक्षी क्रॉस-बॉर्डर पावर ग्रिड 'वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड', योजना है जो बिजली की मांग को पूरा करने के लिये क्षेत्र में उत्पन्न सौर ऊर्जा को स्थानांतरित करना चाहता है।

राष्ट्रीय तापविद्युत निगम लिमिटेड (NTPC):

- एनटीपीसी लिमिटेड विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (Public Sector Undertaking-PSU) है।
- यह भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा संचयन समूह है। इसकी स्थापना वर्ष 1975 में ऊर्जा विकास में तेज़ी लाने के उद्देश्य से की गई थी।
- इसका कार्य नवाचार और तीव्रता के साथ किफायती, कुशल एवं पर्यावरण अनुकूल तरीके से विश्वसनीय ऊर्जा का उत्पादन करना है।
- मई 2010 में इसे महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ।
- यह नई दिल्ली में अवस्थित है।

संगे ज्वालामुखी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में इक्वाडोर स्थित संगे ज्वालामुखी में हुए विस्फोट के बाद इससे निकले राख के बादल आकाश में 8,500 मीटर (लगभग 28, 890 फीट) की ऊँचाई तक पहुँच गए।

प्रमुख बिंदु:

संगे ज्वालामुखी:

- संगे ज्वालामुखी इक्वाडोर के साथ-साथ विश्व के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है।
- संगे एंडीज़ के उत्तरी ज्वालामुखी क्षेत्र में स्थित सबसे दक्षिणी मिश्रित ज्वालामुखी (लावा और राख की वैकल्पिक परतों से बना एक ज्वालामुखी) है। यह 5230 मीटर ऊँचा है।

- एंडीज़ विश्व की सबसे लंबी पर्वत शृंखला (जल के ऊपर) है और इसमें विश्व की कुछ सबसे ऊँची चोटियाँ शामिल हैं।
- संगे राष्ट्रीय उद्यान एंडीज़ पर्वतों के पूर्वी हिस्से में इक्वाडोर के मध्य भाग में स्थित है। यह एक विश्व धरोहर स्थल है।

विस्फोट:

- इस ज्वालामुखी में विस्फोट का सबसे पुराना मामला वर्ष 1628 में दर्ज किया गया है। वर्ष 1728 से वर्ष 1916 के बीच तथा पुन: वर्ष 1934 से वर्तमान तक कमोबेश निरंतर विस्फोट के मामले देखे गए थे।

इक्वाडोर के अन्य प्रमुख ज्वालामुखी:

- इक्वाडोर, पैसिफिक रिम के "रिंग ऑफ फायर" क्षेत्र का हिस्सा है और इस देश में आठ ज्वालामुखी हैं, जैसे- कोटोपेक्सी (5,897 मी.), कैम्बे (5,790 मी.), पिचिंचा (4,784 मी.) आदि।

ज्वालामुखी विस्फोट:

परिचय:

- ज्वालमुखी क्रिया के अंतर्गत पृथ्वी के आतंरिक भाग में मैग्मा व गैस के उत्पन्न होने से लेकर भू-पटल के नीचे व ऊपर लावा के प्रकट होने तथा शीतल व ठोस होने तक की समस्त प्रक्रियाएँ शामिल की जाती हैं।
- इसका सबसे आम परिणाम आबादी का स्थानांतरण है, क्योंकि अक्सर लावा के प्रवाह से बचने के लिये बड़ी संख्या में लोगों को भागने के लिये विवश होना पड़ता है।

प्रकार: ज्वालामुखीय गतिविधि और ज्वालामुखी क्षेत्रों को आमतौर पर छह प्रमुख प्रकारों में विभाजित किया जाता है:

- आइसलैंडिक (Icelandic):
  - इसमें पिघला हुआ बेसाल्टी लावा लंबे और समानांतर दरार (Parallel Fissure) से बहता है। इस प्रकार का बहाव अक्सर लावा पठारों का निर्माण करता है।
- हवाईयन (Hawaiian):
  - यह आइसलैंडिक ज्वालामुखी के समान ही होता है। हालाँकि इसमें ज्वालामुखी के शिखर व त्रिज्यीय दरारों से तरल लावा का प्रवाह होता है, इससे शील्ड ज्वालामुखी का निर्माण होता है, जो काफी बड़े होते हैं और मंद ढलान वाले होते हैं।
- स्ट्राम्बोलियन (Strombolian):
  - इनमें गर्म गैसों के मध्यम विस्फोट शामिल होते हैं जो चक्रीय या लगभग निरंतर छोटे विस्फोटों में तापदीप्त लावा को थक्के के रूप में बाहर निकालते हैं।
  - इस तरह के कम अंतराल वाले निरंतर विस्फोटों के कारण इटली के उत्तर-पूर्वी तट से दूर स्ट्रॉमबोली द्वीप पर स्थित स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को "भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ" कहा गया है।
- वल्कैनियन (Vulcanian):
  - इसका नाम स्ट्रोमबोली के पास वल्केनो द्वीप से प्रेरित है, इस ज्वालामुखी में आमतौर पर ज्वालामुखी की राख से भरे गैस के विस्फोट होते हैं। यह मिश्रण गहरे, अशांत बादलों का निर्माण करता है जो तेज़ी से ऊपर उठते है और घुमावदार आकार में फैल जाते हैं।
- पिलियन:
  - इसका अभिप्राय ऐसे विस्फोट से है, जो पाइरोक्लास्टिक प्रवाह उत्पन्न करते हैं, यह गर्म गैस और ज्वालामुखीय पदार्थ का एक घना मिश्रण होता है।
  - इन विस्फोटों द्वारा उत्पन्न द्रवीय मिश्रण (fluidized slurries) हवा की तुलना में भारी होते हैं, किंतु इनमें कम श्यानता होती है और ये तीव्र वेग के साथ ढलानों से नीचे गिरते हैं, नतीजतन ये बेहद विनाशकारी होते हैं।
- पीनियन:
  - यह तीव्र ज्वालामुखी विस्फोट का एक प्रकार है। इस प्रकार के विस्फोट में गैस युक्त मैग्मा से निकलने वाली गैसें तीव्र विस्फोट उत्पन्न करती हैं, जिसके माध्यम से मैग्मा बाहर निकलता रहता है।

नोट :

सामाजिक न्याय

समलैंगिक विवाह

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय में समलैंगिक विवाह (Same Sex Marriage) का विरोध करते हुए कहा कि भारत में विवाह को तभी मान्यता दी जा सकती है जब बच्चा पैदा करने में सक्षम "जैविक पुरुष" और "जैविक महिला" के बीच विवाह हुआ हो।

प्रमुख बिंदु

पृष्ठभूमि:

- समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के लिये वर्ष 2020 में हिंदू विवाह अधिनियम (Hindu Marriage Act), 1955 और विशेष विवाह अधिनियम (Special Marriage Act), 1954 के तहत याचिकाएँ दायर की गई थीं।

केंद्र की प्रतिक्रिया/तर्क:

- सर्वोच्च न्यायालय का आदेश:
  - सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code- IPC) की धारा 377 के प्रावधान के विश्लेषण के बाद केवल एक विशेष मानवीय व्यवहार को अपराध की श्रेणी से बाहर करने का आदेश दिया था। यह आदेश न तो समलैंगिक विवाह के उद्देश्य से और न ही इस आचरण को वैध बनाने के लिये दिया गया था।
- सामाजिक नैतिकता:
  - विपरीत लिंग के व्यक्तियों के विवाह की मान्यता को सीमित करने में "वैध राज्य हित" (Legitimate State Interest) मौजूद है और यह विधानमंडल का काम है कि वह "सामाजिक नैतिकता" (Societal Morality) को ध्यान में रखते हुए ऐसे विवाह की वैधता पर विचार करे।
- मौजूदा कानूनों के अनुरूप नहीं:
  - मौलिक अधिकार (fundamental Right) अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अधीन है और इसे समलैंगिक विवाह को मौलिक अधिकार बनाने के लिये विस्तारित नहीं किया जा सकता है।
    - संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार की गारंटी देता है। यह अधिकार जो कि काफी हद तक निष्पक्ष, न्यायोचित और तर्कसंगत है, एक कानून के माध्यम से दूर नहीं किया जा सकता है।
  - देश में मौजूदा विवाह कानूनों में किसी भी तरह का हस्तक्षेप व्यक्तिगत कानूनों के बीच मौजूद नाजुक संतुलन को पूरी तरह से नष्ट कर देगा।
- विवाह की पवित्रता:
  - भारतीय परिवार की अवधारणा एक पति, एक पत्नी और बच्चे पर आधारित है, जिसकी तुलना समलैंगिक परिवार के साथ नहीं की जा सकती है।

भारत में समलैंगिक विवाह की वैधता:

- विवाह के अधिकार को भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक या संवैधानिक अधिकार के रूप में स्पष्ट रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है।
- यद्यपि विवाह को विभिन्न वैधानिक अधिनियमों के माध्यम से विनियमित किया जाता है लेकिन मौलिक अधिकार के रूप में इसकी मान्यता केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है।
- संविधान के अनुच्छेद 141 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय का निर्णय पूरे भारत में सभी अदालतों के लिये बाध्यकारी है।

सर्वोच्च न्यायालय के महत्त्वपूर्ण निर्णय:

- मौलिक अधिकार के रूप में विवाह (शफीन जहान बनाम असोकन के.एम. और अन्य, 2018):
  - सर्वोच्च न्यायालय ने मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा (UDHR) के अनुच्छेद 16 और पुट्टस्वामी मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति को अपनी पसंद के अनुसार विवाह करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग है।
    - मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा (UDHR) के अनुच्छेद 16 (1) के अनुसार : बालिग स्त्री-पुरुषों को बिना किसी जाति, राष्ट्रीयता या धर्म की रुकावटों के आपस में विवाह करने और परिवार को स्थापन करने का अधिकार है। उन्हें विवाह के विषय में वैवाहिक जीवन तथा विवाह विच्छेद के विषय में समान अधिकार है।
    - UDHR के अनुच्छेद 16 (2) के अनुसार: विवाह का इरादा रखने वाले स्त्री-पुरुषों की स्वतंत्र सहमति पर ही विवाह हो सकेगा।
  - विवाह करने का अधिकार आंतरिक विषय है। इस अधिकार को संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत सुरक्षा प्रदान की गई है। विश्वास और निष्ठा के मामले, जिसमें विश्वास करना भी शामिल है, संवैधानिक स्वतंत्रता के मूल में हैं।
- LGBTQ समुदाय सभी संवैधानिक अधिकारों (नवजेत सिंह जोहर और अन्य बनाम केंद्र सरकार, 2018) के हकदार हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि LGBTQ समुदाय के सदस्य अन्य नागरिकों की तरह संविधान द्वारा प्रदान किये गए सभी संवैधानिक अधिकारों के हकदार हैं, जिसमें "समान नागरिकता" और "कानून का समान संरक्षण" भी शामिल है।

आगे की राह

- LGTBQ समुदाय के लिये एक ऐसे भेदभाव-रोधी कानून की आवश्यकता है, जो उन्हें लैंगिक पहचान या यौन अभिविन्यास के बावजूद एक बेहतर जीवन और संबंधों का निर्माण करने में सहायता करे और जो व्यक्ति को बदलने के स्थान पर समाज में बदलाव लाने पर ज़ोर दे।
- LGBTQ समुदाय के सदस्यों को संपूर्ण संवैधानिक अधिकार दिये जाने के बाद यह भी आवश्यक है कि समलैंगिक विवाह के इच्छुक लोगों को भी अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार दिया जाए। ज्ञात हो कि वर्तमान में विश्व के दो दर्जन से अधिक देशों ने समलैंगिक विवाह को स्वीकृति दी है।

श्रवण क्षमता पर WHO की पहली रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा विश्वन श्रवण दिवस से एक दिन पहले 3 मार्च को श्रवण विकार से जुड़ी पहली वैश्विक रिपोर्ट जारी की गई है।

- यह रिपोर्ट कान से जुड़ी देखभाल सेवाओं तक पहुँच और इसमें निवेश बढ़ाकर श्रवण ह्रास की समस्या को रोकने के लिये तेज़ी से प्रयास करने की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

प्रमुख बिंदु:

रिपोर्ट में शामिल महत्त्वपूर्ण तथ्य:

- वर्ष 2050 तक विश्व भर में लगभग 2.5 बिलियन लोग (या प्रत्येक 4 में से 1 व्यक्ति) कुछ हद तक श्रवण क्षमता के ह्रास का सामना कर रहे होंगे।
- ऐसे में यदि समय रहते कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है तो इनमें से कम-से-कम 700 मिलियन लोगों को कान और श्रवण क्षमता से जुड़ी देखभाल तथा अन्य पुनर्वास सेवाओं की आवश्यकता होगी।

संबंधित मुद्दे:

- प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभाव:
  - अनुपचारित श्रवण क्षमता ह्रास की स्थिति लोगों की संवाद करने, अध्ययन और जीविकोपार्जन की क्षमता पर गंभीर प्रभाव डाल सकती है। यह लोगों के मानसिक स्वास्थ्य और रिश्तों को बनाए रखने की क्षमता को भी प्रभावित कर सकती है।

- निम्न-आय वाले देशों में विशेषज्ञों की कमी:
  - लगभग 78% निम्न-आय वाले देशों में एक 'कान, नाक और गला (ENT) रोग विशेषज्ञ पर एक मिलियन से अधिक आबादी का दबाव है।
  - 93% में प्रति ऑडियोलॉजिस्ट पर आबादी का अनुपात एक मिलियन से अधिक है।
  - केवल 17% में प्रति मिलियन आबादी पर एक या एक से अधिक स्पीच थेरेपिस्ट (Speech Therapist) हैं।
  - 50% में प्रति मिलियन आबादी पर श्रवण बाधित लोगों के लिये एक या एक से अधिक शिक्षक हैं।
- भारत में श्रवण विकलांगता:
  - भारत में प्रतिवर्ष 27,000 से अधिक बच्चे बहरे पैदा होते हैं। श्रवण विकलांगता या ह्रास को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है क्योंकि इसके बारे में जागरूकता का भारी अभाव है और ज़्यादातर मामलों में निदान में देरी कर दी जाती है।
- कारण:
  - ऐसे कई बच्चे हैं जो उन्नत श्रवण तकनीक का लाभ उठा सकते हैं, परंतु शिशुओं की श्रवण समस्याओं के बारे में कम जागरूकता होने के कारण वे छूट जाते हैं।
  - एक प्रमुख कारण जन्म के समय नवजात बच्चों में इसके लक्षणों की जाँच से जुड़े कार्यक्रमों की अनुपलब्धता और माता-पिता में जागरूकता का अभाव है।
- सरकारी पहल:
  - राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ राष्ट्रीय बधिरता रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम (NPPCD) की शुरुआत की गई है:
    - बीमारी या चोट के कारण परिहार्य (टालने योग्य) श्रवण ह्रास को रोकना।
    - श्रवण क्षमता ह्रास और बहरेपन के लिये उत्तरदायी कान की समस्याओं की प्रारंभिक पहचान, निदान और उपचार।
    - बहरेपन से पीड़ित सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों का चिकित्सीय पुनर्वास करना।
    - बहरेपन से पीड़ित व्यक्तियों के लिये पुनर्वास कार्यक्रम की निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु मौजूदा अंतर-क्षेत्रीय लिंक को मज़बूत करना
    - उपकरण, सामग्री और प्रशिक्षण हेतु कर्मियों को सहायता प्रदान करते हुए कान की देखभाल सेवाओं में संस्थागत क्षमता विकसित करना।
- आवश्यक हस्तक्षेप:
  - जाँच कार्यक्रमों का आयोजन शुरुआती निदान में सहायक हो सकता है, जो शीघ्र उपचार को बढ़ावा देगा।
  - यूनिवर्सल न्यूबोर्न हियरिंग स्क्रीनिंग (UNHS) से जन्मजात श्रवण ह्रास के संबंध में जल्द पता लगाने में मदद मिलती है और यह परीक्षण नवजात शिशुओं में श्रवण ह्रास का पता लगाकर शुरुआती हस्तक्षेप सुनिश्चित करने के लिये अतिमहत्त्वपूर्ण है।
    - हालाँकि विकसित देशों में UNHS स्क्रीनिंग अनिवार्य है, परंतु यह जाँच केरल को छोड़कर भारत में नवजात शिशुओं के लिये अनिवार्य स्वास्थ्य जाँच प्रक्रियाओं की सूची में शामिल नहीं है।

अनुशंसित रणनीतियाँ:

- प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा में श्रवण देखभाल का एकीकरण: यह वर्तमान के रोगी-चिकित्सक अंतर को समाप्त कर देगा।
- जीवन में रणनीतिक बिंदुओं पर नैदानिक स्क्रीनिंग: श्रवण क्षमता के ह्रास और कान के रोगों के किसी भी नुकसान की शीघ्र पहचान सुनिश्चित करना।
- श्रवण सहायक प्रौद्योगिकी व सेवाओं को बढ़ावा देना: इसमें अनुशीर्षक/कैप्शनिंग और सांकेतिक भाषा में व्याख्या करने जैसे उपाय शामिल हैं जो श्रवण बाधित लोगों के लिये संचार और शिक्षा तक पहुँच में सुधार कर सकते हैं।
- निवेश में वृद्धि: WHO द्वारा किये गए एक आकलन के अनुसार, श्रवण सहायता प्रौद्योगिकी और सेवा क्षेत्रों पर सरकारों द्वारा निवेश किये गए प्रत्येक 1 अमेरिकी डॉलर के बदले 16 अमेरिकी डॉलर के रिटर्न की उम्मीद की जा सकती है।

- प्रतिरक्षीकरण में वृद्धि: बच्चों में होने वाली लगभग 60% श्रवण क्षमता ह्रास को विभिन्न उपायों जैसे- रूबेला और मेनिनजाइटिस की रोकथाम के लिये टीकाकरण, मातृ एवं शिशु देखभाल में सुधार तथा ओटिटिस मीडिया (मध्यकर्णशोथ) की शीघ्र पहचान कर प्रबंधन के माध्यम से रोका जा सकता है।
- स्वच्छता बनाए रखना: ध्वनि नियंत्रण, सुरक्षित श्रवण और ओटोटॉक्सिक (कान पर एक विषैले प्रभाव वाले) दवाओं की निगरानी के साथ-साथ कान की स्वच्छता वयस्कों में श्रवण क्षमता को बेहतर बनाए रखने और श्रवण बाधिता की संभावना को कम करने में मदद कर सकती है।

फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जारी 'फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021' रिपोर्ट में भारत की स्थिति को 'स्वतंत्र' से 'आंशिक रूप से स्वतंत्र' कर दिया है।

- पिछले 15 वर्षों में वैश्विक लोकतंत्र में गिरावट की ओर इशारा करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया की लगभग 75 प्रतिशत आबादी ऐसे देशों में निवास करती है, जहाँ पिछले कुछ वर्षों में लोकतंत्र और स्वतंत्रता की स्थिति में गिरावट आई है।
- दुनिया के सबसे मुक्त और स्वतंत्र देशों में फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन शामिल हैं, जबकि तिब्बत और सीरिया ऐसे देशों में हैं।

प्रमुख बिंदु

रिपोर्ट के बारे में

- प्रकाशन
  - यह रिपोर्ट अमेरिका आधारित 'फ्रीडम हाउस' नामक मानवाधिकार संस्था द्वारा जारी की जाती है। वर्ष 1941 से कार्यरत इस संस्था का वित्तपोषण अमेरिकी सरकार के अनुदान से किया जाता है।
- रिपोर्ट में प्राप्त स्कोर
  - यह रिपोर्ट मुख्य तौर पर राजनीतिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रताओं पर आधारित है।
  - राजनीतिक अधिकारों के तहत चुनावी प्रक्रिया, राजनीतिक बहुलवाद और भागीदारी तथा सरकारी कामकाज जैसे संकेतक शामिल हैं।
  - जबकि नागरिक स्वतंत्रता के तहत अभिव्यक्ति एवं विश्वास की स्वतंत्रता, संबद्ध एवं संगठनात्मक अधिकार, कानून के शासन और व्यक्तिगत स्वायत्तता व व्यक्तिगत अधिकारों आदि संकेतकों को शामिल किया गया है।
  - इन्हीं संकेतकों के आधार पर देशों को 'स्वतंत्र', 'आंशिक रूप से स्वतंत्र' या 'स्वतंत्र नहीं' घोषित किया जाता है।

भारत की स्थिति

- भारत को रिपोर्ट में 67/100 स्कोर प्राप्त हुआ है, जो कि बीते वर्ष के 71/100 के मुकाबले कम है, पिछले वर्ष भारत 'स्वतंत्र' श्रेणी में शामिल था, जबकि इस वर्ष भारत की स्थिति में गिरावट करते हुए इसे 'आंशिक रूप स्वतंत्र' श्रेणी में शामिल किया गया है।

भारत की स्थिति में गिरावट के कारण

- मीडिया की स्वतंत्रता
  - रिपोर्ट के मुताबिक, प्रेस की स्वतंत्रता पर हमलों में नाटकीय रूप से वृद्धि दर्ज की गई है और हाल के वर्षों में रिपोर्टिंग काफी कम महत्त्वाकांक्षी बन गई है। आलोचनात्मक मीडिया की आवाज़ को दबाने के लिये सुरक्षा निकायों, मानहानि, देशद्रोह और अवमानना जैसे साधनों का प्रयोग किया जा रहा है।
- हिंदू राष्ट्रवादी हितों में उभार
  - रिपोर्ट की मानें तो भारत एक वैश्विक लोकतांत्रिक नेता के रूप में अपनी पहचान खोता जा रहा है और समावेशी एवं सभी के लिये समान अधिकारों जैसे बुनियादी मूल्यों की कीमत पर संकीर्ण हिंदू राष्ट्रवादी हितों में उभार देखा जा रहा है।

- इंटरनेट स्वतंत्रता:
  - कश्मीर में और दिल्ली की सीमा पर इंटरनेट शटडाउन के कारण इस वर्ष इंटरनेट स्वतंत्रता का विषय काफी महत्त्वपूर्ण रहा है, इंटरनेट स्वतंत्रता के चलते भारत का स्कोर गिरकर 51 पर पहुँच गया है।
- वायरस के विरुद्ध प्रतिक्रिया
  - कोरोना वायरस के विरुद्ध प्रतिक्रिया के दौरान भारत समेत वैश्विक स्तर पर कई स्थानों पर लॉकडाउन जैसे उपाय अपनाए गए, जिसके कारण भारत में व्यापक स्तर पर लाखों प्रवासी श्रमिकों को अनियोजित और खतरनाक तरीके से आंतरिक विस्थापन करना पड़ा।
  - रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में महामारी के दौरान एक विशेष समुदाय के लोगों को वायरस के प्रसार के लिये अनुचित तरीके से दोषी ठहराया गया और कई बार उन्हें अनियंत्रित भीड़ के हमलों का सामना भी करना पड़ा था।
- प्रदर्शनकर्त्ताओं पर कार्यवाही
  - रिपोर्ट के अनुसार, सरकार द्वारा भेदभावपूर्ण नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर अनुचित कार्यवाही की गई और इस प्रदर्शन के विरुद्ध बोलने वाले दर्जनों पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया गया।
- कानून
  - उत्तर प्रदेश में अंतर-विवाह के माध्यम से ज़बरन धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने से संबंधित कानून को भी स्वतंत्रता पर एक गंभीर खतरे के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

शिक्षा का अधिकार

चर्चा में क्यों ?

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक याचिका के संदर्भ में केंद्र सरकार से शिक्षा के अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) के कक्षा 8 से 12 तक के बच्चों के लिये मुफ्त शिक्षा से संबंधित निर्णय नहीं लेने के संबंध में जवाब मांगा है।

प्रमुख बिंदु:

शिक्षा के अधिकार का संवैधानिक प्रावधान:

- मूल भारतीय संविधान के भाग- IV (DPSP) के अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 39 (f) में राज्य द्वारा वित्तपोषित समान और सुलभ शिक्षा का प्रावधान किया गया।
- शिक्षा के अधिकार पर पहला आधिकारिक दस्तावेज़ वर्ष 1990 में राममूर्ति समिति की रिपोर्ट थी।
- वर्ष 1993 में उन्नीकृष्णन जेपी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक निर्णय में कहा कि शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है।
- तपस मजूमदार समिति (1999) ने अनुच्छेद 21(A) को शामिल करने की अनुशंसा की थी।
- वर्ष 2002 में 86वें संवैधानिक संशोधन से शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग- III में एक मौलिक अधिकार के तहत शामिल किया गया।
  - इसे अनुच्छेद 21A के अंतर्गत शामिल किया गया, जिसने 6-14 वर्ष के बच्चों के लिये शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया।
  - इसने एक अनुवर्ती कानून शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 का प्रावधान किया।

शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 की विशेषताएँ:

- RTE अधिनियम का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है।
- धारा 12 (1) (C) में कहा गया है कि गैर-अल्पसंख्यक निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूल आर्थिक रूप से कमज़ोर और वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों के लिये प्रवेश स्तर ग्रेड में कम- से-कम 25% सीटें आरक्षित करें।

- यह विद्यालय न जाने वाले बच्चे के लिये एक उपयुक्त आयु से संबंधित कक्षा में भर्ती करने का प्रावधान भी करता है।
- यह केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय एवं अन्य ज़िम्मेदारियों को साझा करने के बारे में भी जानकारी देता है।
  - भारतीय संविधान में शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है और केंद्र व राज्य दोनों इस विषय पर कानून बना सकते हैं।
- यह छात्र-शिक्षक अनुपात, भवन और बुनियादी ढाँचा, स्कूल-कार्य दिवस, शिक्षकों के लिये कार्यावधि से संबंधित मानदंडों और मानकों का प्रावधान करता है।
- इस अधिनियम में गैर-शैक्षणिक कार्यों जैसे-स्थानीय जनगणना, स्थानीय प्राधिकरण, राज्य विधानसभाओं और संसद के चुनावों तथा आपदा राहत के अलावा अन्य कार्यों में शिक्षकों की तैनाती का प्रावधान करता है।
- यह अपेक्षित प्रविष्टि और शैक्षणिक योग्यता के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान करता है।
- यह निम्नलिखित का निषेध करता है:
  - शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न।
  - बच्चों के प्रवेश के लिये स्क्रीनिंग प्रक्रिया।
  - प्रति व्यक्ति शुल्क।
  - शिक्षकों द्वारा निजी ट्यूशन।
  - बिना मान्यता प्राप्त विद्यालय।
- यह बच्चे को उसके अनुकूल और बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली के माध्यम से भय, आघात और चिंता से मुक्त बनाने पर केंद्रित है।

EWS के लिये कक्षा 8 से ऊपर RTE के तहत मुफ्त शिक्षा के लिये तर्क:

- बच्चों के माता-पिता को 9वीं कक्षा के बाद निजी स्कूलों में अत्यधिक फीस चुकानी पड़ती है, जिसे वे वहन नहीं कर सकते।
- कक्षा 8 के बाद बिना मान्यता प्राप्त निजी स्कूल से सरकारी स्कूल में बदलाव से बच्चों की मन:स्थिति और शिक्षा प्रभावित हो सकती है और इस प्रकार आरटीई के लाभों का विस्तार शिक्षा में निरंतरता को सुनिश्चित करेगा।

उच्च शिक्षा में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिये आरक्षण:

- 103वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन करके आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (EWS) के लिये शिक्षा संस्थानों, नौकरियों और दाखिले में आर्थिक आरक्षण (10% कोटा) की शुरुआत की।
- इस संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 15 (6) और अनुच्छेद 16 (6) जोड़ा गया।
- यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिये बनाई गई 50% आरक्षण की नीति में कवर नहीं हुए गरीबों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिये लागू की गई थी।
- यह समाज के EWS वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के लिये केंद्र और राज्यों दोनों को सक्षम बनाता है।

रोड टू जेंडर इक्वेलिटी: UNDP

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (United Nations Development Programme- UNDP) की प्रकाशित नवीनतम रिपोर्ट "टाइम्स ऑफ वुमन लाइवलीहुड्स इन टाइम्स ऑफ पेंडेमिक: टेंपरेरी बेसिक इनकम एंड द रोड टू जेंडर इक्वेलिटी" (Protecting Women's Livelihoods in Times of Pandemic: Temporary Basic Income and the Road to Gender Equality) में विकासशील देशों की गरीब महिलाओं हेतु एक अस्थायी मूल आय (Temporary Basic Income- TBI) का प्रस्ताव दिया गया है।

- इस प्रस्ताव को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च) से पहले प्रस्तुत किया गया है।

प्रमुख बिंदु:

लिंग असमानता:

- अवैतनिक श्रम:
  - अवैतनिक श्रम अर्थात् देखभाल और घरेलू कार्यों में पुरुषों की तुलना में महिलाएँ औसतन प्रतिदिन 2.4 घंटे अधिक व्यतीत करती हैं।
  - वैतनिक अर्थव्यवस्था में भाग लेने वाले लोगों में महिलाएँ, भुगतान और अवैतनिक कार्य करने वाले पुरुषों की तुलना में प्रतिदिन औसतन चार घंटे अधिक कार्य करती हैं।
- विभेदपूर्ण नीतियाँ:
  - जटिल लैंगिक मानदंडों के अलावा, महिलाएँ समान वेतन, सवैतनिक मातृत्व अवकाश, सार्वभौमिक स्वास्थ्य, बेरोज़गारी और देखभाल लाभ के रूप में प्राप्त होने वाले मुआवज़े जैसी नीतियों के कारण भी आर्थिक भेद्यता का सामना करती हैं।
- कोविड का प्रभाव:
  - महामारी के कारण आय में कमी होने तथा नौकरियाँ छूटने के कारण महिलाएँ पुरुषों की तुलना में अधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रही है।
    - यह भेद्यता लैंगिक असमानता के कारण है।
  - अत्यधिक गरीबी में महिलाओं के रहने की संभावना पुरुषों की तुलना में 25% अधिक है।
  - कोविड-19 ग्लोबल जेंडर रिस्पांस ट्रैक के अनुसार, दस देशों में से केवल एक में ही महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा ज़रूरतों से संबंधित नीतियों का निर्माण किया गया है।
    - कोविड-19 ग्लोबल जेंडर रिस्पांस ट्रैकर, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और यूएन वीमेन (UN Women) की एक पहल है, जो महामारी के दौरान सामाजिक सुरक्षा और नौकरियों में बड़े पैमाने पर महिलाओं की ज़रूरतों की अनदेखी को प्रदर्शित करती है।

मुख्य प्रस्ताव:

- अस्थायी मूल आय (Temporary Basic Income):
  - अस्थायी मूल आय (TBI) हर दिन कोरोना वायरस महामारी के प्रभावों से निपटने में विश्व की लाखों गरीब महिलाओं के समक्ष आने वाले आर्थिक दबाव की चुनौतियों को कम करने में सहायक रही है।
  - विकासशील देशों के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 0.07-0.31% का मासिक निवेश गरीबी में रहने वाली 613 मिलियन कामकाजी वृद्ध महिलाओं को विश्वसनीय वित्तीय सुरक्षा प्रदान कर सकता है।
  - इस तरह के सार्थक निवेश का लाभ न केवल महिलाओं और उनके परिवारों को महामारी के तनाव से बाहर निकलने में मदद कर सकता है, बल्कि महिलाओं को आय, आजीविका और जीवन विकल्पों के बारे में स्वतंत्र निर्णय लेने में भी सशक्त बनाता है।
- महिलाओं के अनुकूल नीतियाँ:
  - सभी श्रमिकों, पुरुषों और महिलाओं की ज़रूरतों को पहचानने हेतु नीतियों का निर्माण होना चाहिये, ताकि कार्य के भुगतान के साथ-साथ अपने घरेलू दायित्वों को भी पूरा किया जा सके तथा ज़िम्मेदारी के रूप में संस्थागत देखभाल और घरेलू कार्यों को अधिक वितरित रूप से साझा करने की ज़रूरत है।
  - ऐसी नीतियों में गारंटीकृत सवैतनिक मातृत्व अवकाश, विस्तारित पितृत्व अवकाश और इनका सुचारू क्रियान्वयन शामिल है।
  - अंशकालिक कार्य या कार्यस्थल पर स्तनपान सुविधाओं जैसी व्यवस्था स्थापित करने के माध्यम से माता-पिता को बच्चे के जन्म के बाद शीघ्र ही कार्यबल में वापस आने हेतु सहायता प्रदान करता है।
- श्रम बाजार में सुधार:
  - भुगतान किये गए कार्यों और पारिवारिक ज़िम्मेदारियों के मध्य सामंजस्य के अलावा सरकारों को श्रम बाज़ार में लैंगिक और अंतर के अन्य स्रोतों क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर अलगाव जैसी अन्य कारकों पर ध्यान दिया जाना चाहिये तथा भेदभाव-विरोधी कानून और सकारात्मक कार्रवाई की पहल शामिल की जानी चाहिये।

- सामान्य तौर पर क्षैतिज अलगाव (Horizontal Segregation) को विभिन्न प्रकार की नौकरियों में पुरुषों और महिलाओं के संदर्भ में परिभाषित किया जा सकता है।
- ऊर्ध्वाधर अलगाव उस स्थिति का सूचक है जिससे किसी कंपनी के भीतर एक विशेष लिंग के लिये कॅरियर में प्रगति के अवसर सीमित होते हैं।

अन्य देशों की पहल:

- फिलीपींस:
  - विस्तारित स्तनपान संवर्द्धन अधिनियम, 2009।
- मेक्सिको:
  - मेक्सिको द्वारा सामाजिक सुरक्षा कानून में सुधार किया गया जिससे पुरुषों को चाइल्ड केयर सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति मिली।
- बोस्निया & हर्जेगोविना और बोलीविया:
  - इन देशों में माता-पिता को कोविड -19 में परिवार की देखभाल हेतु काम के घंटे को कम करने की अनुमति दी गई है।
- केप वर्डे, उत्तर मैसेडोनिया और त्रिनिदाद & टोबैगो:
  - इन देशों द्वारा कर्मचारियों को देखभाल की ज़िम्मेदारियों के साथ वर्क फ्रॉम होम से ही कार्य करने की सुविधा प्रदान की है।

लिंग समानता को बढ़ावा देने हेतु भारत में प्रावधान:

- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय:
  - महिलाओं के रोज़गार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2006 में एक अलग मंत्रालय की स्थापना की गई थी।
- मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017
  - यह गर्भवती महिलाओं को कुल 26 सप्ताह का अवकाश प्रदान करता है, जिसमें प्रसव पूर्व 8 सप्ताह का अवकाश शामिल है।
  - मातृत्व अवकाश पर जाने से पूर्व महिला को तीन महीने हेतु अपने दैनिक वेतन का लाभ प्राप्त होता है।
- कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013:
  - यह सभी महिलाओं को सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करता है।
- सामाजिक सुरक्षा संहिता, व्यावसायिक सुरक्षा पर संहिता, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता तथा औद्योगिक संबंध संहिता, 2020:
  - इन संहिताओं के तहत, महिलाओं को रात्रि में सभी क्षेत्र में कार्य करने की अनुमति दी गई है, लेकिन यह सुनिश्चित किया गया है कि महिलाओं की सुरक्षा का प्रावधान नियोक्ता द्वारा किया जाए साथ ही रात्रि में कार्य करने से पहले महिलाओं की सहमति लेना आवश्यक है।

एम.टी. स्वर्ण कृष्ण: अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस

चर्चा में क्यों?

बंदरगाह, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री द्वारा भारत के शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (Shipping Corporation of India-SCI) के जहाज़ एम.टी. स्वर्ण कृष्ण (MT Swarna Krishna) जिसका संचालन समग्र रूप से महिला चालक दल द्वारा किया जा रहा है, को हरी झंडी दिखाई गई।

- यह SCI के चल रहे डायमंड जुबली समारोह और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (8वाँ दिन) के अवसर पर एक पहल है।
- विश्व समुद्री इतिहास (World Maritime History) में यह पहली बार है कि जब पूर्णत: महिला अधिकारियों द्वारा संचालित एक मालवाहक जहाज़ को रवाना किया जा रहा है।

शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया:

- SCI की स्थापना 2 अक्तूबर, 1961 को पूर्वी नौवहन निगम और पश्चिमी नौवहन निगम के विलय द्वारा की गई थी।
  - दो और शिपिंग कंपनियों- जयंती शिपिंग कंपनी (Jayanti Shipping Company) और मोगल लाइन्स लिमिटेड (Mogul Lines Limited) को क्रमश: वर्ष 1973 और वर्ष 1986 में SCI में मिला दिया गया।
  - यह भारत सरकार का सार्वजनिक उपक्रम है। यह उन जहाज़ों का संचालन और प्रबंधन करता है जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर सेवा प्रदान करते हैं।
- मुख्यालय: मुंबई
- नवरत्न का दर्जा: SCI को वर्ष 2008 में भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित "नवरत्न" कंपनी का दर्जा दिया गया था।
- विनिवेश: नवंबर 2019 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रणनीतिक खरीदार को प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ SCI में भारत सरकार के 63.75% की हिस्सेदारी के रणनीतिक विनिवेश हेतु " सैद्धांतिक रूप से " मंज़ूरी प्रदान की थी।

प्रमुख बिंदु:

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस:

- यह प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है जिसमें शामिल हैं:
  - महिलाओं की उपलब्धियों को प्रोत्साहित करना।
  - महिलाओं की समानता के बारे में जागरुकता को बढ़ाना।
  - त्वरित लिंग समानता के लिये पैरवी।
  - महिला को केंद्र में रखते हुए अनुदान एकत्र करना।
- संक्षिप्त परिचय:
  - पहली बार महिला दिवस वर्ष 1911 में ज़र्मनी के क्लारा ज़ेटकिन द्वारा मनाया गया था। प्रथम महिला दिवस की जड़ें मज़दूर आंदोलन से जुड़ी थीं।
  - वर्ष 1913 में इसे 8 मार्च को स्थानांतरित कर दिया गया था, जो वर्तमान तक जारी है।
  - संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहली बार वर्ष 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था।
    - दिसंबर 1977 में महासभा के सदस्य राष्ट्रों द्वारा अपनी ऐतिहासिक और राष्ट्रीय परंपराओं के अनुसार, वर्ष के किसी भी दिन मनाए जाने वाला महिला अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय शांति हेतु संयुक्त राष्ट्र दिवस घोषित करने का प्रस्ताव अपनाया गया।

2021 की थीम:

- UN द्वारा वर्ष 2021 हेतु 'वुमेन इन लीडरशिप: अचिविंग एन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड' (Women in leadership: Achieving an equal future in a Covid-19 world) थीम को चुना गया है।
  - उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कुछ महिला समूहों द्वारा "चूज़ टू चैलेंज" नामक अभियान भी शुरू किया गया है।

संबंधित डेटा:

- संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, कानूनी प्रतिबंधों ने 2.7 बिलियन महिलाओं को पुरुषों के समान नौकरियों तक पहुँचने से रोका है।
  - वर्ष 2019 तक 25% से कम महिलाएँ सांसद थीं।
  - तीन में से एक महिला लिंग आधारित हिंसा से पीड़ित है।
- ILO के अनुमान के अनुसार, वर्ष 2019 में कोविड-19 महामारी से पहले भारत में महिला श्रम बल की भागीदारी पुरुषों (76%)की तुलना में 20.5% थी।
- वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स (जो लिंग समानता की दिशा में प्रगति को मापता है) में भारत वर्ष 2019-20 में 112वें स्थान पर आ गया है जिसका मुख्य कारण 70 लाख से अधिक भारतीय महिलाओं को रोज़गार से मुक्त किया जाना है।

भारत में महिलाओं हेतु सुरक्षात्मक उपाय:

- संवैधानिक उपाय:
    - मौलिक अधिकार: अनुच्छेद 14 सभी भारतीयों को समानता के अधिकार की गारंटी प्रदान करता है।अनुच्छेद 15 (1) के अनुसार, लिंग के आधार पर राज्य द्वारा कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और अनुच्छेद 15 (3) महिलाओं के पक्ष में राज्य द्वारा किये जाने वाले विशेष प्रावधान करता है।
    - मौलिक कर्तव्य: संविधान प्रत्येक नागरिक को अनुच्छेद 51 (ए) (ई) के माध्यम से महिलाओं की गरिमा के खिलाफ अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करने हेतु मौलिक कर्तव्य को लागू करता है।
- विधायी ढाँचा:
    - घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005: यह अभियोजन के माध्यम से घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करता है।
    - दहेज निषेध अधिनियम, 1961: यह दहेज की मांग, भुगतान या स्वीकृति पर प्रतिबंध लगाता है।
    - कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013: यह महिलाओं को उनके कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करता है।
- संबंधित योजनाएँ: महिला प्रौद्योगिकी पार्क, जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूट (GATI) आदि।

महिलाओं से संबंधित विषयों पर वैश्विक सम्मेलन:

- संयुक्त राष्ट्र द्वारा महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर 4 बार वैश्विक सम्मेलनों का आयोजन किया गया है:
    - मैक्सिको सिटी, 1975
    - कोपेनहेगन, 1980
    - नैरोबी, 1985
    - बीजिंग, 1995
- बीजिंग में आयोजित चौथा महिला विश्व सम्मेलन (WCW), संयुक्त राष्ट्र के सबसे बड़े इवेंट्स में से एक था और लैंगिक समानता एवं महिलाओं के सशक्तीकरण के संदर्भ में महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम था।
    - बीजिंग सम्मलेन में प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन (Platform for Action–PFA) को अपनाया गया था।
    - यह महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभावों को समाप्त करने हेतु अभिसमय (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women–CEDAW) और संयुक्त राष्ट्र महासभा तथा आर्थिक एवं सामाजिक विकास संगठन (ECOSCO) द्वारा अपनाए गए प्रासंगिक प्रस्तावों को अनुमोदित करता है।

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (United Nations Development Programme-UNDP) द्वारा विकासशील देशों में गरीब महिलाओं हेतु अस्थायी मूल आय (TBI) का प्रस्ताव दिया गया है, ताकि इस उपाय के तहत कोरोनोवायरस महामारी के प्रभावों से निपटने में मदद की जा सके और हर दिन महिलाओं के समक्ष उत्पन्न आर्थिक दबाव को कम किया जा सके।

ग्रामीण विकास पर संसदीय स्थायी समिति

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ग्रामीण विकास पर संसदीय स्थायी समिति (Parliamentary Standing Committee) ने कहा कि केंद्र सरकार को गरीब वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और विकलांगों के लिये दी जाने वाली पेंशन की राशि में वृद्धि करनी चाहिये।

प्रमुख बिंदु

संसदीय स्थायी समिति द्वारा इंगित मुद्दे:

- समिति ने कहा कि इससे पहले भी उसने अपनी रिपोर्ट में पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन सरकार ने राशि बढ़ाने में ढिलाई दिखाई है।

- इस समिति ने समाज के गरीब और दलित वर्ग तक राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (National Social Assistance Programme) की पहुँच सीमित रहने पर सरकार की आलोचना की।
  - इस योजना के विभिन्न घटकों के तहत 200 रुपए से लेकर 500 रुपए प्रतिमाह तक की अल्प सहायता राशि दी जाती है।
- बेरोज़गारी भत्ते के प्रावधान के समुचित कार्यान्वयन में राज्य सरकारों के दृष्टिकोण के बारे में बताया गया।
- मनरेगा योजना (MGNREGA Scheme) के कार्यान्वयन में उत्पन्न मुद्दों को हल करने के लिये ग्रामीण विकास विभाग (Department of Rural Development) पर दबाव डाला गया।

समिति द्वारा बताए गए मनरेगा योजना से संबंधित मुद्दे:

- कार्य आपूर्ति में कमी: यह स्थिति उस समय उत्पन्न हुई जब कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक संकट के दौरान मनरेगा के तहत काम की मांग में वृद्धि हुई थी।
- फंड देने में देरी: यह इस योजना को हतोत्साहित करने वाला एक बहुत बड़ा पहलू है, जो योजना की अंतर्निहित भावना के अनुरूप नहीं है।
- विभिन्न राज्यों में अलग-अलग मज़दूरी: समिति ने उल्लेख किया कि यह कैसे संभव है कि ग्रामीण इच्छुक लोगों को सौ दिनों की गारंटी वाले काम के प्रावधान वाली एक योजना में अवधि और विस्तार के भुगतान के तौर-तरीके देश में अलग-अलग हैं।
  - यह समान कार्य के लिये समान वेतन के संवैधानिक प्रावधान के विरुद्ध है।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम:

- यह ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रशासित एक कल्याणकारी कार्यक्रम है।
- इस कार्यक्रम को ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में भी लागू किया जा रहा है।
- इस कार्यक्रम को पहली बार 15 अगस्त, 1995 को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया था। इसे वर्ष 2016 में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के "कोर ऑफ कोर" (Core of Core) योजनाओं के अंतर्गत लाया गया था।
- इस योजना के वर्तमान में पाँच घटक हैं:
  - इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना।
  - राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना।
  - अन्नपूर्णा योजना।
  - इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना।
  - इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना।
- राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना (National Maternity Benefit Scheme), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का हिस्सा थी, जिसे बाद में ग्रामीण विकास मंत्रालय से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिया गया।

ग्रामीण विकास विभाग की महत्त्वपूर्ण योजनाएँ

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम।
- प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना।
- दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन।
- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम।
- श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन।
- सासंद आदर्श ग्राम योजना।

नोट :

कालाज़ार उन्मूलन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में बिहार के मुज़फ्फरपुर ज़िले में कालाज़ार (Kala-Azar) या आँत के लीशमैनियासिस (Visceral Leishmaniasis) के नए मामले सामने आए हैं। ये मामले वर्ष 2022 तक राज्य में इस बीमारी के उन्मूलन के प्रयासों पर गंभीर संदेह व्यक्त करते हैं।

- बिहार वर्ष 2010 से कालाज़ार उन्मूलन का लक्ष्य प्राप्त करने में चार बार चूक गया है।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम (National Health Programme) के अंतर्गत इस बीमारी के उन्मूलन की पहली समय-सीमा वर्ष 2010 थी, जिसे बाद में वर्ष 2015, वर्ष 2017 और वर्ष 2020 तक तीन बार बढ़ाया गया।

प्रमुख बिंदु

कालाज़ार या लीशमैनियासिस:

- आँत का लीशमैनियासिस, जिसे कालाज़ार के रूप में भी जाना जाता है, में बुखार, वज़न में कमी, प्लीहा और यकृत में सूजन आदि लक्षण देखे जाते हैं।
- यदि बीमारी का इलाज नहीं किया जाता है तो विकासशील देशों में मृत्यु दर 2 साल के भीतर ही 100% तक पहुँच सकती है।
- यह एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग (Neglected Tropical Disease) है जिससे भारत सहित लगभग 100 देश प्रभावित हैं।
  - NTD संचारी रोगों का एक विविध समूह है जो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय स्थितियों वाले 149 देशों में व्याप्त हैं।
- यह लीशमैनिया (Leishmania) नामक एक परजीवी के कारण होता है जो बालू मक्खियों (Sand Flies) के काटने से फैलता है।
- लीशमैनियासिस के तीन प्रकार हैं:

  1. आँत का लीशमैनियासिस: यह शरीर के कई अंगों को प्रभावित करता है और यह रोग का सबसे गंभीर रूप है।
  2. त्वचीय (Cutaneous) लीशमैनियासिस: यह बीमारी त्वचा के घावों का कारण बनती है और यह बीमारी का आम रूप है।
  3. श्लेष्मत्वचीय (Mucocutaneous) लीशमैनियासिस: यह बीमारी त्वचा एवं श्लैष्मिक घावों का कारण है।
- भारत में आमतौर पर कालाज़ार के नाम से जाना जाने वाला आँत का लीशमैनियासिस 95% से अधिक मामलों में इलाज़ न किये जाने पर घातक हो सकता है।

समय-सीमा में चूक का कारण:

- निर्देशन का अभाव: उन्मूलन कार्यक्रमों में उचित निर्देशन की कमी के कारण कालाज़ार की साल-दर-साल वापसी होती रहती है।
- व्यापक गरीबी: यहाँ के ज़्यादातर गरीब जो दलितों, अन्य पिछड़े समुदायों और मुसलमानों से संबंधित हैं, मुख्य रूप से इस बीमारी के शिकार हैं।

  गिरावट की प्रवृत्ति: हालाँकि पिछले कुछ वर्षों में बिहार में कालाज़ार के मामलों में गिरावट आई है।
- आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार, जहाँ वर्ष 2010 में 23,084 मामले देखे गए थे, वहीं वर्ष 2020 तक ये मामले गिरकर 2,712 रह गए।

राष्ट्रीय कालाज़ार उन्मूलन कार्यक्रम

- भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (National Health Mission), 2002 में वर्ष 2010 तक कालाज़ार उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसे वर्ष 2015 में संशोधित किया गया।
- भारत ने उच्च राजनीतिक प्रतिबद्धता के साथ निरंतर गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र से कालाज़ार का उन्मूलन करने के लिये बांग्लादेश और नेपाल के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये।
- भारत में कालाज़ार उन्मूलन के अंतर्गत उप-ज़िला स्तर पर प्रति 10,000 जनसंख्या में 1 मामले का लक्ष्य रखा गया।
- वर्तमान में इस कार्यक्रम से संबंधित सभी गतिविधियों को राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (National Vector Borne Disease Control Programme) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है जो वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिये एक अम्ब्रेला कार्यक्रम है तथा इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत रखा गया है।

राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम

- यह भारत में छह वेक्टर जनित बीमारियों (मलेरिया, डेंगू, लिम्फैटिक फाइलेरिया, कालाज़ार, जापानी इंसेफेलाइटिस और चिकनगुनिया) की रोकथाम तथा नियंत्रण के लिये केंद्रीय नोडल एजेंसी है।
- यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है।

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर (Health and Education Cess) से प्राप्त होने वाली राशि से स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु एक 'सिंगल नॉन लैप्सेबल रिज़र्व फंड' (Single Non-Lapsable Reserve Fund) के रूप में 'प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि' (Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Nidhi- PMSSN) बनाने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है।

- वित्त अधिनियम, 2007 की धारा 136-बी के तहत स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर की वसूली की जाती है।

प्रमुख बिंदु:

प्रधानमंत्री सुरक्षा निधि (PMSSN) की मुख्य विशेषताएँ:

- यह सार्वजनिक खाते में स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु एक 'सिंगल नॉन लैप्सेबल रिज़र्व फंड' है।
- स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर से प्राप्त राशि में से स्वास्थ्य का अंश 'प्रधानमंत्री सुरक्षा निधि' (PMSSN) में भेजा जाएगा।
- PMSSN में भेजी गई इस राशि का इस्तेमाल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण योजनाओं में किया जाएगा: -
  - आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY)
  - आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य एवं देखभाल केंद्र (AB-HWCs)
  - राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन।
  - प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY)
  - स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों एवं आकस्मिक विपत्ति में तैयारी एवं प्रतिक्रिया।
  - कोई भी अन्य भावी कार्यक्रम/योजना जिसका लक्ष्य एसडीजी की दिशा में प्रगति हासिल करना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 के तहत तय लक्ष्यों को प्राप्त करना।
- PMSSN का प्रशासन और रखरखाव का कार्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health & Family Welfare- MoHFW) को सौंपा गया है।
  - किसी भी वित्तीय वर्ष में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की उक्त योजनाओं का व्यय प्रारंभिक तौर पर PMSSN से लिया जाएगा तथा बाद में सकल बजट सहायता (Gross Budgetary Support- GBS) से प्राप्त किया जाएगा।

PMSSN का लाभ:

- इसका मुख्य लाभ यह होगा कि निर्धारित संसाधनों की उपलब्धता से सार्वभौमिक और वहनीय स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच प्रदान की जा सकेगी और साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा सकेगा कि किसी भी वित्तीय वर्ष के अंत में इसके लिये निर्धारित राशि समाप्त न हो।

स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च का महत्त्व:

- विकास में सुधार: आर्थिक दृष्टि से देखें तो बेहतर स्वास्थ्य से उत्पादकता में सुधार होता है तथा असामयिक मौत, लंबे समय तक चलने वाली अपंगता और जल्द अवकाश लेने के कारण होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है।
- अधिक अवसरों की उपलब्धता: जनसंख्या की जीवन आकांक्षा (Life Expectancy) में एक अतिरिक्त वर्ष बढ़ने से सकल घरेलू उत्पाद में प्रति व्यक्ति 4 प्रतिशत की वृद्धि होती है। स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश करने से लाखों रोज़गार सृजित होंगे। खासतौर से महिलाओं के लिये क्योंकि स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं की ज़रूरत बढ़ने पर उनके लिये नई नौकरियों का सृजन होगा।

स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर:

- वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 2018 के बजट भाषण में आयुष्मान भारत योजना की घोषणा करते हुए मौजूदा 3% शिक्षा उपकर को 4% स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर में बदलने की घोषणा की गई थी।
    - इसे भारत में ग्रामीण परिवारों की शैक्षिक और स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से एकत्रित किया जाता है।

उपकर

- उपकर (Cess), उत्पाद शुल्क और व्यक्तिगत आयकर जैसे सामान्य करों तथा शुल्कों से अलग कर के ऊपर लगने वाला कर है जो आमतौर पर विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु लगाया जाता है।
- केंद्र सरकार को करों (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों), अधिभार, शुल्क, उपकर, लेवी आदि के माध्यम से राजस्व जुटाने का अधिकार है।
    - सामान्यत: जनता द्वारा भुगतान किया जाने वाला उपकर, उनके कर देयता में जोड़ा जाता है, जो कुल कर भुगतान के हिस्से के रूप में अदा किया जाता है।
    - भारतीय संविधान के अनुच्छेद-270 के तहत उपकर को उन करों के विभाज्य पूल (Divisible Pool of Taxes) के दायरे से बाहर रखने की अनुमति दी गई है जिन्हें केंद्र सरकार को राज्यों के साथ साझा करना अनिवार्य है।
- उपकर का उद्देश्य पूरा हो जाने के बाद इस पर रोक लगा दी जाती है। अन्य करों (जिन्हें अन्य भारतीय राज्यों के साथ साझा किया जाता है) के विपरीत उपकर के माध्यम से प्राप्त होने वाली संपूर्ण राशि केंद्र सरकार के पास जमा की जाती है।
    - सरकार द्वारा स्वच्छ भारत उपकर (वर्ष 2017 में समाप्त) को स्वच्छता गतिविधियों के लिये लगाया गया था।
- अधिभार और उपकर के बीच अंतर:
    - अधिभार (Surcharge) मौजूदा कर पर लगाया गया अतिरिक्त शुल्क या कर है। यह मुख्यत: व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट आयकर पर लगाया जाता है।
    - अधिभार और उपकर दोनों राज्य सरकारों के साथ साझा करने योग्य नहीं होते हैं। अधिभार को भारत की संचित निधि (Consolidated Fund) में रखा जा सकता है तथा किसी अन्य कर की तरह खर्च किया जा सकता है। उपकर को CFI में एक अलग निधि के रूप में रखा जाना चाहिये, जिसे केवल विशिष्ट उद्देश्य के लिये खर्च किया जाता है।
    - अधिभार पर चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 270 और अनुच्छेद 271 के अंतर्गत की जाती है।
    - उपकर के विपरीत अधिभार सामान्यत: सरकार के लिये राजस्व का एक स्थायी स्रोत होता है।

घुमंतू जनजातियाँ और संबंधित चुनौतियाँ

चर्चा में क्यों?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ने हाल ही में संसद को सूचित किया है कि वर्ष 2019 में देश में विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू समुदायों के लिये विकास एवं कल्याण बोर्ड (DWBDNCs) का गठन किया गया था।

- कल्याण बोर्ड का गठन तीन वर्ष की अवधि के लिये किया गया था, जिसे अधिकतम पाँच वर्ष की अवधि के लिये बढ़ाया जा सकता है।

प्रमुख बिंदु

खानाबदोश/घुमंतू जनजातियों के समक्ष मौजूद चुनौतियाँ

- रेनके आयोग (2008) द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों की मानें तो भारत में लगभग 1,500 घुमंतू एवं अर्द्ध-घुमंतू जनजातियाँ और 198 विमुक्त जनजातियाँ हैं, जिनमें तकरीबन 15 करोड़ भारतीय शामिल हैं।
    - ये जनजातियाँ अब भी सामाजिक एवं आर्थिक रूप से हाशिये पर मौजूद हैं और इसमें से कई जनजातियाँ अपने मूल मानवाधिकारों से भी वंचित हैं।
- सबसे महत्त्वपूर्ण मुद्दा उनकी पहचान को लेकर है।

- बुनियादी अवसंरचना सुविधाओं का अभाव: इन समुदायों के सदस्यों के पास पेयजल, आश्रय और स्वच्छता आदि संबंधी बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं। इसके अलावा ये स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा जैसी सुविधाओं से वंचित रहते हैं।
- स्थानीय प्रशासन का दुर्व्यवहार: विमुक्तह, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू समुदायों के संबंध में प्रचलित गलत और अपराधिक धारणाओं के कारण आज भी उन्हें स्थानीय प्रशासन और पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जाता है।
- सामाजिक सुरक्षा कवर का अभाव: चूँकि इन समुदायों के लोग प्राय: यात्रा पर रहते हैं, इसलिये इनका कोई स्थायी ठिकाना नहीं होता है। नतीजतन उनके पास सामाजिक सुरक्षा कवर का अभाव होता है और उन्हें राशन कार्ड, आधार कार्ड आदि भी नहीं जारी किया जाता है।
- इन समुदायों के बीच जाति वर्गीकरण बहुत स्पष्ट नहीं है, कुछ राज्यों में इन समुदायों को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाता है, जबकि कुछ अन्य राज्यों में उन्हें अन्य पिछड़े वर्ग (OBC) के तहत शामिल किया जाता है।
  - हालाँकि इन समुदायों के अधिकांश लोगों के पास जाति प्रमाण पत्र नहीं होता और इसलिये वे सरकारी कल्याण कार्यक्रमों का लाभ नहीं उठा पाते हैं।

DWBDNCs का दायित्व

- आवश्यकता के अनुसार, विमुक्त , घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू समुदायों हेतु कल्याणकारी एवं विकास कार्यक्रम तैयार कर उन्हें कार्यान्वित करना।
- उन स्थानों/क्षेत्रों की पहचान करना जहाँ ये समुदाय निवास करते हैं।
- मौजूदा कार्यक्रमों तक इन समुदायों की पहुँच में मौजूद अंतराल का आकलन करना और उसकी पहचान करना, इसके अलावा विभिन्न मंत्रालयों/कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ सहयोग के माध्यम से यह सुनिश्चित करना कि मौजूदा कार्यक्रम इन समुदायों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करें।
- विमुक्तश, घुमंतू व अर्द्ध-घुमंतू समुदायों के संदर्भ में भारत सरकार और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की योजनाओं की प्रगति की निगरानी तथा मूल्यांकन करना।

विमुक्तु, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू समुदायों से संबंधित योजनाएँ

- डीएनटी के लिये डॉ. अंबेडकर प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति:
  - यह केंद्रीय प्रायोजित योजना वर्ष 2014-15 में विमुक्तध, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजाति (DNT) के उन छात्रों के कल्याण हेतु शुरू की गई थी, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हैं।
  - इसके तहत पात्रता के लिये आय सीमा प्रतिवर्ष 2 लाख रुपए निर्धारित की गई है।
  - यह योजना राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासन के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। योजना का वित्तपोषण केंद्र और राज्य द्वारा 75:25 (केंद्र:राज्य) के अनुपात में किया जाता है।
  - यह योजना विमुक्तो, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू समुदायों के बच्चों विशेषकर बालिकाओं के बीच शिक्षा के प्रसार में सहायक है।
- डीएनटी बालकों और बालिकाओं हेतु छात्रावासों के निर्माण संबंधी नानाजी देशमुख योजना:
  - वर्ष 2014-15 में शुरू की गई यह केंद्र प्रायोजित योजना, राज्य सरकारों/ केंद्रशासित प्रदेशों/केंद्रीय विश्वविद्यालयों के माध्यम से लागू की गई है।
  - योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणी के अंतर्गत न आने वाले DNT छात्रों को छात्रावास की सुविधा प्रदान कर उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाना है।
  - इसके तहत पात्रता के लिये आय सीमा प्रतिवर्ष 2 लाख रुपए निर्धारित की गई है।
  - केंद्र सरकार पूरे देश में प्रतिवर्ष अधिकतम 500 सीटें प्रदान करती है।
  - योजना का व्यय केंद्र और राज्य के बीच 75:25 (केंद्र:राज्य) के अनुपात में साझा किया जाता है।

विमुक्तय, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू समुदाय

- विमुक्त जनजातियाँ वे हैं, जिन्हें ब्रिटिश शासन के दौरान लागू किये गए आपराधिक जनजाति अधिनियम के तहत अधिसूचित किया गया था, जिसके तहत पूरी आबादी को जन्म से अपराधी घोषित कर दिया गया था।

- वर्ष 1952 में इस अधिनियम को निरस्त कर दिया गया और समुदायों को विमुक्त कर दिया गया।
- घुमंतू जनजातियाँ निरंतर भौगोलिक गतिशीलता बनाए रखती हैं, जबकि अर्द्ध-घुमंतू जनजातियाँ वे हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवाजाही तो करती हैं, किंतु वर्ष में एक बार मुख्यत: व्यावसायिक कारणों से अपने निश्चित निवास स्थान पर ज़रूर लौटती हैं।
  - घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजातियों के बीच अंतर करने हेतु विशिष्ट जातीय या सामाजिक-आर्थिक मानकों को शामिल नहीं किया जाता है, बल्कि यह उनकी गतिशीलता से प्रदर्शित होती है।

LGBTIQ फ्रीडम ज़ोन'

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में यूरोपीय संघ के कुछ देशों विशेष रूप से पोलैंड और हंगरी में LGBTIQ समुदाय से संबद्ध लोगों के अधिकारों को सुरक्षित करने हेतु यूरोपीय संसद द्वारा यूरोपीय संघ क्षेत्र को 'LGBTIQ फ्रीडम ज़ोन' (LGBTIQ Freedom Zone) घोषित किया गया है।

- यूरोपीय संघ के अधिकांश देशों (27 से 23) में समलैंगिक विवाह को मान्यता प्राप्त है, जबकि इनमें से 16 देशों ने इस संबंध में कानून भी बनाया है।
- LGBTIQ में लेस्बियन, गे, बाइसेक्शुअल, ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स तथा क्यूर समुदाय शामिल हैं।

प्रमुख बिंदु:

पृष्ठभूमि:

- पोलैंड में समलैंगिक संबंधों को कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है तथा देश में समलैंगिक जोड़ों द्वारा बच्चे गोद लेना प्रतिबंधित है। हालाँकि एकल लोगों को बच्चे गोद लेने की अनुमति है, जबकि कुछ एकल समलैंगिक लोग प्रतिबंध के बावजूद बच्चा गोद लेने के लिये आवेदन करने में कामयाब भी रहे हैं।
  - अब पोलैंड में एक ऐसा प्रस्ताव लाया गया है जिसमें कोई व्यक्ति यदि एकल समलैंगिक माता या पिता के रूप में बच्चे को गोद लेने हेतु आवेदन करता है तो यह आपराधिक कृत्य माना जाएगा।
  - पोलैंड में सार्वजनिक एवं निर्वाचित अधिकारियों द्वारा LGBTIQ समुदाय को निशाना बनाकर दिये जाने वाले घृणित भाषणों के कारण इस समुदाय के खिलाफ भेदभाव और हिंसक हमलों में वृद्धि हुई है।
  - मार्च 2019 के बाद से 100 से अधिक पोलिश क्षेत्रों (Polish Regions), काउंटीज़ (Counties) और नगर पालिकाओं (Municipalities) द्वारा स्वयं को LGBTIQ "विचारधारा" (Ideology) से मुक्त घोषित करने वाले प्रस्तावों को अपनाया गया है।
- हाल ही में हंगरी की संसद ने भी संवैधानिक संशोधनों को अपनाया जो LGBTIQ लोगों के अधिकारों को प्रतिबंधित करते हैं।
- हंगरी और पोलैंड तथा यूरोपीय आयोग (यूरोपीय संघ के कार्यकारी निकाय) के मध्य कई मुद्दों पर तनाव है, जिनमें से अधिकांश कानून के शासन के दुरुपयोग, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों आदि पर केंद्रित हैं।
- हंगरी और पोलैंड के प्राधिकारी वर्ग द्वारा LGBTIQ सिद्धांतों को "विदेशी विचारधारा (Foreign Ideology) के रूप में वर्णित किया गया है।

यूरोपीय संघ का संकल्प:

- यूरोपीय संघ की संसद द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव में यूरोपीय संघ क्षेत्र को 'LGBTIQ फ्रीडम ज़ोन' (LGBTIQ Freedom Zone) के रूप में घोषित किया गया है।
- यह प्रस्ताव LGBTIQ लोगों को यूरोपीय संघ में किसी भी स्थान पर निवास करने, सार्वजनिक रूप से असहिष्णुता, भेदभाव या उत्पीड़न के डर के बिना अपनी यौन अभिविन्यास और लैंगिक पहचान व्यक्त करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है।
- इस प्रस्ताव में यूरोपीय संघ द्वारा अधिकारियों से सभी स्तरों पर समानता और मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें बढ़ावा देने का आग्रह किया गया है , जिसमें एलजीबीटीक्यू व्यक्ति भी शामिल हैं।

LGBTIQ समुदाय के संदर्भ में वैश्विक परिदृश्य:

- आयरलैंड: आयरलैंड द्वारा समलैंगिक विवाह को वैधता प्रदान की गई। वर्ष 1993 में आयरलैंड द्वारा समलैंगिकता को हतोत्साहित किया गया था। बाद में यह पहला देश बना जिसने राष्ट्रीय स्तर हुए जनमत संग्रह द्वारा समलैंगिक विवाह को अनुमति प्रदान की।
- अमेरिका: अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान की गई।
- नेपाल: वर्ष 2007 में नेपाल द्वारा समलैंगिकता को वैध कर दिया गया तथा देश का नया संविधान LGBTIQ समुदाय को कई अधिकार प्रदान करता है।

भारत में LGBT समुदाय:

- वर्ष 2018 में नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (Navtej Singh Johar v. Union of India) मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आईपीसी की धारा 377 को हटा दिये जाने के बाद भी एलजीबीटीक्यू समुदाय हेतु एक नीति को लागू करने और इस समुदाय के लिये बेहतर वातावरण बनाने में व्यापक अंतर है। अभी भी ऐसे कई मुद्दे हैं जिनका सामना LGBTIQ समुदाय द्वारा विभिन्न स्तरों पर एक चुनौती के रूप में किया जा रहा है जो इस प्रकार हैं:
  - परिवार: लैंगिक संरचना की पहचान की समस्या से विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है और परिवार का विघटन होता है। माता-पिता और उनके एलजीबीटीक्यू बच्चों के बीच संचार की कमी और गलतफहमी से परिवार में विवाद बढ़ जाता है।
  - कार्यस्थल पर भेदभाव: कार्यस्थल पर भेदभाव के चलते LGBTIQ समुदाय का एक बड़ा हिस्सा सामाजिक-आर्थिक असमानताओं से ग्रस्त है।
  - अन्याय: मानवाधिकार और मौलिक अधिकार सभी लोगों के लिये विद्यमान हैं, लेकिन राज्य ऐसे विशेष कानून बनाने में विफल रहे हैं जो LGBTIQ अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों की रक्षा करते हों और वास्तव में न्याय प्रदान करने में सहायक हों।
  - स्वास्थ्य के मुद्दे: समलैंगिकता के अपराधीकरण के कारण भेदभाव की स्थिति उत्पन्न होती है जो एलजीबीटीक्यू लोगों को बेहतर स्वास्थ्य प्रणाली तक पहुँचने में बाधा उत्पन्न करती है। यह स्थिति उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधा तथा एचआईवी रोकथाम परीक्षण एवं उपचार सेवाओं तक पहुँच प्राप्त करने की उनकी क्षमता को बाधित करती है।
  - अलगाव और नशीली दवाओं का दुरुपयोग: समाज और परिवार में सम्मान की कमी और कम आत्मविश्वास के कारण ये लोग दोस्तों और परिवार से अलग हो जाते हैं। खुद को तनाव, अस्वीकृति और भेदभाव से छुटकारा पाने की भावना के चलते ये लोग ड्रग्स, शराब और तंबाकू के आदी हो जाते हैं।

संबंधित कानूनी विकास:

- नाज़ फाउंडेशन बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (2009):
  - दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा धारा 377 को असंवैधानिक घोषित करते हुए वयस्कों के मध्य सहमति के आधार पर समलैंगिक गतिविधियों को वैधता प्रदान की गई थी।
- सुरेश कुमार कौशल केस (2013):
  - सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय (वर्ष 2009) के पिछले फैसले को पलटते हुए तर्क दिया कि "लैंगिक अल्पसंख्यकों की दुर्दशा" को कानून की संवैधानिकता के निर्धारण में एक तर्क के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।
- न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017):
  - सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि गोपनीयता का मूल अधिकार जीवन और स्वतंत्रता हेतु अनिवार्य है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। अत: न्यायालय द्वारा यह माना गया कि 'लैंगिक संरचना गोपनीयता की एक अनिवार्य विशेषता है '(sexual orientation is an essential attribute of privacy)।
- नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018)
  - इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सुरेश कुमार कौशल मामले (2013) में दिये गए निर्णय को रद्द करते हुए समलैंगिकता को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया था।

- शफीन जहान बनाम असोकन के.एम. और अन्य (2018): सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया कि साथी का चुनाव करना एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, जो समलैंगिक जोड़ों पर भी लागू हो सकता है।
- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2019: संसद द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2019 पारित किया गया, जिसमें लिंग और लैंगिक पहचान जैसी संकीर्ण सोच की आलोचना की गई।
- समलैंगिक विवाह: फरवरी, 2021 में केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय में समलैंगिक विवाह का विरोध करते हुए कहा था कि भारत में विवाह को तभी मान्यता दी जा सकती है जब वह "जैविक पुरुष"(Biological Man) और "जैविक महिला" (Biological Woman) के बीच हो और वे बच्चा पैदा करने में सक्षम हों।

आगे की राह:

- LGTBIQ समुदाय के उत्थान हेतु एक भेदभाव-विरोधी कानून की आवश्यकता है जो इस समुदाय में किसी भी प्रकार के ज़बरन परिवर्तन का विरोध करता हो तथा राज्य और समाज में बदलाव लाने हेतु इस समुदाय की लैंगिक पहचान या यौन अभिविन्यास के साथ इन्हें सशक्त बनाने में सहायक हो।
- सरकारी निकायों, विशेष रूप से स्वास्थ्य से संबंधित और कानून व्यवस्था को यह सुनिश्चित करने हेतु संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है कि LGTBIQ समुदाय को सार्वजनिक सेवाओं से वंचित न किया जाए।

दृष्टि The Vision

कला एवं संस्कृति

राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2021

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2021 का तीसरा और अंतिम संस्करण 27 फरवरी, 2021 को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में आरंभ हुआ।

- इस अवसर पर स्थानीय कलाकारों द्वारा विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किये गए, जिनमें 'बाउल गान', 'अल्कुप गान', 'लेटो गान', 'झुमुरिया' और रंपा लोकनृत्य शामिल थे।

प्रमुख बिंदु:

- राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव संस्कृति मंत्रालय का प्रमुख उत्सव है।
- इसका आयोजन वर्ष 2015 से सात क्षेत्रीय संस्कृति केंद्रों (Zonal Culture Centres) की सक्रिय भागीदारी के साथ किया जा रहा है।
- इसकी शुरुआत देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को अपने सभी समृद्ध और विविध आयामों जैसे- हस्तशिल्प, भोजन, चित्रकला, मूर्तिकला और प्रदर्शन कला- लोक, जनजातीय, शास्त्रीय एवं समकालीन सभी को एक ही स्थान पर प्रदर्शित करने के उद्देश्य से की गई थी।
- महत्त्व:
  - यह भारत की जीवंत संस्कृति को रंगभवनों (Auditorium) और दीर्घाओं (Galleries) तक सीमित रखने के बजाय इसे जन-जन तक पहुँचाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
  - यह अलग-अलग राज्यों में अन्य राज्यों की लोक और जनजातीय कला, नृत्य, संगीत, व्यंजन और संस्कृति को प्रदर्शित करने में मददगार रहा है, जो 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' (Ek Bharat Shreshtha Bharat) के लक्ष्य को सुदृढ़ बनाता है।
  - इसके अलावा यह कलाकारों और कारीगरों को उनकी आजीविका में सहायता करने हेतु एक प्रभावी मंच उपलब्ध कराता है।
  - यह लोगों (विशेष रूप से युवाओं) को उनकी स्वदेशी संस्कृति, इसकी बहुआयामी प्रकृति, भव्यता और ऐतिहासिक महत्त्व के साथ सहस्राब्दि से भारत को एक राष्ट्र के रूप में जोड़े हुए है।
- अब तक राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन दिल्ली, वाराणसी, बंगलूरू, तवांग, गुजरात, कर्नाटक, टिहरी और मध्य प्रदेश आदि विभिन्न स्थानों पर किया जाता रहा है।

एक भारत श्रेष्ठ भारत

- इस अभियान को वर्ष 2015 में विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लोगों के मध्य जुड़ाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था ताकि विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के बीच आपसी समझ और संबंधों को बढ़ाया जा सके तथा भारत की एकता और अखंडता को मज़बूत किया जा सके।
- यह शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है।
- इस पहल के व्यापक उद्देश्य इस प्रकार हैं:
  - राष्ट्र की विविधता में एकता कायम करना तथा लोगों के मध्य पारंपरिक रूप से विद्यमान भावनात्मक बंधन को बनाए रखना और उसे मज़बूती प्रदान करना।
  - सभी भारतीय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के बीच एक वार्ता तथा बेहतर संबंध स्थापित कर राष्ट्रीय एकीकरण की भावना को बढ़ावा देना।

  - लोगों को भारत की विविधता को समझने, उसकी सराहना करने, विभिन्न राज्यों की समृद्ध विरासत और संस्कृति, रीति-रिवाजों तथा परंपराओं को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से सामान्य पहचान की भावना को बढ़ावा देना
  - लंबे समय तक काम में संलग्न होने के लिये एक ऐसा वातावरण निर्मित करना जो सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुभवों को साझा कर विभिन्न राज्यों के मध्य सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता हो।
- देश के प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश को एक समय अवधि हेतु किसी अन्य राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के साथ जोड़ा जाएगा, इस दौरान वे भाषा, साहित्य, भोजन, त्योहारों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, पर्यटन आदि के क्षेत्र में एक-दूसरे के साथ जुड़ाव महसूस करेंगे ।
- क्षेत्रीय संस्कृति केंद्र:
- इन केंद्रों का लक्ष्य प्राचीन भारतीय संस्कृति को मज़बूत करना और समग्र राष्ट्रीय संस्कृति को विकसित और समृद्ध करना है।
- भारत में सात क्षेत्रीय संस्कृति केंद्र (ZCC) विद्यमान हैं:
  - पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, कोलकाता
  - उत्तर-मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, इलाहाबाद
  - उत्तर-पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, दीमापुर
  - उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, पटियाला
  - दक्षिण-मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, नागपुर
  - दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, तंजावुर
  - पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, उदयपुर
- ये केंद्र नियमित रूप से पूरे देश में विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों और कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं।
- इन केंद्रों द्वारा संचालित कुछ अन्य योजनाएँ इस प्रकार है:
  - युवा प्रतिभाशाली कलाकारों को पुरस्कार
  - गुरु शिष्य परंपरा
  - रंगमंच कायाकल्प
  - शिल्पग्राम
  - ऑक्टेव और राष्ट्रीय सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम (NCEP)

आंतरिक सुरक्षा

सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (Defence Research and Development Organisation-DRDO) ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट (Solid Fuel Ducted Ramjet) टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण लंबी दूरी की हवा-से-हवा में मार करने वाली मिसाइल के स्वदेशी संस्करण के विकास हेतु महत्त्वपूर्ण है।

प्रमुख बिंदु

सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी:

- यह टेक्नोलॉजी एक मिसाइल प्रणोदन प्रणाली है जो रैमजेट इंजन (Ramjet Engine) सिद्धांत की अवधारणा पर आधारित है।
- यह प्रणाली एक ठोस ईंधन पर आधारित है जो ईंधन के दहन के लिये आवश्यक ऑक्सीजन को हवा से लेती है, जिसको एयर एयर-ब्रीदिंग (Air-breathing) कहते हैं।
  - ठोस-प्रणोदक रॉकेटों के विपरीत, रैमजेट उड़ान के दौरान वायुमंडल से ऑक्सीजन लेता है। इस प्रकार यह वजन में हल्का है और अधिक ईंधन क्षमता वाला होता है।
- DRDO ने वर्ष 2017 में SFDR को विकसित करना शुरू किया और जिसका वर्ष 2018 और वर्ष 2019 में सफल परीक्षण किया गया।

महत्त्व:

- DRDO को SFDR तकनीक का सफल परीक्षण लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल विकसित करने में सक्षम करेगा।
- वर्तमान में ऐसी तकनीक दुनिया के कुछ देशों के पास ही उपलब्ध है।
- हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें SFDR तकनीक का उपयोग करके लंबी दूरी हासिल कर सकती हैं क्योंकि उन्हें ऑक्सीडाइज़र की आवश्यकता नहीं होती है।
- SFDR पर आधारित मिसाइल सुपरसोनिक गति से उड़ान भरती है।

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन:

- रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है।
- यह रक्षा प्रणालियों के डिज़ाइन एवं विकास के साथ-साथ तीनों क्षेत्रों के रक्षा सेवाओं की आवश्यकताओं के अनुसार विश्व स्तर की हथियार प्रणाली एवं उपकरणों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है।
- DRDO की स्थापना वर्ष 1958 में रक्षा विज्ञान संगठन (Defence Science Organisation-DSO) के साथ भारतीय सेना के तकनीकी विकास प्रतिष्ठान (Technical Development Establishment-TDEs) और तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशालय (Directorate of Technical Development & Production- DTDP) के संयोजन के बाद हुई।
- इस संगठन पर इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम (Integrated Guided Missile Development Programme) को पूरा करने की ज़िम्मेदारी है।
- हाल ही में DRDO द्वारा किये गए कुछ परीक्षण:
  - हेलिना और ध्रुवास्त्र: एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल

- स्मार्नट एंटी एयरफील्डक वेपन (SAAW)
- मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का आर्मी संस्करण
- ब्रह्मोस मिसाइल का लैंड-अटैक संस्करण
- क्विक रिएक्शन सरफेस-टू-एयर मिसाइल
- पिनाका MK-1 मिसाइल का उन्नत संस्करण
- नाग मिसाइल: एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल

रैमजेट

- रैमजेट इंजन (Ramjet Engine), एयर ब्रीदिंग इंजन का ही एक रूप है जो वाहन की अग्र गति (forward motion) का उपयोग कर आने वाली हवा को बिना घूर्णन संपीडक (rotating compressor) के दहन (combustion) के लिये संपीड़ित करता है।
- रैमजेट 3 मैक (ध्वनि की गति से तीन गुना) के आसपास सुपरसोनिक गति पर सबसे कुशलता से काम करते हैं और अधिकतम मैक 6 की गति तक इनका इस्तेमाल किया जा सकता है।
- जब वाहन हाइपरसोनिक गति पर पहुँच जाता है तो रैमजेट इंजन की दक्षता कम होने लगती है।

एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम

- इसकी स्थापना का विचार प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा दिया गया था।
- इसका उद्देश्य मिसाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना था।
- रक्षा बलों द्वारा विभिन्न प्रकार की मिसाइलों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम के तहत पाँच मिसाइल प्रणालियों को विकसित करने की आवश्यकता को मान्यता दी गई।
- IGMDP को औपचारिक रूप से 26 जुलाई, 1983 को भारत सरकार की मंज़ूरी मिली।
- IGMDP के अंतर्गत विकसित मिसाइल हैं:
  - पृथ्वी - सतह-से-सतह पर मार करने में सक्षम कम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल।
  - अग्नि – सतह-से-सतह पर मार करने में सक्षम मध्यम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल।
  - त्रिशूल – सतह-से-आकाश में मार करने में सक्षम कम दूरी वाली मिसाइल।
  - आकाश – सतह-से-आकाश में मार करने में सक्षम मध्यम दूरी वाली मिसाइल।
  - नाग - तीसरी पीढ़ी की टैंक भेदी मिसाइल।

डीज़ल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों हेतु 'एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन' प्रणाली

चर्चा में क्यों?

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (AIP) प्रणाली का अंतिम विकास परीक्षण किया है, जो डीज़ल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों के लिये महत्त्वपूर्ण है।

प्रमुख बिंदु:

एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (AIP) प्रणाली:

- पनडुब्बियाँ अनिवार्य रूप से दो प्रकार की होती हैं: पारंपरिक और परमाणु।
- पारंपरिक पनडुब्बियाँ डीज़ल-इलेक्ट्रिक इंजन का उपयोग करती हैं, जिससे उन्हें ईंधन दहन के लिये वायुमंडलीय ऑक्सीजन प्राप्त करने हेतु लगभग दैनिक रूप से समुद्री सतह पर आने की आवश्यकता होती है।

- यदि कोई पनडुब्बी 'एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (AIP) प्रणाली' से लैस है तो पनडुब्बी को सप्ताह में केवल एक बार ऑक्सीजन लेने की आवश्यकता होगी।
- स्वदेश में विकसित AIP जो 'नौसेना सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला' (NMRL) के प्रमुख मिशनों में से एक है, को नौसेना के लिये DRDO की महत्त्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक माना जाता है।
  - इस परियोजना का उद्देश्य भारत की स्कॉर्पीन श्रेणी की पनडुब्बी आईएनएस कलवरी को वर्ष 2023 तक इस प्रौद्योगिकी से जोड़ना है।

AIP के लाभ:

- AIP प्रणाली आधारित पनडुब्बियों को बहुत कम बार समुद्री सतह पर आने की आवश्यकता होती है, इस प्रकार उनकी घातकता और गोपनीयता कई गुना बढ़ जाती है।
- डीज़ल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों को अपनी बैटरी चार्ज करने के लिये अक्सर सतह पर आने की आवश्यकता होती है, इस प्रकार उनके पानी के नीचे रुकने का समय कम होता है।
  - 'एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन' तकनीक डीज़ल जनरेटर को सतह की वायु पर कम निर्भर बनाने में मदद करती है।
- हालाँकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रकार की AIP प्रणाली हैं, NMRL का फ्यूल सेल आधारित AIP अद्वितीय है क्योंकि पनडुब्बी पर ही हाइड्रोजन उत्पन्न होता है।

फ्यूल सेल आधारित AIP प्रणाली:

- फ्यूल सेल आधारित AIP में एक इलेक्ट्रोलाइटिक फ्यूल सेल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोजन द्वारा ऊर्जा मुक्त करता है, केवल पानी के साथ अपशिष्ट उत्पाद उत्पन्न होने से समुद्री प्रदूषण कम होता है।
- यह फ्यूल सेल अत्यधिक ईंधन कुशल होता है और इसमें गतिमान भाग नहीं होते हैं, इससे पनडुब्बी में कम ध्वनि उत्सर्जन होता है।

नौसेना सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला:

- नौसेना सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला (NMRL) डीआरडीओ के तहत काम करने वाली प्रयोगशालाओं में से एक है, जिसमें बुनियादी अनुसंधान के साथ-साथ कई क्षेत्रों (धातुकर्म, पॉलिमर, सिरेमिक, कोटिंग, जंग और विद्युत सुरक्षा, समुद्री जैव प्रौद्योगिकी, पर्यावरण विज्ञान) में अनुप्रयोग-उन्मुख प्रौद्योगिकी के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
- उद्देश्य:
  - नौसेना पनडुब्बी और ईंधन सेल प्रौद्योगिकियों के लिये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (AIP) प्रणाली विकसित करना।
  - भारतीय नौसेना के लिये सभी श्रेणियों की सामग्री और प्रौद्योगिकियों हेतु वैज्ञानिक समाधान प्रदान करना।
  - भारतीय नौसेना हेतु रणनीतिक सामग्रियों पर अनुसंधान परियोजनाएँ शुरू करना।

परमाणु पनडुब्बियाँ बनाम पारंपरिक पनडुब्बियाँ:

- पारंपरिक पनडुब्बियों और परमाणु पनडुब्बियों के बीच मुख्य अंतर बिजली उत्पादन प्रणाली है। परमाणु पनडुब्बियाँ (जैसे- आईएनएस अरिहंत, आईएनएस अकुला) इस कार्य हेतु परमाणु रिएक्टरों का प्रयोग करती हैं और पारंपरिक पनडुब्बियाँ (जैसे प्रोजेक्ट -75 और प्रोजेक्ट -75I क्लास सबमरीन) डीज़ल-इलेक्ट्रिक इंजन का उपयोग करती हैं।
- हालाँकि परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बियों को गहरे समुद्र में संचालन के लिये महत्त्वपूर्ण माना जाता है, पारंपरिक डीज़ल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियाँ तटीय सुरक्षा और तट के करीब संचालन के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।

INS करंज

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय नौसेना की तीसरी स्टील्थ स्कॉर्पीन क्लास (प्रोजेक्ट -75) पनडुब्बी INS करंज को नौसेना डॉकयार्ड मुंबई में कमीशन किया गया है।

प्रमुख बिंदु:

- पूर्व आईएनएस करंज (एक रूसी मूल की पनडुब्बी) को वर्ष 1969 में रीगा में कमीशन किया गया था। इसने वर्ष 2003 (34 वर्ष) तक राष्ट्र की सेवा की।
- नवीन INS करंज पश्चिमी नौसेना कमान के पनडुब्बी बेड़े का हिस्सा होगी।
- माना जाता है कि इसका नाम (करंज) करंजा द्वीप (जिसे उरण द्वीप भी कहा जाता है) से लिया गया है, जो कि रायगढ़ ज़िले का एक शहर है तथा मुंबई हार्बर के दक्षिण-पूर्व में स्थित है।
    - भारतीय नौसेना का एक बेस नवी मुंबई के पास उरण में है।

प्रोजेक्ट 75:

- यह भारतीय नौसेना का एक कार्यक्रम है जिसमें छह स्कॉर्पीन क्लास पनडुब्बियों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।
- निर्माण के विभिन्न चरणों में रक्षा उत्पादन विभाग (रक्षा मंत्रालय) और भारतीय नौसेना द्वारा समर्थन दिया जाता है।
- मझगाँव डॉकयार्ड लिमिटेड (MDL) अक्तूबर 2005 में हस्ताक्षरित एक 3.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सौदे के तहत फ्राँस के नेवल ग्रुप से प्रौद्योगिकी सहायता के साथ छह स्कॉर्पीन पनडुब्बियों का निर्माण कर रही है।
    - MDL भारत में अग्रणी जहाज़ निर्माण यार्ड और एकमात्र पनडुब्बी निर्माता है।

प्रोजेक्ट-75 की अन्य पनडुब्बियाँ:

- दो पनडुब्बियों कलवरी और खांदेरी को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है।
- चौथी स्कॉर्पीन, वेला ने अपने समुद्री परीक्षणों की शुरुआत की है।
- पाँचवीं स्कॉर्पीन वागीर को नवंबर 2020 में लॉन्च किया गया था।
- छठी और आखिरी पनडुब्बी, वाग्शीर जल्द ही तैयार हो जाएगी।

स्कॉर्पीन क्लास सबमरीन:

- प्रोजेक्ट-75 स्कॉर्पीन क्लास की पनडुब्बियाँ डीज़ल-इलेक्ट्रिक प्रणोदन प्रणाली द्वारा संचालित हैं।
- स्कॉर्पीन सबसे परिष्कृत पनडुब्बियों में से एक है, जो एंटी-सरफेस शिप वारफेयर, एंटी-सबमरीन वारफेयर, खुफिया जानकारी एकत्र करने, बारूदी सुरंग बिछाने और क्षेत्र की निगरानी सहित विविध मिशन संचलित करने में सक्षम है।
- स्कॉर्पीन पारंपरिक रूप से संचालित पनडुब्बी (डीजल-इलेक्ट्रिक) है, जिसका वज़न 1,500 टन है और यह 300 मीटर की गहराई तक जा सकती है।
- जुलाई 2000 में रूस से खरीदे गए INS सिंधुशास्त्र के बाद से लगभग दो दशकों में स्कॉर्पीन श्रेणी नौसेना की पहली आधुनिक पारंपरिक पनडुब्बी श्रृंखला है।
- नौसेना अपनी क्षमता बढ़ाने के लिये सभी स्कॉर्पीन पनडुब्बियों पर 'एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन' (AIP) मॉड्यूल स्थापित करना चाह रही है।

आगे की राह:

- INS करंज के कमीशंड होने के साथ ही भारत ने एक 'सबमरीन बिल्डिंग नेशन' के रूप में अपनी स्थिति को और मज़बूत किया है। MDL की युद्धपोत और पनडुब्बी बिल्डर्स के रूप में अपनी प्रतिष्ठा है। यह पूरी तरह से 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के प्रति सरकार की मौजूदा गति के साथ तालमेल है।

नोट :

चर्चा में

सरस आजीविका मेला, 2021

हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने नोएडा हाट में सरस आजीविका मेला, 2021 का उद्घाटन किया।

- इस मेले में 27 राज्यों के 300 से अधिक ग्रामीण स्वयं सहायता समूह और शिल्पकार भाग ले रहे हैं।

प्रमुख बिंदु:

- यह सामान्य रूप से ग्रामीण भारत और विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं के जीवन में परिवर्तन लाने हेतु एक कार्यक्रम है।
- इस मेले के दौरान ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों और शिल्पकारों को प्रशिक्षित करने के लिये उत्पाद पैकेजिंग तथा डिज़ाइन, संचार कौशल, सोशल मीडिया प्रचार एवं बिज़नेस टू बिज़नेस मार्केटिंग पर कार्यशालाएँ आयोजित की जाएंगी।

आयोजक:

- यह दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय के 'लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद' (CAPART) द्वारा आयोजित एक पहल है।
  - CAPART ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के बीच इंटरफेस प्रदान करने के लिये स्थापित एक स्वायत्त निकाय है, यह भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने का प्रयास करता है।

उद्देश्य:

- ग्रामीण महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को एक मंच के तहत लाना ताकि वे अपने कौशल का प्रदर्शन कर सकें, अपने उत्पादों को बेच सकें और थोक खरीदारों के साथ जुड़ सकें।
  - सरस आजीविका मेले में भागीदारी के माध्यम से इन ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को शहरी ग्राहकों की मांग और पसंद को समझने के लिये राष्ट्रीय स्तर का महत्त्वपूर्ण विवरण प्राप्त होगा।

महत्त्व:

- यह मेला महिला सशक्तीकरण हेतु एक एकीकृत दृष्टिकोण के रूप में कार्य करता है।
- इस पहल को सरकार के आत्मनिर्भर भारत दृष्टिकोण के साथ जोड़ा गया है।

गुरु रविदास जयंती

गुरु रविदास जयंती (27 फरवरी, 2021), हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार माघ महीने में पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है।

प्रमुख बिंदु:

गुरु रविदास:

- वे 14वीं सदी के संत तथा उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रमुख सुधारक थे।
- ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म वाराणसी में एक मोची परिवार में हुआ था।
- एक ईश्वर में विश्वास और निष्पक्ष धार्मिक कविताओं के कारण उन्हें ख्याति प्राप्त हुई।
- उन्होंने अपना पूरा जीवन जाति व्यवस्था के उन्मूलन के लिये समर्पित कर दिया और ब्राह्मणवादी समाज की धारणा की खुले तौर पर निंदा की।
- उनके भक्ति गीतों ने भक्ति आंदोलन पर त्वरित प्रभाव डाला। उनकी कविताओं को सिखों के धार्मिक पाठ 'गुरु ग्रंथ साहिब' में भी शामिल किया गया।

भक्ति आंदोलन:

- भक्ति आंदोलन का विकास तमिलनाडु में सातवीं और नौवीं शताब्दी के बीच हुआ।
- यह नयनार (शिव के भक्त) और अलवार (विष्णु के भक्त) की भावनात्मक कविताओं में परिलक्षित होता था।
  - इन संतों ने धर्म को एक उदासीन औपचारिक पूजा के रूप में नहीं बल्कि पूज्य और उपासक के बीच प्रेम पर आधारित एक प्रेमपूर्ण बंधन के रूप में देखा।
- समय के साथ दक्षिण के विचारों का स्थानांतरण उत्तर की ओर हुआ लेकिन यह एक बहुत धीमी प्रक्रिया थी।
- भक्ति विचारधारा के प्रसार के लिये सर्वाधिक प्रभावी तरीका स्थानीय भाषाओं का प्रयोग था।
  - भक्ति संतों ने अपने छंदों की रचना स्थानीय भाषाओं में की।
- उन्होंने व्यापक स्तर पर दर्शकों तक पहुँच स्थापित करने के लिये संस्कृत कृतियों का अनुवाद भी किया।
  - उदाहरणार्थ, मराठी में ज्ञानदेव, हिंदी में कबीर, सूरदास और तुलसीदास, असमिया में शंकरदेव, चैतन्य और चंडीदास ने बंगाली, हिंदी तथा राजस्थानी में मीराबाई ने अपना संदेश दिया।

तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम

सरकार 'तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम' (TEQIP) को एक नए कार्यक्रम 'MERITE' प्रोजेक्ट में बदलने की योजना बना रही है।

प्रमुख बिंदु:

तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम:

- इसकी शुरुआत वर्ष 2002 में विश्व बैंक की सहायता से मानव संसाधन और विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी तथा इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है।
- इसका उद्देश्य तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता और संस्थानों की क्षमता को बढ़ाना है।
- तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम-III (TEQIP-III) वर्ष 2017 में शुरू किया गया था और यह वर्ष 2021 तक पूरा हो जाएगा।
  - इसका उद्देश्य इंजीनियरिंग शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिये एक प्रमुख घटक के रूप में तकनीकी शिक्षा का विकास करना है।
  - इसका उद्देश्य कम आय वाले राज्यों में इंजीनियरिंग संस्थानों की गुणवत्ता में सुधार करना है।

MERITE परियोजना के बारे में:

- इस परियोजना का उद्देश्य TEQIP की तरह तकनीकी शिक्षा में सुधार करना है।
- हालाँकि MERITE प्रोजेक्ट अभी भी वैचारिक अवस्था में है और इसे कैबिनेट की मंज़ूरी नहीं मिली है।

तकनीकी शिक्षा में सुधार के लिये अन्य पहल:

- मार्गदर्शन और मार्गदर्शक (AICTE)।
- इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस (IoE) योजना
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) में मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा प्रदान करना प्रस्तावित है
  - इस उद्देश्य को प्राप्त करना कि छात्र अपनी मातृभाषा में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों जैसे- चिकित्सा, इंजीनियरिंग, कानून आदि का अध्ययन कर सकें।
  - यह कक्षा 8 तक क्षेत्रीय भाषा में शिक्षण का सुझाव देता है और पाठ्यक्रम को उस भाषा में पढ़ने में सक्षम बनाता है, जिसमें छात्र सहज होता है।
- उच्चतर अविष्कार योजना (UAY)।

सूर्यकिरण एयरोबेटिक टीम

'लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट' (LCA) के साथ 'सूर्यकिरण एयरोबेटिक टीम' (SKAT) और 'सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम' श्रीलंकाई वायु सेना (SLAF) की 70वीं वर्षगाँठ समारोह के एक भाग के रूप में 3 से 5 मार्च 2021 तक कोलंबो में गॉल फेस पर एक एयर शो में प्रदर्शन करेंगे।

- भारत के बाहर SKAT टीम का यह पहला प्रदर्शन होगा क्योंकि इसे वर्ष 2015 में हॉक एडवांस्ड जेट ट्रेनर्स (AJJ) के साथ पुनर्निर्मित किया गया था। इससे पहले SKAT टीम ने वर्ष 2001 में SLAF की 50वीं वर्षगाँठ के दौरान श्रीलंका का दौरा किया था।

प्रमुख बिंदु:

सूर्यकिरण एयरोबेटिक टीम:

- स्थापना:
  - वर्ष 1996 में किरण एम.के. -2 एयरक्राफ्ट (Kiran Mk-II Aircraft) के साथ इस टीम का गठन किया गया था और इन्होंने वर्ष 2011 तक देश भर के दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया।
  - इसे वर्ष 2015 में हॉक ट्रेनर्स के साथ मिलकर शुरुआत में चार विमानों की सहायता से पुनर्निर्मित किया गया।
- विशेषताएँ:
  - SKAT टीम जिसे '52 स्क्वाड्रन' या 'द शार्क' के रूप में भी जाना जाता है, बीदर (कर्नाटक) में स्थित है।
  - अपनी स्थापना के बाद से SKAT टीम ने पूरे देश में 600 से अधिक प्रदर्शन किये हैं, इसने चीन सहित दक्षिण-पूर्व एशिया में भारत का प्रतिनिधित्व किया है।
  - 1971 स्मारक:
    - वर्ष 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के स्वर्ण जयंती वर्ष को चिह्नित करते हुए SKAT टीम दक्षिण में कन्याकुमारी से शुरू होकर देश भर के स्थलों पर अलग-अलग रूपों में उड़ान भर रही है।

सारंग हेलीकॉप्टर प्रदर्शन टीम:

- सारंग टीम 'ALH मूल्यांकन उड़ान' (AEF) से विकसित हुई है, जिसे वर्ष 2003 में बंगलूरू में स्वदेशी हेलीकॉप्टरों को परिचालन सेवा में शामिल करने से पहले मूल्यांकन करने हेतु बनाया गया था।
- भारतीय वायु सेना की एयरोबेटिक टीम सारंग में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, बंगलूरू द्वारा निर्मित चार भारत निर्मित ध्रुव हेलीकॉप्टर (एक एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर) शामिल हैं।

भारतीय एयरक्राफ्ट:

- लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (LCA) Mk I और Mk II
- राफेल विमान
- सुखोई विमान आदि

ब्लैक ब्राउड बैबलर

हाल ही में दक्षिण-पश्चिम कालीमंतन जो बोर्नियो का हिस्सा है एवं इंडोनेशिया द्वारा प्रशासित है, में एक ब्लैक-ब्राउड बैबलर (Malacocincla perspicillata) को फिर से खोजा गया है।

प्रमुख बिंदु:

इतिहास:

- 1840 के दशक में एक ईस्ट इंडीज़ अभियान के दौरान रहस्यमयी पक्षी पकड़ा गया था। इसे ब्लैक-ब्राउड बैबलर नाम दिया गया था।

- इस प्रजाति को फिर से जंगलों में नहीं देखा गया था और एक चमकीले पीले काँच का का एक नमूना इसके अस्तित्व का एकमात्र प्रमाण था।
- कोई भी एशियाई पक्षी इतने वर्षों तक विलुप्त नहीं हुआ है जितने वर्षों तक इंडोनेशिया की ब्लैक-ब्राउड बैबलर विलुप्त हुआ है। यह पिछले 170 वर्षों से गायब है।
- इस पक्षी को प्राय: 'इंडोनेशियन पक्षी विज्ञान में सबसे बड़ा रहस्य' माना जाता है।

ब्लैक ब्राउड बैबलर:

- इसकी चोंच मज़बूत, रंग चॉकलेटी और विशिष्ट काली आँखें होती हैं, इसकी आँख की पुतली गहरे मैरून (Maroon) रंग की होती है।
- इसके पंख भूरे होते हैं जिनके पास एक काली पट्टी होती है।

महत्त्व:

- इस तरह की खोजों से उम्मीद की जा रही है कि ऐसी अन्य प्रजातियों को ढूँढना भी संभव है जो दशकों या लंबे समय से विलुप्त हैं।
    - दुनिया भर में पक्षियों की 150 से अधिक प्रजातियों को "विलुप्त" माना जाता है, जिनकी पिछले एक दशक में कोई पुष्टि नहीं हुई है।

सुरक्षा की स्थिति:

- IUCN रेड लिस्ट: आँकड़े अपर्याप्त

एक्सरसाइज़ 'डेज़र्ट फ्लैग-VI': UAE

पहली बार भारतीय वायु सेना (IAF) संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की वायु सेना द्वारा आयोजित एक्सरसाइज़ 'डेज़र्ट फ्लैग-VI' में भाग ले रही है।

प्रमुख बिंदु:

- एक्सरसाइज़ 'डेज़र्ट फ्लैग' संयुक्त अरब अमीरात की वायु सेना द्वारा आयोजित एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास है।
- लक्ष्य: एक नियंत्रित वातावरण में भाग लेने वाले बलों को परिचालन संबंधी जोखिम से बचने का प्रशिक्षण प्रदान करना।
    - अवधि: यह UAE के अल-धफरा एयरबेस पर 3 से 27 मार्च, 2021 तक आयोजित होने वाला तीन सप्ताह का अभ्यास है।
    - प्रतिभागी: संयुक्त अरब अमीरात, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्राँस, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया और बहरीन की वायु सेना।
    - भारत की सहभागिता: भारतीय वायुसेना छह सुखोई -30 एमकेआई, दो सी -17 ग्लोबमास्टर्स और एक आईएल -78 टैंकर विमान के साथ भाग ले रही है।

UAE के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास:

- UAE के साथ भारत 'In-UAE BILAT' (द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास) के साथ-साथ डेज़र्ट ईगल-II (द्विपक्षीय वायु सेना अभ्यास) में भाग लेता है।

वर्तमान सहयोग:

- भारत ने NAVDEX 21 (नौसेना रक्षा प्रदर्शनी) और IDEX 21 (अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी) में भी भाग लिया।
    - ये प्रदर्शनियाँ वैश्विक रक्षा क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों और नवाचारों का प्रदर्शन, UAE के रक्षा उद्योग में वृद्धि का समर्थन करती हैं और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के बीच नए संबंधों का निर्माण करती हैं।

अन्य बहुराष्ट्रीय अभ्यास:

- पिच ब्लैक: ऑस्ट्रेलिया का द्विवार्षिक, बहुपक्षीय वायु युद्ध प्रशिक्षण अभ्यास।
- रेड फ्लैग: संयुक्त राज्य अमेरिका का बहुपक्षीय वायु अभ्यास।

सिमलीपाल बायोस्फीयर रिज़र्व: ओडिशा

हाल ही में ओडिशा के सिमलीपाल बायोस्फीयर रिज़र्व (Similipal Biosphere Reserve) में भीषण आग की घटना देखी गई। हालाँकि इस बायोस्फीयर का मुख्य क्षेत्र (Core Area) आग से अछूता था, फिर भी इस प्रकार की आग से इसकी समृद्ध जैव विविधता को नुकसान पहुँच रहा है।

प्रमुख बिंदु

सिमलीपाल बायोस्फीयर रिज़र्व के विषय में:

- सिमलीपल का नाम 'सिमुल' (Simul- सिल्क कॉटन) के पेड़ से लिया गया है।
- आधिकारिक रूप से टाइगर रिज़र्व के लिये इसका चयन वर्ष 1956 में किया गया था, जिसको वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर (Project Tiger) के अंतर्गत लाया गया।
- भारत सरकार ने जून 1994 में इसे एक जैवमंडल रिज़र्व (Biosphere Reserve) क्षेत्र घोषित किया।
- यह बायोस्फीयर रिज़र्व वर्ष 2009 से यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिज़र्व (UNESCO World Network of Biosphere Reserve) का हिस्सा है।
- यह सिमलीपाल-कुलडीहा-हदगढ़ हाथी रिज़र्व (Similipal-Kuldiha-Hadgarh Elephant Reserve) का हिस्सा है, जिसे मयूरभंज एलीफेंट रिज़र्व (Mayurbhanj Elephant Reserve) के नाम से जाना जाता है, इसमें 3 संरक्षित क्षेत्र यानी सिमलीपाल टाइगर रिज़र्व, हदगढ़ वन्यजीव अभयारण्य और कुलडीहा वन्यजीव अभयारण्य शामिल हैं।

अवस्थिति:

- यह ओडिशा के मयूरभंज ज़िले के उत्तरी भाग में स्थित है जो भौगोलिक रूप से पूर्वी घाट के पूर्वी छोर में स्थित है।

आवृत्त क्षेत्र:

- यह जीवमंडल 4,374 वर्ग किमी. में फैला हुआ है, जिसमें 845 वर्ग किमी. का कोर क्षेत्र (बाघ अभयारण्य), 2,129 वर्ग किमी. का बफर क्षेत्र और 1,400 वर्ग किमी. का संक्रमण क्षेत्र शामिल है।

वनस्पतियाँ:

- सिमलीपाल में 1,076 फूलों की प्रजातियाँ और ऑर्किड की 96 प्रजातियाँ हैं। इसमें उष्णकटिबंधीय अर्द्ध-सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती पहाड़ी वन और विशाल घास के मैदान मौजूद हैं।

जनजातियाँ:

- इस बायोस्फीयर रिज़र्व क्षेत्र में दो जनजातियाँ यथा- इरेंगा खारिया (Erenga Kharias) और मैनकर्डियास (Mankirdias) निवास करती हैं, जो आज भी पारंपरिक कृषि गतिविधियों (बीज और लकड़ी का संग्रह) के माध्यम से खाद्य संग्रहण करती हैं।

वन्यजीव:

- सिमलीपाल बाघों और हाथियों सहित जंगली जानवरों की एक विस्तृत श्रृंखला का निवास स्थान है, इसके अलावा यहाँ पक्षियों की 304 प्रजातियाँ, उभयचरों की 20 प्रजातियाँ और सरीसृप की 62 प्रजातियाँ निवास करती हैं।

वनाग्नि के प्रति सुभेद्यता:

- प्राकृतिक: इस क्षेत्र में प्रकाश या बढ़ते तापमान जैसे प्राकृतिक कारण वनाग्नि (forest fire) का कारण बन सकते हैं।
- मानव निर्मित कारण: शिकारियों द्वारा जंगली जानवरों का शिकार करने के लिये आग का प्रयोग किया जाता है जो वनाग्नि का कारण हो सकता है।

शमन रणनीतियाँ:

- इन रणनीतियों में आग की आशंका वाले दिनों की भविष्यवाणी करना, इस क्षेत्र के समुदायों के सदस्यों के साथ मिलकर आग की घटनाओं को कम करने के लिये कंट्रोल फायर लाइन का निर्माण, सूखे बायोमास को हटाना, शिकारियों पर कार्रवाई करना आदि शामिल हैं।

- जंगल में कंट्रोल फायर लाइन जो कि वनस्पतियों से रहित होती हैं, आग को फैलने से रोकने में मदद कर सकती हैं।

  ओडिशा के अन्य प्रमुख संरक्षित क्षेत्र

राष्ट्रीय उद्यान:

- भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान: इस उद्यान में देश में लुप्तप्राय खारे पानी के मगरमच्छों का सबसे बड़ा समूह निवास करता है।

वन्यजीव अभयारण्य:

- बदरमा वन्यजीव अभयारण्य: यह आर्द्र साल वनों की उपस्थिति के लिये जाना जाता है।
- चिलिका (नलबण) वन्यजीव अभयारण्य: चिलिका झील एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है।
- हदगढ़ वन्यजीव अभयारण्य: सालंदी नदी इस अभयारण्य से होकर गुज़रती है।
- बैसीपल्ली वन्यजीव अभयारण्य: यह बाघों, तेंदुओं, हाथियों और कुछ शाकाहारी जानवरों जैसे-चौसिंगा की एक महत्त्वपूर्ण संख्या के साथ बड़ी मात्रा में साल (Sal) वन से आच्छादित है।
- कोटगढ़ वन्यजीव अभयारण्य: यहाँ घास के मैदानों के साथ घने पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं।
- नंदनकानन वन्यजीव अभयारण्य: यह विश्व में सफेद बाघों (White Tiger) और मैलेनिस्टिक टाइगर (Melanistic Tiger) का पहला प्रजनन केंद्र है।
- लखारी घाटी वन्यजीव अभयारण्य: यह अभयारण्य हाथियों की बड़ी संख्या निवास स्थान है।
- गहिरमाथा (समुद्री) वन्यजीव अभयारण्य: यह हिंद महासागर क्षेत्र में एक बड़ा सामूहिक प्रजनन केंद्र और ओडिशा का एकमात्र कछुआ अभयारण्य है। ओलिव रिडले कछुए गहिरमाथा के तट पर प्रजनन के लिये दक्षिण प्रशांत की यात्रा कर यहाँ आते हैं।

पेंच टाइगर रिज़र्व

चर्चा में क्यों?

हाल ही में आदमखोर बाघिन 'अवनी' की एक मादा शावक (Cub) को महाराष्ट्र के 'पेंच टाइगर रिज़र्व' (PTR) के जंगलों में छोड़ा गया है।

प्रमुख बिंदु

परिचय

- महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में स्थित इस टाइगर रिज़र्व का नामकरण प्राचीन पेंच नदी के नाम पर किया गया है।
  - पेंच नदी, 'पेंच टाइगर रिज़र्व' के बीच से होकर गुज़रती है।
  - यह नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है तथा संपूर्ण रिज़र्व को पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में विभाजित करती है।
- यह रिज़र्व मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा ज़िलों में सतपुड़ा पहाड़ियों के दक्षिणी छोर पर स्थित है और महराष्ट्र के नागपुर ज़िले तक विस्तारित है।
- वर्ष 1975 में इसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और वर्ष 1998-1999 में इसे एक टाइगर रिज़र्व की मान्यता प्रदान की गई गई।
  - उल्लेखनीय है कि पेंच टाइगर रिज़र्व (PTR) के मध्य प्रदेश स्थित हिस्से को वर्ष 1992-1993 में ही टाइगर रिज़र्व का दर्जा दे दिया गया था। यह केंद्रीय उच्च भूमि/सेंट्रल हाइलैंड्स के सतपुड़ा-मैकल पर्वतमाला के प्रमुख संरक्षित क्षेत्रों में से एक है।
- यह भारत के महत्त्वपूर्ण पक्षी क्षेत्रों (IBA) के रूप में अधिसूचित स्थलों/साइटों में से एक है।
  - IBA बर्डलाइफ इंटरनेशनल का एक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य विश्वभर के पक्षियों और संबंधित विविधता के संरक्षण हेतु महत्त्वपूर्ण पक्षी क्षेत्रों के वैश्विक नेटवर्क की पहचान, निगरानी और सुरक्षा करना है।

वनस्पति

- संपूर्ण रिज़र्व में हरित आवरण विस्तारित है।
- यहाँ चौड़ी पत्ती वाले शुष्क वन तथा उष्णकटिबंधीय मिश्रित पर्णपाती वन पाए जाते हैं।
- यहाँ औषधीय तथा उपचारात्मक गुणों से युक्त कुछ विशिष्ट किस्म के पौधे और वनस्पतियाँ मौजूद हैं।
- रिज़र्व के आस-पास के जल निकायों में बाँस भी पाए जाते हैं।

प्राणि जगत

- स्तनधारी
  - यहाँ पाए जाने वाले स्तनधारियों में स्लॉथ बियर/सुस्त भालू, सियार, नीलगाय, जंगली कुत्ता आदि शामिल हैं।
- पक्षी
  - मोर, मैगपाई रॉबिन, पिनटेल, ड्रोंगो, मैना आदि यहाँ पाई जाने वाली प्रमुख पक्षी प्रजातियाँ हैं।

भारत के प्रमुख टाइगर रिज़र्व

बीजू पटनायक

5 मार्च को बीजू पटनायक की जयंती मनाई गई। उन्हें एक स्वतंत्रता सेनानी, एक भारतीय राजनेता, एक विमान-चालक और एक व्यवसायी के रूप में याद किया जाता है।

प्रमुख बिंदु:

संक्षिप्त परिचय:

- बिजयानंद पटनायक का जन्म 5 मार्च 1916 को हुआ था, वह बीजू पटनायक के नाम से लोकप्रिय थे।
- वे एक अच्छे पायलट थे। वर्ष 1936 में रॉयल इंडियन एयर फोर्स में शामिल हो गए।
- वे दो बार ओडिशा के मुख्यमंत्री रहे।

स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका:

- बीजू पटनायक ने वर्ष 1942 में एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। वे भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिये महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए।
  - वह कॉन्ग्रेस के एक प्रमुख नेता बन गए, उन्होंने जय प्रकाश नारायण और डॉ. राम मनोहर लोहिया के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया।
  - वर्ष 1943 में वे भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के बाद लगभग दो वर्ष तक कारावास में रहे।
- उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 'इंडियन नेशनल आर्मी' का भी समर्थन किया।
- उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध और वर्ष 1948 के कश्मीर युद्ध में भारतीय वायु सेना में एक पायलट के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई।

कश्मीर के एकीकरण में भूमिका:

- बीजू पटनायक ने निडरता से 27 अक्तूबर 1947 को श्रीनगर में एक DC -3 परिवहन विमान उड़ाया था, जिसमें कश्मीर में पाकिस्तान के कबायली आक्रमण के बाद सिख रेजिमेंट के सैनिकों को पहुँचाया गया था।

इंडोनेशियाई स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका:

- पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुरोध पर बीजू पटनायक ने जावा के लिये उड़ान भरी और दिल्ली में एक बैठक के लिये 'सुल्तान शहरयार' (Sutan Sjahrir) को इंडोनेशिया के डच नियंत्रित क्षेत्र से बाहर लाए।
  - बहादुरी के इस कार्य के लिये उन्हें इंडोनेशिया में मानद नागरिकता दी गई और उन्हें 'भूमि पुत्र' उपाधि से सम्मानित किया गया।
  - वर्ष 1996 में बीजू पटनायक को सर्वोच्च इंडोनेशियाई राष्ट्रीय पुरस्कार, 'बंटांग जसा उटमा' से सम्मानित किया गया था।

असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य में जड़/अक्रिय अपशिष्ट का क्षेपण

चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित रिज मैनेजमेंट बोर्ड ने असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य (दिल्ली) की खानों में अक्रिय (गैर-प्रतिक्रियाशील) अपशिष्ट के क्षेपण/डंपिंग के प्रस्ताव की समीक्षा हेतु एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्णय लिया है।

प्रमुख बिंदु:

जड़/अक्रिय अपशिष्ट:

- अक्रिय अपशिष्ट वह कचरा है जो न तो जैविक रूप से प्रतिक्रियाशील है और न ही रासायनिक रूप से। इस प्रकार का अपशिष्ट या तो विघटित नहीं होता या बहुत धीरे-धीरे विघटित होता है।
- अक्रिय/निष्क्रिय अपशिष्ट में निर्माण और विध्वंस सामग्री जैसे धातु, लकड़ी, ईंट, राजगीरी से जुड़े अपशिष्ट और सीमेंट कंक्रीट, डामरी कंक्रीट,पेड़ की शाखाएँ, कोयले से चलने वाले बॉयलर की राख और वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण से अपशिष्ट कोयले के बुरादे आदि शामिल होते हैं (हालाँकि यह इन्ही तत्त्वों तक सीमित नहीं है)
- ये अपशिष्ट आमतौर पर पर्यावरण, जानवरों या अन्य लोगों के स्वास्थ्य के लिये खतरा पैदा नहीं करते हैं और न ही ये जलस्रोतों की गुणवत्ता को खतरे में डालेंगे।
- जब इस प्रकार के कचरे की मात्रा बहुत बड़ी होती है तो यह एक मुद्दा बन सकता है क्योंकि यह बहुत अधिक स्थान को कवर करना शुरू कर देता है।

असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य:

- असोला-भट्टी वन्यजीव अभयारण्य 32.71 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला है और यह दिल्ली-हरियाणा सीमा पर अरावली पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी दिल्ली रिज (कटक/पर्वत श्रेणी) पर स्थित है।
- गुरुग्राम और फरीदाबाद में असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य के आस-पास 1 किमी का क्षेत्र एक पर्यावरण-संवेदी क्षेत्र है।
  - इस क्षेत्र में वाणिज्यिक खनन, उद्योगों की स्थापना और प्रमुख जलविद्युत परियोजनाओं की स्थापना जैसी गतिविधियाँ प्रतिबंधित हैं।
- असोला वन्यजीव अभयारण्य में प्राणि और वनस्पति-जात विविधता से भरा हुआ है।
  - इसमें विभिन्न प्रकार के वृक्ष, झाड़ियाँ, जड़ी-बूटियाँ और घास की प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
  - साथ ही यह बड़ी संख्या में स्तनधारी, सरीसृप, उभयचर, तितलियों और पतंगों व अन्य जीवों का निवास स्थान है।
- इस अभयारण्य में रहने वाले पक्षियों स्थनीय निवासी और प्रवासी पक्षियों की लगभग 200 प्रजातियाँ शामिल हैं।
- अभयारण्य के अंदर स्थित वन्यजीव निवास दिल्ली, फरीदाबाद और गुरुग्राम के लिये जल पुनर्भरण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है।

रिज मैनेजमेंट बोर्ड (Ridge Management Board):

- पृष्ठभूमि : सर्वोच्च न्यायालय ने एम.सी. मेहता मामले (1987) में दिल्ली सरकार को अपने आदेश के माध्यम से दिल्ली रिज के संरक्षण के हेतु रिज प्रबंधन बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया था।
  - दिल्ली रिज लगभग 35 किमी लंबी है और यह अरावली पर्वत माला का उत्तरी विस्तार है।
  - दिल्ली रिज राजधानी के हरित फेफड़ों या ग्रीन लंग्स के रूप में कार्य करती है और इसे संरक्षित करने के प्रयास में वर्षों से विभिन्न सरकारी आदेशों के माध्यम से इस क्षेत्र में सभी निर्माण गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है।
- स्थापना की तारीख: 6 अक्तूबर, 1995।
- सदस्य:दिल्ली के मुख्य सचिव इस बोर्ड का अध्यक्ष होते हैं और दिल्ली सरकार के वन विभाग का प्रमुख इसका सदस्य सचिव होते हैं।
  - इस बोर्ड में गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के सदस्य भी होते हैं।

नोट :

व्हेल शार्क

हाल ही में ओडिशा में मछुआरों ने एक व्हेल शार्क (Whale Shark) को बचाया (रेस्क्यू किया) है।

प्रमुख बिंदु:

व्हेल शार्क:

- व्हेल शार्क सबसे बड़ी शार्क होती है और वर्तमान में जीवित सभी मछलियों में सबसे बड़ी है। यह अपने विशाल आकार को बनाए रखने तथा प्रजनन के लिये पर्याप्त भोजन खोजने हेतु लंबी दूरी की यात्रा तय करती है।
- व्हेल शार्क एक 'फिल्टर फीडर शार्क' है, इसका अर्थ है कि यह अन्य शार्क की तरह मांस नहीं खाती है। व्हेल शार्क समुद्र के पानी को फिल्टर करती है और छोटे प्लवक को खाती है।
- व्हेल शार्क का अधिकतम आकार ज्ञात नहीं है, परंतु इसकी लंबाई 20 मीटर तक हो सकती है।

वैज्ञानिक नाम:

- राइनकोडोन टाइपस (Rhincodon Typus)

आवास:

- व्हेल शार्क विश्व के सभी उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाई जाती है।

खतरे:

- तेल और गैस ड्रिलिंग, शिपिंग लेन आदि।

संरक्षण की स्थिति:

- IUCN रेड लिस्ट: लुप्तप्राय
- CITES: परिशिष्ट II
- भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची-I

इक्विन हर्पीस वायरस

हाल ही में यूरोप में घोड़ों में इक्विन हर्पीस वायरस (EHV-1) का प्रकोप पाया गया है।

- अब तक सात देशों में EHV-1 मामलों की पुष्टि हुई है: स्पेन, बेल्जियम, फ्राँस, जर्मनी, इटली, स्वीडन और कतर।

प्रमुख बिंदु:

इक्विन हर्पीस वायरस (EHV-1):

- इक्विन हर्पीस वायरस एक सामान्य DNA वायरस है जो दुनिया भर में घोड़ों की आबादी के बीच उत्पन्न होता है।
- EHV वायरस का एक परिवार है जिसे EHV- 1, 2, 3, 4 और 5 जैसी संख्याओं से संदर्भित किया जाता है।
  - इस वायरस परिवार में और भी वायरस हैं, परंतु EHV-1, 3 और 4 घरेलू घोड़ों के लिये सबसे गंभीर स्वास्थ्य जोखिम के रूप में सामने आते हैं।

स्वास्थ्य संबंधी जोखिम:

- EHV-1 साँस की बीमारी, गर्भपात और नवजात मृत्यु सहित घोड़ों में विभिन्न रोगों की उत्पत्ति का कारण बन सकता है।
- यह तनाव, न्यूरोलॉजिकल समस्याएँ भी पैदा कर सकता है, जिससे लकवा और कुछ मामलों में मौत हो सकती है। घोड़े जो इस वायरस से संक्रमित होते हैं, उनमें संतुलन की कमी, कमज़ोरी, भूख की कमी और खड़े होने में असमर्थता जैसे लक्षण सामने आ सकते हैं।

EHV-1 वायरस का प्रसार:

- यह संक्रामक है और श्वसन पथ द्वारा नाक से स्राव के माध्यम से घोड़ों में आपसी संपर्क से फैलता है।
- यह वायरस अप्रत्यक्ष रूप से उन भौतिक वस्तुओं के संपर्क में आने से भी फैल सकता है जो वायरस के कारण प्रदूषित होती हैं।

इक्विन हर्पीस वायरस मायलोएन्सेफैलोपैथी (EHM) इक्विन हर्पीस वायरस (EHV) संक्रमण से जुड़े न्यूरोलॉजिक रोग का दूसरा नाम है।

सावधानियाँ और उपचार:

- चूँकि संक्रमण की उच्च संचरण दर होती है, इसलिये रोगग्रस्त घोड़े को अलग-थलग रखना आवश्यक है।
- इसके उपचार के लिये एंटी-इनफ्लेमेटरी दवाओं का प्रयोग किया जाता है।

सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री को कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट (Cambridge Energy Research Associate-CERA) द्वारा वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार (Global Energy and Environment Leadership Award) से सम्मानित किया गया है।

- भारत के प्रधानमंत्री को यह पुरस्कार देश और दुनिया की भावी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने हेतु सतत् विकास के विस्तार की उनकी प्रतिबद्धता के लिये दिया गया।
- उन्होंने सेरावीक (CERAWeek) सम्मेलन को संबोधित किया और इस दौरान भारत द्वारा जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को हल करने तथा स्वच्छ ईंधन की प्राप्ति हेतु उठाए गए कदमों पर प्रकाश डाला।

प्रमुख बिंदु

सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार के विषय में:

- इस पुरस्कार को दिये जाने की शुरुआत वर्ष 2016 में हुई थी।
- यह पुरस्कार वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण के भविष्यव के प्रति समर्पित नेतृत्व का सम्मान करने के लिये दिया जाता है।

कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट:

- यह संयुक्त राज्य की ऊर्जा बाज़ारों, भू-राजनीति, उद्योग के रुझान, निजी कंपनियों आदि को सलाह देने ले लिये एक परामर्श कंपनी है।

सेरावीक:

- सेरावीक की स्थापना वर्ष 1983 में डॉ. डेनियल येरगिन (Dr. Daniel Yergin) ने की थी।
- यह एक वार्षिक ऊर्जा सम्मेलन है, जिसका आयोजन वर्ष 1983 से ह्यूस्टन (Houston- USA) में किया जा रहा है।
- IHS मार्किट (लंदन स्थित वैश्विक सूचना प्रदाता) का सेरावीक दुनिया का प्रमुख ऊर्जा कार्यक्रम बन गया है, जिसमें भाग लेने के लिये ऊर्जा उद्योग के प्रमुख, विशेषज्ञ, सरकारी अधिकारी, नीति निर्माता आदि आते हैं।
- सेरावीक- 2021 का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा 1-5 मार्च, 2021 तक किया गया था।
  - थीम: इस वर्ष सेरावीक की थीम द न्यू मैप: एनर्जी, क्लाइमेट, एंड द चार्टिंग द फ्यूचर (The New Map: Energy, Climate, and Charting the Future) थी।

प्रधानमंत्री के संबोधन के प्रमुख बिंदु:

- प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में जलवायु न्याय प्राप्त करने के लिये भारत द्वारा की गई प्रमुख पहलों पर चर्चा की:
  - सब्सिडी छोड़ो अभियान,

नोट :

- राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन,
- पीएम कुसुम,
- BS 6 उत्सर्जन मानदंड,
- सतत् पहल,
- इथेनॉल का सम्मिश्रण,
- सिंचाई की आधुनिक तकनीकें,
- जैविक खेती,
- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन,
- पेरिस जलवायु समझौते (Paris Climate Accord) के प्रति भारत की प्रतिबद्धता, और
- महात्मा गांधी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत की बात की।
  - ट्रस्टीशिप के मूल में सामूहिकता, करुणा और ज़िम्मेदारी आदि गुण होते हैं।

जन-औषधि दिवस

हाल ही में ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया (Bureau of Pharma PSUs of India) ने उत्तम गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाओं के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिये तीसरा जन-औषधि दिवस (7 मार्च, 2021) मनाया।

- इस वर्ष जन-औषधि दिवस की थीम "सेवा भी-रोज़गार भी" थी। इस दिवस को 1 मार्च से 7 मार्च तक पूरे देश में मनाया गया।
- प्रधानमंत्री ने समारोह के एक हिस्से के रूप में पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संस्थान (NEIGRIHMS), शिलांग में 7,500वें जन-औषधि केंद्र (Jan Aushadhi Kendra) का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

जन-औषधि केंद्र:

- ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री भारतीय जन-औषधि परियोजना (Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana) के एक भाग के रूप में जन-औषधि केंद्रों का समर्थन करता है।
- ये ऐसे केंद्र हैं जहाँ गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएँ सभी को उपलब्ध कराई जाती हैं।
- देश के सभी 734 ज़िलों में जन-औषधि केंद्र (7400 से अधिक) स्थापित किये जा चुके हैं।
- प्रधानमंत्री जन-औषधि केंद्रों की स्थापना के लिये 2.5 लाख रुपए तक का सरकारी अनुदान प्रदान किया जाता है, जिसकी मदद से डॉक्टर, फार्मासिस्ट, उद्यमी, स्वयं सहायता समूह (SHG), गैर-सरकारी संगठन (NGO) आदि किसी भी उपयुक्त स्थान या अस्पताल के बाहर जन-औषधि केंद्र स्थापित कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री भारतीय जन-औषधि परियोजना:

- इस परियोजना को वर्ष 2008 में भारत सरकार के 'रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय' (Ministry of Chemicals & Fertilizer) के अंतर्गत कार्यरत 'फार्मास्यूटिकल्स विभाग' (Department of Pharmaceutical) द्वारा प्रारंभ किया गया था।
  - इस अभियान को वर्ष 2015-16 में PMBJP के रूप में फिर से शुरू किया गया।
- ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया, PMBJP की कार्यान्वयन एजेंसी है।
  - BPPI ने जन-औषधि सुगम एप (Janaushadhi Sugam Application) भी विकसित किया है।
- इस परियोजना का लक्ष्य 'प्रधानमंत्री जन-औषधि केंद्र' के माध्यम से देश की जनता को सस्ती एवं गुणवत्ता युक्त दवाइयाँ प्रदान करना है।
- इससे गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाओं (Generic Drug) के कवरेज़ का विस्तार करने में मदद मिलेगी, जिससे दवाओं पर खर्च को कम कर उपचार लागत को कम किया जा सकेगा।
  - PMBJP के अंतर्गत एक दवा की कीमत शीर्ष तीन ब्रांडेड दवाओं के औसत मूल्य से 50% कम रखी गई है। इसलिये जन-औषधि दवाओं की कीमत कम-से-कम 50% और कुछ मामलों में ब्रांडेड दवाओं के बाज़ार मूल्य से 90% तक कम होती है।

प्रदर्शन का विश्लेषण:

- चालू वित्त वर्ष 2020-21 में PMBJP ने 593.84 करोड़ रुपए की बिक्री की। इसके परिणामस्वरूप देश के नागरिकों को लगभग 3600 करोड़ रुपए की बचत हुई है।
- यह योजना टिकाऊ और नियमित कमाई के साथ स्वरोज़गार का अच्छा स्रोत भी प्रदान कर रही है।

रक्षा अधिग्रहण परिषद की योजनाएँ

हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद (Defence Acquisition Council) ने संयुक्त राज्य अमेरिका से सशस्त्र ड्रोन और प्रोजेक्ट -75 (आई) के तहत उन्नत पनडुब्बियों के लिये मल्टी बिलियन सौदा किया है।

प्रमुख बिंदु

भारत-अमेरिका ड्रोन समझौता:

- भारत अमेरिका से 30 सशस्त्र ड्रोन (प्रत्येक सेवा के लिये 10) खरीद रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इस प्रक्रिया में बार-बार देरी हुई है।
  - अमेरिका ने भारत को इन सशस्त्र ड्रोनों की बिक्री के लिये सैद्धांतिक मंज़ूरी भारत-अमेरिका 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद (India-US 2+2 Ministerial Dialogue) के दौरान दी थी।
- जबकि नौसेना हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्यूरेंस (High Altitude Long Endurance- HALE) ड्रोन को खरीदने का प्रयास कर रही है, लेकिन इन ड्रोनों की उच्च लागत को देखते हुए सेना और वायुसेना के लिये इनकी उपयोगिता पर सवाल उठाए गए हैं।
  - चीन के साथ मई 2020 में पूर्वी लद्दाख में गतिरोध के बाद से सीमा की निरंतर निगरानी के लिये ड्रोन की आवश्यकता महसूस की गई।
- भारतीय नौसेना पहले से ही दो अमेरिकी MQ-9B सी-गार्जियन अनआर्म्ड ड्रोन्स (MQ-9B Sea Guardian Unarmed Drone) को अपने बेड़े में शामिल कर चुकी है।

प्रोजेक्ट-75 (आई):

- भारतीय नौसेना के लिये प्रोजेक्ट 75 (आई)-क्लास पनडुब्बी, प्रोजेक्ट 75 कलवरी-क्लास पनडुब्बी का रूपांतरण है।
- इस परियोजना में रणनीतिक भागीदारी (Strategic Partnership) मॉडल के अंतर्गत रक्षा खरीद प्रक्रिया (Defence Procurement Procedure) अपनाई जा रही है।
  - इस नीति के प्रारंभिक चरण में सरकार किसी एक मुख्य प्रणाली के निर्माण हेतु सामरिक भागीदार के रूप में एक निजी भारतीय इकाई की पहचान करती है। चयनित कंपनियाँ इन प्रणालियों के उत्पादन के लिये विदेशी कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित कर सकती हैं।
  - इस नीति का उद्देश्य रक्षा विनिर्माण में भारतीय उद्योग की भूमिका को बढ़ावा देना और घरेलू रक्षा औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है।
- यह परियोजना स्वदेशी पनडुब्बी निर्माण की 30 वर्ष की योजना का हिस्सा है, जिसे वर्ष 1999 में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (Cabinet Committee on Security) द्वारा मंज़ूरी दी गई थी।
  - इस योजना का उद्देश्य पनडुब्बी अधिग्रहण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और दो पनडुब्बी उत्पादन केंद्रों की स्थापना में मदद करना था।

रक्षा अधिग्रहण परिषद

- रक्षा अधिग्रहण परिषद (Defence Acquisition Council) नई पॉलिसी और कैपिटल अधिग्रहण संबंधी मामलों पर निर्णय लेने वाली रक्षा मंत्रालय की सर्वोच्च संस्था है।
- इस परिषद की अध्यक्षता रक्षा मंत्री (Minister of Defence) द्वारा की जाती है।
- इस परिषद का गठन कारगिल युद्ध के बाद वर्ष 2001 में 'नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम में सुधार' हेतु मंत्रियों के समूह की सिफारिश पर किया गया था।

नोट :

दुस्तलिक-2

हाल ही में उत्तराखंड के चौबटिया में भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच सैन्य अभ्यास दुस्तलिक (Dustlik) के दूसरे चरण की शुरुआत हुई।

प्रमुख बिंदु

- अभ्यास का उद्देश्य:
  - संयुक्त राष्ट्र (UN) के अधिदेश के तहत पर्वतीय, ग्रामीण और शहरी परिदृश्यों में विद्रोह तथा आतंकवाद रोधी गतिविधियों का संचालन करना।
- प्रथम संस्करण:
  - इस अभ्यास के प्रथम संस्करण का आयोजन नवंबर 2019 में ताशकंद, उज़्बेकिस्तान में किया गया था।
- महत्त्व:
  - मध्य एशियाई क्षेत्रों के साथ संपर्क तथा सुरक्षा की दृष्टि से उज़्बेकिस्तान भारत के लिये महत्त्वपूर्ण है, इसके अलावा अफगानिस्तान के संदर्भ में भी भारत के पास यह विकल्प उपलब्ध है।
    - अफगानिस्तान में जारी संघर्ष के कारण उपजी सुरक्षा चिंता मध्य एशिया में भारत की भागीदारी के समक्ष एक बड़ी चुनौती है।

अन्य देशों के साथ भारत के सैन्य अभ्यास

अभ्यास का नाम'	देश
गरुड़ शक्ति	इंडोनेशिया
एकुवेरिन	मालदीव
हैंड-इन-हैंड	चीन
बोल्ड कुरुक्षेत्र	सिंगापुर
मित्र शक्ति	श्रीलंका
नोमेडिक एलीफैंट	मंगोलिया
शक्ति	फ्रांँस
सूर्य किरण	नेपाल
युद्ध अभ्यास	संयुक्त राज्य अमेरिका

भारत-बांग्ला मैत्री सेतु

हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने दक्षिणी त्रिपुरा ज़िले में भारत-बांग्ला मैत्री सेतु का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु:

मैत्री सेतु: :

- 'मैत्री सेतु' नामक इस पुल का निर्माण फेनी नदी पर किया गया है जो भारत के त्रिपुरा राज्य और बांग्लादेश के बीच प्रवाहित होती है।
  - फेनी नदी का उद्गम दक्षिणी त्रिपुरा ज़िले में होता है। यह नदी भारतीय सीमा की तरफ सबरूम शहर से गुज़रती है और बांग्लादेश में बहने के बाद बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है।
- 1.9 किलोमीटर लंबा यह पुल सबरूम (त्रिपुरा में) को रामगढ़ (बांग्लादेश में) के साथ जोड़ता है।
- 'मैत्री सेतु' नाम भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय और मैत्रीपूर्ण संबंधों में हो रही वृद्धि का प्रतीक है।

नोट :

निर्माण और लागत:

- इस पुल के निर्माण को राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (National Highways and Infrastructure Development Corporation- NHIDCL) द्वारा 133 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया गया है।
    - गौरतलब है कि राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है।
    - यह भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों और सामरिक सड़कों के विकास एवं रखरखाव के लिये उत्तरदायी है।

महत्त्व:

- इस पुल के उद्घाटन के बाद अब अगरतला (त्रिपुरा की राजधानी) भारत में एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह से सबसे निकटतम शहर बन जाएगा।
- इसके अतिरिक्त त्रिपुरा, बांग्लादेश के चटगाँव बंदरगाह तक पहुँच प्राप्त करने के साथ ही 'पूर्वोत्तर का प्रवेशद्वार' (Gateway of North East) बन जाएगा, गौरतलब है कि चटगाँव बंदरगाह और सबरूम के बीच की दूरी मात्र 80 किमी. है।
    - भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्देशीय जलमार्ग के माध्यम से पारगमन और व्यापार पर लंबे समय से स्थायी एवं प्रभावी प्रोटोकॉल लागू है।
- यह दोनों देशों के बीच एक नए व्यापार गलियारे के रूप में काम करेगा, जो पूर्वोत्तर राज्यों की प्रगति में सहायक होगा। साथ ही यह दोनों देशों के बीच नागरिक संपर्क को बढ़ाएगा।

फ्राँस का पहला अंतरिक्ष सैन्य अभ्यास- 'एस्टरएक्स'

अंतरिक्ष के क्षेत्र में वैश्विक शक्तियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्द्धा के चलते फ्राँस ने अपने उपग्रहों की रक्षा क्षमता का परीक्षण करने के लिये पहला अंतरिक्ष सैन्य अभ्यास शुरू किया है।

प्रमुख बिंदु:

एस्टरएक्स:

- इस सैन्य अभ्यास का कूटनाम (Codename) वर्ष 1965 के पहले फ्राँसीसी उपग्रह एस्टरिक्स की स्मृति में "एस्टरएक्स" रखा गया है।
- यह सैन्य अभ्यास अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी बड़ी अंतरिक्ष शक्ति बनने की फ्राँस की रणनीति का हिस्सा है।
- यह अंतरिक्ष सैन्य अभ्यास न केवल फ्राँसीसी सेना बल्कि यूरोप के लिये भी इस प्रकार का पहला प्रयास है।
- इसके अतिरिक्त फ्राँस ने अपने प्रतिद्वंद्वियों (जैसे- चीन और रूस) के साथ प्रतिस्पर्द्धा, बढ़त के लिये उपग्रह-रोधी लेज़र हथियारों के विकास तथा निगरानी क्षमता को मज़बूत करने की योजना बनाई है।
- सैन्य अभ्यास का लक्ष्य:
    - अंतरिक्ष में संभावित खतरनाक वस्तुओं/लक्ष्यों के साथ-साथ पर्याप्त अंतरिक्ष सामर्थ्य वाली किसी अन्य विदेशी शक्ति (देश) से अपने उपग्रह को होने वाले खतरे की निगरानी करना।
- अन्य भागीदार:
    - फ्राँस के साथ इस सैन्य अभ्यास में नवस्थापित अमेरिकी अंतरिक्ष बल और जर्मन अंतरिक्ष एजेंसी भी हिस्सा ले रही है।

पृष्ठभूमि:

- वर्ष 2018 में 'ओलिंप-के' नामक एक रूसी उपग्रह ने इटली और फ्राँस की सेनाओं द्वारा सुरक्षित संचार के लिये उपयोग किये जाने वाले 'एथेना-फिदस' नामक उपग्रह के विमोचन को रोकने का प्रयास किया गया। रूसी उपग्रह के इस कदम को 'जासूसी' की कार्रवाई की संज्ञा दी गई थी।
    - वर्ष 2020 में अमेरिका ने रूस पर अंतरिक्ष से एक एंटी-सैटेलाइट हथियार का "गैर-विनाशकारी परीक्षण" करने का भी आरोप लगाया।
- वर्ष 2019 में फ्राँस ने अपनी अंतरिक्ष कमान [फ्रेंच स्पेस कमांड (Commandement de l'Espace- CdE)] की घोषणा की थी।
    - इस कमान में वर्ष 2025 तक 500 कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी।

इस क्षेत्र में भारत की समान पहल:

- IndSpaceEx: यह भारत का पहला सिमुलेटेड (कृत्रिम/बनावटी) अंतरिक्ष युद्ध अभ्यास है।
- मिशन शक्ति: यह एक सैटेलाइट रोधी या एंटी-सैटेलाइट (ASAT) मिसाइल परीक्षण है।

प्रोजेक्ट इनफॉर्मेशन सिस्टम एंड मैनेजमेंट

हाल ही में विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड (SERB) द्वारा प्रोजेक्ट इनफॉर्मेशन सिस्टम एंड मैनेजमेंट या प्रिज़्म (PRISM) नामक एक पोर्टल की स्थापना की गई है, जो इसके द्वारा समर्थित विभिन्न शोध परियोजनाओं पर वास्तविक समय में जानकारी प्रदान करता है।

प्रमुख बिंदु:

प्रोजेक्ट इनफॉर्मेशन सिस्टम एंड मैनेजमेंट या प्रिज़्म (PRISM):

- इसका पूरा नाम है "विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड- 'प्रोजेक्ट इनफॉर्मेशन सिस्टम एंड मैनेजमेंट" (सर्ब-प्रिज़्म)।
- यह ई-प्लेटफॉर्म वर्ष 2011 के बाद से SERB द्वारा स्वीकृत सभी परियोजनाओं के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करेगा, जिसमें धन का विवरण, स्थिति, शोध सारांश और प्रकाशन तथा पेटेंट जैसे परियोजना आउटपुट संबंधी विवरण शामिल हैं।

महत्त्व:

- इस पोर्टल के वैज्ञानिक समुदाय से जुड़े लोगों के अलावा मज़बूत विज्ञान-समाज संपर्क बनाने में सहायता के लिये एक व्यापक उपकरण के रूप में काम करने की उम्मीद है।
- इसे जल, ऊर्जा और जलवायु जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों और वैज्ञानिक सामाजिक उत्तरदायित्व (SSR) की नई अवधारणा के साथ जोड़ा जा सकता है।
- यह अनुसंधान और विकास वित्तपोषण के माध्यम से लोकतंत्रीकरण में सहायता करेगा।

विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड (SERB):

- यह भारतीय संसद के एक अधिनियम द्वारा वर्ष 2009 में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है।
- इसकी अध्यक्षता विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में तैनात भारत सरकार के सचिव द्वारा की जाती है और कई अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा प्रतिष्ठित वैज्ञानिक सदस्य के रूप में इसमें शामिल होते हैं।
- इसकी स्थापना विज्ञान और इंजीनियरिंग में बुनियादी अनुसंधान को बढ़ावा देने तथा इस तरह के अनुसंधान के लिये वैज्ञानिकों, शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं, संबंधित उद्योगों व अन्य एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये की गई थी।
- इसे उभरते हुए क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी अनुसंधान के नियोजन, प्रचार और वित्तपोषण का कार्य सौंपा गया है।
- सर्ब की कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण योजनाएँ:
  - सर्ब-पावर योजना
  - एक्सेलरेट विज्ञान योजना
  - बहुविषयक साइबर-फिज़िकल प्रणालियों के राष्ट्रीय मिशन

इंडोनेशिया का माउंट सिनाबुंग

हाल ही में इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी माउंट सिनाबुंग में विस्फोट हो गया है।

- इससे पहले इंडोनेशिया के अन्य ज्वालामुखियों में मेरापी और सेमेरू में भी विस्फोट हो चुका है।

प्रमुख बिंदुः

माउंट सिनाबुंगः

- माउंट सिनाबुंग (2,600 मीटर) उत्तरी सुमात्रा के कारो रीजेंसी (Karo Regency) में अवस्थित है।
- सिनाबुंग इंडोनेशिया में स्थित 120 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है, जो 'पैसिफिक रिंग ऑफ फायर' पर अवस्थित होने के कारण भूकंपीय उथल-पुथल प्रवण है।
- वर्ष 2010 में हुए विस्फोट से पहले 400 वर्षों तक यह ज्वालामुखी निष्क्रिय था।
    - इसमें वर्ष 2014, 2016 और 2020 में पुनः विस्फोट हुआ।

रिंग ऑफ फायरः

- रिंग ऑफ फायर जिसे 'सर्कम-पैसिफिक बेल्ट' के रूप में भी जाना जाता है, यह सक्रिय ज्वालामुखियों और निरंतर भूकंप प्रवणता संबंधी विशेषताओं के लिये जाना जाता है।
- यह पैसिफिक, कोकोस, इंडियन-ऑस्ट्रेलियन, नाज़्का, नॉर्थ अमेरिकन और फिलीपीन प्लेट्स सहित कई टेक्टोनिक प्लेटों के बीच की सीमाओं से संबंधित है।
- इस क्षेत्र में टेक्टोनिक प्लेटों के संचलन के कारण रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में ज्वालामुखियों और भूकंपों की बहुतायत पाई जाती है।
    - पृथ्वी के 75% ज्वालामुखी अर्थात् 450 से अधिक ज्वालामुखी 'रिंग ऑफ फायर' पर स्थित है। पृथ्वी के 90% भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं।

साहित्य अकादमी पुरस्कार

हाल ही में मराठी लेखिका नंदा खरे ने वर्ष 2014 में लिखे गए अपने उपन्यास "उद्या" (Udya) के लिये साहित्य अकादमी पुरस्कार स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

प्रमुख बिंदु

साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में:

- साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 1954 में स्थापित, एक साहित्यिक सम्मान है। यह पुरस्कार साहित्य अकादमी (नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स) द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है।
- अकादमी द्वारा प्रत्येक वर्ष अपने द्वारा मान्यता प्रदत्त 24 भाषाओं में साहित्यिक कृतियों के साथ ही इन्हीं भाषाओं में परस्पर साहित्यिक अनुवाद के लिये भी पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं।
- भारत के संविधान में शामिल 22 भाषाओं के अलावा, साहित्य अकादमी ने अंग्रेज़ी तथा राजस्थानी को भी उन भाषाओं के रूप में मान्यता दी है जिसमें अकादमी के कार्यक्रम को लागू किया जा सकता है।
- साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है।

पुरस्कार विजेता के चयन हेतु मानदंडः

- लेखक के पास अनिवार्य रूप से भारतीय राष्ट्रीयता होनी चाहिये।
- पुरस्कार के लिये पात्र पुस्तक/रचना का संबंधित भाषा और साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान होना चाहिये।
- जब दो या दो से अधिक पुस्तकों के लिये समान योग्यता पाई जाती है, तो पुरस्कार की घोषणा हेतु कुछ निश्चित मानदंडों जैसे- साहित्य के क्षेत्र में कुल योगदान तथा लेखकों की स्थिति/प्रतिष्ठा आदि को ध्यान में रखा जाता है।

मराठी उपन्यास 'उद्या' के विषय में:

- यह वर्तमान पूंजीवादी और मशीन चालित मानव जीवन के परिणामों के रूप में उभर रहे संभावित परिदृश्यों का एक भविष्यवादी दृष्टिकोण है।

- यह उपन्यास इस बात की व्याख्या करता है कि कैसे मनुष्य को मशीनों द्वारा गुलाम बनाया गया है, विशेष रूप से ऐसी मशीनों द्वारा जो किसी के निजी जीवन की निगरानी करने हेतु अतिसंवेदनशील है।

ज्ञानपीठ पुरस्कार:

- ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है और इसे केवल एक भारतीय नागरिक को प्रतिवर्ष प्रदान किया जा सकता है।
- भारतीय संविधान (8 वीं अनुसूची) में उल्लिखित अन्य भाषाओं के साथ अंग्रेज़ी में भी यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है।
- इस पुरस्कार के अंतर्गत 11 लाख रुपए की नकद राशि, एक प्रशस्ति पत्र और ज्ञान की देवी वाग्देवी (सरस्वती) की एक कांस्य प्रतिकृति प्रदान की जाती है।
- यह सांस्कृतिक संगठन भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रायोजित है।
- वर्ष 2018 में लेखक अमिताव घोष ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता बनने वाले पहले अंग्रेजी भाषा के लेखक बने।
- मलयालम भाषा के अक्कीतम अच्युतन नंबूदिरी को वर्ष 2019 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था।

अन्य साहित्य अकादमी पुरस्कार:

- साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार लेखकों द्वारा बाल साहित्य में उनके योगदान के आधार पर दिया जाता है और पुरस्कार वर्ष से तुरंत पहले के पाँच वर्षों के दौरान पहली बार प्रकाशित पुस्तकों से संबंधित है।
- साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 35 वर्ष और उससे कम आयु के लेखक द्वारा प्रकाशित पुस्तकों से संबंधित है।

दृष्टि The Vision

विविध

बीर चिलाराय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 फरवरी, 2021 को 16वीं सदी के महान जनरल बीर चिलाराय को उनकी जयंती पर याद करते हुए कहा कि वे एक उत्कृष्ट योद्धा थे, जिन्होंने आम लोगों तथा अपने सिद्धांतों के लिये संघर्ष किया। 1515 ई. में महाराजा विश्व सिंह ने कोच राजवंश की स्थापना कर असम के इतिहास में एक स्वर्ण युग की शुरुआत की। पूर्णिमा के दिन जन्मे शुक्लाध्वज महाराजा विश्व सिंह के तीसरे पुत्र थे। अपने भाइयों के साथ ही उन्होंने भी युद्ध कला और सैन्य रणनीति के विशिष्ट गुण सीखे। शुक्लाध्वज को 'चिलाराय की उपाधि प्राप्त हुई, क्योंकि उनके सैन्य हमलों को उनकी चीला (पतंग) जैसी गति के लिये जाना जाता था। उनके साहस और सैन्य कौशल ने उनके बड़े भाई, महाराजा नारा नारायण के साम्राज्य का विस्तार करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। महाराजा नारा नारायण की सेना का प्रधान सेनापति होने के नाते चिलाराय ने कोच राजवंश के विस्तार में अभूतपूर्व कार्य किया और युद्ध के मैदान में उनका सैन्य कौशल असम में जन-जन के बीच प्रसिद्ध हो गया। पश्चिमी भारत में एक अभियान के दौरान चेचक की बीमारी के कारण गंगा नदी के तट पर 1577 ई. में बीर चिलाराय की मृत्यु हो गई। वर्ष 2005 से असम सरकार द्वारा बीर चिलाराय की जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाया जा रहा है। असम सरकार प्रत्येक वर्ष बहादुरी के लिये बीर चिलाराय पुरस्कार को राज्य के सर्वोच्च सम्मान के रूप में प्रदान करती है।

प्रोटीन दिवस

प्रत्येक वर्ष 27 फरवरी को आयोजित किये जाने वाले प्रोटीन दिवस का उद्देश्य भारत में आम नागरिकों के बीच प्रोटीन जागरूकता और पर्याप्तता में बढ़ोतरी करना है। इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2020 में 'राइट टू प्रोटीन' नामक सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान द्वारा की गई थी। इस वर्ष की थीम है- 'पावरिंग विद प्लांट प्रोटीन।' इस वर्ष की थीम का उद्देश्य पौधे-आधारित प्रोटीन के स्रोतों को रेखांकित करता है और भारतीय नागरिकों को प्रोटीन के विभिन्न स्रोतों के बारे में अधिक जानने और समझने के लिये प्रोत्साहित करना है। प्रोटीन एक महत्त्वपूर्ण पोषक तत्त्व है जो शरीर को कोशिकाओं को विकसित करने और उनकी रिकवरी के लिये आवश्यक है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) की सिफारिश के मुताबिक, एक वयस्क को प्रतिदिन शरीर के वज़न के हिसाब से प्रति किलो लगभग एक ग्राम प्रोटीन का उपभोग करना चाहिये। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (NSS) के हालिया आँकड़ों की मानें तो भारत में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के बीच प्रति व्यक्ति प्रोटीन की खपत कम है।

शून्य भेदभाव दिवस

कानून के समक्ष और आम लोगों के व्यवहार में समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष विश्व स्तर पर 01 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस आय, आयु, लिंग, स्वास्थ्य स्थिति, रंग, नस्ल, व्यवसाय, यौन अभिविन्यास, धर्म और जातीयता आदि आधारों पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को जल्द-से-जल्द खत्म करने के लिये तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता पर ज़ोर देता है। इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2013 में विश्व एड्स दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र एड्स कार्यक्रम (UNAIDS) द्वारा की गई थी और इसे पहली बार 01 मार्च, 2014 को मनाया गया था। UNAIDS के अनुसार, कोरोना वायरस महामारी के साथ विश्व की कुल आबादी के 70 प्रतिशत से अधिक हिस्से को किसी-न-किसी रूप में असमानता और भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। शून्य भेदभाव दिवस का लक्ष्य बेहतर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक नीतियों के माध्यम से लोगों के अधिकारों की रक्षा कर उनके सम्मान को बनाए रखना है।

लिगिया नोरोन्हा

संयुक्त राष्ट्र (UN) प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने प्रमुख भारतीय अर्थशास्त्री लिगिया नोरोन्हा को सहायक महासचिव और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के न्यूयॉर्क स्थित कार्यालय के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। लिगिया नोरोन्हा, भारतीय अर्थशास्त्री और पूर्व सहायक महासचिव सत्या त्रिपाठी का स्थान लेंगी। लिगिया नोरोन्हा भारतीय अर्थशास्त्री हैं, जिन्हें सतत् विकास के क्षेत्र में कुल 30 वर्षों का अंतर्राष्ट्रीय अनुभव है। इससे पूर्व लिगिया नोरोन्हा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के अर्थव्यवस्था प्रभाग की निदेशक के तौर पर कार्य कर रही थीं। UNEP में शामिल होने से पूर्व लिगिया नोरोन्हा ने नई दिल्ली में 'द एनर्जी एंड रिसोर्सेज़ इंस्टीट्यूट' (TERI) में कार्यकारी निदेशक

(अनुसंधान समन्वय) और संसाधन, विनियमन तथा वैश्विक सुरक्षा प्रभाग के निदेशक के रूप में भी कार्य किया है। वर्ष 1972 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP), एक प्रमुख वैश्विक पर्यावरण प्राधिकरण है, जिसका प्राथमिक कार्य वैश्विक पर्यावरण एजेंडा निर्धारित करना, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर सतत् विकास को बढ़ावा देना और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण हेतु एक आधिकारिक अधिवक्ता के रूप में कार्य करना है।

डॉ. सूर्यबाला

मुंबई की वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. सूर्यबाला को 'उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान' के प्रतिष्ठित भारत-भारती पुरस्कार (2019) से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। भारत-भारती पुरस्कार के तहत डॉ. सूर्यबाला को 5 लाख रुपए की नकद राशि और एक प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया जाएगा। भारत-भारती पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिये प्रदान किये जाने वाले सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा कई अन्य श्रेणियों में भी वार्षिक साहित्यिक पुरस्कारों के लिये चयनित नामों की घोषणा की गई है। लखनऊ के दयानंद पांडे को 'लोहिया साहित्य सम्मान' से सम्मानित किया जाएगा, जबकि दिल्ली के तरुण विजय को 'हिंदी गौरव सम्मान' और भोपाल के रामेश्वर प्रसाद मिश्र को महात्मा गांधी साहित्य सम्मान से सम्मानित किया जाएगा।

जन-औषधि दिवस समारोह, 2021

01 मार्च, 2021 से तीसरे जन-औषधि दिवस, 2021 समारोह की शुरुआत हो गई। सप्ताह भर का यह समारोह 1 मार्च से 7 मार्च, 2021 तक चलेगा। इस दौरान देश भर में जन-औषधि केंद्रों पर स्वास्थ्य जाँच शिविरों का आयोजन किया जाएगा। स्वास्थ्य शिविरों में आम लोगों को जन-औषधि केंद्रों पर बिकने वाली दवाओं की कीमत से जुड़े फायदों और उनकी गुणवत्ता के बारे में जानकारी व शिक्षित किया जाएगा। इस वर्ष तीसरे जन-औषधि दिवस का आयोजन 7 मार्च, 2021 को 'सेवा भी-रोज़गार भी' थीम के साथ किया जाएगा। प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2019 में घोषणा की गई थी कि प्रत्येक वर्ष 7 मार्च को देश भर में 'जन-औषधि दिवस' के रूप में मनाया जाएगा। 'प्रधानमंत्री भारतीय जन-औषधि परियोजना' भारत सरकार के तहत औषध विभाग की एक विशेष पहल है, जिसमें जनता को किफायती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण दवाएँ उपलब्ध कराकर लाभान्वित किया जाता है। यह योजना स्थायी और नियमित आय के साथ स्वरोज़गार का एक बेहतर स्रोत भी उपलब्ध करा रही है। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 'प्रधानमंत्री भारतीय जन-औषधि परियोजना' के माध्यम से 433.61 करोड़ रुपए की दवाओं की बिक्री हुई थी। इससे देश के सामान्य नागरिकों को लगभग 2,500 करोड़ रुपए की बचत हुई थी, क्योंकि ये दवाएँ औसत बाज़ार मूल्य की तुलना में 50 से 90 प्रतिशत तक सस्ती होती हैं।

सुगम्य भारत एप

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 'सुगम्य भारत' एप और एक पुस्तिका 'एक्से स- द फोटो डाइजेस्टि' का अनावरण किया है। सुगम्य भारत एप का उद्देश्य दिव्यांगों के प्रति लोगों को अधिक संवेदनशील बनाना और उनके लिये सुविधाओं को बढ़ाना है। 'सुगम्य भारत' एप 10 क्षेत्रीय भाषाओं- हिंदी, अंग्रेज़ी, मराठी, तमिल, ओडिया, कन्नड़, तेलुगू, गुजराती, पंजाबी और मलयालम में उपलब्ध है। वहीं 'एक्सेरस- द फोटो डाइजेस्ट' नामक पुस्तिका में चित्रों के माध्यम से विभिन्न हितग्राहियों को दिव्यांगों की 10 बुनियादी आवश्यकताओं के बारे में समझाने के साथ-साथ जागरूक करने का प्रयास किया गया है। इस पुस्तिका का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण 'सुगम्य भारत' एप पर उपलब्ध होगा। इस एप और पुस्तिका को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग (DEPwD) द्वारा विकसित किया गया है।

सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन गेमिंग

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-बॉम्बे (IIT-B) के सहयोग से गेमिंग तथा अन्य संबंधित क्षेत्रों में 'सेंटर फॉर एक्सीलेंस' की स्थापना करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-बॉम्बे द्वारा VFX, गेमिंग और एनिमेशन के क्षेत्र में एक पाठ्यक्रम की भी शुरुआत की जाएगी। 'सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन गेमिंग' के तहत नए ऑनलाइन खेलों के विकास को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा, ताकि भारतीय सांस्कृतिक लोकाचार को बढ़ावा दिया जा सके। यह सेंटर भारत में होने वाले 'गेम डेवलपमेंट' को भी बढ़ावा देगा। इस पहल के कारण भारत के गेमिंग उद्योग के विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। इस सेंटर के माध्यम से भारत की समृद्ध संस्कृति और पारंपरिक मूल्यों को आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाएगा तथा अधिक-से-अधिक लोगों तक पहुँचाया जाएगा।

संसद टीवी

'राज्युसभा टीवी' और 'लोकसभा टीवी' का विलय करके 'संसद टीवी' का गठन करने संबंधी प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी गई है। भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के सेवानिवृत्त अधिकारी रवि कपूर को आगामी एक वर्ष की अवधि के लिये 'संसद टीवी' का मुख्यि कार्यकारी अधिकारी नियुक्तद किया गया है। संसद टीवी लोकसभा और राज्य सभा की कार्यवाही का प्रत्यक्ष प्रसारण दो अलग-अलग चैनलों के माध्यम से करेगा। दोनों चैनलों के एकीकरण को लेकर प्रसार भारती के पूर्व अध्यक्ष ए. सूर्य प्रकाश की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर राज्यअसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यसक्ष ओम बिडला ने संयुक्तअ रूप से यह निर्णय लिया। इस समिति का गठन दर्शकों को संसद के काम-काज के बारे में और अधिक जानकारी देने के लिये नीति बनाने हेतु सिफारिश करने के लिये किया गया था। समिति ने सुझाव दिया है कि नए चैनल पर दोनों सदनों की कार्यवाही के अलावा सदन की विभिन्न अन्य गतिविधियों से संबंधित जानकारी भी प्रसारित की जाएगी, जिसमें संसदीय समितियों के कामकाज और संसद सदस्यों द्वारा की जाने वाली विकास गतिविधियाँ आदि शामिल हैं। 'लोकसभा टीवी' की शुरुआत 24 जुलाई, 2006 को पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी के प्रयासों के बाद हुई थी। एक टीवी चैनल के रूप में 'लोकसभा टीवी' की शुरुआत से पूर्व कुछ विशिष्ट संसदीय गतिविधियों का ही टीवी पर प्रसारण किया जाता था, जैसे- संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति का संबोधन आदि। वहीं 'राज्यसभा टीवी' की शुरुआत वर्ष 2011 में हुई थी। राज्यसभा में कार्यवाही के प्रत्यक्ष प्रसारण के अलावा 'राज्यसभा टीवी' संसदीय मामलों का विश्लेषण भी प्रस्तुत करता है और ज्ञान-आधारित विशिष्ट कार्यक्रमों के लिये एक मंच प्रदान करता है। यही कारण है कि आम लोगों के बीच 'राज्यसभा टीवी' अधिक प्रचलित माना जाता है।

विश्व वन्यजीव दिवस

3 मार्च, 2020 को दुनिया भर में विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस वन्य जीवों के संरक्षण के महत्त्व के बारे में जागरूकता के प्रसार हेतु प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है। 20 दिसंबर, 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मानने का निर्णय लिया था। संयुक्त राष्ट्र ने अपने रेज़ोल्यूशन में घोषणा की थी कि विश्व वन्यजीव दिवस आम लोगों को विश्व के बदलते स्वरूप तथा मानव गतिविधियों के कारण वनस्पतियों एवं जीवों पर उत्पन्न हो रहे खतरों के बारे में जागरूक करने के प्रति समर्पित होगा। ज्ञात हो कि 3 मार्च, 1973 को ही वन्यजीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES) को अंगीकृत किया गया था। इस वर्ष विश्व वन्यजीव दिवस की थीम है- 'फारेस्ट एंड लाइवलीहुड: सस्टेनिंग पीपल एंड प्लानेट।' यह दिवस इस तथ्य को रेखांकित करने का अवसर प्रदान करता है कि मानव जीवन के लिये वन एवं पारिस्थितिकी तंत्र कितने महत्त्वपूर्ण हैं। संयुक्त राष्ट्र की मानें तो वैश्विक स्तर पर लगभग 200 से 350 मिलियन लोग या तो जंगलों के भीतर/आसपास रहते हैं या फिर जीवन एवं आजीविका के लिये वन संसाधनों पर प्रत्यक्ष तौर पर निर्भर हैं।

विश्व एनजीओ दिवस

प्रत्येक वर्ष 27 फरवरी को वैश्विक स्तर पर समाज के विकास में गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के योगदान को रेखंकित करने के लिये विश्व एनजीओ दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में लोगों को गैर-सरकारी संगठनों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने के लिये प्रेरित करना है। यह दिवस आम लोगों को NGO संस्थापकों, कर्मचारियों, स्वयंसेवकों, सदस्यों और समर्थकों को सम्मानित करने और उनके कार्य को समझने का अवसर प्रदान करता है। सर्वप्रथम विश्व एनजीओ दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2014 में आयोजित किया गया था। गैर-सरकारी संगठन (NGO) एक निजी संगठन होता है, जो आम लोगों की समस्याओं और चुनौतियों को दूर करने, निर्धनों के हितों का संवर्द्धन, पर्यावरण की रक्षा, बुनियादी सामाजिक सेवाएँ प्रदान करने अथवा सामुदायिक विकास आदि गतिविधियाँ संचालित करता है। ये किसी सार्वजनिक उद्देश्य को लक्षित करते हैं। ये संगठन सरकार का हिस्सा नहीं होते हैं, इन्हें कानूनी दर्जा प्राप्त होता है और ये किसी विशिष्ट अधिनियम के तहत पंजीकृत होते हैं।

प्रेस सूचना ब्यूरो

भारतीय सूचना सेवा (IIS) के वरिष्ठज अधिकारी जयदीप भटनागर ने हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो-पीआईबी के प्रधान महानिदेशक का पदभार संभाल लिया है। जयदीप भटनागर वर्ष 1986 बैच के भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी हैं। इससे पहले वे दूरदर्शन में वाणिज्यिक और विपणन प्रभाग के प्रमुख के रूप में कार्य कर चुके हैं। वर्ष 1919 में स्थापित प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी है, जो सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों, पहलों और उपलब्धियों पर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सूचना प्रसारित करती है। यह सरकार और मीडिया के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करती है। PIB का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। सूचना प्रसारित करने के अलावा प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) द्वारा विदेशी मीडिया समेत विभिन्न मीडिया प्रतिनिधियों को मान्यता प्रदान की जाती है। इससे मीडिया प्रतिनिधियों को सरकारी स्रोतों से सूचना प्राप्त करने में सुविधा होती है।

हिमालयन सीरो

हाल ही में असम में पहली बार 'हिमालयन सीरो' (HImalayan Serow) को देखा गया है। 'हिमालयन सीरो' को असम में 950 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले मानस टाइगर रिज़र्व में देखा गया है, जो कि टाइगर रिज़र्व के स्वस्थ पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र का संकेत देता है। हिमालयन सीरो बकरी, गधा, गाय तथा सुअर के समान दिखता है। यह बड़े सिर, मोटी गर्दन, छोटे अंग, खच्चर जैसे कान, और काले बालों वाला एक मध्यम आकार का स्तनपायी है। 'हिमालयन सीरो' या 'कैपरीकोर्निस सुमात्रेंसिस' थार हिमालयी क्षेत्र तक ही सीमित है और इसे 'मेनलैंड सीरो' या 'कैपरीकोर्निस सुमात्रेंसिस' की उप-प्रजाति माना जाता है। इससे पूर्व दिसंबर 2020 में हिमाचल प्रदेश के स्पीति के पास एक नदी के किनारे स्थानीय लोगों और वन्यजीव अधिकारियों ने हिमालयन सीरो को देखा था। असम और हिमाचल प्रदेश में 'सीरो' को देखा जाना इस लिहाज से काफी महत्त्वपूर्ण है कि ये आमतौर पर समुद्र की सतह से 4,270 मीटर की ऊँचाई पर नहीं पाए जाते हैं। हिमालयन सीरो को IUCN की रेड लिस्ट में 'सुभेद्य' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची I के तहत सूचीबद्ध किया गया है, जो कि इसे पूर्ण सुरक्षा प्रदान करती है।

राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना को चिह्नित करने के लिये प्रतिवर्ष 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का प्राथमिक उद्देश्य दुर्घटनाओं और किसी अन्य आपात परिस्थिति को रोकने के लिये आवश्यक सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के स्थापना दिवस पर पहली बार वर्ष 1972 में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, राष्ट्रीय स्तर पर एक गैर-लाभकारी, स्व-वित्तपोषित, त्रिपक्षीय निकाय है। इसे श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय द्वारा 4 मार्च, 1965 को सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर एक स्वैच्छिक आंदोलन शुरू करने के लिये स्थापित किया गया था। यह एक स्वायत्त निकाय है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का उद्देश्य समाज की रक्षा एवं सुरक्षा सुनिश्चित करना और लोगों में एक निवारक संस्कृति तथा वैज्ञानिक मानसिकता को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद आम जनता के बीच सुरक्षा से संबंधित संदेश प्रसारित करने वर्ष सड़क दुर्घटनाओं के कारण देश में 1.50 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु होती है और इससे भी अधिक संख्या में लोग शारीरिक रूप से अक्षम हो जाते हैं, जिसके कारण पीड़ित परिवारों के साथ-साथ संपूर्ण देश को भारी क्षति का सामना करना पड़ता है।

विश्व् श्रवण दिवस

विश्व भर में प्रत्येक वर्ष 03 मार्च को विश्व श्रवण दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिवस का प्राथमिक लक्ष्य इस संदेश को प्रसारित करना है कि समय पर और प्रभावी देखभाल लोगों को श्रवण बाधिता से मुकाबला करने में मदद कर सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा आयोजित किया जाने वाला यह दिवस श्रवण तंत्रिकाओं की सुरक्षा और निवारक उपायों को अपनाने के लिये की जाने वाली कार्रवाई के बारे में जागरूकता फैलाने का अवसर प्रदान करता है। विश्व स्तर पर तकरीबन 1.5 बिलियन लोग पूर्ण अथवा आंशिक रूप से श्रवण बाधिता का सामना कर रहे हैं और इसमें से लगभग 430 मिलियन लोगों को जल्द-से-जल्द पुनर्वास सहायता की आवश्यकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2050 तक विश्व भर में लगभग 2.5 मिलियन लोग या 4 में से 1 व्यक्ति पूर्ण अथवा आंशिक रूप से श्रवण बाधिता से प्रभावित होगा।

उदयपुर विज्ञान केंद्र

त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस ने हाल ही में उदयपुर विज्ञान केंद्र (त्रिपुरा) का उद्घाटन किया है। उदयपुर विज्ञान केंद्र 22वाँ विज्ञान केंद्र है, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (NCSM) द्वारा विकसित करके राज्य सरकार को सौंपा गया है। संस्कृति मंत्रालय की विज्ञान की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिये योजना के तहत राज्य सरकारों को विज्ञान केंद्र सौंपे जा रहे हैं। 6 करोड़ रुपए की लागत से विकसित इस केंद्र को भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के साथ-साथ त्रिपुरा के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण विभाग द्वारा संयुक्त रूप से वित्तपोषित किया है। यह विज्ञान केंद्र छात्रों को विज्ञान के बारे में कई अज्ञात तथ्यों को जानने में सक्षम करेगा। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (NCSM) द्वारा देश के सभी उत्तर-पूर्वी राज्यों में विज्ञान केंद्र स्थापित किये गए हैं। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल, 1978 को की गई थी।

अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष: 2023

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से भारत द्वारा प्रायोजित और 70 से अधिक देशों द्वारा समर्थित प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अपना लिया है, जिसमें 2023 को 'अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष' के रूप में घोषित करने की बात कही गई है। इस प्रस्ताव का प्राथमिक उद्देश्य बदलती जलवायु परिस्थितियों में बाजरे के स्वास्थ्य लाभ एवं खेती के लिये उसकी उपयुक्तता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ज्ञात हो कि बाजरे की खेती ऐतिहासिक रूप से व्यापक स्तर पर कई देशों में की जाती रही है, किंतु बीते कुछ समय से कई देशों में इसके उत्पादन में कमी आ रही है। इस लिहाज से उत्पादन क्षमता, अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में उच्च निवेश किये जाने की आवश्यकता है ताकि बाजरे के पोषण एवं पारिस्थितिक लाभ से उपभोक्ताओं, उत्पादकों और निर्णय निर्माताओं को लाभान्वित किया जा सके। इस प्रस्ताव के परिणामस्वरूप बाजरे की खेती के लिये अनुसंधान एवं विकास में भी बढ़ोतरी हो सकेगी। 'अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष' का आयोजन करने से बाजरे के उत्पादन को लेकर और अधिक जागरूकता बढ़ाई जा सकेगी। यह खाद्य सुरक्षा, पोषण, आजीविका सुनिश्चित करने और किसानों की आय में बढ़ोतरी करने, गरीबी उन्मूलन और सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में भी योगदान देगा, विशेषकर उन क्षेत्रों में जो जलवायु परिवर्तन से काफी प्रभावित हैं।

मैरी कॉम

छह बार विश्व चैंपियन रहीं मैरी कॉम को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज़ी संघ (AIBA) की 'चैंपियन एंड वेटरन्स कमेटी' के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, इस समिति की स्थापना पिछले वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज़ी संघ द्वारा अपने सुधार कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में की गई थी। बीते वर्ष दिसंबर माह में गठित इस समिति में विश्व भर के सबसे सम्मानित बॉक्सिंग दिग्गज और चैंपियन शामिल हैं। 1 मार्च, 1983 को जन्मी मैरी कॉम विश्व प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज़ हैं, जो कि मूल रूप से मणिपुर से संबंधित हैं। मैरी कॉम ने अपने अंतर्राष्ट्रीय कॅरियर की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली AIBA महिला विश्व मुक्केबाज़ी चैंपियनशिप के साथ की थी, जहाँ उन्होंने 48 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता था। मैरी कॉम की प्रतिभा के कारण वर्ष 2003 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उन्हें वर्ष 2006 में पद्मश्री और वर्ष 2009 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। बॉक्सिंग में उनके बेहतरीन कॅरियर को देखते हुए मणिपुर सरकार ने वर्ष 2018 में उन्हें 'मीथोईलीमा' की उपाधि से भी सम्मानित किया था। मैरी कॉम को अप्रैल 2016 में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया था।

नाग नदी

हाल ही में केंद्र सरकार ने नाग नदी में सीवेज और औद्योगिक कचरे के कारण होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिये 'नाग नदी प्रदूषण न्यूनीकरण' परियोजना को मंज़ूरी दी है। केंद्र सरकार द्वारा 'नाग नदी प्रदूषण न्यूनीकरण' परियोजना के लिये तकरीबन 2,117.54 करोड़ रुपए की मंज़ूरी दी गई है। इस परियोजना को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत मंज़ूरी दी गई है और इसे राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। इस परियोजना के कार्यान्वयन से अनुपचारित सीवेज, ठोस अपशिष्ट और नाग नदी एवं उसकी सहायक नदियों में बहने वाले अन्य प्रदूषक तत्त्वों की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी और इनके स्तर में कमी लाते हुए नदी के स्वास्थ्य एवं पारिस्थितिक तंत्र में सुधार होगा। ध्यातव्य है कि यह नदी महाराष्ट्र में नागपुर शहर से होकर गुज़रती है और महाराष्ट्र के तीसरे सबसे बड़े शहर नागपुर को यह नाम इसी नदी से प्राप्त हुआ है। 'नाग नदी' मूल तौर पर पश्चिमी नागपुर में अंबाझरी झील से निकलती है। नाग नदी सीवेज और औद्योगिक कचरे के कारण काफी अधिक प्रदूषित है तथा बीते वर्ष बॉम्बे उच्च न्यायालय ने भी नदी के प्रदूषण की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया था।

प्लैटिपस के लिये विश्व का पहला अभयारण्य

ऑस्ट्रेलियाई संरक्षणवादियों ने हाल ही में प्लैटिपस के लिये विश्व का पहला अभयारण्य स्थापित करने की योजना बनाई है, ताकि प्लैटिपस के प्रजनन एवं पुनर्वास को बढ़ावा दिया जा सके, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण यह लगभग विलुप्त होने की कगार पर है। योजना के मुताबिक, वर्ष 2022 तक सिडनी से 391 किमी. (243 मील) की दूरी पर यह केंद्र स्थापित किया जाएगा, जहाँ कुल 65 प्लैटिपस मौजूद होंगे। यह केंद्र संरक्षणवादियों और वैज्ञानिकों को प्लैटिपस के बारे में और अधिक जानने में मदद करेगा। प्लैटिपस एक ज़हरीला स्तनधारी जीव है, जिसमें इलेक्ट्रोलोकेशन की शक्ति होती है, अर्थात् ये किसी जीव का शिकार उसके पेशी संकुचन द्वारा उत्पन्न विद्युत तरंगों का पता लगाकर करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अन्य प्रसिद्ध जानवरों जैसे- कंगारू आदि के विपरीत प्लैटिपस अपनी एकांत प्रकृति और अत्यधिक विशिष्ट निवास संबंधी आवश्यकताओं के कारण प्राय: कम ही दिखाई देते हैं। इसे IUCN की रेड लिस्ट में 'निकट संकटग्रस्त' श्रेणी में रखा गया है।

सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने हाल ही में एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से 'सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट' (SFDR) प्रौद्योगिकी पर आधारित फ्लाइट टेस्ट को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। परीक्षण के दौरान बूस्टर मोटर और नोजल रहित मोटर समेत सभी उप प्रणालियों ने अपेक्षा के अनुसार प्रदर्शन किया। ठोस ईंधन आधारित डक्टेड रैमजेट तकनीक के सफल प्रदर्शन ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान (DRDO) को तकनीकी लाभ प्रदान किया है, जिससे वह लंबी दूरी की हवा-से-हवा में मार करने वाली मिसाइलें विकसित कर पाएगा। वर्तमान में ऐसी तकनीक विश्व के कुछ चुनिंदा देशों के पास ही उपलब्ध है। पिछले महीने DRDO ने स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और विकसित वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस-टू-एयर मिसाइल (VL-SRMAM) को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल निकट सीमाओं पर विभिन्न हवाई खतरों से निपटने में सक्षम है। रैमजेट एयर-ब्रीदिंग जेट इंजन का एक रूप है जो घूर्णन कंप्रेसर के बिना आने वाली वायु को संपीडित करने के लिये वाहन की अग्रिम गति का उपयोग करता है। रैमजेट सुपरसोनिक गति पर अधिक कुशलता से कार्य करते हैं किंतु वे हाइपरसोनिक गति में कुशल नहीं हैं।

'बाओ-धान' या 'रेड राइस'

हाल ही में असम के लाल चावल या 'रेड राइस' की पहली खेप संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के लिये रवाना की गई। आयरन से समृद्ध 'लाल चावल' को असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में बिना किसी रासायनिक खाद के प्रयोग के उगाया जाता है। असम में चावल की इस किस्म को 'बाओ-धान' कहा जाता है, जो कि असमिया भोजन का एक अभिन्न अंग है। 'बाओ-धान' या 'रेड राइस' के निर्यात में बढ़ोतरी होने से असम के किसान परिवारों की आय में वृद्धि करने में मदद मिलेगी। 'रेड राइस' में एंथोसाइनिन (anthocyanin) नामक पदार्थ होता है, जिसके कारण यह लाल रंग का दिखता है। कई अध्ययनों में यह बात सामने आई है कि 'रेड राइस' खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने और दिल को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है। ज्ञात हो कि बीते दिनों भारत सरकार ने 'कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण' (APEDA) के तत्त्वावधान में चावल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये चावल निर्यात संवर्द्धन मंच (REPF) की स्थापना की थी। कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और इसका प्राथमिक उद्देश्य निर्यात के लिये अनुसूचित उत्पादों से संबंधित उद्योगों के विकास को बढ़ावा देना है।

गैरसैंण

हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने गैरसैंण (Gairsain) को राज्य का नया प्रशासनिक मंडल घोषित किया है। इसके साथ ही कुमाऊँ और गढ़वाल के बाद यह उत्तराखंड का तीसरा मंडल बन गया है। मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के मुताबिक, गैरसैंण मंडल में चार पहाड़ी ज़िले शामिल होंगे, जिनमें अल्मोड़ा और बागेश्वर (जो कि कुमाऊँ से हैं) तथा रुद्रप्रयाग एवं चमोली (जो कि गढ़वाल से हैं) शामिल हैं। इसी के साथ गैरसैंण मंडल के लिये एक कमिश्नर और एक पुलिस उप-महानिरीक्षक (DIG) की नियुक्ति की जाएगी। बीते वर्ष 4 मार्च को मुख्यमंत्री ने गैरसैंण को राज्य की नई ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी, ज्ञात हो कि राज्य सरकार के इस प्रस्ताव को राज्यपाल की भी सहमति मिल गई है। वर्तमान में गैरसैंण चमोली ज़िले की तहसील है, जो कि उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी देहरादून से लगभग 270 किलोमीटर दूर स्थित है। 9 नवंबर, 2000 को उत्तराखंड भारत का 27वाँ राज्य बना जिसे उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। वर्ष 2000 से 2006 तक इसे उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। इसकी सीमाएँ उत्तर में तिब्बत, पूर्व में नेपाल, पश्चिम में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में उत्तर प्रदेश से मिलती हैं।

'श्रब फ्रॉग' की पाँच नई प्रजातियाँ

हाल ही में भारत और अमेरिका के शोधकर्त्ताओं द्वारा 'श्रब फ्रॉग' की पाँच नई प्रजातियों की खोज की गई है। मेढ़क की ये नई प्रजातियाँ ट्रीफ्रॉग परिवार 'राकोफोराइडे' (Rhacophoridae) से संबंधित मानी जा रही हैं। शोधकर्त्ताओं द्वारा खोजी गई नई प्रजातियाँ विभिन्न मापदंडों के आधार पर अन्य प्रजातियों से अलग हैं, जिसमें उनकी आकृति, उनका DNA, कॉलिंग पैटर्न और व्यवहार आदि शामिल हैं। खोजी गई पाँच प्रजातियों हैं- रोरचेस्टेस द्रुताहू (इसे केरल के इडुक्की और पलक्कड ज़िले में खोजा गया), रोरचेस्टेस कक्कायमेंसिस (इसे कक्कायम बाँध के नज़दीक खोजा गया), रोरचेस्टेस कैरासबिनेई (इसे दक्षिणी-पश्चिमी घाट में अगस्त्यमलाई और अन्नामलाई की पहाड़ियों में खोजा गया है), रोरचेस्टेस संजप्पाई (इसे उत्तरी केरल के वायनाड क्षेत्र से खोजा गया है) और रोरचेस्टेस वेल्लिक्कन्नन (इसे साइलेंट वैली नेशनल पार्क के निकटवर्ती क्षेत्र में खोजा गया है)।

नोट :

मैत्री सेतु

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 मार्च, 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और बांग्लादेश के बीच 'मैत्री सेतु' का उद्घाटन करेंगे। 'मैत्री सेतु' पुल फेनी नदी पर बनाया गया है। ये नदी त्रिपुरा और बांग्लादेश में भारतीय सीमा के बीच बहती है। 'मैत्री सेतु' भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते द्विपक्षीय एवं मैत्रीपूर्ण संबंधों का प्रतीक है। इस पुल का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (NHIDCL) ने 133 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। 1.9 किलोमीटर लंबा पुल भारत के 'सबरूम' को बांग्लादेश के 'रामगढ़' से जोड़ता है। यह भारत और बांग्लादेश के बीच आम लोगों की आवाजाही और द्विपक्षीय व्यापार में एक नया अध्याय जोड़ेगा। इसके साथ ही त्रिपुरा 'गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट' बन जाएगा क्योंकि सबरूम से चटगाँव की दूरी मात्र 80 किलोमीटर है। इसके अलावा प्रधानमंत्री कई अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे, जिसमें 'सबरूम' में एक एकीकृत चेक पोस्ट की स्थापना, राज्य सरकार द्वारा विकसित राज्य राजमार्गों और अन्य ज़िला सड़कों का उद्घाटन और प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 40978 घरों का उद्घाटन आदि शामिल हैं।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस

संपूर्ण मानव जाति के विकास में महिलाओं की भूमिका को रेखांकित करने हेतु प्रत्येक वर्ष 08 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया जाता है। यह दिवस लोगों को यह जानने का अवसर प्रदान करता है कि मानव जाति के विकास में अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है और महिलाओं की समान भागीदारी के बिना यह प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 की थीम है- 'वीमेन इन लीडरशिप: अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19'। विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के उद्देश्य से इस दिवस को महिलाओं के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों के उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। दरअसल वर्ष 1908 के आसपास महिलाओं के बीच उनके उत्पीड़न और असमानता के विषय को लेकर गंभीर बहस शुरू हुई और बदलाव की मुहिम तब और मुखर होने लगी जब 15000 से अधिक महिलाओं ने काम की कम अवधि, बेहतर भुगतान और मतदान के अधिकार को लेकर न्यूयॉर्क शहर से मार्च किया। 28 फरवरी, 1909 को संयुक्त राज्य अमेरिका में पहला राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। वर्ष 1910 में, कोपेनहेगन में कामकाजी महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया और इसी सम्मेलन के दौरान जर्मनी की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की महिला नेत्री क्लारा ज़ेटकिन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के आयोजन का सुझाव प्रस्तुत किया गया था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन वर्ष 1975 में किया गया था।

स्पेस हरिकेन

हाल ही में शोधकर्त्ताओं ने अंतरिक्ष में पहली बार 'स्पेस हरिकेन' की खोज की है। इस 'स्पेस हरिकेन' से संबंधित सभी सूचना वर्ष 2014 में एकत्र किये गए डेटा के पूर्वव्यापी विश्लेषण से प्राप्त हुई है। इलेक्ट्रॉन की वर्षा वाले इस हरिकेन को पहली बार उत्तरी ध्रुव के ऊपरी वातावरण में रिकॉर्ड किया गया था। वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया यह 'स्पेस हरिकेन' तकरीबन 8 घंटे तक वामावर्त दिशा में घूमता रहा। इस 'स्पेस हरिकेन' का व्यास तकरीबन 1,000 किलोमीटर (621 मील) था। इस खोज से यह ज्ञात होता है कि 'स्पेस हरिकेन' एक सामान्य ग्रहीय घटना हो सकती है। अन्य हरिकेन के विपरीत, 'स्पेस हरिकेन' में इलेक्ट्रॉनों की वर्षा होती है, जिससे हरिकेन के निचले हिस्से में एक विशाल और चमकदार हरे रंग के 'ऑरोरा' (Aurora) का निर्माण होता है। 'स्पेस हरिकेन' का अध्ययन वैज्ञानिकों को महत्त्वपूर्ण अंतरिक्ष मौसम प्रभावों को समझने में मदद करेगा। ज्ञात हो कि अंतरिक्ष में, खगोलविदों ने मंगल, शनि और बृहस्पति ग्रह पर भी 'हरिकेन' दर्ज किये हैं।

दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन

हाल ही में दिल्ली मंत्रिमंडल ने 'दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन' (DBSE) के गठन को मंज़ूरी दे दी है। नए बोर्ड की घोषणा करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि यह नई व्यवस्था दिल्ली की वर्तमान शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। प्रारंभिक चरण में राष्ट्रीय के लगभग 20 विद्यालयों को आगामी शैक्षणिक सत्र 2021-2022 में नए बोर्ड से संबद्ध किया जाएगा। नए बोर्ड के संचालक मंडल का नेतृत्त्व दिल्ली के शिक्षामंत्री द्वारा किया जाएगा। दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य दिल्ली के विद्यालयों में कुछ सर्वोत्तम शिक्षा पद्धतियों को लागू करना है। वर्तमान में दिल्ली में लगभग 1,700 निजी स्कूल और लगभग 1,000 सरकारी स्कूल हैं, जिनमें से अधिकांश केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) से संबद्ध हैं। नए बोर्ड में शिक्षा के प्रति अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा और इसमें सीखने पर अधिक ज़ोर दिया जाएगा।

स्मार्टअप-उन्नति

महिला उद्यमियों को समर्थन एवं सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से HDFC बैंक ने हाल में 'स्मार्टअप-उन्नति' नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा की है। इसके तहत HDFC बैंक की डोमेन विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ महिलाकर्मी आगामी एक वर्ष में महिला उद्यमियों को

परामर्श संबंधी सेवाएँ प्रदान करेंगी, ताकि उन्हें अपने लक्ष्य को पूरा करने में सहायता प्रदान की जा सके। ज्ञात हो कि यह कार्यक्रम बैंक के केवल मौजूदा ग्राहकों के लिये उपलब्ध है। 'स्मार्टअप-उन्नति' कार्यक्रम के तहत प्रारंभ में 3000 महिला उद्यमियों को लक्षित किया जाएगा। स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में महिला उद्यमियों को प्रायः विशिष्ट चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। 'स्मार्टअप-उन्नति' कार्यक्रम बैंक की विशिष्ट महिला कर्मियों के अनुभव का लाभ प्राप्त करने हेतु एक आदर्श मंच है। यह कार्यक्रम महिलाओं को बेहतर परामर्श प्राप्त कर अपने दृष्टिकोण के विस्तार और कारोबार को बढ़ोतरी करने में सक्षम बनाएगा। इससे पूर्व HDFC बैंक ने अपने 'स्मार्टअप' कार्यक्रम के तहत वर्ष 2018 में बैंकिंग स्टार्टअप हेतु एक ऑनलाइन मेंटरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। इस कार्यक्रम के तहत उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिये बैंक विभिन्न राज्य सरकारों, इनक्यूबेटरों और एक्सेलेरेटरों के साथ भागीदारी कर रहा है।

टेकभारत-2021

हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने टेकभारत-2021 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। लघु उद्योग भारती और IMS फाउंडेशन ने हेल्थ टेक एवं एडुटेक क्षेत्रों के विभिन्न हितधारकों को आभासी मंच पर एक साथ लाने हुए इस कॉन्क्लेव के दूसरे संस्करण का आयोजन किया है। टेकभारत इन क्षेत्रों में साधन-संपन्न भागीदारी सुनिश्चित करने और विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीति निर्माताओं, सरकार के प्रतिनिधियों, उद्योग जगत के सदस्यों, निवेशकों और स्टार्टअप समेत हज़ारों घरेलू तथा वैश्विक प्रतिभागियों के बीच बातचीत एवं विचार-विमर्श की सुविधा प्रदान करेगा। ज्ञात हो कि नागरिक स्वास्थ्य व देखभाल के लिये वर्ष 2021-22 के बजटीय आवंटन में 137 प्रतिशत की भारी वृद्धि की गई है, जो न केवल देश की स्वास्थ्य संबंधी अवसंरचना को मज़बूत करने में मदद करेगा, बल्कि यह निवारक स्वास्थ्य और समग्र कल्याण के क्षेत्रों पर भी ध्यान केंद्रित करने में सहायक होगा। इसके अलावा कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत के बाद से देश भर में एडुटेक क्षेत्र में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है और टेकभारत-2021 के माध्यम से एडुटेक क्षेत्र के विभिन्न हितधारकों को एक मंच पर लाकर इसके विकास पर ध्यान केंद्रित किया जा सकेगा।

स्वाधीनता पुरस्कार

बांग्लादेश सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले नौ प्रसिद्ध हस्तियों और एक संगठन को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 'स्वाधीनता पुरस्कार 2021' प्रदान करने की घोषणा की है। चार नागरिकों के नाम का चयन बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में उनके योगदान के लिये स्वतंत्रता सेनानियों की श्रेणी में पुरस्कार हेतु मरणोपरांत किया गया है। वहीं पाँच नागरिकों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साहित्य, संस्कृति और सामाजिक सेवा आदि श्रेणियों में पुरस्कार के लिये सम्मानित किया गया है। संगठनों की श्रेणी में बांग्लादेश कृषि अनुसंधान परिषद को अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिये नामित किया गया है। यह पुरस्कार बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1977 से दिया जा रहा है। इस पुरस्कार के तहत एक स्वर्ण पदक और 5 लाख टका नकद दिया जाता है।

2030 डिजिटल कम्पास

हाल ही में यूरोपीय संघ ने '2030 डिजिटल कम्पास' नाम से एक योजना का अनावरण किया है। इस योजना के तहत यूरोपीय संघ ने इस दशक के अंत तक अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर के वैश्विक उत्पादन के तकरीबन 20 प्रतिशत अथवा पाँचवें हिस्से का उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके अलावा योजना के तहत यूरोपीय संघ गैर-यूरोपीय प्रौद्योगिकियों पर अपनी निर्भरता में कटौती के प्रयासों द्वारा आगामी पाँच वर्षों में अपना पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाएगा। इस योजना के माध्यम से सेमीकंडक्टर के महत्त्व को रेखांकित किया गया है, जिन्हें कनेक्टेड कारों, स्मार्टफोन, इंटरनेट से जुड़े उपकरणों, उच्च प्रदर्शन कंप्यूटरों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में उपयोग किया जाता है और इनकी वैश्विक आपूर्ति में कमी के कारण विश्व भर में कार कारखाने बंद हो रहे हैं। इस योजना के तहत क्वांटम प्रौद्योगिकियों में निवेश की सिफारिश करते हुए स्पष्ट किया गया है कि यह प्रौद्योगिकी नई दवाओं को विकसित करने और जीनोम अनुक्रमण को गति देने में महत्त्वपूर्ण साबित हो सकती है। यूरोपीय संघ की इस योजना में वर्ष 2030 तक 10,000 जलवायु-तटस्थ केंद्रों की स्थापना का आह्वान किया गया है, ताकि यूरोप में अपने स्वयं की क्लाउड अवसंरचना विकसित की जा सके और इसी अवधि में यूनिकॉर्न कंपनियों (1 बिलियन डॉलर से अधिक मूल्य वाली कंपनियाँ) की संख्या को दोगुना किया जा सके।

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

प्रधानमंत्री ने 10 मार्च, 2021 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के स्थापना दिवस पर सुरक्षा बल की प्रशंसा करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रगति में उसके महत्त्वपूर्ण योगदान को रेखांकित किया। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल 10 मार्च, 1969 को मात्र तीन बटालियनों के साथ अस्तित्व में आया था और इसका प्राथमिक उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) को संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करना था, जो कि उस

समय देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिये काफी महत्त्वपूर्ण माने जाते थे। वर्तमान में CISF के तहत 12 रिज़र्व बटालियन शामिल हैं। CISF के तहत कुल कर्मियों की संख्या 1,40,000 से भी अधिक है। CISF देश भर में स्थित औद्योगिक इकाइयों, सरकारी अवसंरचना परियोजनाओं तथा अन्य प्रतिष्ठानों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। इनमें परमाणु ऊर्जा संयंत्र, खदान, ऑयल फील्ड और रिफाइनरियाँ, हवाई अड्डे, समुद्री बंदरगाह, बिजली संयंत्र, दिल्ली मेट्रो तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आदि शामिल हैं। नवंबर 2008 में मुंबई में आतंकी हमले के बाद से CISF के कार्यों को और अधिक बढ़ा दिया गया है, जिससे अब यह निजी क्षेत्र को भी प्रत्यक्ष तौर पर सुरक्षा प्रदान कर सकता है।

उडुपी रामचंद्र राव

10 मार्च, 2021 को गूगल ने प्रसिद्ध भारतीय प्रोफेसर और वैज्ञानिक उडुपी रामचंद्र राव के 89वंव जन्मदिवस के अवसर पर उन्हें 'डूडल' के माध्यम से श्रद्धांजलि दी। उडुपी रामचंद्र राव जो कि भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के अध्यक्ष थे, ने वर्ष 1975 में भारत के प्रथम उपग्रह- आर्यभट्ट के प्रक्षेपण का पर्यवेक्षण किया था। यही कारण है कि प्राय: उडुपी राव को 'भारत का सैटेलाइट मैन' भी कहा जाता है। 10 मार्च, 1932 को कर्नाटक के एक सुदूर गाँव में जन्मे प्रो. राव ने अपना कॅरियर कॉस्मिक-रे भौतिकशास्त्री के रूप में शुरू किया था। डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने के बाद प्रो. राव अमेरिका चले गए, जहाँ उन्होंने प्रोफेसर के रूप में काम किया, इसके अलावा अमेरिका में उन्होंने नासा के कार्यक्रमों पर भी कार्य किया। वर्ष 1966 में भारत लौटने पर प्रो. राव ने भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (PRL) में एक व्यापक खगोल विज्ञान कार्यक्रम शुरू किया तथा उन्हीं के पर्यवेक्षण में वर्ष 1972 में भारत के पहले उपग्रह कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके अतिरिक्त वर्ष 1984 से वर्ष 1994 के बीच प्रो. राव ने इसरो के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया।

वन चिकित्सा केंद्र

हाल ही में उत्तराखंड के रानीखेत में देश के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। यह वन चिकित्सा केंद्र का विकास उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान विंग द्वारा वनों के उपचारात्मक गुणों और समग्र स्वास्थ्य एवं कल्याण पर उसके प्रभाव को लेकर किये गए व्यापक शोध के बाद किया गया है। यह केंद्र लगभग 13 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। उत्तराखंड का यह केंद्र प्राचीन भारतीय परंपरा और वन चिकित्सा के लिये जापान की 'फॉरेस्ट बाथिंग' (शिन्रिन-योकु) तकनीक पर आधारित है। इस केंद्र के कार्यों में वन वॉकिंग, ट्री-हगिंग और फॉरेस्ट मेडिटेशन जैसी कई गतिविधियाँ शामिल हैं। ज्ञात हो कि कई अध्ययनों में पाया गया है, पेड़ों के विशिष्ट आणविक कंपन पैटर्न के प्रभावस्वरूप ट्री-हगिंग के कारण ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे हार्मोन के स्तर में वृद्धि होती है, जिससे सुखद प्रभाव उत्पन्न होता है। आइसलैंड जैसे देशों में वन विभाग द्वारा स्थानीय नागरिकों के स्वास्थ्य के लिये इस प्रकार की गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने की कोशिश की जा रही है।

ईशर सिंह देयोल

ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित और वरिष्ठ भारतीय एथलीट ईशर सिंह देयोल का हाल ही में 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ईशर सिंह देयोल ने वर्ष 1951 के बाद अपने संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय कॅरियर के दौरान कई पदक जीते और खेल में उनके आजीवन योगदान को देखते हुए उन्हें वर्ष 2009 में ध्यानचंद राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ज्ञात हो कि ईशर सिंह देयोल बीते 30 वर्ष से पंजाब एथलीट एसोसिएशन के महासचिव और एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे। ईशर सिंह देयोल ने शुरुआती तीनों एशियाई खेलों में हिस्सा लिया और वर्ष 1954 में फिलीपींस के मनीला में आयोजित दूसरे एशियाई खेलों में उन्होंने कांस्य पदक भी जीता था। वर्ष 1957 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक मीट के दौरान ईशर सिंह देयोल ने शॉटपुट में 46 फीट 11.2 इंच की थ्रो के साथ एशियाई रिकॉर्ड स्थापित किया था। इसके अलावा उन्होंने वर्ष 1952 से वर्ष 1957 तक लगातार पाँच वर्ष ऑल इंडिया पुलिस मीट में स्वर्ण पदक जीता था।

तीरथ सिंह रावत

उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के बाद हाल ही में गढ़वाल से सांसद तीरथ सिंह रावत ने राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तीरथ सिंह रावत ने राज्य के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तीरथ सिंह रावत ने अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथ की थी। बाद में वर्ष 2000 में उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग करके एक अलग राज्य बना दिया गया। वर्ष 1997 में उन्हें उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिये चुना गया, इसके पश्चात् वर्ष 2000 में जब उत्तराखंड एक अलग राज्य बना, तो तीरथ सिंह रावत को नई सरकार में मंत्री बनाया गया। तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखंड की पहली सरकार में शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया। वर्ष 2012 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में तीरथ सिंह रावत को गढ़वाल के चौबट्टाखाल सीट से विधायक चुना गया था। इसके बाद तीरथ सिंह रावत को वर्ष 2019 में लोकसभा के लिये चुना गया।

जी.पी. सामंत

हाल ही में केंद्र सरकार ने जी.पी. सामंत को भारत का मुख्य सांख्यिकीविद् नियुक्त किया है। वे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव का भी कार्यभार संभालेंगे। जी.पी. सामंत को प्रारंभ में दो वर्ष की अवधि के लिये नियुक्त किया गया है। वे देश के पूर्व मुख्य सांख्यिकीविद् छत्रपति शिवाजी का स्थान लेंगे, जो सितंबर 2020 से इस पद का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। जी.पी. सामंत वर्तमान में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के सांख्यिकी एवं सूचना प्रबंधन विभाग में सलाहकार के तौर पर कार्य कर रहे हैं। इससे पूर्व जी.पी. सामंत चेन्नई में रिज़र्व बैंक स्टाफ कॉलेज में निदेशक और संकाय सदस्य के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। मात्रात्मक अर्थशास्त्र में उनके उत्कृष्ट योगदान को देखते हुए उन्हें वर्ष 2006 में प्रतिष्ठित प्रो. पी.सी. महालनोबिस पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। जी.पी. सामंत ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान (ISI) से सांख्यिकी में मास्टर डिग्री और मुंबई विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है। ज्ञात हो कि सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव को भारत का मुख्य सांख्यिकीविद् (CSI) कहा जाता है। भारत का मुख्य सांख्यिकीविद् (CSI) राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन (NSO) के प्रमुख और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (NSC) के सचिव के तौर पर भी कार्य करता है। मुख्य सांख्यिकीविद् का प्राथमिक कार्य देश के समक्ष प्रमुख आर्थिक संकेतक और आँकड़े प्रस्तुत करना है।

इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स

भारत के सुप्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन को 'इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स' (FIAF) पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा। अमिताभ बच्चन इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स (FIAF) पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय होंगे। अमिताभ बच्चन को यह पुरस्कार फिल्म विरासत के संरक्षण में उनके योगदान और समर्पण हेतु प्रदान किया जा रहा है। इस पुरस्कार के पूर्व विजेताओं में दिग्गज फिल्मी हस्तियाँ जैसे- मार्टिन स्कॉरसेस (2001), इंगमार बर्गमान (2003), क्रिस्टोफर नोलन (2017) और वाल्टर सेलेस (2020) आदि शामिल हैं। 'इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स' (FIAF) पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2001 में हुई थी और इसका प्राथमिक उद्देश्य फिल्म तथा फिल्म संस्कृति के संरक्षण में योगदान देने वाले लोगों को मान्यता प्रदान करना है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स (FIAF) एक विश्वव्यापी संगठन है, जिसमें दुनिया भर के फिल्म अभिलेखागार और संग्रहालय शामिल हैं।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो

11 मार्च, 2021 को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) ने अपना 36वाँ स्थापना दिवस मनाया। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की स्थापना वर्ष 1986 में गृह मंत्रालय के तहत अपराध और अपराधियों से संबंधित सूचनाओं के एक भंडार के रूप में की गई थी, जिसका प्राथमिक उद्देश्य इस प्रकार की सूचनाओं के माध्यम से जाँच में सहायता प्रदान करना था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना राष्ट्रीय पुलिस आयोग (1977-1981) तथा गृह मंत्रालय के टॉस्क फोर्स (1985) की सिफारिशों के आधार पर की गई थी, ताकि खोजकर्त्ताओं को अपराध एवं अपराधियों से संबंधित डेटा का मिलान करने में सहायता मिल सके। इसका गठन पुलिस कंप्यूटर एवं समन्वय निदेशालय (DCPC), CBI की अंतर-राज्य अपराधी डेटा शाखा, CBI के केंद्रीय फिंगर प्रिंट ब्यूरो तथा पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (BPR&D) की सांख्यिकी शाखा के विलय से किया गया था। NCRB 'क्राइम इन इंडिया' रिपोर्ट के माध्यम से देश भर में अपराध संबंधी वार्षिक आँकड़े प्रस्तुत करता है। वर्ष 1953 से प्रकाशित हो रही यह रिपोर्ट देश भर की कानून-व्यवस्था की स्थिति को समझने हेतु एक महत्त्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करती है। NCRB को वर्ष 2016 में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 'डिजिटल इंडिया अवार्ड' से भी सम्मानित किया गया था।

आज़ादी का 'अमृत महोत्सव'

प्रधानमंत्री ने 12 मार्च, 2021 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में आज़ादी के 'अमृत महोत्सव' (India@75) का उद्घाटन किया। आजादी का 'अमृत महोत्सव' भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगाँठ मनाने हेतु भारत सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की एक शृंखला है। यह महोत्सव जनभागीदारी की भावना के साथ जन उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगाँठ पर आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में नीतियों और योजनाओं को तैयार करने हेतु गृहमंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय क्रियान्वयन समिति बनाई गई है। महोत्सव के शुरुआती कार्यक्रम 12 मार्च, 2021 से प्रारंभ होंगे। ध्यातव्य है कि ये कार्यक्रम 15 अगस्त, 2022 से 75 सप्ताह पूर्व आयोजित किये जा रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने साबरमती आश्रम से पदयात्रा (स्वतंत्रता मार्च) भी शुरू की। 241 मील की यह यात्रा 25 दिन में 5 अप्रैल को समाप्त होगी। ज्ञात हो कि 12 मार्च, 1930 को ही महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी मार्च की शुरुआत की थी। यह मार्च साबरमती आश्रम से गुजरात के दांडी नामक तटीय कस्बे में पहुँचकर समाप्त होना था। यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी, जिसमें महिलाओं ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई।

'फुगाकू' सुपर कंप्यूटर

जापान के वैज्ञानिकों ने विश्व के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर 'फुगाकू' को पूरी तरह से विकसित कर लिया है और अब यह अत्याधुनिक मशीन अनुसंधान के उपयोग हेतु उपलब्ध है। ज्ञात हो कि जापानी वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान 'रिकेन' (RIKEN) और 'फुजिस्तु' (FUJITSU) ने जापान की कंप्यूटिंग अवसंरचना में वृद्धि करने के उद्देश्य से तकरीबन छह वर्ष पूर्व इस सुपर कंप्यूटर पर कार्य करना शुरू किया था। वैज्ञानिकों के मुताबिक, 'फुगाकू' सुपर कंप्यूटर में जापान के ही 'के-सुपर कंप्यूटर' की तुलना में 100 गुना अधिक प्रदर्शन क्षमता है और इसे मुख्य रूप से उच्च-रिज़ॉल्यूशन, लंबी अवधि और बड़े पैमाने पर सिमुलेशन को लागू करने हेतु विकसित किया गया है। सुपर कंप्यूटर उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग (HPC) का भौतिक मूर्तरूप है, जो संगठनों को उन समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाता है, जिन्हें सामान्य कंप्यूटर द्वारा हल किया जाना असंभव है। विश्व स्तर पर अधिकतम सुपर कंप्यूटरों के साथ चीन दुनिया में शीर्ष स्थान पर है। चीन के बाद अमेरिका, जापान, फ्राँस, जर्मनी, नीदरलैंड, आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों का स्थान है।

आइवरी कोस्ट

आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री, हामिद बाकायोका का जर्मनी के एक अस्पताल में निधन हो गया। पूर्व मीडिया कार्यकारी बाकायोका ने सदी के पहले दशक के दौरान आइवरी कोस्ट के गृहयुद्ध में मुख्य मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। आइवरी कोस्ट अथवा कोट डी आइवर पश्चिमी अफ्रीका के तट पर स्थित एक देश है। 1960 में फ्राँस से आज़ादी प्राप्त करने के बाद से मुख्यत: कोको उत्पादन और निर्यात के कारण आइवरी कोस्ट (कोट डी आइवर) को पश्चिम अफ्रीका में सबसे समृद्ध देशों में से एक माना जाता है। कोटे डी आइवर उत्तर में माली और बुर्किना फासो, पूर्व में घाना, दक्षिण में गिनी की खाड़ी, दक्षिण-पश्चिम में लाइबेरिया और उत्तर-पश्चिम में गिनी के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यहाँ कि आधिकारिक भाषा फ्रेंच है, हालाँकि यहाँ अफ्रीका की लगभग सभी भाषाएँ बोलने वाले लोग पाए जाते हैं।

चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौथे वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव को संबोधित करते हुए COVID-19 महामारी के दौरान आयुर्वेद और पारंपरिक दवाओं के महत्त्व को स्पष्ट किया। चौथे वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन 16 से 20 मई, 2020 तक किया जाना था, परंतु कोविड-19 महामारी के कारण इसे वर्ष 2021 में स्थानांतरित कर दिया गया और अब इसे 12 से 19 मार्च, 2021 तक वर्चुअल रूप से आयोजित किया जा रहा है। वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव में 25 से अधिक देशों के प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इस आयोजन के दौरान 35 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों और 150 से अधिक भारतीय वैज्ञानिकों के व्याख्यान होंगे। यह महोत्सव भाग लेने वाले देशों के सभी प्रतिबद्ध सदस्यों के प्रयासों को समन्वित कर वैश्विक चिकित्सा प्रणाली में आयुर्वेद को स्थान दिलाने के लिये एक मंच है जहाँ कई देशों के हितधारक अपने अनुभव, आवश्यकताओं को साझा करेंगे।

कालानमक चावल महोत्सव:

उत्तर प्रदेश सरकार सिद्धार्थ नगर ज़िले में तीन दिवसीय "कालानमक चावल महोत्सव" का आयोजन करेगी। यह महोत्सव 13 मार्च, 2021 से शुरू होगा। यह उत्सव "लखनऊ में जगमग महोत्सव" की शानदार सफलता के बाद आयोजित किया जा रहा है। इस चावल महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन 'एक जनपद, एक उत्पाद' (ODOP) के तहत चयनित उत्पादों को 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' और 'लोकल फॉर वोकल' के रूप में बाज़ार में बढ़ावा देने और ब्रांड बनाने के लिये किया जा रहा है। 'एक जनपद, एक उत्पाद' योजना का उद्देश्य स्थानीय शिल्प का संरक्षण एवं विकास, कला और क्षमता का विस्तार, आय में वृद्धि एवं स्थानीय रोज़गार का सृजन, उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार एवं दक्षता का विकास, उत्पादों की गुणवत्ता में बदलाव, उत्पादों को पर्यटन से जोड़ा जाना, क्षेत्रीय असंतुलन के कारण उत्पन्न होने वाली आर्थिक विसंगतियों को दूर करना और राज्य स्तर पर ODOP के सफल संचालन के बाद इसे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। कालानमक चावल पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में उगाया जाता है। कालानमक चावल को भौगोलिक संकेतक (GI) टैग प्राप्त हुआ है, इसे सिद्धार्थनगर, देवरिया, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती में ODOP के रूप में उगाया जाता है। कालानमक चावल महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किये जाएंगे, जिसमें स्थानीय कलाकारों एवं छात्रों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शन का मौका मिलेगा। इस महोत्सव में कालानमक चावल के विभिन्न व्यंजन प्रदर्शित किये जाएंगे।

झारखंड द्वारा निजी नौकरियों में 75% स्थानीय आरक्षण:

झारखंड कैबिनेट ने स्थानीय लोगों के लिये निजी क्षेत्र की इकाइयों में प्रतिमाह 30,000 रुपए तक वेतन वाली 75 प्रतिशत नौकरियों को आरक्षित करने संबंधी रोज़गार नीति को मंज़ूरी दी है। झारखंड से पहले हरियाणा सरकार ने भी इसी तरह की नीति को मंज़ूरी दी थी। झारखंड कैबिनेट ने यह निर्णय झारखंड औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति, 2021 के मसौदे पर चर्चा करने के बाद लिया है। झारखंड राज्य में 32 जनजातियाँ निवास करती हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, झारखंड में 7,087,068 जनसंख्या जनजाति है जो कुल जनसंख्या का 26.3 प्रतिशत है। वर्तमान में झारखंड में मुंडा, उरांव, संथाल, गोंड, कोल, असुर, बंजारा, चेरो, हो, कोरा, भूमिज आदि 32 आदिवासी समूह हैं।

इसरो द्वारा ध्वनि रॉकेट RH-560 लॉन्च:

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से उदासीन वायु और प्लाज़्मा गतिकी में व्यावहारिक भिन्नताओं का अध्ययन करने के लिये एक ध्वनि रॉकेट RH-560 लॉन्च किया है। ISRO ने रोहिणी सीरीज़ में रॉकेटों की एक श्रृंखला विकसित की है, जिनका नाम RH-200, RH-300 और RH-560 है, ये नाम मिमी. में रॉकेट के व्यास को दर्शाते हैं। ध्वनि रॉकेट एक या दो चरण के ठोस प्रणोदक रॉकेट हैं जिनका उपयोग ऊपरी वायुमंडलीय क्षेत्रों की जाँच और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिये किया जाता है। ISRO ने वर्ष 1965 से स्वदेश निर्मित ध्वनि रॉकेटों को लॉन्च करना शुरू कर दिया था। वर्ष 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (ISRO) की स्थापना हुई। यह भारत सरकार की अंतरिक्ष एजेंसी है और इसका मुख्यालय बंगलूरू में है। इसे अंतरिक्ष अनुसंधान के लिये देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उनके करीबी सहयोगी और वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के प्रयासों से स्थापित किया गया। इसका प्रबंधन भारत सरकार के 'अंतरिक्ष विभाग' द्वारा किया जाता है, जो सीधे भारत के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है। ISRO अपने विभिन्न केंद्रों के देशव्यापी नेटवर्क के माध्यम से इसका संचालन करता है।

चेमनचेरी कुनिरामन नायर

15 मार्च, 2021 को जाने माने कथकली कलाकार चेमनचेरी कुनिरामन नायर का केरल के कोझिकोड में निधन हो गया। 105 वर्षीय नायर अपनी नृत्य मुद्रा और गरिमापूर्ण कला की वजह से कई दशकों तक कथकली प्रेमियों के बीच आकर्षण का केंद्र बने रहे। कथकली विधा में महत्त्वपूर्ण योगदान के लिये वर्ष 2017 में श्री नायर को पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाज़ा गया था। इसके अलावा उनकी अद्भुत प्रतिभा के लिये उन्हें केरल संगीत नाटक अकादमी और केरल कलामंडलम पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। 16 जून, 1916 को केरल में जन्मे, कुनिरामन नायर ने वर्ष 1930 में कीजपेपुर कुनियिल परदेवता मंदिर में अपना पहला नृत्य प्रदर्शन किया था। केरल के प्राचीन नृत्य नाटक कथकली के साथ कुनिरामन नायर की यात्रा की शुरुआत 14 वर्ष की उम्र में तब शुरू हुई, जब उन्होंने गुरु करुणाकरण मेनन द्वारा संचालित कथकली मंडली में शामिल होने के लिये अपना घर छोड़ दिया था। वर्षों के अभ्यास और कड़ी मेहनत के बाद 1945 में उन्होंने भारतीय नाट्यकलाम की स्थापना की, जो पूरे केरल में नृत्य का पहला स्कूल था। कथकली, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की एक महत्त्वपूर्ण शैली है। यह दक्षिण भारतीय राज्य केरल में उद्गमित एक नृत्य नाटक कला है।

मिताली राज

हाल ही में मिताली राज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। मिताली राज ने दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध चल रही एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सीरीज़ में यह महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। मिताली राज अब ऐसी दूसरी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं, जिन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 10,000 रन बनाए हैं। इंग्लैंड की चार्लोट एडवर्ड्स अब तक एकमात्र ऐसी महिला क्रिकेटर थीं, जिन्होंने यह महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की थी। 3 दिसंबर, 1982 को जोधपुर राजस्थान में जन्मी मिताली राज ने जून 1999 में एकदिवसीय मैच में आयरलैंड के विरुद्ध अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कॅरियर की शुरुआत की। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुल 212 एकदिवसीय मैच खेले हैं और कुल 7 शतक तथा 54 अर्द्ध-शतक लगाए हैं। ज्ञात हो कि मिताली राज टेस्ट क्रिकेट और एकदिवसीय मैचों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तानी करती हैं।

'आत्मनिर्भर निवेशक मित्र' पोर्टल

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने हाल ही में निवेशकों को डिजिटल सुविधा प्रदान करने के लिये एक समर्पित पोर्टल स्थापित करने की घोषणा की है। 'आत्मनिर्भर निवेशक मित्र' नामक इस पोर्टल का उद्देश्य घरेलू निवेशकों को आवश्यक समर्थन, मार्गदर्शन और सूचना प्रदान करना है। इस पोर्टल को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत 'उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग' (DPIIT) द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है।

इस पोर्टल के तहत 'इन्वेस्ट इंडिया' में एक समर्पित डिजिटल निवेश प्रोत्साहन और सुविधा टीम स्थापित की जाएगी तथा यह घरेलू निवेशकों को 'इन्वेस्ट इंडिया' के विशेषज्ञों के साथ वार्ता करने की सुविधा प्रदान करेगा, जिससे वे निवेश संबंधी मुद्दों पर चर्चा कर सकेंगे। यह पोर्टल निवेशकों को केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों एवं नई पहलों के बारे में दैनिक रूप से अपडेट करेगा। इस पोर्टल को 'इन्वेस्ट इंडिया' के तहत शुरू किया गया है, जिसे वर्ष 2009 में 'उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग' के तहत एक गैर-लाभकारी उपक्रम के रूप में स्थापित किया गया था।

इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश की योग्यता में बदलाव

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) ने इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों की प्रवेश-स्तरीय योग्यता में बदलाव करते हुए इच्छुक उम्मीदवारों के लिये फिज़िक्स, रसायन विज्ञान और गणित (PCM) की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) द्वारा की गई घोषणा के मुताबिक, अब छात्रों को स्नातक स्तर पर इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के लिये स्कूल में अनिवार्य रूप से इन विषयों का अध्ययन नहीं करना पड़ेगा। ज्ञात हो कि इससे पूर्व नियमों के मुताबिक, फिज़िक्स, रसायन विज्ञान और गणित (PCM) आदि विषय कंप्यूटर विज्ञान और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे अधिकांश इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के लिये अनिवार्य थे। हालाँकि उपरोक्त नियम राज्य सरकार और इंजीनियरिंग स्कूलों के लिये बाध्यकारी नहीं हैं। नए मानदंडों के तहत एक उम्मीदवार से कुल 14 विषयों की सूची में से किसी भी तीन विषयों में कम-से-कम 45 प्रतिशत स्कोर करने की उम्मीद की गई है।

दृष्टि The Vision